राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2023–2024

नई दिल्ली

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2023–2024

नई दिल्ली

महानिदेशक की ओर से

मुझे वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। रिपोर्ट में जल संसाधन विकास के क्षेत्र में राजविअ के कार्यों और उपलब्धियों का व्यापक अवलोकन दिया गया है, विशेष रूप से अंतर-बेसिन और अंत:-बेसिन जल अंतरण में, जिसे आमतौर पर नदियों को जोड़ने (आईएलआर) के रूप में जाना जाता है। रा.ज.वि.अ की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार एक सोसायटी के रूप में की गई थी और यह पूरी तरह से जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक शुरू होने वाली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- बजट के आबंटन और केन-बेतवा लिंक परियोजना और केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति और केन- बेतवा परियोजना प्राधिकरण के गठन के साथ कार्यान्वयन कार्य चल रहा है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन , वन मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी की शर्तों के अनुपालन को पूरा करने, परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति, दौधन बांध की ईपीसी निविदा, बुनियादी ढांचे के विकास और उत्तर प्रदेश के चरण -1 और 2 परियोजनाओं की डीपीआर आदि से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परियोजना के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एससी-केबीएलपीए की दो बैठकें, केबीएलपीए की तीन बैठकें और टीएजी-केबीएलपीए की छह बैठकें आयोजित की गईं है।

- अध्ययन भाग में भी काफी प्रगति हासिल की गई थी। दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी अंत:राज्यीय लिंक परियोजना की अंतिम डीपीआर पूरी हो गई है और महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। इसकी डीपीआर की योजना और तैयारी के लिए दिनांक 28.01.2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत सरकार राज्यों के बीच ईआरसीपी के साथ एकीकृत संशोधित पीकेसी लिंक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेदती-वरदा लिंक परियोजना सहित गोदावरी-कावेरी की मसौदा डीपीआर पूरी हो गई और 08.01.2024 को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित कर दी गई है । कोसी-मेची अंत:-राज्यीय लिंक की डीपीआर का कार्य प्रगति पर है।

- एनआईएच रूड़की द्वारा महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के लिए प्रणाली अध्ययन पूरा कर लिया गया है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। चार और लिंकों नामत: सुवर्णरेखा-महानदी, मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा, गंगा-दामोदर-स्वर्णरेखा और फरक्का-सुंदरवन लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

- नदी अंतर्योजन संबंधी कार्यक्रम पर कार्य कर रही सभी महत्वपूर्ण समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की गई थीं। वर्ष के दौरान नदी अंतर्योजन संबंधी विशेष समिति (एससीआईएलआर)

की एक बैठक, नदी अंतर्योजन संबंधी कार्यबल (टीएफआईएलआर) की एक बैठक, नदी अंतर्योजन संबंधी व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन संबंधी उप-समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। वर्ष के दौरान रा.ज.वि.अ सोसायटी की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और रा.ज.वि.अ के शासी निकाय (जीबी) की 71वीं और 72वीं बैठकें भी आयोजित की गईं।

मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट वर्ष के दौरान रा.ज.वि.अ की भूमिका, कार्यों और उपलब्धियों तथा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास को उजागर करने में सूचनात्मक होगी।

(बालेश्वर ठाकुर)
महानिदेशक, रा.ज.वि.अ

वर्ष 2023-24 के दौरान रा.ज.वि.अ गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

क. केन - बेतवा लिंक परियोजना

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के तहत बजट आवंटन के साथ, परियोजना का कार्यान्वयन कार्य शुरू किया गया था। विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण कार्य, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन , केन-नदी पर नए बैराजों के एस एंड आई कार्य, चरण- II वन मंजूरी और उच्चतम न्यायालय के सीईसी से मंजूरी के लिए अनुनय, केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए पीएमसी सेवाओं की खरीद आदि शामिल हैं।

- केबीएलपी के कीरयान्वयन के लिए केबीएलपी और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति का गठन दिनांक 11.02.2022 की राजपत्र अधिसूचना किया गय। अब तक एससी-केबीएलपी परियोजना की पांच बैठकें और केबीएलपीए की छह बैठकें आयोजित की गई हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एससी-केबीएलपी की 4वीं और 5वीं बैठकें और केबीएलपीए की 4वीं, 5वीं और 6वीं बैठकें आयोजित की गईं।

- एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) डबल्यूआईआई, देहरादून द्वारा तैयार की गई थी और इसे ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) के मार्गदर्शन में विभिन्न पणधारियों के माध्यम से लागू किया जाना है, जिसे आईएलएमपी के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 27.02.2023 को गठित किया गया था। जीपीएलसी की पहली बैठक और इसकी उप-समिति की बैठक क्रमशः 05.09.2023 और 17.10.2023 को आयोजित की गई।

- केबीएलपीए के लिए सीईओ, एसीईओ और निदेशक (वित्त) की नियुक्ति पूरी कर ली गई है।

- परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में विभिन्न योजना और तकनीकी मामलों पर प्राधिकरण की समीक्षा और सलाह देने के लिए 26.08.2022 को केन-बेतवा परियोजना लिंक प्राधिकरण (टीएजी-केबीएलपीए) के तकनीकी सलाहकार समूह का गठन किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, टीएजी-केबीएलपीए की छह बैठकें आयोजित की गईं।

- लोअर ऑर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना जैसे राज्य विशिष्ट घटकों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- महोबा तालाबों और उससे जुड़ी नहर के जीर्णोद्धार की डीपीआर तैयार करने का कार्य मुख्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार को अवलोकन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है तथा शेष घटकों नामत: उत्तर प्रदेश में दो बैराजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बरियारपुर पीयूडब्लू का सुदृढ़ीकरण/मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

- सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश, सीडब्ल्यूसी, राजविअ और केबीएलपीए के अन्य अधिकारियों के साथ 18.01.2024 को केबीएलपी के दौधन बांध स्थल का दौरा किया और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत की और परियोजना प्रभावित परिवारों की बेहतरी के लिए पुनर्वास एवं पुनः स्थापन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश और कलेक्टर, छतरपुर से विचार विमर्श किया।
- 31.03.2024 तक केनबीएलपी पर किया गया कुल व्यय 8910.77 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 6654.26 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ख. संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना

- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने 13.04.2023 को माननीय जल शक्ति मंत्री, नई दिल्ली के चैंबर में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के संबंध में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया।

- संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 19.07.2023 को माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग सहित एससीएस राजस्थान सरकार और प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक और बैठक ली गई और मुद्दों के शीघ्र समाधान खोजने पर जोर दिया गया। इस बैठक में सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग अधयक्ष, केन्द्रीय जल आयोग और रा.ज.वि.अ महानिदेशक भी उपस्थित थे।

- श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक के विकास पर सैद्धांतिक समझौते के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने और इसकी डीपीआर तैयार करने में तेजी लाने के लिए 27.09.2023 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

- संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 28.01.2024 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार के राज्यों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

- दिनांक 01.03.2024, 04.03.2024 और 15.03.2024 को अध्यक्ष, टीएफआईएलआर जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के जल विज्ञान सहित डीपीआर तैयार करने के संबंध में बैठकें बुलाई गईं।

-

ग. अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पार्टी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए गए थे। पार्टी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अब तक पांच परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं। पार्टी राज्यों के साथ रा.ज.वि.अ की 5वीं परामर्श बैठक 10.11.2023 को श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अंतरिम चरण में लगभग 4189 एमसीएम जल के अंतरण/पथांतरण के लिए प्रस्तावित गोदावरी-कावेरी लिंक की संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है और 16.01.2024 को सभी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित कर दी गई है। कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा एमओए तैयार किया गया है और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवलोकन के लिए परिचालित किया गया है। टीएफआईएलआर के अध्यक्ष और महानिदेशक, रा.ज.वि.अ द्वारा एसीएस, जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु, एसीएस, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और राज्यों को शामिल करने के लिए बैठकें भी आयोजित की गईं।

- दमनगंगा (एकदारे)-गोदावरी (वाघड़) और दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी अंतः राज्यीय लिंक परियोजनाओं की अंतिम डीपीआर क्रमशः 30.06.2023 और 06.09.2023 को महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की गई।

- जीएसआई और रा.ज.वि.अ के बीच कोसी-मेची अंतः राज्यीय लिंक परियोजना की तैयारी के लिए भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी अन्वेषण के परामर्श कार्य के लिए 27.03.2023 को एक समझौता निष्पादित किया गया था। कोसी-मेची लिंक की कार्यगत डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

घ. वर्ष 2023-24 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बैठकें/गतिविधियां

- रा.ज.वि.अ में भर्ती किए गए नए सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं ने 17.04.2023 से 28.04.2023 तक राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) पुणे द्वारा आयोजित प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- लखनऊ में 26-27 जून, 2023 तक भारत अवसंरचना द्वारा आयोजित भारत में सिंचाई प्रणालियों पर सम्मेलन के 5वें संस्करण के दौरान 27.06.2023 को "नदी जोड़ परियोजनाएं- प्रगति और अवसर" विषय पर मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ द्वारा प्रस्तुति दी गई है।
- श्री एबी पांड्या, महासचिव, आईसीआईडी की अध्यक्षता में "नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति" की दूसरी , तीसरी , 4वीं और 5वीं बैठकें क्रमशः 30.06.2023, 26.09.2023, 13.10.2023 और 12.03.2024 को आयोजित की गईं।

- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय की 71वीं बैठक सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 11.07.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई ।
- रा.ज.वि.अ के सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ने 3 से 7 जुलाई 2023 की अवधि के दौरान आईआईटी रुड़की में जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित "एसआरएसपी और पोलावरम के बीच गोदावरी बेसिन के लिए सिस्टम अध्ययन और मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके “मॉडल जल संतुलन अध्ययन" पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- 14.09.2023 से 29.09.2023 तक रा.ज.वि.अ के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।
- 30.10.2023 से 05.11.2023 के दौरान रा.ज.वि.अ के कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया गया।
- नदी अंतर्योजन के लिए टास्क फोर्स (टीएफआईएलआर) की 18वीं बैठक 10.11.2023 को हैदराबाद में श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।
- रा.ज.वि.अ के सभी कार्यालयों में 19.11.2023 से 25.11.2023 तक सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया।
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला में 20.11.2023 को "आईएलआर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चुनौतियां" पर एक व्याख्यान दिया।
- रा.ज.वि.अ की 72वीं शासी निकाय की बैठक 22.11.2023 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई ।
- रा.ज.वि.अ सोसाइटी की 37वीं वार्षिक आम बैठक और एससीआईएलआर की 21वीं बैठक 14.12.2023 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- रा.ज.वि.अ के अधिकारियों ने एनआईएच, रुड़की द्वारा आयोजित 04.12.2023 से 08.12.2023 के दौरान "सिस्टम स्टडीज एंड मॉडलिंग टेक्नीक्स" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- 16.03.2024 से 31.03.2024 तक रा.ज.वि.अ, मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा 2024 मनाया गया।

विषय सूची

अध्याय क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	लघुरूप	
अध्याय-1	**राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण**	17
1.1	परिचय	17
1.2	31.03.2023 तक रा.ज.वि.अ के कार्य	20
अध्याय-2	**मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा**	22
2.1	मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा	22
2.2	केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के कार्यालय	23
2.3	कर्मचारी संख्या	25
2.4	रा.ज.वि.अ सोसायटी	26
2.5	शासी निकाय	29
2.5.1	71वीं शासी निकाय की बैठक	31
2.5.2	72वीं शासी निकाय की बैठक	32
2.6	तकनीकी सलाहकार समिति	34
अध्याय 3	**नदी अंतर्योजन के लिए विशेष समिति, उप-समितियां और कार्य बल**	36
3.1	नदी अंतर्योजन के लिये विशेष समिति (एससीएलआईआर)	36
3.2	नदी अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की उप-समितियां	36
3.3	नदी अंतर्योजन संबंधी कार्यबल (टीएफआईएलआर)	37
3.4	एससीआईएलआर, उप-समितियों और टीएफआईएलआर की गतिविधियां	37
3.4.1	एससीएलआईआर की 21वीं बैठक	38
3.4.2	टीएफआईएलआर की 18वीं बैठक	39
3.4.3	नदी अंतर्योजन के संबंध में व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति	39
3.4.3.1	नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की दूसरी बैठक	40
3.4.3.2	नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की तीसरी बैठक	41
3.4.3.3	नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की चौथी बैठक	43
3.4.3.4	नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की 5वीं बैठक	45
अध्याय-4	**तकनीकी गतिविधियां**	47
4.1	अंतर-बेसिन और अंत:-बेसिन जल अंतरण लिंक पर अध्ययन	47
4.2	एनपीपी के अंतर्गत रा.ज.वि.अ द्वारा पूरा कर लिया गया प्रारंभिक अध्ययन	48

4.3	रा.ज.वि.अ द्वारा अध्ययन के तहत जल अंतरण लिंक	48
4.4	एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के तहत आईबीडब्ल्यूटी लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति	51
4.4.1	कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना	51
4.4.2	बेदती-वरदा लिंक परियोजना	52
4.4.3	नेत्रवती-हेमवती लिंक परियोजना	52
4.4.4	महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना	53
4.5	एनपीपी के हिमालयी घटक के तहत आईबीडब्ल्यूटी लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति	57
4.6	पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एकीकरण	59
अध्याय-5	**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता वाली लिंक**	60
5.1	प्राथमिकता वाली लिंकों पर आम सहमति बनाने के लिए किए गए प्रयास	60
5.1.1	केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)	60
5.1.2	गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव	60
5.1.3	संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक के साथ विधिवत एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)	62
अध्याय-6	**केन-बेतवा लिंक परियोजना**	63
6.1	परिचय	63
6.2	वैधानिक मंजूरी	63
6.3	केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन	64
6.3.1	समझौता (एमओए) पर हस्ताक्षर	64
6.3.2	पीआईबी ज्ञापन	65
6.3.3	कैबिनेट नोट	65
6.3.4	राजपत्र अधिसूचना	66
6.3.5	केबीएलपीए के कार्यालय	66
6.3.6	केबीएलपीए का संगठनात्मक संरचना	66
6.3.7	केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति का गठन	68
6.3.7.1	एससी-केबीएलपी की बैठकें	68
6.3.7.2	केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की चौथी बैठक	68
6.3.7.3	केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की 5वीं बैठक	70
6.3.7.4	केबीएलपीए की बैठकें	71
6.3.7.5	केबीएलपीएकी चौथी बैठक	71
6.3.7.6	केबीएलपीए की 5वीं बैठक	73
6.3.7.7	केबीएलपीए की 6वीं बैठक	74
6.3.8	केबीएलपी का तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी-केबीएलपीए)	76

6.3.8.1	टीएजी-केबीएलपीए की दूसरी बैठक	76
6.3.8.2	टीएजी-केबीएलपीए की तीसरी बैठक	77
6.3.8.3	टीएजी-केबीएलपीए की चौथी बैठक	77
6.3.8.4	टीएजी-केबीएलपीए की 5वीं बैठक	78
6.3.8.5	टीएजी-केबीएलपीए की 6वीं बैठक	78
6.3.8.6	टीएजी-केबीएलपीए की 7वीं बैठक	78
6.3.9	परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति	80
6.3.10	दौधन बांध पर ईपीसी निविदा के लिए निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी)	81
6.3.11	ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीएलपीसी)	82
6.3.12	वर्तमान स्थिति	82
अध्याय-7	**राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंत: राज्यीय लिंक**	87
7.1	अंत: राज्यीय लिंक	87
7.1.1	महाराष्ट्र	87
7.1.2	गुजरात	88
7.1.3	ओडिशा	88
7.1.4	झारखंड	89
7.1.5	बिहार	89
7.1.6	राजस्थान	90
7.1.7	तमिलनाडु	90
7.1.8	कर्नाटक	90
7.1.9	छतीसगढ़	91
7.1.10	उत्तर प्रदेश	91
7.2	अंत:राज्यीय लिंकों के पीएफआर/डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति	91
7.3	अंत:राज्यीय लिंकों के पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टों /व्यवहार्यता रिपोर्टों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी की समग्र स्थिति	92
7.4	अंत:-राज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया वित पोषण	92
अध्याय -8	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गतिविधियां**	94
8.1	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत नाबार्ड फंडिंग	94
8.1.1	प्रस्ताव की प्रक्रिया	95
8.1.2	राज्यों को निधियां जारी करना	95
8.1.3	तीसरे पक्ष की निगरानी	95
8.1.4	पीएमकेएसवाई के तहत 31 मार्च, 2024 तक निधि वितरण	95
अध्याय-9	**रा.ज.वि.अ की वेबसाइट**	97
अध्याय-10	**रा.ज.वि.अ की अन्य गतिविधियां**	99
10.1	प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ	99

10.2	दिव्यांग्जनों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन	99
10.3	रा.ज.वि.अ का नागरिक चार्टर	99
10.4	महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायतों के लिए समिति	99
10.5	सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और कौमी एकता सप्ताह	100
10.6	आंतरिक पत्रिका 'जल विकास' का प्रकाशन	100
10.7	स्वच्छ भारत अभियान	101
10.8	रा.ज.वि.अ के नए भर्ती हुए कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	103
अध्याय-11	**रा.ज.वि.अ में सतर्कता गतिविधियां**	104
11.1	परिचय	104
11.2	सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले	104
11.3	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	105
अध्याय-12	**राजभाषा(हिन्दी) के प्रयोग को बढ़ावा**	106
अध्याय -13	**वित्त और लेखा**	108
13.1	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत राज्यों को दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ़) को केंद्रीय सहायता।	108
13.2	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रा.ज.वि.अ को सहायता अनुदान और वास्तविक व्यय	108
13.3	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रा.ज.वि.अ का लेखा परीक्षित खाता	108
अध्याय-14	**आभारोक्ति**	109

अनुलग्नक संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
अनुलग्नक-I	राज्य सरकारों से प्राप्त अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति	110
अनुलग्नक-II	अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान रा.ज.वि.अ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं	114
अनुलग्नक-III	वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, रा.ज.वि.अ के उत्तर और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के खाते	117

लघुरूप

एसीएस	अपर मुख्य सचिव
एजीएम	वार्षिक सामान्य बैठक
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
सीए	केंद्रीय सहायता
सीएडी	कमान क्षेत्र विकास
सीएडीडब्ल्यूएम	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन
सीसी	नागरिक चार्टर
सीई	मुख्य अभियंता
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईसी	केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीपीबी	केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड
सीजीडब्ल्यूबी	केंद्रीय भूजल बोर्ड
सीएमसी	परामर्श निगरानी समिति
सीपीपी	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद
सीएसएमआरएस	केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
सीडब्ल्यूपीआरएस	केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र
डीईजी	दमनगंगा (एकदारे)-गोदावरी
डीजी	महानिदेशक
डीओओएल	राजभाषा विभाग
डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
डीपीएलपी	दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएससी	दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड़
डीवीजी	दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी
ईसी	पर्यावरण मंजूरी
ईसीएसडब्ल्यूजी	पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह
ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति
ईआरसीपी	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
एफएओ	खाद्य कृषि संगठन
एफआर	व्यवहार्यता रिपोर्ट
एफएस	फरक्का-सुंदरबन
एफ़वाई	वित्तीय वर्ष

जीबी	शासी निकाय
जीसीजीएएलपी	गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना
जीडीएस	गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा
जीईएम	सरकारी ई-मार्केटप्लेस
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएलसी	ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल
जीएसआई	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
एचए	हेक्टेयर (100 मीटर * 100 मीटर)
एचकेकेपी	हर खेत को जल
एचडब्ल्यू	हेड वर्क्स
आईबीडब्ल्यूटी	अंतर बेसिन जल अंतरण
आईसी	अन्वेषण सर्किल
आईसीआईडी	सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग
आईडी	अन्वेषण प्रभाग
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलएमपी	एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना
आईएलआर	नदी अंतर्योजन
आईएमडी	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईएसडी	अन्वेषण उप-प्रभाग
आईएसडब्ल्यूआर	अंतर-राज्यीय जल संसाधन
आईडब्ल्यूडब्ल्यू	भारत जल सप्ताह
केबीएलपी	केन-बेतवा लिंक परियोजना
केबीएलपीए	केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण
केएम	किलो मीटर
केएनएनएल	कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड
एलए	भूमि अधिग्रहण
एलआईएस	लिफ्ट सिंचाई प्रणाली
एलएमपी	लैंडस्केप प्रबंधन योजना
एलटीआईएफ	दीर्घावधि सिंचाई निधि
एमसीएम	मिलियन क्यूबिक मीटर
एमसी-आर एंड आर	पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए निगरानी समिति
एमजी	महानदी-गोदावरी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमआई	प्रमुख और मध्यम सिंचाई
एमओए	करार का ज्ञापन
एमओईए	विदेश मंत्रालय
एमओईएफ और सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएफ़	वित्त मंत्रालय
एमओएचए	गृह मंत्रालय
एमओजेएस	जल शक्ति मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय

एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
एमपी	मध्य प्रदेश
एमएसटीजी	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा
एमडबल्यू	मेगा वाट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईएच	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
नीरा	राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एनपीपी	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
एनडब्ल्यूए	राष्ट्रीय जल अकादमी
एनडबल्यूडीए	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
ओएल	राजभाषा
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीसीसीएफ (एलएम)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन)
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएफआर	पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट
पी.आई.बी.	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पीकेसीएलपी	पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना
पीकेएसएलपी	पार्बती-कुनो-सिंध लिंक परियोजना
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएमओ	प्रधान मंत्री कार्यालय
पीएमयू	परियोजना निगरानी इकाई
पीटीएनएलपी	पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना
पीटीआर	पन्ना टाइगर रिजर्व
पीडब्ल्यूबीएस	प्रारंभिक जल संतुलन अध्ययन
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरएफसीटीएलएआरआर	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार
आरएंडआर	पुनर्वास और पुनर्स्थापन
आरआरआर	मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली
एसएंडआई	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण
एससीआईएलआर	नदी अंतर्योजन के लिए विशेष समिति
एससी-केबीएलपी	केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसजीएम	विशेष आम बैठक

एसआईयू	कर्मचारी निरीक्षण इकाई
एसजेसी	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त
एसएम	सुवर्णरेखा-महानदी
एसएमआई	सतही लघु सिंचाई
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसएसएमपीपी	सीताम्मा सागर बहुउद्देशीय परियोजना
एसटीजी	गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ
टीएसी	तकनीकी सलाहकार समिति
टीएजी	तकनीकी सलाहकार समूह
टीएफआईएलआर	नदी अंतर्योजन संबंधी कार्य बल
टीएफआर	तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट
टीओएलआईसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीएस	टोपोशीट अध्ययन
टीएसए	राजकोषीय एकल खाता
यूपी	उत्तर प्रदेश
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वैपकोस	जल और विद्युत परामर्शी सेवाएं
डब्ल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान
डब्ल्यूपी	रिट याचिका
डब्ल्यूआर	जल संसाधन
डब्ल्यूआरडी	जल संसाधन विभाग

अध्याय-1
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

1.1 परिचय

जल, माँ प्रकृति का सबसे कीमती उपहार है और पृथ्वी पर मूलभूत संसाधनों में से एक है। यह पीने सहित मानव जीवन के सभी पहलुओं में जैसे घरेलू उद्देश्य जिसमे खाना पकाने, कपड़ा धोने, बागवानी और सफाई संचालन; औद्योगिक प्रक्रियाएं और कृषि गतिविधियां में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह एक मूल्यवान वस्तु है और इसका आर्थिक मूल्य है। जल के बिना, कोई जीवन नहीं हो सकता है। जल मौसम के लिए उत्तरदायी है जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए भी महत्तवपूर्ण है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें से 1.7% अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैण्ड के हिमनदों के रूप में तथा लगभग 0.001% जल वाष्प के रूप में विद्यमान है। नदियों, झीलों में मीठे जल के रूप में 0.3% से कम जल मौजूद है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि दुनिया के कुछ विकासशील क्षेत्रों में 2030 तक, जल की मांग 50% आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। तथापि, देश में जल संसाधन सीमित हैं। जबकि उत्तर में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना प्रणाली में लगभग 60% क्षमता उपलब्ध है और पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में लगभग 11% है, लगभग 29% क्षमता महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित अन्य सभी नदियों में उपलब्ध है। वर्षा के वितरण में बहुत अधिक प्रादेशिक एवं कालिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं। वर्षा में भिन्नता भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर पर प्रभावित करती है। मौसमी परिवर्तनशीलता के कारण वार्षिक बाढ़ और सूखा, दोनों अलग-अलग हिस्सों में एक ही समय में होते हैं, सहस्राब्दियों से भारत के लिए यह एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। ये चिंताएं आज अधिक हैं क्योंकि बढ़ती आबादी और जल की मांग में परिणामी वृद्धि असमान रूप से वितरित जल संसाधनों पर भारी बोझ डालती है और आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त, बदलते उपभोग पैटर्न और उच्च प्रयोज्य आय के साथ एक विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और विविधता लाने की भारी मांग है। इस संसाधन के प्रबंधन की चुनौतियों के लिए जल संसाधन प्रबंधन पर उचित जल शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता की आवश्यकता है। इसलिए जल का विकास, संरक्षण और उपयोग देश की विकास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपर्युक्त परिदृश्य और भारत के विभिन्न नदी बेसिनों/उप-बेसिनों के जल संसाधनों की उपलब्धता में भारी मौसमी और स्थानिक असमानता को ध्यान में रखते हुए, जल संसाधनों के समान वितरण और इसके इष्टतम उपयोग के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में जल के अंतरबेसिन जल अंतरण (आईबीडब्ल्यूटी) पर विचार किया गया है। वर्तमान संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों से जूझते हुए और बहुत कम अवधि के भीतर कुछ दिनों की भारी वर्षा का अनुभव करते हुए, आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं और इसके प्रस्तावों पर न केवल राष्ट्रीय मोर्चे पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

नदी बेसिनों/उप-बेसिनों की सीमाओं के भीतर और बाहर जल संसाधनों का इष्टतम विकास, जो लगभग हर साल बाढ़ और सूखे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं, को आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं

के कार्यान्वयन के साथ-साथ पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों/प्रथाओं के संयोजन से अंतः-बेसिन जल अंतरण परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जा सकता है।
उपर्युक्त उद्धृत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि आईबीडब्ल्यूटी की अवधारणा विचार और विचार-विमर्श में थी। इससे पहले आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं की अवधारणा डॉ. केएल राव ने 1972 में 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' और 1977 में कैप्टन दस्तूर द्वारा 'गारलैंड कैनाल' के रूप में पेश की थी। विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा दोनों स्कीमों की जांच की गई थी और इसे तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। बाद में, तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय [अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग] द्वारा अगस्त 1980 में "जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी)" तैयार की गई थी। इस प्रस्ताव में अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अंतरण की परिकल्पना की गई है।

एनपीपी के दो घटक हैं, नामत: 1 प्रायद्वीपीय नदी विकास और 2 हिमालयी नदी विकास। इस बात पर बल दिया गया कि एनपीपी के कार्यान्वयन से सतही जल से लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का लाभ मिलेगा, भूजल के उपयोग में वृद्धि से 10 मिलियन हेक्टेयर, जिससे अंतिम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगी और 34 मिलियन किलोवाट बिजली उत्पादन होगा, इसके अलावा बाढ़ और सूखे से निपटने, नौवहन और मनोरंजन सुविधाओं, जलापूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार सृजन आदि के आकस्मिक लाभ भी होंगे।
तत्पश्चात्, जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के अंतर्गत आने वाले प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण (एसएंडआई) कार्य करने के लिए तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में वर्ष 1982 में रा.ज.वि.अ की स्थापना की गई थी। रा.ज.वि.अ के कार्यों को तब दिनांक 26.08.1981 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1(7)/80-पीपी के पैरा 4 के तहत प्रकाशित किया गया था।

तत्पश्चात् भारत सरकार ने दिनांक 11मार्च, 1994 के संकल्प संख्या 22/27/92-बीएम के माध्यम से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए रा.ज.वि.अ के कार्यों को संशोधित किया। दिनांक 26-08-1981 के संकल्प संख्या 1(7)/80-पीपी के पैरा 3 और 5 में निहित रा.ज.वि.अ की सोसाइटी और शासी निकाय (जीबी) की संरचना को भी दिनांक 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002-बीएम के माध्यम से संशोधित किया गया और दिनांक 30.11.2006 के संख्या 2/18/2005-बीएम की अधिसूचना के माध्यम से संबंधित राज्यों की सहमति के बाद एनपीपी के तहत नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए गतिविधि को शामिल करने के लिए रा.ज.वि.अ के कार्यों को संशोधित किया गया ।

बाद में, जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए अंत:-राज्यीय जल अंतरण परियोजनाओं ने भी गति प्राप्त करना शुरू कर दिया। तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) ने जून, 2005 में बिहार जैसे राज्यों में अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की पहचान करने और रा.ज.वि.अ द्वारा अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर)/व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए अनुमोदन किया था। जब रा.ज.वि.अ ने भारत सरकार के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से

रा.ज.वि.अ द्वारा आगे और अध्ययन करने के लिए अपने क्षेत्र की अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के ब्यौरे के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया तो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत किए।

इसके अतिरिक्त, संबंधित सह-बेसिन राज्यों की सहमति से राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंत:राज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने को भी दिनांक 19 मई, 2011 के संकल्प संख्या 2/18/2005-बीएम/943 के तहत रा.ज.वि.अ के कार्यों में जोड़ा गया था। इसके अलावा, रा.ज.वि.अ के अधिदेश में दो और नए कार्य दिनांक 07.10.2016 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 2/17/2016-बीएम के तहत जोड़े गए थे, नामत: (i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत परियोजनाओं को शुरू करना/निर्माण/मरम्मत/नवीनीकरण/पुनर्वास/कार्यान्वयन करना और (ii) उधार ली गई निधियों या जमा पर प्राप्त धन या ब्याज पर दिए गए ऋण के भंडार के रूप में कार्य करना ताकि परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ऐसी किसी भी उधार ली गई निधि/धन/जमा/ऋण आदि के निष्पादन के लिए पुनर्भुगतान किया जा सके।

इसके बाद भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2020 के संकल्प के संदर्भ में रा.ज.वि.अ के कार्य (घ) यानी “संबंधित राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के तहत नदी लिंक प्रस्तावों के डीपीआर तैयार करना” को संशोधित कर “सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य करना और जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के तहत नदी लिंक प्रस्तावों के डीपीआर तैयार करना और उसके बाद परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्यों से संपर्क करना” के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2021 में, केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22.03.2021 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है। डीपीआर की योजना और तैयारी के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार के राज्यों के बीच 28.01.2024 को संशोधित पीकेसी लिंक नामक ईआरसीपी के साथ एकीकृत पीकेसी के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना चंबल बेसिन के उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम और आर्थिक रूप से उपयोग करने में मदद करेगी।

रा.ज.वि.अ को उपरोक्त गतिविधियों/उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, 31.03.2024 तक संशोधित/संशोधित इसके कार्य निम्नानुसार हैं:

1.2 31.03.2024 तक रा.ज.वि.अ के कार्य

- तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालय नदी विकास घटक के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिये संभावित जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

- विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों तथा हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा जो कि बेसिन राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरित की जा सकती है, के संबध में व्यापक अध्ययन करना।

- प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से जुड़ी योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

- जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना और उसके बाद प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना।

- राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिये संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

- नदियों को जोड़ने का एक भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त एजेंसी/संगठन/पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को अपने अधीन लेना/निर्माण/मरम्मत/नवीयन/पुनर्वास/क्रियान्वयन करना।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गये ऋण या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि/जमा राशि/ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिये वर्तमान या भविष्य दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है।

- उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

- केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण ;केबीएलपीए जो कि दिनांक 22.03.2021 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन द्वारा बनाई गई है, को सहायता देना।

मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा

2.1 मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा

भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के महानिदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं, जो रा.ज.वि.अ सोसाइटी के तकनीकी, कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों सहित सभी दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान श्री भोपाल सिंह ,रा.ज.वि.अ के महानिदेशक का कार्यभार संभाला रहें हैं। मुख्यालय में महानिदेशक, रा.ज.वि.अ की सहायता मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशासन), निदेशक (बहु-उद्देशीय एकक इकाई) और दो अधीक्षण अभियंताओं द्वारा की जाती है। रा.ज.वि.अ में 2 क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर और दक्षिण) हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता करता है। 31.03.2024 तक, उत्तरी कार्यालय के तहत 3 सर्किल, 8 प्रभाग और 1 उप-प्रभाग और दक्षिण कार्यालय के तहत 2 सर्किल और 8 प्रभाग हैं।

31.03.2024 को अधीक्षण अभियंता स्तर तक रा.ज.वि.अ का संगठन चार्ट, जो अन्वेषण सर्किल स्तर से संबंधित है, नीचे दिखाया गया है:

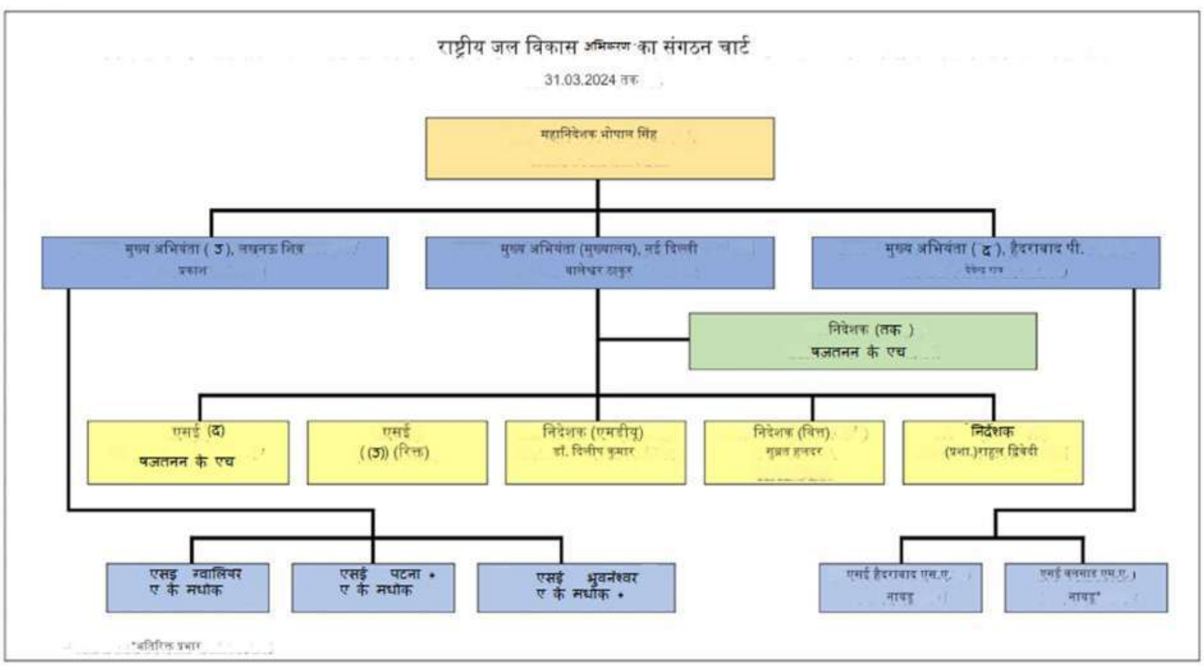

मुख्य अभियंता(उत्तर) संगठनात्मक ढांचे के तहत जैसा कि ऊपर बताया गया है, 3 अन्वेषण सर्किल (आईसी) हैं। 3 अन्वेषण सर्किल का नेतृत्व अधीक्षण अभियंता [अधीक्षण अभियंता (ग्वालियर), अधीक्षण अभियंता (भुवनेश्वर) और अधीक्षण अभियंता (पटना)] करते हैं। इसके अलावा, 8 अन्वेषण प्रभाग (आईडी) और 1 अन्वेषण उप-प्रभाग (आईएसडी) हैं और 8 अन्वेषण प्रभाग का नेतृत्व अधिशासी

अभियंताओं [अधिशासी अभियंता (झांसी), अधिशासी अभियंता (भुवनेश्वर), अधिशासी अभियंता (पटना), अधिशासी अभियंता (भोपाल), अधिशासी अभियंता (कोलकाता), अधिशासी अभियंता (लखनऊ), अधिशासी अभियंता (राजमुंदरी) और अधिशासी अभियंता (ग्वालियर)] द्वारा किया जाता है और एक अन्वेषण उप प्रभाग (आईएसडी), जयपुर हैं, जो अधिशासी अभियंता (ग्वालियर) के नियंत्रण में कार्य करता है।

जब मुख्य अभियंता (दक्षिण) संगठनात्मक ढांचे की बात आती है, तो अधीक्षण अभियंताओं [(अधीक्षण अभियंता (वलसाड) और अधीक्षण अभियंता (हैदराबाद)] के नियंत्रण में 2 अन्वेषण सर्किल हैं। 2 अन्वेषण सर्किल के तहत अधिशासी अभियंताओं [अधिशासी अभियंता (वलसाड), अधिशासी अभियंता (नागपुर), अधिशासी अभियंता (वडोदरा), अधिशासी अभियंता (हैदराबाद), अधिशासी अभियंता (बेंगलुरु), अधिशासी अभियंता (चेन्नई), अधिशासी अभियंता (अन्वेषण प्रभाग -I, नासिक) और अधिशासी अभियंता (अन्वेषण प्रभाग -II, नासिक)] के नियंत्रण में 8 अन्वेषण प्रभाग हैं।

2.2 केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के कार्यालय

एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए दिसंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की मंजूरी के परिणामस्वरूप, परियोजना का कार्यान्वयन तुरंत शुरू किया गया था। सचिव (जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) और एसपीवी यानी केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के तहत एक संचालन समिति का गठन दिनांक 11.02.2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा किया गया था। जैसा कि 04.04.2022 को आयोजित केबीएलपी की संचालन समिति की पहली बैठक में निर्णय लिया गया था, भोपाल और झांसी में राजविअ के क्षेत्रीय कार्यालयों को 01.05.2022 से केबीएलपीए से संबद्ध कर दिया गया और केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 09.06.2022 को छतरपुर में एक नया कार्यालय, अन्वेषण प्रभाग खोला गया। केबीएलपीए के लिए पन्ना में एक उप प्रभाग भी खोला गया। दिनांक 03.03.2022 के पत्र द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के संबंध में सहायता अनुदान के प्रबंधन के लिए रा.ज.वि.अ, मुख्यालय में एक परियोजना प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया था। यह परियोजना प्रकोष्ठ मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ के पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है।

केबीएलपीए की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है। श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ 14.10.2023 को श्री प्रशांत कुमार दीक्षित के सीईओ के रूप में नियमित रूप से शामिल होने तक सीईओ का प्रभार संभाल रहे थे। श्री सुब्रत हलदर, निदेशक (वित्त), रा.ज.वि.अ 24.01.2024 को श्री अतुल तनेजा, निदेशक (वित्त), केबीएलपीए के नियमित कार्यभार ग्रहण करने तक केबीएलपीए के निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाल रहे थे। श्री आर के मिश्रा, एसीईओ (हेड वर्क्स) और श्री ए के दास, एसीईओ (पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण) क्रमशः 13.06.2023 और 19.06.2023 को शामिल हुए हैं। श्री प्रवीण कुमार सक्सेना, एसीईओ (ई एंड एम) 12.12.2023 को शामिल हुए थे। श्री शिव प्रकाश एसीईओ

(मुख्यालय एवं पी) जो मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ हैं, एसीईओ (नहर) के कार्यों की देखरेख कर रहे थे।

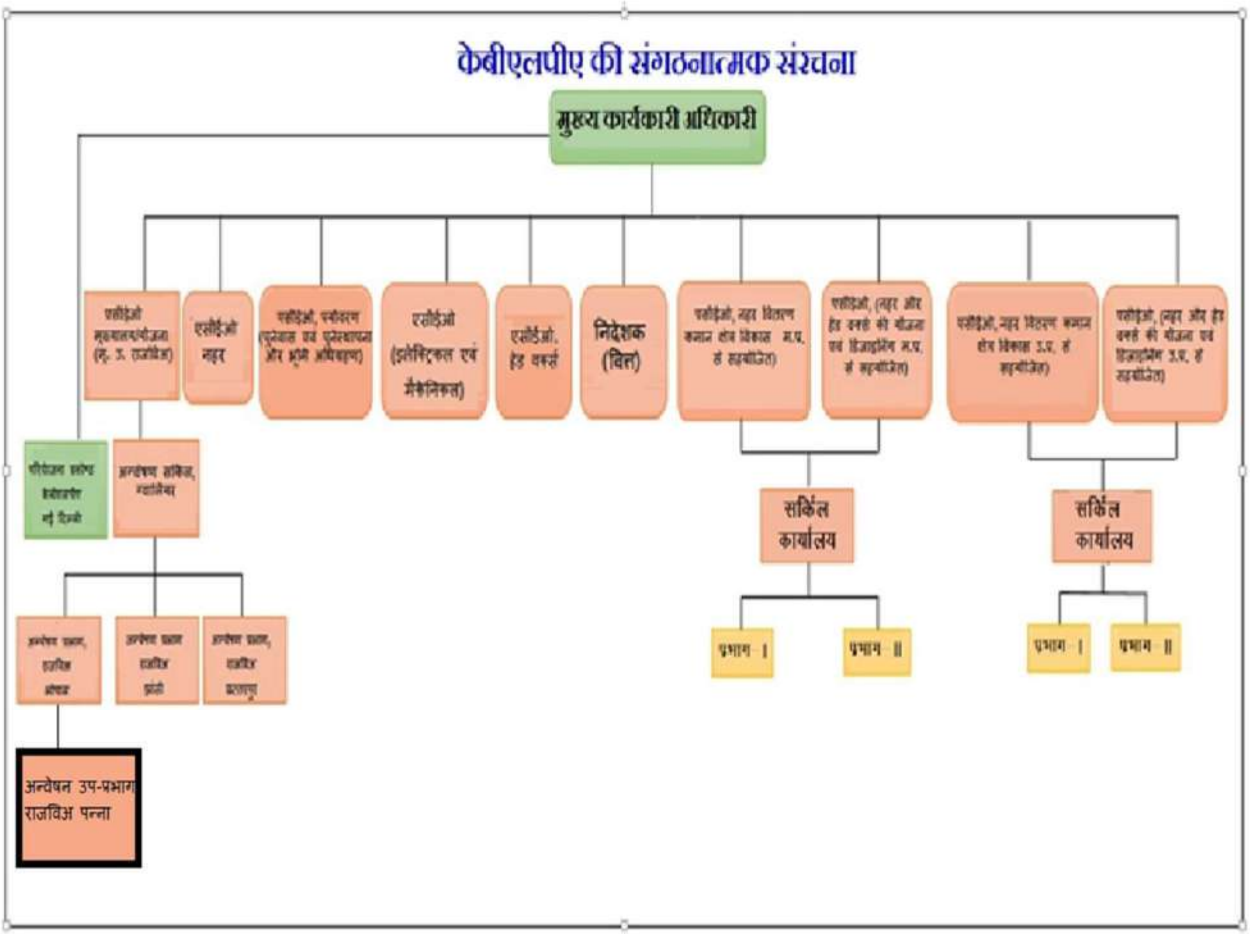

केबीएलपीए के कार्यालयों सहित ऊपर उल्लिखित रा.ज.वि.अ कार्यालयों के स्थानों को दर्शाने वाला मानचित्र नीचे दिया गया है:

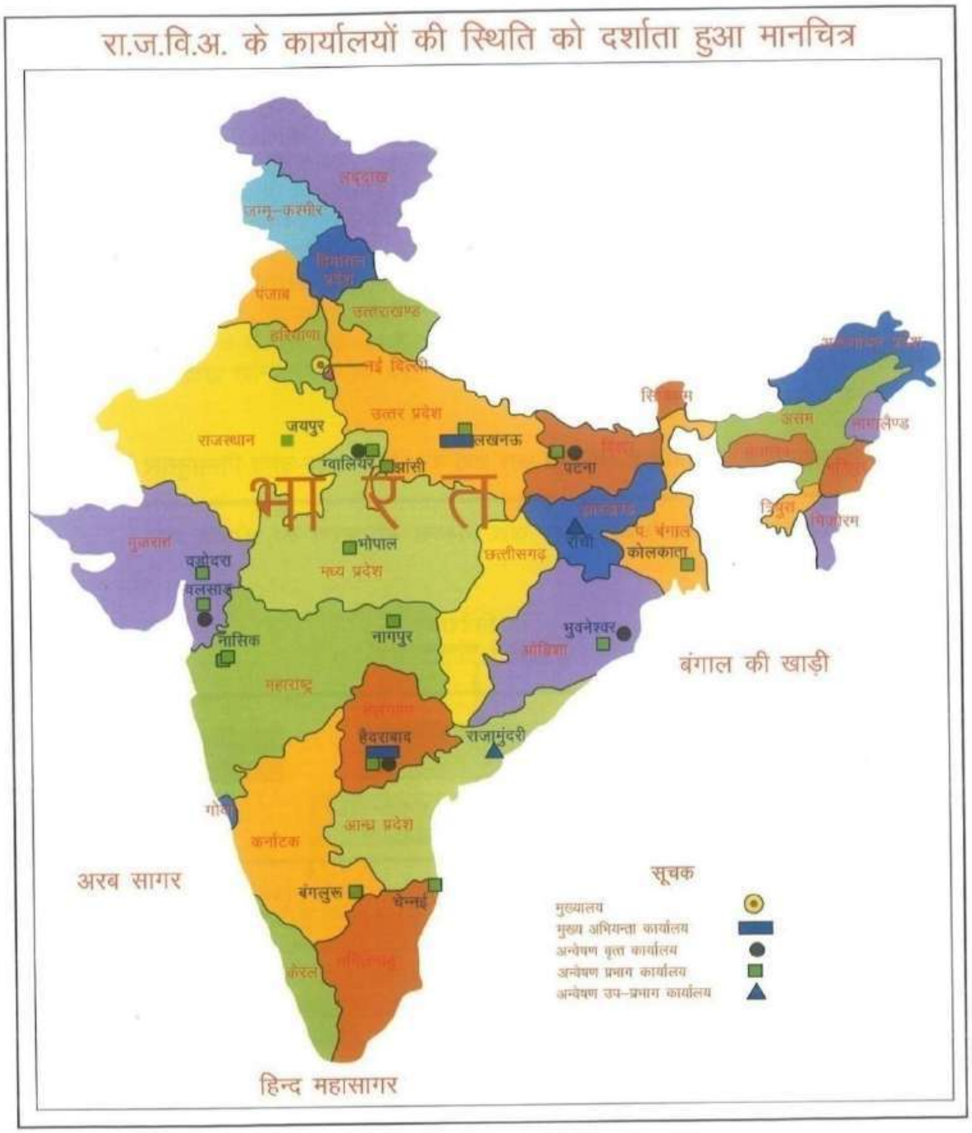

2.3 कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार रा.ज.वि.अ की स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 31.03.2024 तक 493 थी। रा.ज.वि.अ विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवाओं और अन्य लाभों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में संबंधित विभागों और मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन कर रहा है। वर्ष 2023-24 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तेरह (13) उम्मीदवार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर एक (1) उम्मीदवार, सहायक अभियंता के पद पर एक (1) उम्मीदवार, प्रारूपकार ग्रेड-III के पद पर पांच (5) उम्मीदवार, आशुलिपिक

ग्रेड-II के पद पर चार (4) उम्मीदवार, प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पांच (5) उम्मीदवार और अवर श्रेणी लिपिक के पद पर चार (4) उम्मीदवारों को रा.ज.वि.अ में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था। 31.03.2024 तक रा.ज.वि.अ की स्टाफ संख्या (समूहवार) एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/भूतपूर्व सैनिक/सामान्य को दर्शाती हुई निम्नानुसार है:

31.03.2024 तक रा.ज.वि.अ के कर्मचारियों की संख्या (समूह-वार)

समूह	स्वीकृत संख्या	एसआईयू के अनुसार*	भरा								रिक्त (एसआईयू के अनुसार)
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	ओबीसी	पीएच	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	कुल	
समूह 'क'	59	59	4	3	6	0	0	33	0	46	13
समूह 'ख'	142	142	19	14	30	1	0	36	3	103	39
समूह ग	292	292	25	10	29	4	2	71	5	146	146
कुल	**493**	**493**	**48**	**27**	**65**	**5**	**2**	**140**	**8**	**295**	**198**

* एसआईयू की संस्तुति के अनुसार

नोट: एसआईयू द्वारा अधिशेष के रूप में घोषित पदों को भविष्य में सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा समायोजित किया जाएगा।

2.4 रा.ज.वि.अ सोसायटी

रा.ज.वि.अ सोसायटी रा.ज.वि.अ संगठन का शीर्ष निकाय है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अभिकरण की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करने और ऐसे नीति निर्देश देने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करता है जैसा कि यह उचित समझे। माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय सोसायटी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष सोसायटी के कार्य के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो सोसायटी द्वारा उसे निहित की जा सकती हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष के पास समय-समय पर सोसाइटी के काम और प्रगति की समीक्षा करने और सोसाइटी के कुशल संचालन के लिए समितियों या आयोगों को नियुक्त करने या सोसाइटी के मामलों की जांच करने और रिपोर्ट करने और ऐसे आदेश पारित करने की शक्तियां हैं, जैसा कि वह उचित समझता है।

रा.ज.वि.अ की स्थापना के बाद से, सोसायटी की छह (6) विशेष सामान्य बैठकें (एसजीएम) और सैंतीस (37) वार्षिक सामान्य बैठकें (एजीएम) 31.03.2024 तक आयोजित की गई हैं। रा.ज.वि.अ सोसायटी के सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

रा.ज.वि.अ सोसायटी के सदस्य

1.	केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3.	सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग	सदस्य
4.	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा पुड्डुचेरी संघ शासित राज्य के मुख्यमंत्री/मंत्री तथा उनके सचिव या उनके प्रतिनिधि, जिनका स्तर मुख्य अभियंता से कम न हो और जल संसाधन/सिंचाई के प्रभारी हों	सदस्य
5.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
8.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
9.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
10.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
11.	सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
12.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड	सदस्य
14.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
15.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
17.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
18.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
19.	महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
20.	भारत के महासर्वेक्षक या उनके प्रतिनिधि, भारतीय सर्वेक्षण विभाग	सदस्य
21.	निदेशक, राष्ट्रीय दूर संज्ञान अभिकरण या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
23.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
24.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य सचिव

31.03.2024 तक रा.ज.वि.अ सोसाइटी के कुल सदस्य 63 थे

रा.ज.वि.अ सोसाइटी की 37वीं एजीएम 14.12.2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू, पुडुचेरी सरकार के लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री के लक्ष्मीनारायण और बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा के साथ-साथ

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, विभिन्न राज्यों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सलाहकार, केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, नामित विशेषज्ञ आदि भी बैठक में शामिल हुए।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि देश में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है और जल संसाधनों का विकास और प्रबंधन भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है। नदी अंतर्योजन (आईएलआर) कार्यक्रम देश की जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सूखा प्रवण और वर्षा सिंचित क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने में सहायक होगा। उन्होंने दिसंबर, 2021 में केन बेतवा लिंक परियोजना (एनपीपी के तहत पहली आईएलआर परियोजना) के कार्यान्वयन की शुरुआत की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि यह परियोजना अन्य राज्यों को अन्य लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी।उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य साथ आ गए हैं और इन दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन तथा केन्द्र द्वारा संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जल्द ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री ने 8वें भारत जल सप्ताह - 2024 का भी शुभारंभ किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेगा कार्यक्रम है और बैठक के दौरान इसकी वेबसाइट का उद्घाटन किया।

रा.ज.वि.अ सोसायटी की 37वीं वार्षिक आम बैठक 14.12.2023 को आयोजित की गई

बैठक के दौरान महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने नदी अंतर्योजन (आईएलआर) परियोजनाओं के लिए विभिन्न कार्यों और लंबित मुद्दों/बाधाओं आदि की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, रा.ज.वि.अ की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों और अंतरराज्यीय लिंक पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान नदी अंतर्योजन संबंधी परियोजनाओं पर अपने विचार/ टिप्पणियां व्यक्त किए।

चूंकि उसी दिन माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एससीआईएलआर की 21वीं बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें नदी अंतर्योजन संबंधी कार्यक्रम/ नदी अंतर्योजन संबंधी कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था और इन्हें एससीआईएलआर की 21वीं बैठक के अंतर्गत शामिल किया गया है जो अध्याय-3 में दी गई है।

2.5 शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी का शासी निकाय (शा.नि.) सचिव (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उपनियमों तथा आदेशों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों की व्यवस्था, देख-रेख, उन्हें निर्दिष्ट व नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर संस्था के ज्ञापन-पत्र के अनुसार सोसाइटी की गतिविधियों के लिए कार्य करता है तथा ऐसा करते समय सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति-निर्देशों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण तथा उनका कार्यान्वयन करता है।

रा.ज.वि.अ के शासी निकाय की संरचना

1.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
3.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
4.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयया उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
6.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू एंड जल बोर्ड	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य

11.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
16.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
17.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
18.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, असम	सदस्य
19.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, बिहार	सदस्य
20.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, छत्तीसगढ़	सदस्य
21.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, गुजरात	सदस्य
22.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, हरियाणा	सदस्य
23.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, झारखंड	सदस्य
24.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, कर्नाटक	सदस्य
25.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, केरल	सदस्य
26.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, मध्यप्रदेश	सदस्य
27.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, महाराष्ट्र	सदस्य
28.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, ओडिशा	सदस्य
29.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पंजाब	सदस्य
30.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, राजस्थान	सदस्य
31.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तमिलनाडु	सदस्य
32.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तराखण्ड	सदस्य
33.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तरप्रदेश	सदस्य
34.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पश्चिम बंगाल	सदस्य
35.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पुद्दुचेरी	सदस्य

36.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तेलंगाना	सदस्य
37.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य सचिव
31-03-2024 को जीबी, राजविअ के कुल सदस्य **37** थे		

रा.ज.वि.अ की स्थापना के बाद से, दिनांक 31.03.2024 को, रा.ज.वि.अ के शासी निकाय की 72वी बैठक आयोजित की गई हैं। जीबी और रा.ज.वि.अ की 71वीं और 72वीं बैठकें क्रमशः 11.07.2023 और 22.11.2023 को आयोजित की गईं।

2.5.1 71 वीं शासी निकाय की बैठक

रा.ज.वि.अ के शासी निकाय की 71वीं बैठक श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 11.07.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

जीबी की 71वीं बैठक 11.07.2023 को आयोजित की गई

शासी निकाय के अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि वर्तमान बैठक का मुख्य एजेंडा नदी अंतर्योजन की परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति की समीक्षा करना है। उन्होंने नदी अंतर्योजन वाली परियोजनाओं में जल बंटवारे के अधिकतम समाधान पर पहुंचने के लिए राज्यों के बीच नियमित और गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राज्यों के लिए बेहतर संभावनाएं पैदा हो सकें।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त प्रगति, 2023-24 के लिए कार्यों का विवरण, प्राथमिकता वाली लिंक, लिंक परियोजनाओं का सिस्टम अध्ययन, अंतः-राज्य लिंक परियोजनाओं की स्थिति और रा.ज.वि.अ के प्रशासनिक मामलों आदि पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों को

बताया गया कि कैग ने 30.06.2023 को संगठन के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा पूरी कर ली है और एसएआर के मसौदे के उत्तरों की तैयारी प्रगति पर है।

सहायक निदेशक (जल विज्ञान), उप निदेशक (जल विज्ञान), उप निदेशक (तकनीकी)/कार्यपालक अभियंता, निदेशक (एमडीयू) और निदेशक (तकनीकी). के पदों के संबंध में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संशोधित भर्ती नियमों का शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष ने सातवें भारत जल सप्ताह के सफल आयोजन और जी-20 कार्यक्रम में इसकी भूमिका के लिए रा.ज.वि.अ की सराहना की। बैठक में बताया गया कि 8वां भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2024) वर्ष 2024 में आयोजित करने की योजना है और इसका प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है।

2.5.2 72 वीं शासी निकाय की बैठक

रा.ज.वि.अ के शासी निकाय की 72वीं बैठक 22.11.2023 को सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

जीबी की 72वीं बैठक 11.07.2023 को आयोजित की गई

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष, शासी निकाय ने राज्यों के बीच सहमति बनाने की दिशा में पीकेसी और जी-सी लिंक परियोजनाओं की प्रगति की सराहना की और केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन में हुई उल्लेखनीय प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन से अन्य राज्य नदी अंतर्योजन की परियोजनाओं के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने वर्ष 2022-23 के लिए रा.ज.वि.अ की वार्षिक रिपोर्ट के लेआउट और कवरेज के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के बारे में

जानकारी दी। शासी निकाय ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को मंजूरी दी।

इसके बाद महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने सदस्यों को जल संतुलन अध्ययनों, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), प्राथमिकता लिंक के अद्यतन /संशोधन के संदर्भ में वर्ष 2023-24 के दौरान हुई प्रगति के बारे में सूचित किया और केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) पर प्राप्त कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। अध्यक्ष, शासी निकाय ने पीएस, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार से भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया और उन्होंने राज्य में चुनावों के बाद इसे शुरू करने का आश्वासन दिया।

जी-सी लिंक के बारे में, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने बताया कि अप्रैल, 2021 में डीपीआर के परिचालित होने के बाद, इस लिंक को कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाने के लिए राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पार्टी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ पांच परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं। मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यूआर, आंध्र प्रदेश सरकार, एसीएस, तमिलनाडु सरकार, सचिव, जल संसाधन, केरल सरकार और एसीएस, कर्नाटक ने जी-सी लिंक पर अपने विचार रखे। अध्यक्ष, शासी निकाय ने महानिदेशक, रा.ज.वि.अ से विचारों/सुझावों पर ध्यान देने का अनुरोध किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि जीसी लिंक परियोजना एनपीपी के हिमालयी घटक से वृद्धि किए जाने तक एक अंतरिम व्यवस्था है, इसलिए संबंधित राज्यों को दीर्घकालिक संभावनाओं के साथ सकारात्मक तरीके से काम करने की आवश्यकता है।

इसके बाद संशोधित पीकेसी लिंक और कोसी-मेची अंत: राज्यीय लिंक पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी ने सदस्यों को सूचित किया कि बिहार राज्य ने मूल्यांकन के लिए बिहार कोसी बाढ़ जोखिम शमन परियोजना (बीकेएफआरएमपी) नामक एक ऐसी ही परियोजना प्रस्तुत की है। इस परियोजना के घटक कोसी-मेची अंत: राज्यीय लिंक परियोजना के समान हैं, इसलिए दो समान परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के मुद्दे को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। शासी निकाय के अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ के महानिदेशक से इन मुद्दों के समाधान के लिए बिहार का दौरा करने की योजना बनाने का अनुरोध किया।

बैठक के दौरान लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययन और अंत:-राज्यीय लिंक परियोजनाओं की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। नीरा, एससीआईएलआर और टीएफआईएलआर बैठकों के गठन की स्थिति के बारे में शासी निकाय के सदस्यों को सूचित किया गया था। प्रधान सचिव, पंजाब सरकार ने सारदा-यमुना लिंक परियोजना से पंजाब को लाभार्थी राज्यों में से एक राज्य के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया और सचिव, पुडुचेरी ने जी-सी लिंक परियोजना के माध्यम से कुछ जल आबंटित करने का अनुरोध किया जिसके लिए अध्यक्ष, शासी निकाय ने महानिदेशक, रा.ज.वि.अ से उनके विचारों को नोट करने का अनुरोध किया।

2.6 तकनीकी सलाहकार समिति

रा.ज.वि.अ सोसायटी शासी निकाय ने अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच और संवीक्षा के लिए अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में राजविअ की एक तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) का गठन किया है। अब तक 31.03.2024 तक टी.ए.सी. की 42 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं । रा.ज.वि.अ की टीएसी की पिछली बैठक 23 मई, 2016 को नई दिल्ली में हुई थी।

रा.ज.वि.अ की तकनीकी सलाहकार समिति की संरचना

1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	सदस्य (एच. ई.), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सलाहकार (आई. ए.), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड	सदस्य
9.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	निदेशक/वैज्ञानिक (एफ.), राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य
12.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्यएंडसचिव
13.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
14.	मुख्य अभियंता व संयुक्त सचिव, नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार	विशेष आमंत्रित
15.	प्रमुख अभियंता (अंतःराज्यीयव जल संसाधन), सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
16.	मुख्य अभियंता (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।	विशेष आमंत्रित
17.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन) व संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार	विशेष आमंत्रित
18.	मुख्य अभियंता, अंतःराज्यीय जल, केरल सरकार	विशेष आमंत्रित
19.	मुख्य अभियंता (सिंचाई, अभि. कल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई एकक, राजस्थान सरकार	विशेष आमंत्रित
20.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संगठन, तमिलनाडु सरकार	विशेष आमंत्रित
21.	मुख्य अभियंता, केंद्रीय योजना एकक, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार	विशेष आमंत्रित
22.	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास संगठन, कर्नाटक सरकार	विशेष आमंत्रित
23.	मुख्य अभियंता (ज. सं.), सिंचाई निर्माण कार्य, पंजाब सरकार	विशेष आमंत्रित
24.	मुख्य अभियंता (लिफ्ट नहर), सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार	विशेष आमंत्रित
25.	मुख्य अभियंता, पी. पी. प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	विशेष आमंत्रित
26.	मुख्य अभियंता (अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई व जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार	विशेष आमंत्रित
27.	मुख्य अभियंता (पी. एंड डी.),ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम	विशेष आमंत्रित

28.	मुख्य अभियंता (सिंचाई), सिंचाई विभाग, असम सरकार	विशेष आमंत्रित
29.	मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	विशेष आमंत्रित
30.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	विशेष आमंत्रित
31.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार	विशेष आमंत्रित
32.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार	विशेष आमंत्रित

रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकार **समिति के कुछ सदस्यों और विशेष आमत्रिंतों की संख्या दिनांक 31.3.2024 तक क्रमश: 12 और 20 है।**

रा.ज.वि.अ. के पत्र संख्या-रा.ज.वि.अ./112/5/तक.-I/2005/भाग 37/4639-85 दिनांक 04.05.2006 के अनुसार टी.ए.सी. के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

संदर्भ की शर्तें:

1. रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों तथा अन्वेषणों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. जलवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली पर विचार करना और उसे स्वीकृति देना ।
3. संबद्ध राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के प्रकाश में रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार जल संतुलन तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।
4. जल अंतरण लिंक प्रस्तावों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा विस्तृत अन्वेषण करने पर विचार करना तथा सहमति प्रदान करना।
5. संभाव्यता रिपोर्टों के विस्तृत अन्वेषण तथा तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना।

अध्याय - 3

नदी अंतर्योजन के लिए विशेष समिति, उप-समितियां और कार्य बल

3.1 नदी अंतर्योजन के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) सं. 512, वर्ष 2002 ''नदियों के अंतर्योजन'' तथा समादेश याचिका (सिविल) सं. 668, वर्ष 2002 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय में भारत संघ विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय (अब ज.सं., न.वि. व गं.सं. विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए माननीय मंत्री, जल संसाधन (जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया।
दिनांक 24.07.2014 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के निर्णयों का अनुपालन करते हुए "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" के गठन को मंजूरी दे दी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब ज.सं., न.वि. व गं.सं. विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) ने दिनांक 23.09.2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" का गठन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट की स्थिति तथा ''नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति'' (एस.सी.आई.एल.आर.) के गठन की समीक्षा दिनांक 18.11.2015, 15.11.2016, 06.06.2018, 29.07.2020, 25.05.2021 ,29.06.2021 और 04.08.2023 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठकों में की गई।

3.2 नदी अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की उप-समितियाँ

एससीआईएलआर ने चार विशिष्ट उप-समितियों का गठन किया है यथा

1. नदी अंतर्योजन के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति (उप-समिति-I),

2. सर्वाधिक उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति (उप-समिति-II),

3. रा.ज.वि.अ के पुनर्गठन के लिए उप-समिति (उप-समिति-III) और

4. संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए उप-समिति (उप समिति-IV)

क्रम संख्या (i) से क्रम संख्या (iii) पर इंगित तीन उप-समितियों का गठन जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के दिनांक 13.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से किया गया था। रा.ज.वि.अ के अंतर बेसिन जल अंतरण के प्रस्ताव पर राज्यों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समूह के संबंध में क्रम संख्या (iv) में दी गई उप-समिति का जून, 2002 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित गठन किया गया था, जिसे जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के पत्र दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से बातचीत के माध्यम से सहमति बनाने और संबंधित राज्यों के बीच करार करने के लिए उप-समिति के रूप में नामित किया गया था।

3.3 नदी अंतर्योजन के लिए कार्यबल (टीएफआईएलआर)

इसके अलावा, तत्कालीन जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री बी.एन. नवलावाला, तत्कालीन मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अपने पत्र 13.04.2015 को नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित नदी जोड़ कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। श्री नवलावाला ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और अब श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) को नदी जोड पर कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नदी जोड़ पर कार्यबल के अधीन संबंधित पहलुओं को देखने और नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कार्यबल को सलाह देने के लिए दो समूहों, नामत: "कानूनी पहलुओं पर समूह" और "वित्तीय पहलुओं पर समूह" का गठन किया गया है।

3.4 एससीआईएलआर, उप-समितियों और टीएफआईएलआर की गतिविधियां

रा.ज.वि.अ द्वारा 31.3.2024 तक एससीआईएलआर की 21 बैठकें, टीएफआईएलआर की 18 बैठकें, उप-समिति-I की 8 बैठकें, उप-समिति-II की 21 बैठकें, उप-समिति-IV की 4 बैठकें, कानूनी समूह की 10 बैठकें, वित्तीय समूह की 13 बैठकें और नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति की 5 बैठकें आयोजित की गई हैं। कानूनी समूह ने 17.03.2017 को टीएफआईएलआर के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और वित्तीय समूह ने 25.07.2018 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

राज.वि.अ के पुनर्गठन पर उप-समिति-।।। ने 21.09.2015 को, रा.ज.वि.अ. अधिकारियों के साथ कई बैठकें और आंतरिक चर्चा के बाद, तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसके बाद, विशेष सैल-नदी जोड़ ने 29.04.2016 को आयोजित 9वीं बैठक से शुरू होने वाली अपनी विभिन्न बैठकों के दौरान तत्कालीन सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) को रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की प्रक्रिया करने की सलाह दी। मंत्रालय ने दिसंबर, 2017 में सूचित किया कि जैसा कि मंत्रालय बड़े सुधार कर रहा है, कुल मिलाकर मंत्रालय रा.ज.वि.अ के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, यह पुनर्गठन, मंत्रालय के बड़े सुधारों का उपसमूह बन जाएगा।

तत्कालीन माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने 17.01.2018 को आयोजित नदी जोड़ पर विशेष सैल की 14 वीं बैठक में सलाह दी थी कि तत्कालीन सचिव (जल

संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) रा.ज.वि.अ. के तत्काल पुनर्गठन पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

3.4.1 एससीआईएलआर की 21वीं बैठक

एससीआईएलआर की 21वीं बैठक 14.12.2023 को माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, श्री के लक्ष्मीनारायण, माननीय लोक निर्माण मंत्री, पुद्दुचेरी सरकार और श्री संजय कुमार झा, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार के साथ-साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, एसीएस/विभिन्न राज्यों के प्रधान सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सलाहकार, केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, नामित विशेषज्ञ आदि भी उपस्थित थे।

माननीय जल शक्ति मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में जल और नदी अंतर्योजन (आईएलआर) परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि नदी अंतर्योजन संबंधी कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। माननीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा उदार केन्द्रीय वित्तीय सहायता से अन्य लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आगे आने के लिए संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके ठोस प्रयासों से संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आम सहमति बन गई है तथा राज्यों और केन्द्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे इस लिंक परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।

एससीआईएलआर की 21वीं बैठक 14.12.2023 को आयोजित की गई

विभिन्न लिंक परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति और नदियों को आपस में जोड़ने वाली (आईएलआर) परियोजनाओं, अंतर-राज्यीय लिंक, राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (नीरा) के गठन और लिंक परियोजनाओं

के सिस्टम अध्ययन के लिए लंबित मुद्दों/अड़चनों आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य रूप से केन-बेतवा लिंक परियोजना, गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना, संशोधित पीकेसी लिंक और कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना पर चर्चा की गई। राज्यों के प्रतिनिधियों ने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं पर अपने विचार/टिप्पणियाँ व्यक्त कीं। बैठक के दौरान आईएलआर परियोजनाओं के लिए व्यापक मूल्यांकन और सिस्टम अध्ययन के लिए उप समिति की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया।

3.4.2 टीएफआईएलआर की 18वीं बैठक

टीएफआईएलआर की 18वीं बैठक 10.11.2023 को हैदराबाद में श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, टास्क फोर्स और सलाहकार, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान, रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने सदस्यों को केन-बेतवा लिंक परियोजना की प्रगति और केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण की योजना के बारे में अवगत कराया। एनपीपी के अंतर्गत कोसी-मेची लिंक के विकल्प के रूप में बिहार के कोसी-मेची अंत:-राज्यीय लिंक को बनाने के संबंध में रा.ज.वि.अ के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययनों, बैठकों और आईएलआर परियोजनाओं के लिए व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन और नीरा के गठन के लिए उप समिति द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित कार्यों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी।

टीएफआईएलआर की 18वीं बैठक 10.11.2023 को आयोजित की गई

3.4.3 नदी अंतर्योजन संबंधी व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति

जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 28.9.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से श्री एबी पांड्या, महासचिव, आईसीआईडी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में "नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और

प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति" का गठन किया है। इस उप-समिति का गठन उप-समिति-I (नदी अंतर्योजन के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों का व्यापक मूल्यांकन) और उप-समिति-II (सर्वाधिक उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणालीगत अध्ययन) को मिलाकर किया गया है। आईसीआईडी के महासचिव श्री एबी पांड्या की अध्यक्षता में इस उपसमिति की 20.01.2023, 30.06.2023, 26.09.2023, 13.10.2023 और 12.03.2024 को अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं।

3.4.3.1 आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति की दूसरी बैठक

आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति की दूसरी बैठक 30.06.2023 को एनआईएच, रुड़की में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

उद्घाटन भाषण में उप-समिति के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि यह बैठक एनआईएच, रुड़की में निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य एनआईएच, रुड़की की पूरी टीम के साथ विस्तृत चर्चा करना है, जो महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सिस्टम स्टडीज को अंतिम रूप देने में शामिल है। कामता प्रसाद और उप-समिति के अध्यक्ष श्री एसी त्यागी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उल्लेख किया गया है कि उप-समिति का फोकस जल संसाधनों की उपलब्धता और व्यवहार्यता की पहचान करना और उपलब्ध जल संसाधनों से लाभों को इष्टतम बनाने के लिए सभी संभावित विकल्पों की जांच करना है। यद्यपि, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, फिर भी संसाधन उपलब्धता और वितरण शर्तों में लिंक प्रस्ताव के बुनियादी ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इनका आकलन किया जा सकता है। बैठक में उप-समिति के टीओआर पर चर्चा करने के लिए एक अलग बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया गया था।

आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और सिस्टम अध्ययन के लिए उप समिति की दूसरी बैठक 30.06.2023 को आयोजित की गई

सदस्य सचिव ने एनआईएच, रुड़की द्वारा किए जा रहे महानदी-गोदावरी लिंक के सिस्टम अध्ययन से संबंधित कार्य की क्रमिक प्रगति और मई, 2023 में उनके द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में बताया। उप-समिति के अध्यक्ष ने कहा कि महानदी-गोदावरी लिंक के प्रणाली अध्ययन मॉडल को अंतिम रूप देना पहला कदम है और एक बार मूल मॉडल को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद उपसमिति के सदस्यों द्वारा सुझाए गए अन्य पहलुओं को मूल मॉडल पर अध्यारोपित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि डीपीआर तैयार करने के चरण में आगे व्यापक अध्ययन किया जा सकता है और वर्तमान मॉडल में अध्ययन के लिए अधिक पैरामीटर जोड़े जा सकते हैं। इस समय, डाटाबेस में परिवर्तन की सिफारिश नहीं की जाती है और महानदी-गोदावरी लिंक पर प्रणाली अध्ययन पर एनआईएच रूड़की द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए और उप-समिति के सदस्यों द्वारा सुझाए गए अनुसार प्रस्तावना में सीमाओं और मान्यताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने उल्लेख किया कि भविष्य में बेसिन सिमुलेशन अध्ययन शुरू करने का भी पता लगाया जाएगा। इसके बाद उप-समिति के सदस्यों ने लिंक के सिस्टम स्टडीज पर अपने विचार और सुझाव दिए थे।
प्रोफेसर सुभाशीष दत्ता, आईआईटी, गुवाहाटी ने एमएसटीजी लिंक परियोजना के सिस्टम अध्ययन कार्य में प्राप्त प्रगति पर प्रस्तुति दी। समिति के सदस्यों ने इस पर सुझाव और प्रश्न दिए। इसके बाद एनआईटी पटना के डॉ. रामाकर झा ने जीडीएस लिंक परियोजना के सिस्टम स्टडी कार्य पर एक प्रस्तुति दी। उप-समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अध्ययन की समग्र योजना और जल के अंतरण के परिणाम के साथ-साथ मांग संतुष्टि के लिए संभावित दृष्टिकोण प्रस्तुति से प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एनआईटी पटना विचार-विमर्श के लिए अगली बैठक में एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

समय की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया कि शेष एजेंडा मदों नामत: एनआईटी, वारंगल और एनआईएच, रुड़की द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट और गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक सिस्टम की प्रणाली अध्ययन पर उप-समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

3.4.3.2 आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति की तीसरी बैठक

नदी अंतर्योजन पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति की तीसरी बैठक 26.09.2023 को रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।
उप-समिति के अध्यक्ष ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उल्लेख किया कि एनआईएच, रुड़की द्वारा महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के प्रणाली अध्ययन के लिए प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया था और अध्ययन का मूल उद्देश्य पूरा हो गया है। इसके बाद सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों को दूसरी बैठक के कार्यवृत्त के प्रसार और श्री एम के सिन्हा से प्राप्त टिप्पणियों के बारे में अवगत कराया कि वे परिणामों को विभिन्न परिदृश्यों के लिए सारणीबद्ध मसौदा में प्रस्तुत करें क्योंकि यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के समय बहुत उपयोगी होगा। उप-समिति के अध्यक्ष ने इस सुझाव को शामिल करने का सुझाव दिया।

उसके बाद एनआईटी, पटना के डॉ रामकर झा ने उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र, प्रस्तावित पद्धति, डेटा संग्रह, परियोजना क्षेत्र में जल संसाधनों की आपूर्ति और मांग पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन

के प्रभाव, फसल की जल की आवश्यकताओं का अनुमान और विभिन्न तीव्रता पर सिंचाई के जल की मांग और अध्ययन के लिए एक सामान्य मॉडल अनुप्रयोग के विकास के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और सिस्टम अध्ययन के लिए 26.09.2023 को आयोजित उप-समिति की तीसरी बैठक

इस प्रस्तुति पर, प्रो कामता प्रसाद ने अध्ययन में स्थानीय स्तर के आंकड़ों का उपयोग करने और फसल पैटर्न मापदंडों के लिए नवीनतम 3 वर्षों के आंकड़ों के औसत पर विचार करने और जल की मांग का अनुमान लगाते समय पर्यावरणीय मांग पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने विश्लेषण के दौरान भूजल पर इसके प्रभाव को एकीकृत करने के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम के बारे में भी उल्लेख किया। श्री एम के सिन्हा ने बताया कि राजविअ द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययनों के दिशा-निर्देशों के अनुसार हिमालयी लिंक परियोजनाओं के लिए सिंचाई तीव्रता को 100 प्रतिशत माना जाता है और प्रणाली अध्ययन के लिए इस पर विचार किया जाएगा। प्रोफेसर एस इकबाल हसनैन ने कमांड क्षेत्र में उद्योगों से प्रभावों के उपचार के बारे में जानकारी लेने की राय दी क्योंकि इससे भूजल आदि प्रभावित होंगे।

इसके बाद एनआईटी वारंगल की डॉ. वामसी वर्मा ने एक प्रस्तुति दी। उन्होंने अध्ययन के उद्देश्यों, कमान क्षेत्र, वास्तविक जल मांगों का आकलन, फसल पैटर्न अध्ययन और फसल जल की आवश्यकता, भूजल परिदृश्य, उनके द्वारा किए गए डेटा संग्रह, अपनाई जाने वाली उनकी कार्यप्रणाली आदि के बारे में बताया।

एनआईएच, रुड़की के डॉ. सुरजीत सिंह ने फरक्का-सुंदरबन लिंक परियोजना के सिस्टम स्टडीज पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। आईआईटी, गुवाहाटी के प्रोफेसर सुभाशिसा दत्ता ने एमएसटीजी लिंक परियोजना के सिस्टम अध्ययन के लिए विचार की गई आधारभूत स्थितियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने महानंदा नदी से फरक्का तक के कार्य के लिए उनकी टीम द्वारा की गई क्षेत्र यात्राओं का उल्लेख किया।

चार संस्थानों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार-विमर्श के बाद, यह महसूस किया गया कि रिपोर्ट तैयार करने और परिणामों के चित्रण के लिए एक सामान्य आधार बनाने के लिए लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययन कार्य में शामिल सभी संस्थानों को दिशा-निर्देशों का एक सेट प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष, उप समिति ने संस्थानों से दिशा-निर्देशों का मसौदा प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि आगामी बैठक में उन पर विचार-विमर्श किया जा सके ताकि दिशानिर्देशों का एक सामान्य सेट तैयार किया जा सके जिससे संस्थानों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

3.4.3.3 आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति की चौथी बैठक

आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की चौथी बैठक 13.10.2023 को रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक प्रणाली के प्रणालीगत अध्ययन, उप-समिति-I के विचारार्थ विषयों और लिंक परियोजनाओं के लिए प्रणाली अध्ययन करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श किया गया।

आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और सिस्टम अध्ययन के लिए 13.10.2023 को आयोजित उप-समिति की चौथी बैठक

सदस्य सचिव ने रा.ज.वि.अ को प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के बारे में जानकारी दी और उल्लेख किया कि जैसा कि उप-समिति की पहली बैठक में निर्णय लिया गया था, गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक प्रणाली के प्रणाली अध्ययन को तीन मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक का अध्ययन उपयुक्त रूप से एक शैक्षणिक संस्थान को दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात मुख्य अभियंता (द), रा.ज.वि.अ ने सभी संस्थानों से अब तक प्राप्त ईओआई तथा प्रस्तावों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। उप-समिति के अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक संस्थान का दृष्टिकोण

अलग-अलग है तथा उनमें कोई एकरूपता नहीं है। विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि आगे के प्रस्ताव मांगने से पहले कार्य का दायरा, सिस्टम अध्ययन करने के लिए दिशा-निर्देश तथा उप-समिति के टीओआर को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा सिस्टम अध्ययन कार्य आरंभ करने के लिए इन संस्थानों को दिशा-निर्देशों का एक सेट प्रदान किया जाएगा।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाई गई उप-समिति के विचारार्थ विषयों और पिछले कुछ वर्षों में दो अलग-अलग उप-समितियों की प्रगति और विलय की गई उप-समिति पर भी चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने चार उप-समितियों के गठन और एससीआईएलआर के तहत इन उप-समितियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दो समितियों ने अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है और शेष दो उप-समितियों का विलय कर दिया गया है। उन्होंने सदस्यों को दो उप-समितियों के टीओआर के बारे में भी अवगत कराया। माननीय अध्यक्ष ने टीओआर पर अपने सुझाव दिए। इसके बाद उप-समिति-I द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। श्री एम के सिन्हा ने इस पर कुछ मुद्दे उठाए जिनका जवाब राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के महानिदेशक द्वारा दिया गया।

उप-समिति के अध्यक्ष ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि प्रणाली अध्ययन के परिणाम डीपीआर को बदल सकते हैं और प्रणाली अध्ययन सर्वोत्तम समाधानों के लिए विचार/विकल्प भी प्रदान करेगा, जो सर्वसम्मति निर्माण के लिए राज्यों के साथ बातचीत करते समय बहुत सहायक होगा। इस पर महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने स्पष्ट किया कि अधिकांश पूरी हो गई डीपीआर को मसौदा डीपीआर कहा जाता है जिसे रा.ज.वि.अ द्वारा किए जा रहे विस्तृत सर्वेक्षणों और अन्वेषणों/अध्ययनों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आम सहमति बनाने के लिए राज्यों से संपर्क करने से पहले प्रणाली अध्ययन के परिणामों को मसौदा डीपीआर में उचित रूप से शामिल किया जाएगा।

जहां तक संबंधित लिंक परियोजनाओं के लिए प्रणाली अध्ययन हेतु दिशा-निर्देशों का संबंध है, सदस्य सचिव ने सूचित किया कि जैसा कि सुझाव दिया गया है, संस्थानों से दिशा-निर्देशों का मसौदा प्राप्त कर लिया गया है और उप-समिति के सदस्यों को भेज दिया गया है, जिन्होंने यह राय दी कि दिशा-निर्देश स्पष्ट नहीं हैं और मानक सेट प्रदान नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष, उप-समिति ने सुझाव दिया कि रा.ज.वि.अ दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार करेगा जिसके लिए एनआईएच, रूड़की द्वारा दिशा-निर्देशों को कुछ हद तक भेजा जा सकता है। रा.ज.वि.अ दिशा-निर्देशों के मसौदा को उप-समिति के सदस्यों को परिचालित करेगा ताकि वे अपने विचार/टिप्पणियां प्राप्त कर सकें। उसके बाद, दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा और संस्थानों को प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने प्रणाली अध्ययन के लिए कार्यों का एक अच्छी तरह से परिभाषित और विस्तृत दायरा तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए अगली बैठक में उपस्थित होने का भी सुझाव दिया।

3.4.3.4 आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की 5वीं बैठक

आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप समिति की 5वीं बैठक 12.03.2024 को रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई ।

आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और सिस्टम अध्ययन के लिए 12.03.2024 को आयोजित उप-समिति की 5वीं बैठक

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, अध्यक्ष उप-समिति ने टीओआर में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया और रा.ज.वि.अ को इन संशोधित टीओआर को जल शक्ति मंत्रालय को भेजने के लिए अनुरोध किया।

फिर गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार-कावेरी और कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक प्रणाली के प्रणालीगत अध्ययन पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने अध्ययन के लिए प्राप्त ईओआई के बारे में बताया और कहा कि 10 संस्थानों से वित्तीय बोलियां मांगी गई हैं। उप-समिति के अध्यक्ष ने बताया कि एमएसटीजी लिंक के दक्षिणी लिंकेज प्रणाली परिदृश्यों के लिए सिस्टम अध्ययन शुरू करने से पहले अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। एमएसटीजी लिंक के माध्यम से उपलब्ध अधिशेष जल के बारे में सूचना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे दक्षिणी लिंकेज प्रणाली का प्रणाली अध्ययन करने वाले संस्थानों को प्रदान किया जाना है। इसके बाद एमएसटीजी, गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा, सुबर्णरेख-महानदी और फरका-सुंदरबन लिंक परियोजनाओं के सिस्टम अध्ययन पर 4 संस्थानों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई और यह बताया गया कि सभी संस्थानों से अप्रैल, 2024 तक मसौदा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, श्री एम के सिन्हा ने सुझाव दिया कि रा.ज.वि.अ हर चरण में जल संतुलन डेटा के साथ एनपीपी के तहत सभी लिंक परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति देगा और यह भी सुझाव दिया कि लिंक परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, उप-समिति तय करेगी कि किस लिंक परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष, उप-

समिति ने रा.ज.वि.अ से नवीनतम संशोधनों और विकास के आलोक में लिंक परियोजनाओं की स्थिति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

प्रणाली अध्ययन प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में, अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ में अलग प्रणाली अध्ययन प्रकोष्ठ के कामकाज के बारे में पूछा और योजना के तहत किए जा रहे विभिन्न अध्ययनों के लिए प्रणाली अध्ययन मॉडल चलाने के लिए एक प्रलेखन/उपयोगकर्ता मैनुअल बनाने का अनुरोध किया।

अध्याय - 4

तकनीकी गतिविधियां

4.1 अंतर-बेसिन और अंत:-बेसिन जल अंतरण लिंक पर अध्ययन

रा.ज.वि.अ को प्रारंभ में हमारे देश के जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। तत्पश्चात्, एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन भी 1990-91 के दौरान सौंपे गए थे। संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात आई बी डब्ल्यू टी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी वर्ष 2006-07 के दौरान रा.ज.वि.अ को सौंपा गया था। तदनुसार, रा.ज.वि.अ ने 2006-07 से केन-बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करना शुरू किया और इसे 31-12-2008 को पूरा किया गया। केन-बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर को आगे चरण-I और चरण-II में विभाजित किया गया था। केन-बेतवा लिंक लिंक (चरण-I) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दौधन बांध और इसके सहायक कार्य, सुरंग, बिजली घर और लिंक नहर शामिल हैं, जो 2010 में पूरी हो गई थी। केन-बेतवा लिंक (चरण-II) की डीपीआर 2014 के दौरान पूरी की गई थी और केन-बेतवा लिंक की व्यापक रिपोर्ट अक्टूबर, 2018 के दौरान पूरी की गई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान रा.ज.वि.अ द्वारा डीपीएलपी की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। पीटीएनएलपी की डीपीआर तैयार करने का काम 2015-16 में पूरा हो गया था। गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की मसौदा डीपीआर मार्च 2019 में परिचालित की गई थी, जिसमें तीन लिंक नामत: गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रांट एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों को शामिल करते हुए डीपीआर को संशोधित किया गया और 28.04.2021 को संबंधित राज्यों को परिचालित किया गया। कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर भी अगस्त, 2020 में पूरी हो गई थी और पार्टी राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को उनकी विचारों /टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी। बेदती-वरदा लिंक परियोजना (4189 एमसीएम जल के पथांतरण के लिए) सहित गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) की मसौदा डीपीआर 08.01.2024 को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित की गई थी। गोदावरी की डीपीआर (एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक परियोजना तैयार की गई थी और फरवरी 2024 को मुख्यालय को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार और कृष्णा (अलमाट्टी) -पेन्नार लिंक परियोजनाओं के मसौदा डीपीआर मार्च 2023 में परिचालित किए गए थे और मुख्यालय की टिप्पणियों के आधार पर आगे संशोधन प्रगति पर है।

राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंत:राज्यीय लिंकों की पीएफआर/व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने का कार्य वर्ष 2006-07 के दौरान रा.ज.वि.अ को सौंपा गया था। बाद में, अंतराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य भी वर्ष 2011 के दौरान रा.ज.वि.अ को सौंपा गया था। रा.ज.वि.अ को 10 राज्यों नामत: महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अंत:राज्यीय लिंकों के 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

4 अंत:-राज्यीय लिंक परियोजनाओं नामत: 1. बूढ़ी-गंडक-नून-बाया-गंगा; 2. बिहार की कोसी-मेची लिंक परियोजनाएं 3. तमिलनाडु की पोन्नैयार-पलार लिंक परियोजना और 4. महाराष्ट्र की वैनगंगा-नलगंगा लिंक की डीपीआर पूरी हो चुकी है। उपर्युक्त के अलावा, दमनगंगा (एकदारे)-गोदावरी और दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी लिंक परियोजनाओं की मसौदा डीपीआर भी रिपोर्टिंग अवधि 2023-24 के दौरान पूरी कर ली गई थी और संबंधित राज्य सरकार को भेज दी गई थी। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का समग्र विवरण अध्याय-7 में अलग से दिया गया है।

4.2 एनपीपी के तहत रा.ज.वि.अ द्वारा प्रारंभिक अध्ययन पूरा किया गया

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय एवं हिमालयी घटकों के अंतर्गत रा.ज.वि.अ द्वारा पूरे किए गए प्रारंभिक अध्ययन तालिका-1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका - 1

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत रा.ज.वि.अ द्वारा पूरा किया गया प्रारंभिक अध्ययन

क्रमांक	अध्ययन का नाम	प्रायद्वीपीय घटक	हिमालयी घटक	कुल पूर्ण अध्ययन
1	2	3	4	5
i)	जल संतुलन अध्ययन -बेसिन/उप-बेसिन -पथांतरण बिन्दु	 137 52	 - 19	 137 71
	कुल:	**189**	**19**	**208**
ii)	टोपोशीट अध्ययन - जलाशय भंडारण स्थल - लिंक संरेखण	 58 18	 16 19	 74 37
	कुल:	**76**	**35**	**111**
iii)	प्रत्येक अतिरिक्त और वैकल्पिक अध्ययन सहित लिंकों की पीएफआर	18	14	32

4.3 रा.ज.वि.अ द्वारा किए गए अध्ययन के तहत जल अंतरण लिंक

एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत रा.ज.वि.अ द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिज्ञात जल अंतरण लिंक परियोजनाएं क्रमश 16 और 14 हैं और इनका विवरण नीचे दिया गया है

क्रमांक	एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत लिंक परियोजनाएं
1.	महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलाईस्वरम)
2.	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा)
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (पुलिचिंताला)

4.	गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर)
5.	कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमशिला)
6.	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार
7.	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार
8.	पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट)
9.	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर
10.	पार्बती - कालीसिंध - चंबल
11.	दमनगंगा-पिंजल
12.	पार - तापी - नर्मदा
13.	केन - बेतवा
14.	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर
15.	नेत्रावती - हेमवती
16.	बेदती - वरदा
क्रम संख्या	**एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत लिंक परियोजनाएं**
1.	मानस - संकोश - तीस्ता - गंगा (एमएसटीजी)
2.	कोसी-घाघरा
3.	गंडक - गंगा
4.	घाघरा-यमुना
5.	सारदा-यमुना
6.	यमुना-राजस्थान
7.	राजस्थान - साबरमती
8.	चुनार - सोन बैराज
9.	सोन बांध - गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ
10.	गंगा (फरक्का) - दामोदर - सुबर्णरेखा
11.	सुवर्णरेखा - महानदी
12.	कोसी - मेची
13.	फरक्का - सुंदरबन
14.	जोगीघोपा - तीस्ता - फरक्का (एम-एस-टी-जी का विकल्प)

अध्ययन के तहत प्रस्तावित आईबीडब्ल्यूटी लिंक दिखाने वाला एक मानचित्र नीचे दिया गया है:

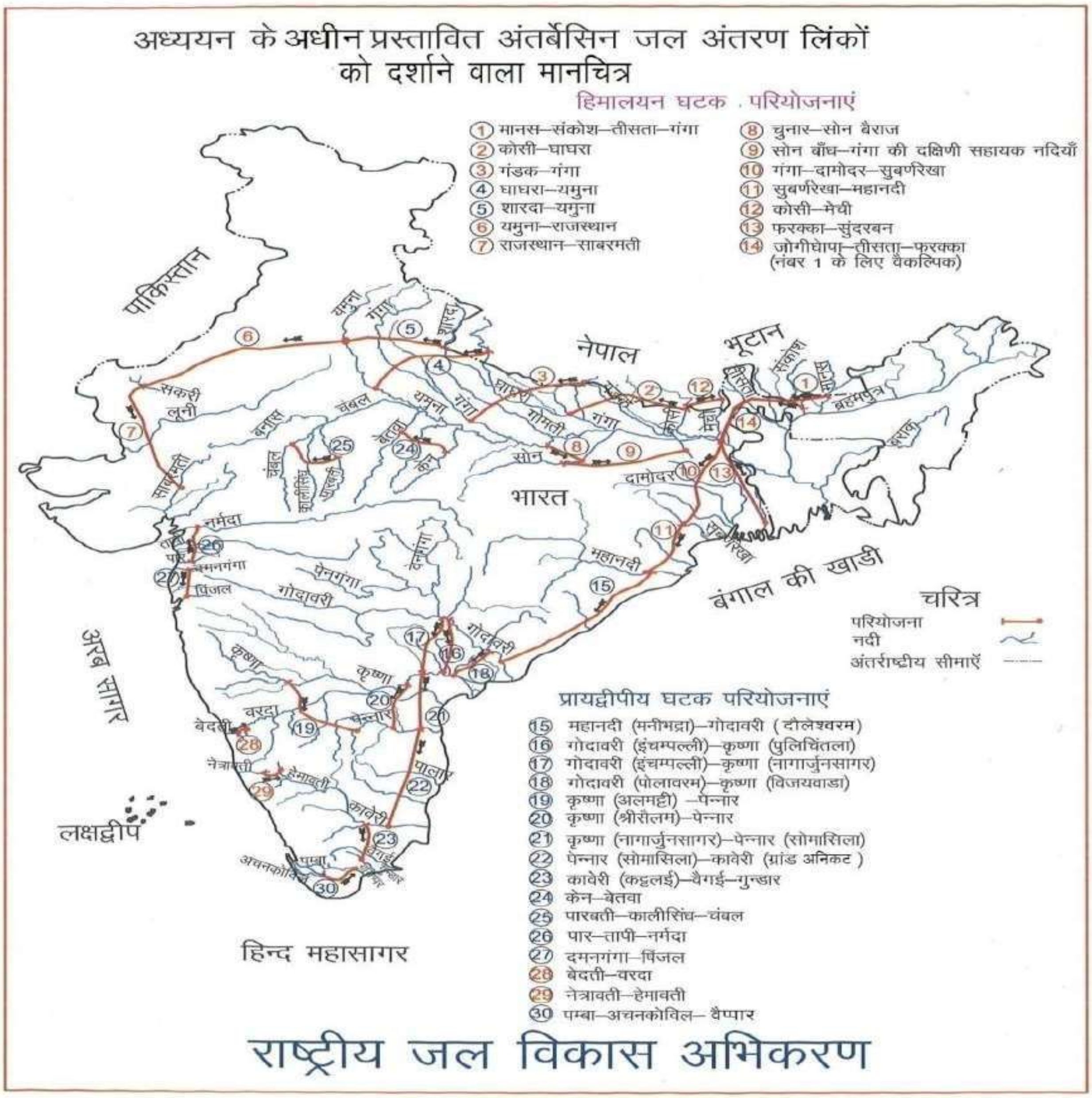

4.4 एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 लिंक परियोजनाओं में से, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, 8 लिंक परियोजनाओं नामत: केन-बेतवा; दमनगंगा-पिंजल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) जिसमें तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, नामत गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रांट एनीकट), कावेरी-वैगई-गुंडर और बेदती-वरदा लिंक परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और परिचालित कर दी गई हैं। प्राथमिकता वाली लिंकों नामत: केन-बेतवा, संशोधित पीकेसी और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति जिसमें ऊपर उल्लिखित तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, अध्याय-5 में अलग से दी गई हैं।

पूरी की गई 8 डीपीआर के अलावा, गोदावरी (एसएसएमपीपी)-कृष्णा (पुलीचिंताला), कृष्णा (श्रीसैलम)-पेन्नार और कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार लिंक परियोजनाओं की डीपीआर भी पूरी कर ली गई है और एमजी लिंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी चल रहा है।

16 लिंक परियोजनाओं में से, कर्नाटक राज्य सरकार से संबंधित 2 लिंक परियोजनाओं नामत: बेदती-वरदा और नेत्रवती-हेमवती लिंक परियोजनाओं को छोड़कर सभी लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट 31.03.2024 तक पूरी कर ली गई थी। महानदी (बरमूल)-गोदावरी (दोलाईस्वरम) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की एफआर भी पूरी कर ली गई थी और अक्टूबर, 2020 में पार्टी राज्यों के बीच परिचालित की गई थी। वर्तमान में पंबा - अचनकोविल - वैप्परलिंक परियोजना की एफआर का संशोधन प्रगति पर है।

4.4.1 कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक प्रणाली की नौ लिंक प्रणाली के रूप में पहचान की गई है। महानदी-गोदावरी लिंक प्रणाली की मूल लिंक है। कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुंडार लिंक परियोजना इस नौ लिंक प्रणाली का अंतिम चरण है। रा.ज.वि.अ ने वर्ष 2004 के दौरान इस लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है और संबंधित राज्यों को परिचालित की है। लिंक नहर के माध्यम से पथांतरण के लिए उपलब्ध जल की मात्रा मुख्यत: महानदी और गोदावरी बेसिनों के अधिशेष प्रवाहों की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसे महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी लिंक स्कीमों के माध्यम से हिमालयी घटक के एकीकरण से वृद्धि सहित पूर्ववर्ती ऊपरी लिंकों द्वारा लाया जाना है। कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं और अगस्त, 2020 के दौरान पार्टी राज्यों को डीपीआर परिचालित कर दी गई है।

4.4.2 बेदती - वरदा लिंक परियोजना

कर्नाटक सरकार ने लिंक परियोजना की एफआर तैयार करने के लिए अपनी सहमति से अवगत करा दिया था, लेकिन स्थानीय गैर-सरकारी संगठन के विरोध के कारण कार्य रोक दिया गया था, जिन्होंने मांग की थी कि संबंधित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन पहले कर्नाटक सरकार द्वारा उनके द्वारा तैयार विचारार्थ विषयों (टीओआर) के साथ किया जाना चाहिए। 23.03.2018 को आयोजित राजविअ की 65वीं जीबी बैठक के दौरान , कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने इस लिंक के ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर पर कुछ टिप्पणियां की हैं और कर्नाटक सरकार जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यक स्पष्टीकरण और टीओआर अनुमोदित हो जाने के बाद, कर्नाटक सरकार बेदती-वरदा लिंक परियोजना का ईआईए अध्ययन कर सकती है।

कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड (केएनएनएल) और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 30.11.2018 को बेंगलुरु में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, केएनएनएल के अधिकारियों ने वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए टीओआर पर उठाए गए बिंदुओं को शामिल करना आवश्यक समझा जिसमे - डीपीआर को प्रारम्भ करना शामिल है, उन्होने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से परियोजना की डीपीआर का कार्य आरंभ करके अनुरोध किया। इसके बाद, मुख्य अभियंता, मालाप्रभा जोन, केएनएनएल, कर्नाटक सरकार ने अपने दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। कर्नाटक सरकार ने बेदती से वरदा नदियों तक जल अंतरण के लिए दो विकल्पों का भी सुझाव दिया है। धारवाड़ में 22.07.2019 को कर्नाटक सरकार के केएनएल और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक के कार्यवृत के अनुसार, मुख्य अभियंता, केएनएल, मालाप्रभा परियोजना द्वारा शिगगांव, सावनूर, कुंडगोल, तालुका क्षेत्रों और हुबली और धारवाड़ जुड़वां शहरों के गंभीर रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए धर्मा जलाशय (वरदा नदी के बजाय) में जलके अंतरण पर विचार करने का सुझाव दिया गया था। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 21.01.2021 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति भेज दी है। वेदती-वरदा लिंक परियोजना की मसौदा डीपीआर रिपोर्टिंग अवधि में पूरी कर ली गई है और सितंबर, 2022 उनकी टिप्पणियों के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत की गई है।

4.4.3 नेत्रावती - हेमवती लिंक परियोजना

कर्नाटक सरकार ने अभी तक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी सहमति से अवगत नहीं कराया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण एफआर की तैयारी के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने के लिए सहमति के लिए कर्नाटक सरकार के साथ नियमित रूप से इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। 27.01.2016 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 62वीं शासी निकाय बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि नेत्रावती जल के अंतरण की परिकल्पना करने वाली यतिनहोल परियोजना की डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय जल

विकास अभिकरण द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई है और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की टिप्पणियां 11.11.2016 को भेजी गई है।

23.03.2018 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय की 65वीं बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि कर्नाटक सरकार ने यतिनहोल परियोजना की योजना बनाई है क्योंकि वे नेत्रावती-हेमावती लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट को शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा यतिनहोल परियोजना की डीपीआर की जांच की गई थी और टिप्पणियां कर्नाटक सरकार को भेजी गई थीं कि दोनों परियोजनाएं नामतः यतिनहोल परियोजना, जैसा कि कर्नाटक द्वारा तैयार किया गया है और एनपीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित नेत्रावती-हेमावती लिंक परियोजना कार्यान्वयन योग्य है।
कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही यतिनहोल परियोजना पर विचार करते हुए नेत्रावती बेसिन के पथांतरित स्थलों तक संशोधित जल संतुलन अध्ययन के अनुसार, अंतरण के लिए कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए एफआर/डीपीआर के लिए आगे के अध्ययन के लिए इस लिंक को हटा दिया गया है।

4.4.4 महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ ने अक्टूबर 2020 में महानदी (बरमूल)-गोदावरी (दोलाईस्वरम) लिंक नहर की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में 844.595 किमी की कुल दूरी के लिए प्रस्तावित बरमूल जलाशय में 75.06 मीटर की एफएसएल के साथ ऑफ-टेक प्वाइंट से लिंक नहर एक समोच्च नहर के रूप में चलती है और 14.505 मीटर के एफएसएल के साथ मौजूदा दोलाईस्वरम बैराज के लगभग 15 किमी की दूरी पर गोदावरी नदी में गिरती है। एनआईएच द्वारा किए गए सिमुलेशन अध्ययन के अनुसार, लिंक नहर की अनुमानित वार्षिक मांग 10105 एमसीएम है।

यह परिकल्पना की गई है कि उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, 5046 एमसीएम की मात्रा को अंततः लिंक नहर के माध्यम से गोदावरी नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि महानदी-गोदावरी लिंक के मूल प्रस्ताव के अनुसार, एम-जी लिंक के माध्यम से गोदावरी तक 6500 एमसीएम जल पहुंचना सुनिश्चित किया गया है, और 1454 एमसीएम की कमी को जीडीएस और एसएम लिंक के माध्यम से महानदी तक पहुंचने वाले मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा लिंक के योगदान से एम-जी लिंक में पूरा किया जाएगा।
लिंक परियोजना के लिए सिस्टम अध्ययन एनआईएच, रुड़की द्वारा पूरा कर लिया गया है और अंतिम रिपोर्ट मई, 2023 में प्रस्तुत की गई थी। एनआईएच, रूड़की ने बारमूल बांध सहित सात नए बांधों के लिए जल वैज्ञानिक पहलुओं और बहु-जलाशय अनुकरण विश्लेषण पर अध्ययन किया था और बरमूल बांध में जल की उपलब्धता (लिंक तक जल के अंतरण के लिए) का आकलन किया गया था। सतही जल-भूजल परस्परक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के एकीकरण के लिए एम-जी लिंक नहर सिंचाई प्रणाली के लिए एक सिस्टम मॉडल विकसित किया गया है। इन उपकरणों का उपयोग एम-जी लिंक प्रणाली के विश्लेषण के लिए किसी भी अन्य परिदृश्य या उनके संयोजनों को परिष्कृत और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।
31.03.2024 तक एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के तहत विभिन्न अध्ययनों की स्थिति नीचे दिखाई गई है :

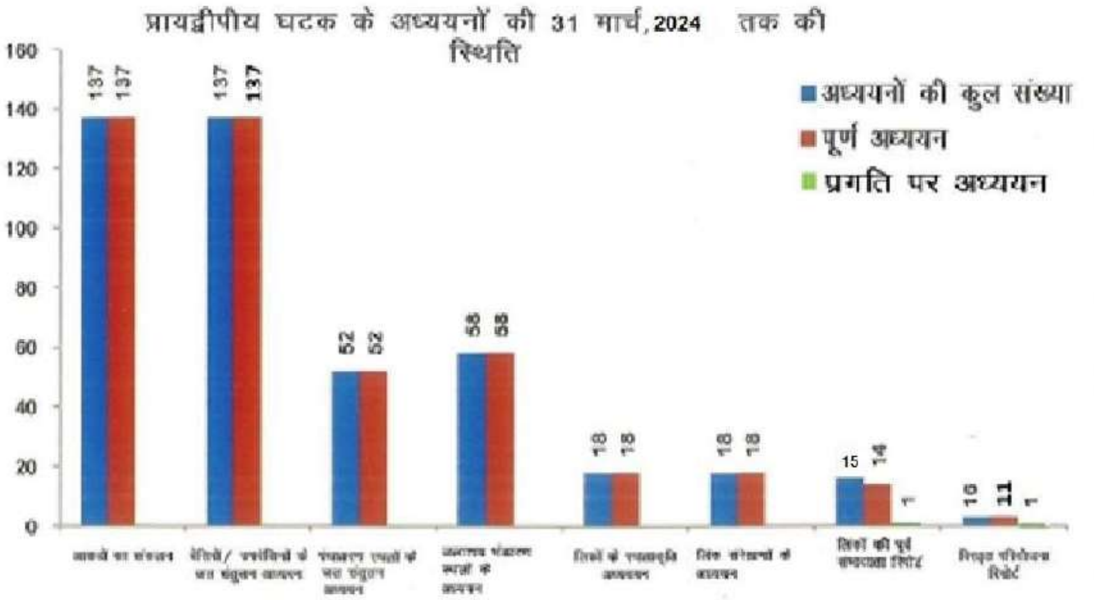

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के तहत आईबीडब्ल्यूटी लिंकों की डीपीआर की वर्तमान स्थिति

क्रमांक	लिंक परियोजना का नाम	लिंक परियोजना की डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	केन-बेतवा (चरण-I) और (चरण-II)	केन-बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर को चरण-I और चरण-II में विभाजित किया गया था। केन-बेतवा लिंक लिंक (चरण-I) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दौधन बांध और इसके सहायक कार्य, सुरंग, बिजली घर और लिंक नहर शामिल हैं, जो 2010 में पूरी हो गई थी। रा.ज.वि.अ द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान केन-बेतवा लिंक परियोजना (चरण-II) की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। केन-बेतवा लिंक लिंक के कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय एमओए पर हस्ताक्षर 22.03.2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों और माननीय जल शक्ति मंत्री के बीच किया गया। पीआईबी ने 1 अक्टूबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केबीएलपीए नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 39317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर पर 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 08.12.2021 को केन-बेतवा लिंक के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। 11 फरवरी, 2022 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई, जिसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की

		राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति और विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात केबीएलपीए का गठन किया गया। अब तक केन-बेतवा लिंक परियोजना (एससी-केबीएलपी) की संचालन समिति की पांच बैठकें और केन-बेतवा लिंक परियोजना की छह बैठकें आयोजित की गई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट, सचिव, जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 02.06.2022 को जारी की गई थी। आईएलएमपी के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का गठन किया गया है। दो वन्यजीव अभयारण्यों नामत: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ परियोजना के अंतर्गत लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। पीटीआर के लिए राजस्व भूमि अंतरण हेतु पन्ना और छतरपुर जिलों में दौधन बांध के लिए 22 गांवों और जलमग्नता के अंतर्गत आने वाले गांवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा-11 और धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनः स्थापन कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना के कार्यान्वयन में प्राधिकरण की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) को काम पर रखने का प्रस्ताव किया गया था और दिसंबर, 2022 में इसके लिए गठित एक परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा पीएमसी की नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू किए गई हैं और सीईसी की अब तक 13 बैठकें आयोजित की गई हैं। ईपीसी मोड पर दौधन बांध और केन-बेतवा लिंक परियोजनाओं के इसके सहायक कार्यों की निविदा 11.08.2023 को जारी की गई थी। छह बोलीदाताओं ने भाग लिया है। केबीएलपीए के लिए दौधन बांध के लिए निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) की अब तक सीईओ, केबीएलपीए की अध्यक्षता में नौ बैठकें आयोजित की गई हैं। दौधन बांध के लिए चरण- II वन मंजूरी 3 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त की गई थी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सभी अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

		मध्य प्रदेश के चरण-II के लोअर ऑर, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज का निर्माण कार्य (हेड वर्क और वितरण प्रणाली) प्रगति पर है। अन्य शेष घटकों अर्थात् उत्तर प्रदेश में दो बैराजों, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मौजूदा टैंकों के नवीकरण, मौजूदा केन कमांड प्रणाली के नवीकरण और आधुनिकीकरण आदि की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
2.	दमनगंगा-पिंजल	वर्ष 2013-14 के दौरान रा.ज.वि.अ द्वारा डीपीएलपी की डीपीआर पूरी कर ली गई थी।
3.	पार-तापी-नर्मदा	पीटीएनएलपी की डीपीआर 2015-16 में पूरी हो गई थी।
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर)	गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की मसौदा डीपीआर जिसमें तीन लिंक शामिल हैं, गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रांट एनीकट) अप्रैल 2021 में परिचालित किया गया था। डीपीआर को 4189 एमसीएम के पथांतरण को शामिल करने के साथ संशोधित किया गया था और 19.12.2023 को संबंधित राज्यों को परिचालित किया गया था। हाल ही में, बेदती-वरदा लिंक परियोजना (4189 एमसीएम के पथांतरण के लिए) सहित गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) की मसौदा डीपीआर 08.01.2024 को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित की गई थी।
5.	कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला)	
6.	और पेन्नार (सोमासिला) -कावेरी (ग्रांट एनीकट)	
7.	कावेरी-वैगई-गुंडर	कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी हो गई थी और अगस्त, 2020 के दौरान पार्टी राज्यों को परिचालित की गई थी।
8.	बेदती-वरदा	बेदती-वरदा लिंक परियोजना की डीपीआर फरवरी, 2022 में पूरी की गई थी और कर्नाटक सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत की गई थी।
9.	गोदावरी (एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला)	गोदावरी (एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) की डीपीआर लिंक परियोजना फरवरी 2024 में पूरी हुई थी।
10.	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक परियोजना की मसौदा डीपीआर मार्च, 2023 में पूरी हो गई थी।
11.	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार	कृष्णा (अलमाट्टी) - पेन्नार लिंक परियोजना की मसौदा डीपीआर मार्च, 2023 में पूरी हो गई थी।

4.5 एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

हिमालयी घटक के अंतर्गत अभिनिर्धारित 14 लिंको में से राजविअ ने 4 लिंको नामत: शारदा-यमुना लिंक (भारतीय भाग), मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक (भारतीय भाग), गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक और सुबर्णरेखा -महानदी लिंक के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) अध्ययन पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा, छः लिंक परियोजनाओं की एफआर नामत: i) गंडक-गंगा लिंक (भारतीय भाग), ii) घाघरा-यमुना लिंक (भारतीय भाग), (iii) यमुना-राजस्थान लिंक, iv) राजस्थान-साबरमती लिंक, v) फरक्का-सुंदरबन लिंक और vi) कोसी-घाघरा लिंक भी कर लिया गया है और परिचालित कर दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, चुनार-सोन बैराज लिंक से संबंधित एफआर का मसौदा तैयार करने में इस समय संशोधन किया जा रहा है और गंगा लिंक की सोन बांध-दक्षिणी सहायक नदियों की एफआर का कार्य प्रगति पर है।

कोसी-मेची लिंक, जो पूर्णतया नेपाल क्षेत्र में स्थित है और जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का एमएसटीजी लिंक परियोजना का एक विकल्प होने के कारण वर्तमान में एफआर तैयार करने के लिए लक्षित नहीं है। तथापि, जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक के वन मुक्त संरेखण का पीएफआर पूरा कर लिया गया था और इसे राजविअ के टीएसी के सदस्यों तथा बिहार, असम और पश्चिम बंगाल की संबंधित राज्य सरकारों को दिनांक 13.06.2011 को परिचालित कर दिया गया था।

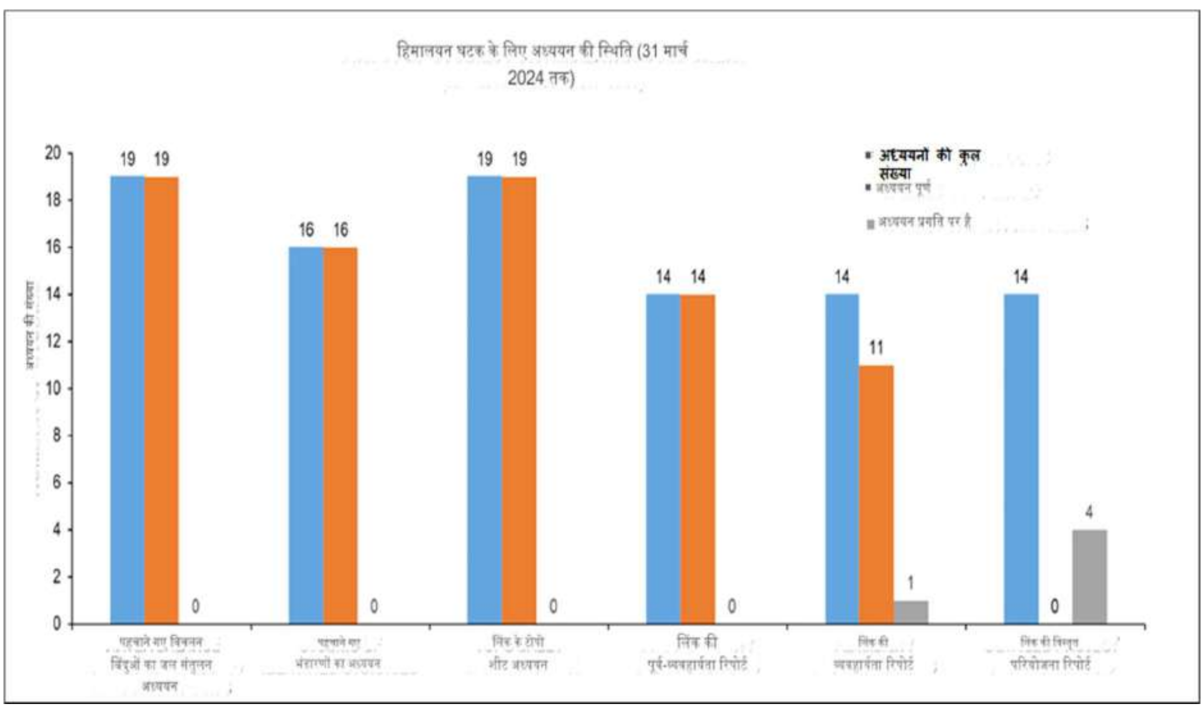

एनपीपी के हिमालयी घटक के तहत आईबीडब्ल्यूटी लिंकों की डीपीआर/एफआर की वर्तमान स्थिति

क्रमांक	लिंक परियोजना का नाम	लिंक परियोजना की डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	मानस-संकोश-तीस्ता - गंगा	मूल संरेखण के अनुसार एम-एस-टी-जी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी नहीं की जा सकी , क्योंकि एम-एस-टी-जी का मूल लिंक संरेखण मानस और बक्सा टाइगर रिजर्व और अन्य वन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। इन पहुंचों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों के लिए व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने लगभग 80 मीटर लिफ्ट के साथ विभिन्न आरक्षित वनों से बचने के लिए वैकल्पिक संरेखण अध्ययन किए हैं। एफआर अब पूरा हो गया है और पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और बिहार सरकार के बीच उनके सुझावों/विचारों के लिए 17.07.2020 को परिचालित किया गया है।
2.	गंगा (फरक्का) - सुंदरबन	एफआर पूर्ण और दिसंबर, 2020 में पार्टी राज्यों के बीच परिचालित किया गया।
3.	सुबर्णरेखा - महानदी	एफआर पूर्ण और फरवरी, 2021 में पार्टी राज्यों के बीच परिचालित किया गया ।
4.	गंडक - गंगा	भारतीय भाग को शामिल करने वाला एफआर पूरा हो गया है और फरवरी, 2021 में पार्टी राज्यों के बीच परिचालित किया गया है । नेपाल के हिस्से का एफआर का कार्य प्रगति पर है।
5.	राजस्थान - साबरमती	एफआर पूर्ण और फरवरी, 2021 में पार्टी राज्यों के बीच परिचालित किया गया।
6.	गंगा - दामोदर -सुवर्णरेखा	एफआर मार्च, 2021 में पूर्ण । डीपीआर प्रगति पर है।
7.	शारदा - यमुना	एफआर पूर्ण और डीपीआर प्रगति पर है
8.	घाघरा - यमुना (भारतीय भाग)	नेपाल के क्षेत्र को छोड़कर मसौदा एफआर पूरी कर ली गई है। नेपाल क्षेत्र सहित मसौदा एफआर का कार्य प्रगति पर है।
9.	यमुना - राजस्थान	यमुना-राजस्थान लिंक परियोजना की मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है और पार्टी राज्यों को अग्रेषित कर दी गई है।
10.	चुनार - सोन बैराज	मसौदा एफआर पूर्ण।
11.	सोन बांध - गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ	सुदूर संवेदन मानचित्रों का उपयोग करते हुए सोन बांध-एसटीजी की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एस एंड आई कार्य पूरा हो गया है और एफआर प्रगति पर है ।
12.	कोसी - घाघरा	एफआर मार्च, 2023 में पूरा और परिचालित किया गया है।

4.6 पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एकीकरण

राजस्थान सरकार ने सतत जल संसाधन विकास सुनिश्चित करने और विभिन्न जल मांगों को पूरा करने के लिए चंबल बेसिन के कुछ उप-बेसिनों नामत: कालीसिंध और पार्बती उप-बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए ईआरसीपी तैयार की है। बाद में माननीय जल शक्ति मंत्री ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लाभ के लिए ईआरसीपी को पीकेसी लिंक के साथ उपयुक्त रूप से एकीकृत आईएलआर परियोजना के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

जैसा कि 17.05.2022 को आयोजित टीएफआईएलआर की 16वीं बैठक में सिफारिश की गई थी, संशोधित पीकेसी लिंक के चरण- I को आईएलआर के एनपीपी के हिस्से के रूप में ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत करने और इस परियोजना को देश में प्राथमिकता लिंक परियोजना में से एक घोषित करने के प्रस्ताव को एससीआईएलआर ने 13.12.2022 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में मंजूरी दी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों, सीडब्ल्यूसी, रा.ज.वि.अ और वाप्कोस के साथ 23.02.2023 को आयोजित संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वाप्कोस संशोधित पीकेसी लिंक के ईआरसीपी हिस्से की डीपीआर तैयार करेगा, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार एसएमआरएस बांध, रंजीत सागर बांध और लखुंदर बैराज की मसौदा डीपीआर तैयार करेगा , रा.ज.वि.अ कुंभराज बांध की डीपीआर तैयार करेगा और सीडब्ल्यूसी प्रत्येक परियोजना और पथांतरण बिंदुओं के लिए जल विज्ञान अध्याय तैयार करेगा। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के चरण-I की मसौदा डीपीआर रा.ज.वि.अ द्वारा संकलित की जाएगी।

चंबल बेसिन के जल का बेहतर उपयोग करने और दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के व्यापक हित में संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की योजना बनाने और तैयार करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, डीपीआर तैयार करने का काम प्रगति पर है। आम सहमति बनाने के लिए मसौदा एमओए को संबंधित राज्यों को भी भेजा गया है।

अध्याय - 5

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता प्राप्त लिंक

5.1 प्राथमिकता प्राप्त लिंकों पर आम सहमति बनाने के लिए किए गए प्रयास

जल शक्ति मंत्रालय और रा.ज.वि.अ ने संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने के लिए प्राथमिकता वाले लिंक के रूप में निम्नलिखित लिंकों की पहचान की है:

1. केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी),
2. गोदावरी - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना (जीसीजीएएलपी) (3 लिंक परियोजनाओं से युक्त),
3. संशोधित पीकेसी लिंक विधिवत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ एकीकृत।

5.1.1 केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत केबीएलपी पहली परियोजना है जिसे कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। केबीएलपी (चरण-I) और केबीएलपी (चरण-II) की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें क्रमश: अगस्त, 2010 और जनवरी, 2014 में पूरी कर ली गई थीं। केन-बेतवा लिंक का विवरण अलग से अध्याय संख्या 6 में दिया गया है।

5.1.2 गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव

प्रस्तावित मणिभद्र बांध और इंचमपल्ली बांध पर आम सहमति लंबित होने के कारण राजविअ ने जीसीजीएलपी के माध्यम से गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप-बेसिन क़े अप्रयुक्त जल को कावेरी बेसिन की ओर पथांतरित करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया है। गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट)लिंक में तीन लिंक नामतः गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा(नागार्जुनसागर) लिंक,कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक शामिल हैं। यह लिंक परियोजना गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार और कावेरी घाटियों से होकर गुजरती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है।

राजविअ ने इस लिंक प्रस्ताव का मसौदा डीपीआर तैयार किया है और मार्च, 2019 में पार्टी राज्यों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे पर अधिकांश पार्टी राज्यों नामत: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विचार/टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और राजविअ द्वारा उनका उत्तर दे दिया गया है। टास्क फोर्स के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सलाहकार श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से 16.07.2020 और 25.02.2021 को आयोजित

टीएफआईएलआर की क्रमशः बारहवीं और तेरहवीं बैठकों के दौरान संबंधित मुद्दों और विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। लिंक प्रस्ताव नामत: गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर को 28.04.2021 को फिर से परिचालित किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया। डीपीआर को राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों के आधार पर यथासंभव अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे पूरा कर लिया गया है।

अब राज्यों के बीच आम सहमति बनाने और इस लिंक के कार्यान्वयन के लिए एक समझ/समझौते पर पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद, लिंक परियोजना के लिए विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

पार्टी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अब तक पाँच परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे डीपीआर में शामिल परियोजनाओं के ब्यौरे, लिंक संरेखण और परियोजना में विचार किए गए कमान क्षेत्रों पर सुझावों की पुष्टि अथवा अनुपूरण करें।

दिनांक 18.02.2022 को आयोजित तीसरी परामर्श बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बेदती-वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में अनुपूरण के प्रस्ताव को संयोजित करने के साथ-साथ गोदावरी से 7000 एमसीएम से लगभग 4000 एमसीएम तक अंतरण को सीमित करने के प्रस्ताव को फिर से तैयार करने के लिए राजविअ द्वारा हाल ही में एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) भी तैयार की गई है। इस प्रस्ताव पर 18.10.2022 को राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। टीएफआर को जनवरी, 2023 में पार्टी राज्यों को परिचालित किया गया है। टीएफआर पर हैदराबाद में क्रमशः 06.03.2023 और 10.11.2023 को आयोजित आईएलआर पर टास्क फोर्स की 17वीं और 18वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार, गोदावरी से 4189 एमसीएम जल के प्रस्तावित अंतरण के लिए गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक की डीपीआर को संशोधित किया गया था। इस मुद्दे पर 14.12.2023 को आयोजित रा.ज.वि.अ की 37वीं एजीएम में आगे विचार-विमर्श किया गया, जिसमें माननीय जल शक्ति मंत्री ने राज्यों से संशोधित प्रस्ताव पर व्यापक सोच के साथ आगे आने का अनुरोध किया।

हाल ही में, बेदती-वरदा लिंक परियोजना (4189 एमसीएम जल के पथांतरण के लिए) सहित गोदावरी (इंचमपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) की मसौदा डीपीआर 08.01.2024 को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित की गई थी।

5.1.3 संशोधित पारबती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत करना

28.01.2024 को पीकेसी-ईआरसीपी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

आईएलआर के एनपीपी के हिस्से के रूप में संशोधित पीकेसी लिंक को ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत बनाने और संशोधित पीकेसी लिंक के चरण- I को देश में प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं में से एक घोषित करने के प्रस्ताव को एससीआईएलआर ने दिसंबर, 2022 में आयोजित अपनी 20वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना का एक मसौदा पीएफआर और लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन जनवरी, 2023 में दोनों राज्यों (मध्य प्रदेश और राजस्थान) और सीडब्ल्यूसी को भेजा गया था। 23.02.2023 को राज्यों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई और बैठक के दौरान संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार करने का काम शुरू करने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित पीकेसी लिंक के मुद्दे पर टीएफआईएलआर की 17वीं बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया जो 06.03.2023 को हैदराबाद में आयोजित की गई थी।संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर की योजना और तैयारी के लिए 28.01.2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करार ज्ञापन का मसौदा भी दोनों राज्यों के साथ साझा किया गया है।

अध्याय 6

केन-बेतवा लिंक परियोजना

6.1 परिचय

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) एनपीपी के अंतर्गत प्रथम लिंक परियोजना है जिसके लिए कार्यान्वयन कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ होगा। इसके मुख्य घटकों में दौधन बांध, केन-बेतवा लिंक नहर और इसके सहायक कार्य (चरण-I) और तीन और परियोजनाएं नामत: लोअर ऑर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना (चरण-II) शामिल हैं। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में केबीएलपी कमांड में 2 नए बैराज और मौजूदा टैंकों का नवीनीकरण भी शामिल है।

6.2 वैधानिक मंजूरी

केबीएलपी (चरण-I) और केबीएलपी (चरण-II) की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें क्रमश: अगस्त, 2010 और जनवरी, 2014 में पूरी कर ली गई थीं। डीपीआर (चरण- I, II और व्यापक रिपोर्ट) पूरा करने के बाद लोअर ऑर बांध की पर्यावरणीय मंजूरी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से मंजूरी को छोड़कर अधिकांश वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना का सूचकांक मानचित्र

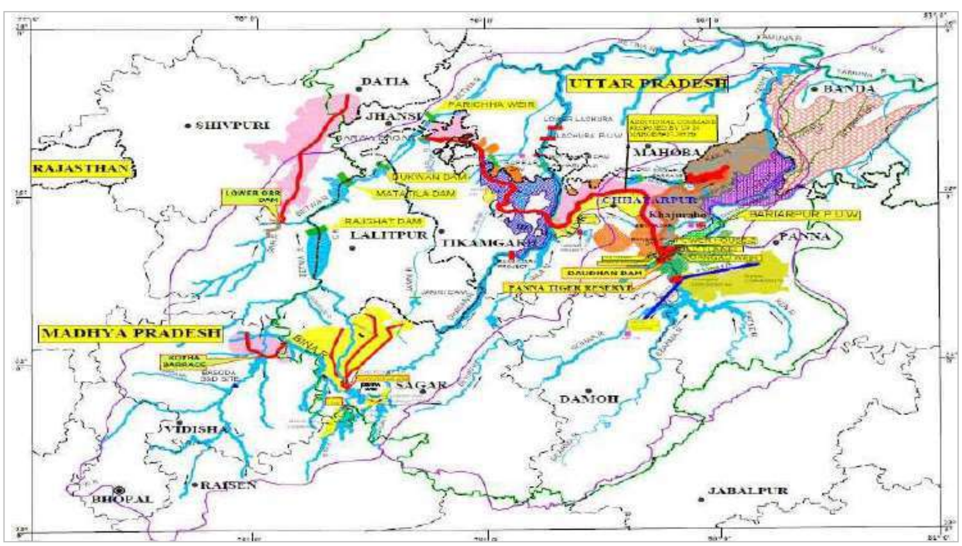

6.3 केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन

6.3.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (एमओए)

भारत के माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के साथ 22.03.2021 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

22.03.2021 को **केबीएलपी** के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

6.3.2 पीआईबी ज्ञापन

केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा पीआईबी मेमो भी तैयार किया गया है और मार्च 2021 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय को भेजा गया है। परियोजना के मूल्यांकन के लिए पीआईबी मेमो 20.05.2021 को विभिन्न मंत्रालयों के बीच परिचालित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 01.10.2021 को आयोजित अपनी बैठक में पीआईबी मेमो पर विचार किया है और कुछ शर्तों (पत्र संख्या 10 (04)/पीएफसी-1/2021 दिनांक 03.11.2021) के माध्यम से सिफारिश की है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

(i) 90(केंद्र): 10 (राज्य) वित्तपोषण पैटर्न दौधन बांध और केन-बेतवा लिंक नहर के लिए लागू होगा। जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत और बिजली घटक को छोड़कर केबीएलपी के इन घटकों के लिए पुनर्वास एवं पुनःस्थापना शामिल है।

(ii) भूमि अधिग्रहण की लागत और इन घटकों के लिए अनुसंधान एवं विकास सहित राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अन्य राज्य विशिष्ट घटकों का वित्तपोषण 60% केन्द्रीय अनुदान, राज्यों को 30% केन्द्रीय ब्याज वहन ऋण और 10% राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, इस केन्द्रीय ऋण को मानदंडों के अनुसार राज्यों को दी जा रही सामान्य उधार अनुमति के अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों तक सीमित होगी। भूमि अधिग्रहण पर कोई अन्य वृद्धि राज्यों द्वारा वहन की जा सकती है।

(iv) सभी सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां पूर्ण होने से पहले केवल प्रारंभिक कार्यों/स्वीकृतियों पर व्यय की अनुमति दी जाएगी।

(v) सिविल निर्माण कार्यों/प्रारंभिक कार्यों या स्वीकृतियों के अलावा किसी अन्य मद के लिए भारत सरकार से निधियां केवल तभी जारी की जाएंगी जब दोनों राज्यों में परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का कम से कम 80% अधिग्रहण कर लिया जाए।

(vi) केबीएलपी के लिए केंद्रीय वित्तपोषण परियोजना के पूरा होने के साथ समाप्त हो जाएगा।

(vii) केबीएलपी के पूरा होने के बाद परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सृजित विशेष प्रयोजन वाहन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

(viii) सभी निधियों को प्रस्तावित केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

(ix)विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

6.3.3 कैबिनेट नोट

पीआईबी की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय वित्त पोषण और एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना के लिए एक कैबिनेट नोट मंजूरी के लिए कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 08.12.2021 को केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ

44,605 करोड़ रुपये (2020-21 मूल्य स्तर) की कुल अनुमानित लागत के साथ केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है।
केंद्र और राज्यों के वित्तपोषण का हिस्सा निम्नानुसार हैः

क्रमांक	घटक	फंडिंग पैटर्न
1.	दौधन बांध और केन-बेतवा लिंक नहर और उनके सहायक कार्यों में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनः स्थापन की लागत शामिल है, जिसमें ऊर्जा घटक (केबीएलपी का कोर) शामिल नहीं है।	90 (केंद्रीय अनुदान): 10 (राज्यों का हिस्सा)
2.	उत्तर प्रदेश के 2 नए बैराजों, लोअर ऑर, कोठा बैराज और मध्य प्रदेश की बीना कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं को शामिल करने वाली राज्य विशिष्ट परियोजनाएं	60 (केंद्रीय अनुदान): 30 (केंद्रीय ऋण) : 10 (राज्यों का हिस्सा)

6.3.4 राजपत्र अधिसूचना

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में संचालन समिति के गठन के लिए राजपत्र अधिसूचना और केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन, केबीएलपीए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11.02.2022 को जारी की गई है।

6.3.5 केबीएलपीए के कार्यालय

31.03.2024 तक भोपाल, झांसी, छतरपुर और पन्ना (उप प्रभाग) में प्रभाग कार्यालय केबीएलपीए के तहत एक परियोजना सेल के साथ काम कर रहे हैं जो केबीएलपीए के संबंध में सहायता अनुदान के प्रबंधन के लिए रा.ज.वि.अ, मुख्यालय में गठित है और मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ की देखरेख में कार्य कर रहा है।

केबीएलपीए का मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है और इसका नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), केबीएलपीए करता है। सचिव, जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 21.07.2023 को केबीएलपीए (मुख्यालय) कार्यालय का उद्घाटन किया था । 31.03.2024 तक, रा.ज.वि.अ ने भोपाल और झांसी में दो मौजूदा प्रभागों को केबीएलपीए से जोड़ दिया है और केबीएलपीए के तहत छतरपुर और पन्ना में उप- प्रभाग खोला है।

6.3.6 केबीएलपीए का संगठनात्मक सेटअप

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केबीएलपीए को पांच अपर सीईओ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: एसीईओ (हेड वर्क्स), एसीईओ(पर्यावरण, पुनर्वास और पुनःस्थापना और भूमि अधिग्रहण) और भोपाल में एसीईओ (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल), झांसी में एसीईओ (नहर) और लखनऊ में एसीईओ (मुख्यालय / योजना)। केबीएलपीए के वित्तीय मामलों को भोपाल में एक निदेशक (वित्त) द्वारा देखा जाता है।

केबीएलपीए का संगठन चार्ट

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण के साथ कार्यालयों को संबद्ध करने का अनुरोध किया गया है। हैड वर्क्स और लिंक कैनाल के निष्पादन के लिए प्रस्तावित संरचना निम्नलिखित है।

केन-बेतवा लिंक के शीर्ष कार्यों के निष्पादन के लिए प्रस्तावित संरचना

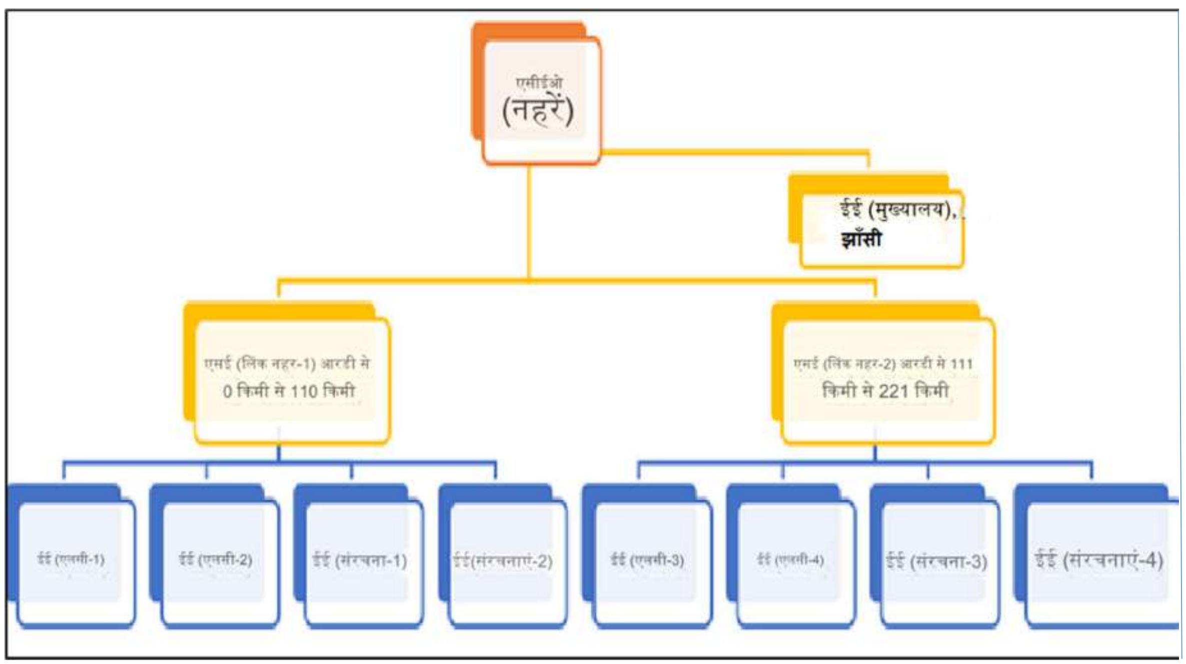

केबीएलपीए लिंक नहर के निष्पादन के लिए प्रस्तावित ढाँचा

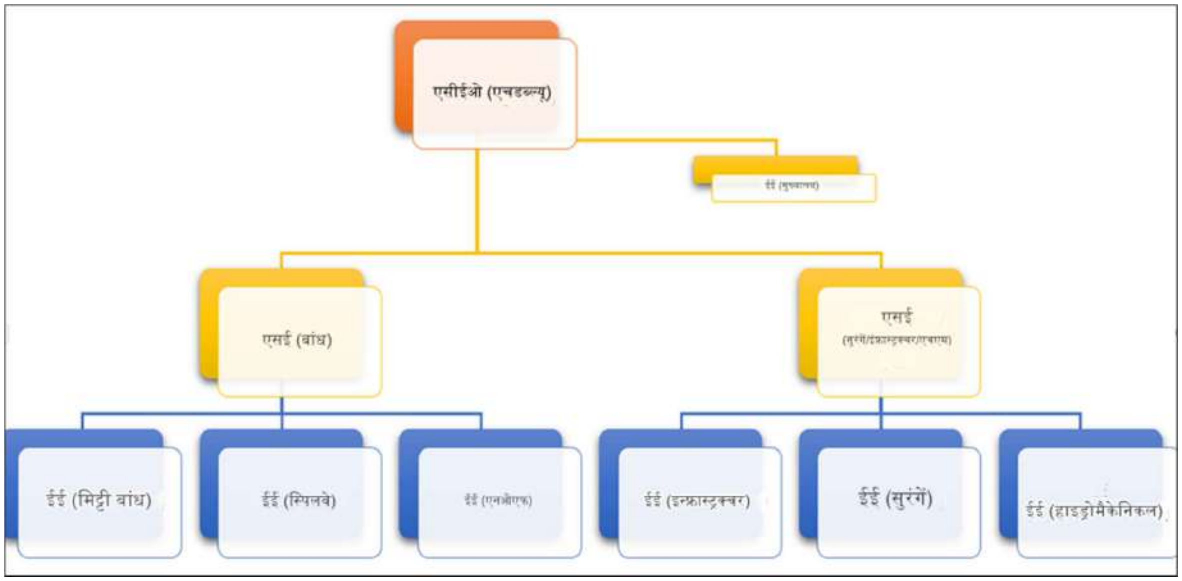

6.3.7 केबीएलपी (एससी-केबीएलपी) और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) की संचालन समिति का गठन

दिनांक 11 फरवरी 2022 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति और केबीएलपीए का गठन किया गया है। अब तक संचालन समिति की पांच बैठकें और केबीएलपीए की छह बैठकें आयोजित की गई हैं।

6.3.7.1 एससी-केबीएलपी की बैठकें

एससी-केबीएलपी की पहली,दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं बैठकें क्रमशः 07.04.2022, 20.07.2022, 18.01.2023, 05.06.2023 और 19.01.2024 को सचिव,जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और अध्यक्ष, एससी-केबीएलपी की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। पहली,दूसरी और तीसरी बैठकों के परिणाम पहले ही वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में दिए जा चुके हैं ।

6.3.7.2 एससी-केबीएलपी की चौथी बैठक

एससी-केबीएलपी की चौथी बैठक 05.06.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

एससी-केबीएलपी की चौथी बैठक 05.06.2023 को आयोजित की गई

बैठक के दौरान,तीसरी बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई, 2023-24 के लिए कार्य योजना, आरआर को अंतिम रूप देने और नियमित आधार पर प्राधिकरण के लिए सीईओ/एसीईओ/निदेशक (वित्त) की नियुक्ति, प्राधिकरण के उप-नियमों को अंतिम रूप देने, पीटीआर की एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन योजना को पूरा करने, ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का गठन और लैंडस्केप प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत, दौधन जलाशय के दूसरे चरण के वन मंज़ूरी के लिए अनुपालन, दौधन बांध के लिए सीमित क्षेत्र कार्य अनुमति, केबीएलपीए के कार्यालयों की स्थापना, पीएल 2020-21 में व्यापक डीपीआर का अद्‌यतन, पन्ना और छतरपुर जिलों में 21+1 गांवों के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनः स्थापन , पीटीआर से अतिरिक्त गांवों का स्थानांतरण, लिंक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना, एलएमपी और ईएमपी का कार्यान्वयन, पीएमसी की नियुक्ति सहित विभिन्न एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

समिति को बताया गया कि दौधन बांध की निविदाओं को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन के लिए मंत्रालय द्‌वारा एक निविदा मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। केबीएलपीए के लिए वित्तीय शक्तियों का मसौदा एनएमसीजी/नीरा के अनुरूप में तैयार किया गया है। संचालन समिति ने विचार-विमर्श के बाद वित्तीय शक्तियों के मसौदे पर सहमति व्यक्त की और केबीएलपीए की वित्तीय शक्तियों का मसौदा आईएफडी के परामर्श से अनुमोदन हेतु मंत्रालय को ई-फाइल में प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

समिति के अध्यक्ष ने शेष सभी डीपीआर को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई शुरू करने पर जोर दिया।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2023-24 के बजट अनुमान में भारत सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति केबीएलपीए के लिए विधिक सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्ताव से सहमत हो गई और प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सकता है।

6.3.7.3 एससी-केबीएलपी की 5वीं बैठक

एससी-केबीएलपी की पांचवीं बैठक 19.01.2024 को खजुराहो में आयोजित की गई थी। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया।

एससी-केबीएलपी की 5वीं बैठक 19.01.2024 को आयोजित की गई

बैठक के दौरान, विभिन्न एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें चौथी बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई, 2024-25 के लिए कार्य योजना, पन्ना और छतरपुर जिलों के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनः स्थापन ,पीटीआर से अतिरिक्त गांवों का स्थानांतरण, लिंक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना, आईएलएमपी और ईएमपी का कार्यान्वयन, परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति, शेष घटकों की डीपीआर तैयार करना और उन्हें अंतिम रूप देना, दौधन बांध और इसके सहायक कार्यों के लिए निविदा, केबीएलपीए के लिए वित्तीय शक्ति, जनशक्ति, इकाई-I के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय आयोजना, लोअर ऑर बांध परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति आदि शामिल हैं।

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि 5252.588 हेक्टेयर भूमि पीटीआर/वन विभाग के पक्ष में नामांतरण की गई है। अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि लोगों के विस्थापित होने से पहले पुनर्वास एवं पुनः स्थापन संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार हो जाए। अध्यक्ष महोदय

ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि निम्नलिखित के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए: i) वन विभाग/पीटीआर को हस्तांतरित/स्थानांतरित राजस्व भूमि का संयुक्त सत्यापन, ii) वन विभाग/पीटीआर को 6017 हेक्टेयर राजस्व और निजी भूमि का हस्तांतरण, iii) आर एंड आर योजना शीघ्र तैयार करना और आर एंड आर बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द तैयार करना और iv) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर के लिए निधि की आवश्यकता जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुरंत प्रस्तुत की जाएगी।

बैठक के दौरान, प्रधान सचिव,जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना और हट्टा लिफ्ट सिंचाई प्रणाली (एलआईएस) के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव का सुझाव दिया। अध्यक्ष ने जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और इसे रा.ज.वि.अ को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सीडब्ल्यूसी जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश के संशोधित प्रस्ताव की जांच कर सकता है और परिणाम पर अगली एससी-केबीएलपीए बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद यथोचित निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश और आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश अधिसूचना की प्रक्रिया में तेजी लाएं और लिंक नहर के भूमि अधिग्रहण के लिए बजट की मांग जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।

रा.ज.वि.अ को पीएमसी को काम पर रखने की प्रक्रिया को तेज करने और केबीएलपीए के सभी अपेक्षित कार्यालयों को जल्द से जल्द स्थापित करने का निर्देश दिया गया ।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अध्यक्ष ने महानिदेशक, रा.ज.वि.अ को भोपाल में सीडब्ल्यूसी डिजाइन इकाई खोलने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी के साथ एक बैठक निर्धारित करने का निर्देश दिया।

केन-बेतवा लिंक के कार्यान्वयन के लिए 2024-25 के बजट अनुमान में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों सहित सभी पणधारियों से 2024-25 के लिए रखे गए बजट प्रावधान पर ध्यान देने और बजट का उपयोग करने के लिए तदनुसार योजना बनाने के लिए कहा।

6.3.7.4 केबीएलपीए की बैठकें

केबीएलपीए की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी बैठकें क्रमशः 24.06.2022, 13.09.2022, 23.02.2023, 22.06.2023, 19.10.2023 और 27.02.2024 को श्री भोपाल सिंह महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और सीईओ, केबीएलपीए की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। पहली,दूसरी और तीसरी बैठकों के परिणाम पहले ही वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में दिए जा चुके थे।

6.3.7.5 केबीएलपीए की चौथी बैठक

केबीएलपीए की चौथी बैठक 22.06.2023 को भोपाल में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान केन-बेतवा लिंक की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई।

अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि केबीएलपीए परियोजना के लिए एक कार्यान्वयन अभिकरण है और इसलिए, त्रैमासिक लक्ष्य (विशिष्ट गतिविधियां) और प्राधिकरण की त्रैमासिक बैठक की योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने पर जोर दिया क्योंकि जब तक भूमि अधिग्रहण का 80 प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता, तब तक कार्य का व्यय नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों राज्यों द्वारा प्राधिकरण के पूर्ण कार्यालयों के साथ अगले 6 महीनों में सभी डीपीआर को स्थापित करने का लक्ष्य रखा जा सकता है।

केबीएलपीए की चौथी बैठक 22.06.2023 को आयोजित की गई

श्री शिशिर कुशवाहा, मुख्य अभियंता , जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में अच्छी प्रगति हुई है और चरण- II के तहत मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में, हेडवर्क्स लगभग पूरा हो गया है और नहर के हिस्से में काम प्रगति पर है। श्री आर पी सिंह, एसीईओ (सी), आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए एसएनए खाते खोले गए हैं, केन-बेतवा लिंक के लिए समर्पित कार्यालयों को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही स्थापित किए गए हैं। केन मेन कैनाल के जीर्णोद्धार की डीपीआर पूरी हो गई है और इसे एक सप्ताह में साझा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दबाव वाली सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है और प्रगति पर है।

बैठक के दौरान, यह बताया गया कि वाप्कोस द्वारा लोअर ऑर बांध की पर्यावरणीय मंजूरी के के संबंध में अतिरिक्त अध्ययन के लिए 27.00 लाख रुपये का अनुमान प्रस्तुत किया गया है और कार्य 16 महीनों में पूरा किया जाना है। कार्य सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। सदस्यों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि कार्य पूरा करने का समय बहुत लंबा है और यह राय व्यक्त की गई कि इसे घटाकर 6 माह किया जा सकता है।

दौधन बांध के लिए निविदा दस्तावेज के मसौदे को अंतिम रूप देने और प्रकाशन के लिए समय-सीमा के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि संभावित बोलीदाताओं के साथ बातचीत भोपाल में जुलाई, 2023 के मध्य के आसपास निर्धारित की जाएगी। इसके बाद, निविदा दस्तावेज का मसौदा संभावित बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। जुलाई, 2023 के अंत तक दौधन बांध के लिए मसौदा निविदा दस्तावेज जारी करने की योजना बनाई गई थी।

विचार-विमर्श के बाद भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन कार्यों के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए पन्ना में तत्काल एक उप प्रभाग खोलने का निर्णय लिया गया है।

6.3.7.6 केबीएलपीए की 5वीं बैठक

केबीएलपीए की 5वीं बैठक 19.10.2023 को झांसी में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान केन-बेतवा परियोजना की चौथी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान,चौथी बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को शामिल करने वाले विभिन्न एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया गया: दौधन बांध के लिए निविदा दस्तावेज के मसौदे को अंतिम रूप देना, लिंक नहर के लिए निविदा तैयार करना, दौधन जलाशय के दूसरे चरण की वन मंज़ूरी के लिए अनुपालन, 21 + 1 गांवों का भूमि अधिग्रहण, पीटीआर को सरकारी भूमि का अंतरण, पीटीआर से अतिरिक्त गांवों का स्थानांतरण, केबी लिंक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्वास एवं पुनः स्थापन की योजना और कार्यान्वयन, मध्य प्रदेश के चरण- II परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति, सर्वेक्षण, डीपीआर की अन्वेषण और तैयारी आदि।

केबीएलपीए की 5वीं बैठक 19.10.2023 को आयोजित की गई

एसीईओ (पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन और भूमि अधिग्रहण) ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण के लिए

6017 हेक्टेयर वन भूमि के पथांतरण के लिए 03.10.2023 को अंतिम मंजूरी दे दी है, जबकि मंजूरी/अनुमोदन प्रदान करते हुए, भारत सरकार ने कई शर्तें निर्धारित की हैं जिनका पालन राज्य सरकार और केबीएलपीए द्वारा किया जाना है।

बैठक के दौरान, यह बताया गया कि जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश और वन विभाग द्वारा दिनांक 29.09.2023 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत चरण-I वन मंजूरी के अनुपालन के अनुसार, 6017 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के खिलाफ कुल 6809 हेक्टेयर गैर-वन भूमि की पहचान की गई है। सीईओ, केबीएलपीए ने जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार से पीटीआर को उपयुक्त भूमि के अंतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।

एसीईओ (मुख्यालय/पी) ने बताया कि पन्ना के 8 गांवों और छतरपुर के 14 गांवों का संपत्ति सर्वेक्षण दिसंबर, 2022 में पूरा हुआ और पन्ना के सभी गांवों और संपत्तियों का मूल्यांकन जुलाई, 2023 में पूरा हुआ। पन्ना (8) और छतरपुर (14) जिलों में दौधन बांध के लिए 22 गांवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण के लिए धारा-21 के तहत नोटिस छतरपुर के लिए 25-26 जुलाई, 2023 को और पन्ना के लिए 04.08.2023 को जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13.09.2023 को दौधन बांध के जलमग्न क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए विशेष पुनर्वास एवं पुनः स्थापन पैकेज को मंजूरी दी गई है। एसीईओ (पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन और भूमि अधिग्रहण) ने भविष्य में किसी भी कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से पुनर्वास एवं पुनः स्थापन और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

दौधन बांध के लिए ईपीसी निविदा 11.08.2023 को सीपीपी पोर्टल पर जारी की गई है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां 27.11.2023 को खोली जाएंगी। सदस्य-सचिव ने प्राधिकरण को सूचित किया कि लोअर ऑर बांध के क्षति आकलन अध्ययन का कार्य 11.07.2023 को वाप्कोस को सौंप दिया गया है। अध्ययन की समयावधि 6 महीने की है।

6.3.7.7 केबीएलपीए की छठी बैठक

केबीएलपीए की छठी बैठक 27.02.2024 को भोपाल में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान केबीएलपीए की 5वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई और दौधन बांध के लिए भूमि अधिग्रहण और पीटीआर को भूमि अंतरण, 22 गांवों के पुनर्वास एवं पुनः स्थापन की स्थिति, दौधन बांध के लिए निविदा, जनशक्ति, घटक -1 की इकाई-1 के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय योजना, लिंक नहर के लिए भूमि अधिग्रहण, लिंक नहर के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करना, लोअर ऑर बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति, परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) सेवाओं को किराए पर लेने की स्थिति, पर्यावरण, वन, एमओटीए का अनुपालन, केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार किए गए हैं।

केबीएलपीए की छठी बैठक 27.02.2024 को आयोजित की गई

दौधन जलाशय और पीटीआर के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में, सदस्य-सचिव ने बताया कि 764.41 हेक्टेयर में से, 270 हेक्टेयर भूमि (सरकारी भूमि-197 हेक्टेयर, निजी भूमि-72 हेक्टेयर) को पीटीआर को हस्तांतरित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहचान की गई है और पीटीआर द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है। शेष भूमि (764.41 - 270 = 494 हेक्टेयर) का अधिग्रहण 15.03.2024 तक किया जाना है, जैसा कि 15.02.2024 को आयोजित जेएस, आरडी और पीपी, जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के साथ बैठक में निर्णय लिया गया था।

बैठक के दौरान, एसीईओ (एचडब्ल्यू) द्वारा यह सूचित किया गया कि दौधन बांध के निविदा दस्तावेज के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां 11.03.2024 को खोली जानी हैं। सीईओ, केबीएलपीए ने केबीएलपीए और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे दौधन बांध के लिए बोलियों के प्रसंस्करण और मूल्यांकन के लिए आसानी से उपलब्ध रहें। सीईओ, केबीएलपीए ने सुझाव दिया कि लिंक नहर के लिए निविदा दस्तावेज का मसौदा प्राधिकरण की अगली बैठक तक तैयार किया जाएगा।

सदस्य-सचिव ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईएसी ने दिनांक 20.12.2023 की अपनी बैठक में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना लोअर ऑर परियोजना के निर्माण शुरू होने के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के आकलन के लिए अतिरिक्त टीओआर अध्ययन की मंजूरी की सिफारिश की है और ईआईए अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए संशोधित ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

बैठक के दौरान, एसीईओ (मुख्यालय/पी) ने बताया कि पीएमसी की नियुक्ति के लिए जेवी/सी की शर्तों के साथ नया आरईओआई 12.01.2024 को जारी किया गया है। आरएफपी दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए सीईसी की 13वीं बैठक 29.02.2024 को नई दिल्ली में आयोजित की जाने

वाली है। सीईओ, केबीएलपीए ने इच्छा व्यक्त की कि कुशल प्रबंधन के लिए बांध निर्माण के लिए अवार्ड से पहले पीएमसी को रखने के लिए फास्ट ट्रैक कार्रवाई की जा सकती है।

6.3.8 केबीएलपीए का तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी-केबीएलपीए)

केबीएलपीए का एक तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी-केबीएलपीए) 26.08.2022 को गठित किया गया है, जिसमें श्री डी पी भार्गव, पूर्व निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी फरीदाबाद अध्यक्ष हैं, 9 सदस्य हैं और अपर सीईओ (नहर), केबीएलपीए सदस्य-सचिव हैं। केबीएलपीए के टीएजी का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए होगा और परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में विभिन्न योजना और तकनीकी मामलों पर प्राधिकरण की समीक्षा और सलाह देने के लिए एससी-केबीएलपीए के अनुमोदन और निदेश के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा। टीएजी-केबीएलपीए की पहली,दूसरी,तीसरी,चौथी,पांचवीं,छठी और सातवीं बैठकें क्रमशः 24.02.2023, 14-15.04.2023, 04.05.2023, 19.07.2023, 25.07.2023, 16-18.09.2023 और 17.02.2024 को श्री डीपी भार्गव, पूर्व निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। पहली बैठक का परिणाम पहले ही वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में दिया जा चुका था।

6.3.8.1 टीएजी-केबीएलपीए की दूसरी बैठक

टीएजी केबीएलपीए की दूसरी बैठक 14-15 अप्रैल, 2023 को खजुराहो में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान टीएजी केबीएलपीए की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई। 14.04.2023 के पूर्वाह्न में, टीएजी द्वारा दौधन बांध स्थल, गंगऊ वीयर और अन्य संरचनाओं का दौरा किया गया।

टीएजी-केबीएलपीए की दूसरी बैठक 14-15 अप्रैल, 2023 को आयोजित की जाएगी

बैठक के दौरान टीएजी की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर दौधन बांध के लिए निविदा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों/संशोधनों पर चर्चा की गई।

6.3.8.2 टीएजी-केबीएलपीए की तीसरी बैठक

टीएजी केबीएलपीए की तीसरी बैठक 04.05.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान टीएजी केबीएलपीए की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई।

टीएजी -केबीएलपीए की तीसरी बैठक 04.05.2023 को आयोजित की गई

सीईओ, केबीएलपीए ने समूह को सूचित किया कि पिछली बैठक में सुझाए गए संशोधनों को शामिल कर लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जल विज्ञान की समीक्षा की आवश्यकता नहीं थी और डिजाइन फ्लड को पहले की तरह रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदार को बांध के प्रकार (मिट्टी के बांध / रॉकफिल बांध) के लिए एक विकल्प दिया जाएगा। मुख्य अभियंता डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), सीडब्ल्यूसी ने अपना विचार व्यक्त किया कि बांध के प्रकार में किसी भी बदलाव का मूल्यांकन मूल्यांकन पीएओ, सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जा सकता है क्योंकि लागत प्रभावित होगी और लाभ-लागत अनुपात भी होगा। टीएजी की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर निविदा दस्तावेजों में किए गए परिवर्तनों/संशोधनों पर भी गहराई से चर्चा की गई।

6.3.8.3 टीएजी-केबीएलपीए की चौथी बैठक

टीएजी केबीएलपीए की चौथी बैठक 19.07.2023 को दौधन बांध के लेआउट पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

सीईओ, केबीएलपीए ने दौधन बांध के लेआउट के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तावित दो विकल्पों जिसमे : विकल्प (I) मिट्टी के बांधों के रूप में बाएं और दाएं फ्लैंकिंग संरचनाओं के साथ केंद्रीय स्पिलवे का प्रावधान और विकल्प (II) कंक्रीट एनओएफ ब्लॉक के रूप में बाएं फ्लैंकिंग संरचना के साथ

केंद्रीय स्पिलवे का प्रावधान और मिट्टी के बांध के रूप में दाएं फ्लैंकिंग संरचना पर संक्षेप में चर्चा की गई।श्री अनिल जैन, मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी ने विकल्प (II) के लाभों के बारे में बताया, अर्थात मिट्टी के बांध के स्थान पर बायीं ओर कंक्रीट एनओएफ ब्लॉक उपलब्ध कराना, जिससे बाद में तेजी से कार्यान्वयन और कम रखरखाव की आवश्यकता होगी।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, टीएजी द्वारा विकल्प (II) को अपनाने का निर्णय लिया गया। टीएजी ने इच्छा व्यक्त की कि प्रस्ताव को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुझाव से उपयुक्तता की जांच करने के लिए जीएसआई को भेजा जा सकता है।

6.3.8.4 टीएजी-केबीएलपीए की 5वीं बैठक

टीएजी केबीएलपीए की 5वीं बैठक 25.07.2023 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

टीएजी की चौथी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, दौधन बांध के लेआउट के लिए विकल्प (II) को अंतिम रूप दिया गया था। इस संबंध में, पणधारियों की बैठक 22जुलाई 2023 को भोपाल में आयोजित की गई थी और टीएजी पर विचार करने के लिए कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं। बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गई।

6.3.8.5 टीएजी-केबीएलपीए की छठी बैठक

टीएजी केबीएलपीए की छठी बैठक 18.09.2023 को खजुराहो में आयोजित की गई थी।

बैठक से पहले, टीएजी ने 16.09.2023 और 17.09.2023 को बरुआ सागर बांध, पारीछा वीयर, बरियारपुर पीयूडब्ल्यू और केन नहर प्रणाली का दौरा किया।

बैठक के दौरान, 25.07.2023 को आयोजित टीएजी की 5वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन, केन मुख्य नहर प्रणाली की बहाली और बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, पारीछा वियर और बरुसागर बांध के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण को शामिल करने वाले विभिन्न एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

6.3.8.6 टीएजी-केबीएलपीए की 7वीं बैठक

टीएजी केबीएलपीए की 7वीं बैठक 17.02.2024 को लखनऊ में आयोजित की गई थी।

टीएजी-केबीएलपीए की 7वीं बैठक 17.02.2024 को आयोजित की गई

टीएजी की बैठक से पहले, टीएजी-केबीएलपीए ने 10.02.2024 को बरियारपुर, पीयूडबल्यू और पारीछा वियर के लिए स्थापना की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए रामियल नदी, ढेंकनाल जिले पर स्थापित टॉप हिंगेड फ्लोट गेट का दौरा किया।

बैठक के दौरान, 18.09.2023 को आयोजित टीएजी की 6वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन, केन मुख्य नहर प्रणाली की बहाली, बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, पारीछा वीयर, बरवा सागर बांध की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण/रीमॉडलिंग सहित विभिन्न एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य अभियंता डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), सीडब्ल्यूसी ने सूचित किया कि मुख्य नहर और संरचनाओं के नमूना का विस्तृत डिजाइन आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। उत्तरप्रदेश नहर के डिजाइन और नवीकरण के लिए प्रस्तावित संरचनाओं की भी जांच करेगा। नहर के डिजाइन और इसकी संरचनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

टीएजी ने अपनी छठी बैठक में, स्थल दौरे के दौरान देखे गए गेटों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर विचार करते हुए, बरियारपुर पीयूडब्ल्यू और पारीछा वीयर के लिए इसके नवीनीकरण/संशोधन/प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था। इस संबंध में, विभिन्न विकल्पों का पता लगाया गया है और यह माना गया कि "टॉप हिंगेड फ्लोट गेट्स" एक विकल्प हो सकता है।

आई एंड डबल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश द्वारा पारीछा वीयर के डिजाइन पर एक प्रस्तुति दी गई थी। आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सूचित किया गया था कि वीयर का डिजाइन प्रेक्षित प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया था। मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी ने सूचित किया कि डिजाइन प्रेक्षित

प्रवाह के आधार पर नहीं बल्कि बाढ़ डिजाइन अध्ययन के आधार पर किया जाना है। आई एंड डबल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश सीडबल्यूसी के परामर्श से इसे आयोजित करने पर सहमत हुआ ।

6.3.9 परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति

दिनांक 20.06.2022 के आदेश के माध्यम से परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के लिए ईओआई, आरएफपी, मूल्यांकन मानदंड तय करने के लिए अनुबंध दस्तावेज, ईओआई का मूल्यांकन, तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों जैसे विभिन्न दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी के तहत परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) का गठन किया गया है। ईओआई का पहला मसौदा तैयार किया गया और 07.07.2022 को सीईसी के सभी सदस्यों को परिचालित किया गया। अब तक सीईसी की 13 बैठकें आयोजित की गई हैं।

सीईसी की पहली बैठक 12.07.2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भोपाल में केबीएलपीए की दूसरी बैठक में मसौदा ईओआई पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, एससी-केबीएलपीए के सुझावों को शामिल किया गया है। ईओआई को अंतिम रूप देने के लिए सीईसी की दूसरी बैठक 14.09.2022 को आयोजित की गई थी। 20.12.2022 को पुनर्गठित परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) के लिए आदेश जारी किए गए। सीईसी (पुनर्गठित) की तीसरी बैठक 03.01.2023 को आयोजित की गई और ईओआई को अंतिम रूप दिया गया। सीईसी की चौथी बैठक 05.04.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में ईओआई में भाग लेने वाली 9 फर्मों की पात्रता पर विस्तृत चर्चा की गई। सीईसी की 5वीं बैठक 27.04.2023 को आयोजित की गई जिसमें आरएफपी दस्तावेज पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा आरएफपी दस्तावेज में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया था। सीईसी की छठी बैठक 15.06.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में आरएफपी को अंतिम रूप देने के लिए प्रमुख विशेषज्ञ, गैर-प्रमुख विशेषज्ञ की योग्यता और मूल्यांकन मानदंड पर विस्तृत चर्चा की गई। सीईसी की 7वीं बैठक 17.08.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और प्रापण नीति प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार तीन फर्मों को पात्र पाया गया था और सीईसी द्वारा अनुरोध पत्र को शॉर्टलिस्ट करने और जारी करने की सिफारिश की गई थी। सीईसी की 8वीं बैठक 20.09.2023 और 22.09.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तीन शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों को 29.08.2023 को जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीईसी की 9वीं बैठक 21.11.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और सीईसी को वर्तमान ईओआई को रद्द करने और निम्नलिखित निर्णयों के साथ नए ईओआई को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की गई थी:

(क) मसौदा ईओआई और आरएफपी सीईसी को परिचालित किया जाएगा।

ख) बोली प्रक्रिया में जीईएम का उपयोग किया जा सकता है।

ग) नए ईओआई के साथ-साथ आरएफपी दस्तावेज जारी करने से पहले सीईसी से अंतिम रूप देने के बाद जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा।

सीईसी की 10वीं बैठक 30.11.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सीईसी ने वित्त मंत्रालय के नवीनतम अनुमोदित मॉडल निविदा दस्तावेज के अनुसार मसौदा ईओआई को अंतिम रूप दिया। ईओआई सीपीपी पोर्टल 12.01.2024 पर अपलोड किया गया था। सीईसी की 11वीं बैठक 29.01.2024 को आयोजित की गई थी। सीईसी की बैठक से पहले बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उसी दिन भाग लेने वाली फर्मों द्वारा कुछ मुद्दे/बिंदु उठाए गए थे। बैठक में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों/बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 02.02.2024 को आयोजित सीईसी की 12वीं बैठक में, फर्मों के प्रश्नों के उत्तर/स्पष्टीकरण के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। दिनांक 29.02.2024 को आयोजित सीईसी की 13वीं बैठक में जेवी/सी की शर्तों को शामिल करते हुए आरएफपी दस्तावेज के खंड में किए गए परिवर्तनों और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल निविदा दस्तावेज के अनुरूप किए गए परिवर्तनों पर चर्चा की गई। ईओआई 22.03.2024 को खोला गया था और कुल नौ फर्मों ने ईओआई जमा किया था। अध्यक्ष, सीईसी ने निर्देश दिया कि सहमति के अनुसार संशोधन आरएफपी दस्तावेज में किए जा सकते हैं और सीईसी सदस्यों द्वारा किए गए अवलोकन/सुझावों/टिप्पणियों के लिए 04.03.2024 तक बैठक के कार्यवृत्त के साथ प्रसारित किए जा सकते हैं और मंत्रालय के अनुमोदन के लिए दस्तावेज को आगे प्रस्तुत किया जा सकता है।

6.3.10 दौधन बांध पर ईपीसी निविदा के लिए निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी)

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध की निविदा के लिए 06.06.2023 को निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), केबीएलपीए अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। दौधन बांध की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) निविदा के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 09 बैठकें आयोजित की गई हैं। 06.07.2023 को आयोजित टीईसी की पहली बैठक में, दौधन बांध के लिए निविदा दस्तावेज के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की गई और टीईसी द्वारा निविदा दस्तावेज में कुछ बदलाव/संशोधन का सुझाव दिया गया। 28-29 जुलाई 2023 को आयोजित टीईसी की दूसरी बैठक में, टीईसी की पहली बैठक की सिफारिशों और दूसरी पणधारियों की बैठक और 5वीं टीएजी बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित मसौदा निविदा दस्तावेज टीईसी के समक्ष रखा गया और व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के साथ जाँच की गई। इसके अलावा, बैठक में साइट पर काम के घंटे, बोली सुरक्षा और ब्लैकलिस्टिंग/डिबारमेंट के मानदंड, बोली वैधता, प्रोक्यूरमेंट ऑफ वर्क के मैनुअल के संबंध में संयुक्त उद्यम के लिए शर्तें, जून 2022 आदि पर भी चर्चा की गई। टीईसी ने सिफारिश की कि बैठक में लिए गए संशोधनों के साथ निविदा दस्तावेज जारी किया जा सकता है। बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए टीईसी की चौथी और पांचवीं बैठकें क्रमशः 08.11.2023 और 15.12.2023 को आयोजित की गईं। बोलियां लगाने के लिए समय बढ़ाने के लिए कई बोलीदाताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर चर्चा करने के लिए 19.12.2023 को छठी बैठक आयोजित की गई थी। केबीएलपीए द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए टीईसी की 7वीं बैठक 02.01.2024 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, उपयुक्त

परिवर्तन जो बोलियों की समावेशी भागीदारी और गुणवत्ता के लिए सहायक हो सकते हैं, टीईसी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। टीईसी ने बिना किसी संशोधन या स्पष्टीकरण के वर्तमान निविदा में प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश की। टीईसी की 8वीं बैठक 16.01.2024 को जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12.01.2024 के पत्र द्वारा आयोजित की गई थी। टीईसी की 9वीं बैठक उसी दिन दूसरी पूर्व बोली बैठक के बाद 01.02.2024 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, समिति ने संभावित बोलीदाताओं द्वारा दिए गए सुझावों और प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया।

6.3.11 ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी)

ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) जिसमें कुल 11 जिले (मध्य प्रदेश के 08 जिले और उत्तर प्रदेश के 03 जिले) शामिल हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा तैयार की गई है। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल का गठन 27.02.2023 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) को निष्पादित करने के लिए किया गया था। जीपीएलसी की पहली बैठक 05.09.2023 को आयोजित की गई थी और परिषद ने एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी-10-वर्ष की अवधि) को मंजूरी दी और 01.10.2023 से योजना को लागू करने की सिफारिश की। एकीकृत अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र (आईआरएलसी) की स्थापना सहित आईएलएमपी के कार्यान्वयन के संबंध में कई अन्य निर्णय लिए गए थे। आईआरएलसी जीपीएलसी के लिए सचिवालय के रूप में भी काम करेगा। जीपीएलसी ने मध्य प्रदेश वन विभाग, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान को शामिल करते हुए एक उप-समिति का भी सुझाव दिया। उप-समिति ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के विभिन्न पणधारियों के साथ समन्वय करेगी और एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन पर गौर करेगी। अब तक उप-समिति की दो बैठकें आयोजित की गई हैं। आईएलएमपी कार्यान्वयन रणनीति की शुरुआत और आईआरएलसी की स्थापना पर चर्चा करने के लिए 17.10.2023 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। दूसरी 29.11.2023 को आयोजित की गई थी।

6.3.12 वर्तमान स्थिति

- वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के तहत बजट के आवंटन के साथ, परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में ₹3500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य बजट से 2256.51 करोड़ रुपये सहित परियोजना पर 8910.77 करोड़ रुपये (मार्च, 2024 तक) का कुल व्यय किया गया है। इस परियोजना को मार्च, 2030 तक पूरा करने की योजना है।

- श्री पंकज कुमार, तत्कालीन सचिव, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 21.07.2023 को भोपाल में केबीएलपीए के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। रा.ज.वि.अ ने भोपाल और झांसी स्थित दो मौजूदा प्रभाग कार्यालयों को केबीएलपीए के

साथ जोड़ दिया है। रा.ज.वि.अ ने केबीएलपीए के लिए छतरपुर में एक प्रभाग और पन्ना में एक उप-प्रभाग भी खोला है।

- दिनांक 11 फरवरी 2022 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति और केबीएलपीए का गठन किया गया है। संचालन समिति की पाँच बैठकें और केबीएलपीए की छह बैठकें मार्च 2024 तक आयोजित की जा चुकी हैं।

- केबीएलपीए (टीएजी-केबीएलपीए) का एक तकनीकी सलाहकार समूह 26.08.2022 को गठित किया गया है और इसकी पहली बैठक 24.02.2023 को आयोजित की गई थी। टीएजी-केबीएलपीए की मार्च 2024 तक सात बैठकें हो चुकी हैं।

- परियोजना के कार्यान्वयन में केबीएलपीए की सहायता करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) को काम पर रखने का प्रस्ताव है और इसके लिए गठित परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा पीएमसी की नियुक्ति के लिए आवश्यक तौर-तरीके शुरू किए गए हैं। आरएफपी चरण के लिए कुल 8 फर्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। केबीएलपीए के पीएमसी को शामिल करने के लिए आरएफपी दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया था। यह मंत्रालय के विचाराधीन है।

- मंत्रालय द्वारा 6 जून, 2023 को दौधन बांध कार्यों के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) का भी गठन किया गया है। दौधन बांध के लिए ईपीसी निविदा दस्तावेज को टीईसी द्वारा जुलाई, 2023 में अंतिम रूप दिया गया है और 11.08.2023 को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर जारी किया गया है। अब तक टीईसी की 9 बैठकें आयोजित की गई हैं। टीईसी की 9वीं बैठक 01.02.2024 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 05.03.2024 तक बढ़ाने और आगे 11.03.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दूसरा बोली पूर्व सम्मेलन 01.02.24 को भोपाल में आयोजित की गई थी।

- अन्य सहायक संरचनाओं के साथ दौधन बांध के लिए तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां 11.03.2024 को चालू की गईं। छह बोलीदाताओं ने भाग लिया है। बोलियों की जांच/मूल्यांकन प्रगति पर है।

- दिनांक 25.05.2017 के पत्र द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध और अन्य सहायक संरचनाओं के लिए रा.ज.वि.अ को चरण-I वन मंजूरी दी गई थी और चरण- II वन मंजूरी एमओईएफ एंड सीसी द्वारा 03.10.2023 को दी गई है।

- मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में 21+1 गांवों के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनः स्थापन की प्रक्रिया प्रगति पर है। पन्ना के सभी गांवों और संपत्तियों का मूल्यांकन जुलाई, 2023 में पूरा हुआ। जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश और वन विभाग मध्य प्रदेश

सरकार द्वारा दिनांक 29.09.2023 के पत्र द्वारा प्रस्तुत चरण-I वन स्वीकृति के अनुपालन के अनुसार, 6017 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के विरुद्ध कुल 6809 हेक्टेयर गैर-वन भूमि की पहचान की गई है। 19.01.2024 को एससी-केबीएलपीए की 5वीं बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श के अनुसार, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ने भूमि अधिग्रहण की स्थिति से अवगत कराया कि 5252.588 हेक्टेयर भूमि पीटीआर/वन विभाग के पक्ष में नामांतरण किया गया है।

- पन्ना टाइगर रिजर्व की एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट, सचिव, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 02.06.2022 को जारी की गई थी। आईएलएमपी के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का गठन किया गया है। इसकी पहली बैठक 05.09.2023 को आयोजित की गई थी। जीपीएलसी की उप-समिति का गठन 16.10.2023 को किया गया था और इसकी पहली और दूसरी बैठक क्रमशः 17.10.2023 और 29.11.2023 को आयोजित की गई थी।

- 21 गांवों में निजी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में भूमि अधिग्रहण पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए पीटीआर को अंतरण हेतु 6017 हेक्टेयर की कुल आवश्यकता की तुलना में 5252 हेक्टेयर सरकारी वनेत्तर भूमि पीटीआर के पक्ष में नामांतरित की गई है। संयुक्त सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजे का संवितरण पहले ही शुरू हो चुका है और इसे बहुत जल्द पूरा किए जाने की योजना है। छतरपुर जिले में निजी भूमि के मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं तथा पन्ना जिले में निजी भूमि के मुआवजे के रूप में 16 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
- लिंक नहर के संबंध में: मध्य प्रदेश के छतरपुर/टीकमगढ़/निवाड़ी जिलों के अंतर्गत 103 (98+5) गांवों के भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव जनवरी-फरवरी, 2024 के दौरान आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा-11(1) के तहत अधिसूचना के लिए संबंधित कलेक्टरों को प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धारा-11(1) के अंतर्गत 10 गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

- उत्तर प्रदेश के महोबा जिलों में मौजूदा टैंकों के नवीकरण के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है और प्रस्तुत कर दी गई है। मौजूदा केन कमान प्रणाली के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर आई एंड डबल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई है और लागत मूल्यांकन के लिए सीडबल्यूसी को प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश के अन्य शेष घटकों नामत: उत्तर प्रदेश में बरियारपुर पीयूडब्ल्यू के अनुप्रवाह में दो बैराजों, बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, पारीछा वीयर, बरवा सागर बांध और अन्य सहायक संरचनाओं आदि के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश के टैंकों के नवीकरण की डीपीआर तैयार कर ली गई है और प्रस्तुत कर दी गई है।

- लोअर ऑर बांध, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना जैसे राज्य-विशिष्ट घटकों पर कार्य पहले से ही प्रगति पर है।

मार्च, 2024 तक संचयी प्रगति (%)

लोअर ऑर : 65

कोठा बैराज: 58

बीना कॉम्प्लेक्स: 47

- राज्य विशिष्ट परियोजनाओं के लिए डीपीआर की स्थिति निम्नानुसार है:

क.उत्तर प्रदेश	
1. बरियारपुर पीयूडब्ल्यू के अनुप्रवाह में दो नए बैराजों के लिए डीपीआर	रा.ज.वि.अ में पैलानी बैराज की डीपीआर प्रगति पर है।
2. महोबा और मार्ग में टैंकों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर	डीपीआर का मसौदा उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत कर दिया गया है।
3. केन मुख्य नहर प्रणाली के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर	लागत मूल्यांकन के लिए सीडब्ल्यूसी को डीपीआर प्रस्तुत की गई थी।
4. बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, पारीछा वीयर, बरवा सागर बांध और अन्य सहायक संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत के लिए डीपीआर	आईएंडडब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश में डीपीआर तैयार की जा रही है।
5. (i) मौजूदा केन कमांड के तहत उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 1,92,479 हेक्टेयर में मौजूदा केन कमांड के तहत सिंचाई का स्थिरीकरण, ii) उत्तर प्रदेश के 17,488 हेक्टेयर मार्गवर्ती कमांड को सेवित करने के लिए केन बेतवा लिंक नहर से पंपिंग सिस्टम, पाइप वितरण नेटवर्क और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विकास और iii) उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रेशराइज़्ड पाइप माइक्रो सिंचाई प्रणाली के साथ 37,564 हेक्टेयर नए कमान क्षेत्र का विकास के लिए डीपीआर आईएंडडबल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जाए।	आईएंडडब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश में डीपीआर तैयार की जा रही है।
ख.मध्य प्रदेश	
1. मध्य प्रदेश की केन लेफ्ट बैंक कैनाल	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश में डीपीआर तैयार की जा रही है
2. मध्य प्रदेश की बरियारपुर लेफ्ट बैंक कैनाल	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश में डीपीआर तैयार की जा रही है

3. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के उच्च स्तरीय कमांड (43,678 हेक्टेयर) के एक हिस्से के लिए दौधन जलाशय/लिंक जल वाहक की प्रारंभिक पहुंच से जल उत्थापन पंपिंग सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लिए डीपीआर।	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश में डीपीआर तैयार की जा रही है
4. पन्ना और हट्टा लिफ्ट सिस्टम के लिए डीपीआर	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश में डीपीआर तैयार की जा रही है
5. मध्य प्रदेश के उच्च स्तरीय कमांड के 42,096 हेक्टेयर बचे हुए क्षेत्र और 96,751 हेक्टेयर मार्ग कमांड की सेवा के लिए केन-बेतवा लिंक नहर से पंपिंग सिस्टम, पाइप वितरण नेटवर्क और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लिए डीपीआर।	जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश में डीपीआर तैयार की जा रही है
6. मध्य प्रदेश के टैंकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए डीपीआर	रा.ज.वि.अ द्वारा जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश को मसौदा डीपीआर प्रस्तुत किया गया। इस पर टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

अध्याय - 7

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंत:-राज्य लिंक

7.1 अंतर-राज्यीय लिंक

तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय) ने जून, 2005 में बिहार जैसे राज्यों में अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की पहचान करने और राजविअ द्वारा ऐसे लिंको के पीएफआर/एफआर तैयार करने के अनुमोदन से अवगत कराया था। दिनांक 28-06-2006 को आयोजित राजविअ सोसायटी की विशेष सामान्य बैठक (एसजीएम) में प्राप्त अनुमोदन के बाद इस कार्य को राजविअ के कार्यों में जोड़ा गया। बाद में, वर्ष 2011 के दौरान, राजविअ के कार्यों में अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने को भी जोड़ा गया है।

राजविअ ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे राजविअ द्वारा आगे के अध्ययन करने के लिए अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के ब्यौरे सूचित करें। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान राज्यों और पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए थे। नागालैंड, मेघालय, केरल, पंजाब, दिल्ली और पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कोई अंत:राज्यीय लिंक परियोजना प्रस्ताव नहीं हैं। राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार हैः

7.1.1 महाराष्ट्र

क्रम संख्या	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	वैनगंगा (गोसीखुर्द) - नलगंगा (पूर्णा तापी)	वैनगंगा और नलगंगा	डीपीआर संशोधन के अधीन है
2.	वैनगंगा - मांजरा घाटी	वैनगंगा और मांजरा	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
3.	ऊपरी कृष्णा - भीमा (छह लिंक की प्रणाली)	कृष्णा और भीमा	पीएफआर पूर्ण
4.	दमनगंगा (एकदारे)- गोदावरी घाटी	दमनगंगा और गोदावरी	डीपीआर पूर्ण
5.(i)	ऊपरी वैतरणा-गोदावरी घाटी	वैतरणा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण
5.(ii)	दमनगंगा - वैतरणा-गोदावरी (कडवा देव) वादी	दमनगंगा, वैतरणा और गोदावरी	अंतिम डीपीआर पूर्ण
6.	उत्तर कोंकण - गोदावरी घाटी	पातालगंगा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
7.	कोयना - मुंबई शहर	कोयना	पीएफआर पूर्ण
8.	श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी) - पूर्णा - मंजीरा	गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा	पीएफआर पूर्ण

9.	वैनगंगा (गोसीखुर्द) - गोदावरी (एसआरएसपी)	वैनगंगा और गोदावरी	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस ले लिया गया
10.	मध्य कोंकण - भीमा घाटी	सावित्री, कुंडलिका, अम्बा और भीमा	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
11.	कोयना - नीरा	कोयना और नीरा	पीएफआर पूर्ण
12.	मुलसी - भीमा	मुलसी और भीमा	पीएफआर पूर्ण
13.	सावित्री - भीमा	सावित्री और भीमा	पीएफआर पूर्ण
14.	कोल्हापुर - सांगली - सांगोला	कृष्णा और भीमा	पीएफआर पूर्ण
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी जोड़ परियोजनाएं	तापी	पीएफआर पूर्ण
16.	नार - पार - गिरना घाटी	नार, पार और गिरना	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
17.	नर्मदा - तापी	नर्मदा और तापी	पीएफआर पूर्ण
18.	खरियागुट्टा-नवाथा सतपुड़ा तलहटी की पहाड़ियाँ	छोड़ दी गई	सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल पुनर्भरण योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा। रा.ज.वि.अ की टीएसी पीएफआर अध्ययनों के लिए स्वीकार नहीं की गई।
19.	खरिया घुटी घाट - तापी	छोड़ दी गई	
20.	जीगांव - तापी - गोदावरी घाटी	तापी और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)

7.1.2 गुजरात

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	दमनगंगा - साबरमती - चोरवाड़	दमनगंगा, साबरमती और चोरवाड़	पीएफआर पूर्ण डीपीआर का प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

7.1.3 ओडिशा

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	महानदी - ब्राह्मणी	महानदी और ब्राह्मणी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
2.	महानदी - रुशिकुलिया (बरमूल परियोजना)	महानदी और रुशिकुलिया	पीएफआर पूर्ण (सभी लाभ एमजी लिंक द्वारा लिए जाते हैं)
3.	वंशधारा - रुशिकुलिया (नंदिनी नाला परियोजना)	वंशधारा और रुशिकुलिया	पीएफआर पूर्ण
4.	नागवल्ली-रुशिकुलिया-वंशधारा	नागवल्ली, रुशिकुलिया और वंशधारा	पीएफआर पूर्ण

7.1.4 झारखंड

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	दक्षिण कोइल - सुबर्णरेखा	दक्षिण कोइल और सुवर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण
2.	शंख - दक्षिण कोइल	शंख और दक्षिण कोइल	पीएफआर पूर्ण
3.	बड़कर - दामोदर - सुबर्णरेखा	बड़कर, दामोदर और सुबर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण

7.1.5 बिहार

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	कोसी - मेची [पूरी तरह से भारत में स्थित है]	कोसी और मेची	डीपीआर पूरी हो गई है। पर्यावरण और निवेश मंजूरी दी गई। पीआईबी नोट का मसौदा बिहार सरकार को भेजा गया। कार्य डीपीआर तैयार करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2.	बाढ़ - नवादा	गंगा और किऊल	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
3.	कोहरा - चंद्रावत (अब कोहरा-लालबेगी)	कोहरा और चंद्रवत	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
4.	बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा	बूढ़ी गंडक, नून, बया और गंगा	सीडब्ल्यूसी ने विचार व्यक्त किया कि इस परियोजना को बाढ़ नियंत्रण परियोजना के रूप में विचार किया जाए। बिहार सरकार को सूचित किया गया।
5.	बूढ़ी गंडक- बागमती [बेलवाधार के माध्यम से]	बूढ़ी गंडक और बागमती	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
6.	कोसी - गंगा	कोसी और गंगा	पीएफआर पूर्ण
7.	बागमती सिंचाई और जल निकासी परियोजना-चरण- II (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के पास बैराज) और कोसी - अधवारा-बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देशीय परियोजना का विकास	कोसी, अधवारा और बागमती	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
8.	बक्सर में पंप नहर योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार को गंगा के जल का अंतरण	गंगा	प्रारंभ में, रा.ज.वि.अ ने कार्य शुरू करने की सहमति दी थी लेकिन बिहार सरकार से ब्यौरे प्राप्त होने के बाद यह पाया गया कि ये
9.	बड़ुआ-चंदन बेसिन का विकास	बड़ुआ और चंदन	

			अंत:राज्यीय लिंक नहीं हैं इसलिए अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं।
10.	सोन-फल्गु लिंक	सोन और फल्गु	प्रारंभिक अध्ययन किया गया (संभव नहीं पाया गया)

7.1.6 राजस्थान

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	माही - लूनी लिंक	माही और लूनी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
2.	वाकल - साबरमती - सेई - पश्चिम बनास - कमेरी लिंक	वकाल, साबरमती, सेई, पश्चिम बनास और कमेरी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)

7.1.7 तमिलनाडु

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	पोन्नैयार-पलार लिंक	पोन्नैयार और पलार	पीएफआर और डीपीआर पूर्ण

7.1.8 कर्नाटक

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	अलमट्टी (बागलकोट)-मालाप्रभा उप-बेसिन	अलमट्टी और मालप्रभा	प्रत्यक्षतः व्यवहार्य नहीं पाया गया
2.	मालप्रभा- तुंगभद्रा उप-बेसिन	मालाप्रभा और तुंगभद्रा	प्रत्यक्षतः व्यवहार्य नहीं पाया गया
3.	बेदती-धर्मा- वरदा लिंक	बेदती, धर्मा और वरदा	पीएफआर पूर्ण
4.	भद्रा-वेदवती (वाणी विलास सागर) लिंक	भद्रा और वेदवती	कर्नाटक सरकार ने एससीआईएलआर की 11वीं बैठक के दौरान दो प्रस्तावों को वापस ले लिया
5.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की योजनाओं का मोड़ (बारापोल-ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल और ऊपरी कावेरी	
6.	बेदती और अघनाशिनी से वरदा की ओर पथांतरण	अघनाशिनी और वरदा	पीएफआर पूर्ण

7.1.9 छत्तीसगढ़

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	पैरी-महानदी लिंक	पैरी और महानदी	पीएफआर पूर्ण

7.1.10 उत्तर प्रदेश

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव का नाम	संबंधित नदियां	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	शारदा-गोमती लिंक	शारदा और गोमती	पीएफआर पूर्ण

7.2 अंतराज्यीय लिंकों की पीएफआर/डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति

31.03.2024 तक, कुल 49 अंतराज्यीय लिंकों में से, रा.ज.वि.अ ने 39 लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। 49 अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं में से 19 परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं पाई गई हैं अथवा रा.ज.वि.अ की टीएसी द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं। संबंधित राज्यों द्वारा तीन प्रस्ताव वापस ले लिए गए हैं।

अंतराज्यीय लिंक परियोजनाओं नामत:(i) बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा और (ii) बिहार की कोसी-मेची, (iii) तमिलनाडु का पोन्नैयार-पालार और (iv) वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णतापी) (v) दमनगंगा (एकदारे)-गोदावरी लिंक, (vi) महाराष्ट्र के दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। अंतराज्यीय लिंक परियोजनाओं की विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्रमांक	लिंक परियोजना का नाम	संबंधित राज्य/नदियाँ	31.03.2023 तक डीपीआर की स्थिति
1.	बूढ़ी गंडक - नून- बाया - गंगा	बिहार/बूढ़ी गंडक, नून, बाया और गंगा	डीपीआर पूरी कर ली गई है और बिहार सरकार को भेज दी गई है। सीडब्ल्यूसी के तकनीकी मूल्यांकन ने लिंक परियोजना को बाढ़ योजना के रूप में मानने का सुझाव दिया है और इसकी सूचना रा.ज.वि.अ द्वारा दिनांक 14.03.2017 के पत्र द्वारा बिहार सरकार को दे दी गई है।
2.	कोसी - मेची	बिहार/कोसी और मेची	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई है और तकनीकी-आर्थिक स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं बशर्ते कि सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्रस्तुत कर दी गई हों। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ईसी अगस्त, 2019 में प्रदान की गई थी और 22.10.2020 को जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति द्वारा निवेश मंजूरी दी गई थी। पीआईबी नोट का मसौदा बिहार सरकार को भेजा गया। कार्यशील डीपीआर तैयार करने के लिए

			बिहार सरकार के साथ 24.12.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो प्रगति पर है।
3.	पोन्नैयार (नेदुंगल)_ - पलार	तमिलनाडु / पोन्नैयार और पलार	संबंधित राज्यों को अगस्त 2018 को डीपीआर और 2011 को पीएफआर परिचालित किया गया।
4.	वैनगंगा (गोसीखुर्द) - नलगंगा (पूर्णा तापी)	महाराष्ट्र/ वैनगंगा और नलगंगा	जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणियों के अनुसार डीपीआर में आशोधन प्रगति पर है।
5.	दमनगंगा (एकदारे) - गोदावरी	महाराष्ट्र/ दमनगंगा और गोदावरी	अंतिम डीपीआर पूरी हो गई और 15.12.2023 को जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की गई।
6.	दमनगंगा - वैतरणा - गोदावरी (कड़वा देव)	महाराष्ट्र/ दमनगंगा, वैतरणा और गोदावरी	अंतिम डीपीआर 28.03.2024 को जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की गई।

7.3 अंत:राज्यीय लिंकों की पीएफआर/एफआर/डीपीआर तैयार करने की समग्र स्थिति

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टों/व्यवहार्यता रिपोर्टों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के संबंध में सुझाए गए अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों की समग्र स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है.

7.4 अंत:-राज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण प्रदान करना

अंत:राज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिनांक 19.05.2011 के संकल्प और दिनांक 11.06.2011 की राजपत्र अधिसूचना के तहत रा.ज.वि.अ के कार्यों/अधिदेश में जोड़ा गया था। तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने दिनांक 01.12.2015 के अपने पत्र संख्या 2/12/2015-बीएम/2217 के माध्यम से अंत:-राज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के वित्तपोषण के संबंध में निम्नलिखित निर्णय से अवगत कराया था: "रा.ज.वि.अ को आम तौर पर अंतर-राज्यीय नदी लिंक परियोजना डीपीआर तक सीमित रहना चाहिए। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा कार्य सौंपा गया हो तो वे अंत:राज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं को केवल परामर्शी कार्यों के रूप में शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार के निधि का उपयोग अंत:राज्यीय नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के उपर्युक्त निर्णय/निर्देश को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ द्वारा भावी परियोजनाओं के लिए अंत:राज्यीय लिंक की डीपीआर तैयार करने की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

यहां, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रा.ज.वि.अ ने पहले ही अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की पांच डीपीआर तैयार कर ली हैं और महाराष्ट्र की एक अंत:राज्यीय लिंक परियोजना (वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णतापी)] की डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य उल्लिखित निर्णय के अनुसार परामर्शी आधार पर किया जाएगा।

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार ने कोसी-मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई निवेश मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया, बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने और बिहार की अंत:-राज्य लिंक परियोजना के लिए 90 (केंद्र): 10 (राज्य) पर वित्त पोषण पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बिहार के उन अंत:राज्यीय लिंकों की एक बार फिर समीक्षा की जानी चाहिए जिन्हें रा.ज.वि.अ द्वारा व्यवहार्य नहीं पाया गया था, जिसके लिए बिहार सरकार सभी सहायता प्रदान करेगी।

सचिव, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर दिया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर यथासंभव सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

अध्याय - 8

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गतिविधियां

8.1 पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत नाबार्ड फंडिंग

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत बड़ी और मध्यम सिंचाई (एमएमआई)/बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई के हर खेत को जल(एचकेकेपी) के अंतर्गत वित्त पोषित किया जा रहा है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के सृजन की घोषणा की, जिसमें भारत सरकार के बजटीय संसाधनों, नाबार्ड द्वारा जुटाए जाने वाले बाजार उधार आदि के माध्यम से योगदान के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष का योगदान दिया जाएगा। बदले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और वित्तपोषण व्यवस्थाओं के लिए एक मिशन की स्थापना के लिए तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलटीआईएफ का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यों सहित अभिनिर्धारित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अक्टूबर 2017 में पीएमकेएसवाई की निगरानी और प्रबंधन के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए वाप्कोस लिमिटेड के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तदनुसार, वाप्कोस लिमिटेड द्वारा एक पीएमयू स्थापित किया गया है। मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली की अध्यक्षता में पीएमयू को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के दिनांक 03.05.2018 के पत्र के अंतर्गत एक परामर्शी निगरानी समिति (सीएमसी) का भी गठन किया गया था। इससे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड के वित्तपोषण और राज्य को केंद्रीय सहायता (सीए) जारी करने की प्रक्रिया को संसाधित करने और सिफारिश करने में मदद मिलेगी।

8.1.1 प्रस्ताव की प्रक्रिया

पीएमयू केंद्रीय सहायता की आगे जारी करने की पात्रता के संबंध में तीसरे पक्ष और केन्द्रीय जल आयोग की निगरानी रिपोर्टों के आधार पर व्यापक नोट तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड को राज्य के हिस्से को जारी करने के संबंध में भी सिफारिशें की जा रही हैं।

8.1.2 राज्यों को निधियां जारी करना

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नाबार्ड के वित्तपोषण के माध्यम से राज्यों को प्रदान किए जाने वाले केंद्रीय सहायता के लिए पासथ्रू विंडो के रूप में कार्य कर रहा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि नाबार्ड से प्राप्त निधियों को नाबार्ड से प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर परियोजनाओं के लिए जारी किया जाए ताकि निधियाँ बेकार न पड़ी रहे।

8.1.3 थर्ड पार्टी निगरानी

मिशन में प्राप्त संयुक्त प्रस्तावों के आधार पर, तीसरे पक्ष की निगरानी दौरे की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि अगली किस्त जारी करने से पहले ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध हों। इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियोजित दौरों को ध्यान में रखते हुए तीसरे पक्ष के दौरों की योजना बनाई गई थी।

रा.ज.वि.अ की पहचान एलटीआईएफ से संसाधन उधार लेने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने और प्राथमिकता प्राप्त पीएमकेएसवाई-एआईबीपी (एमएमआई) परियोजनाओं और उनके सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए की गई है ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इन परियोजनाओं में केंद्रीय हिस्सेदारी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर तत्कालीन जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, (अब जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय) रा.ज.वि.अ और नाबार्ड द्वारा दिनांक 06.09.2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

8.1.4 पीएमकेएसवाई के तहत 31मार्च, 2024 तक निधि संवितरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत राज्यों को कोई निधि जारी नहीं की गई है। रा.ज.वि.अ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत 3768.17 करोड़ रुपये के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान किया था।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत रा.ज.वि.अ द्वारा विभिन्न राज्यों को 31.03.2024 तक जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)				
क्रमांक	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल किए गए राज्यों के नाम	2022-23 तक जारी की गई निधि	वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधि	31.03.2024 तक जारी कुल निधि
1.	आंध्र प्रदेश	91.8100	0.0000	91.8100
2.	असम	7.5500	0.0000	7.5500
3.	बिहार	146.0633	0.0000	146.0633

4.	छत्तीसगढ़	62.7896	0.0000	62.7896
5.	गोवा	3.8400	0.0000	3.8400
6.	गुजरात	5635.4553	0.0000	5635.4553
7.	जम्मू और कश्मीर	46.2522	0.0000	46.2522
8.	झारखंड	756.7300	0.0000	756.7300
9.	कर्नाटक	1183.3170	0.0000	1183.3170
10.	केरल	2.6900	0.0000	2.6900
11.	मध्य प्रदेश	811.1150	0.0000	811.1150
12.	महाराष्ट्र	1796.7866	0.0000	1796.7866
13.	मणिपुर	228.3540	0.0000	228.3540
14.	ओडिशा	1340.8247	0.0000	1340.8247
15.	पंजाब	277.9460	0.0000	277.9460
16.	राजस्थान	509.9450	0.0000	509.9450
17.	तेलंगाना	673.8640	0.0000	673.8640
18.	उत्तर प्रदेश	1553.9120	0.0000	1553.9120
परियोजनाओं का नाम				
19.	पोलावरम परियोजना	10650.1600	0.0000	10650.1600
20.	उत्तर कोइल परियोजना	721.2200	0.0000	721.2200
कुल योग		**26500.6247**	**0.0000**	**26500.6247**

योजना के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, रा.ज.वि.अ के तहत पीएमयू प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में सूचना के अद्यतन के साथ-साथ निगरानी दौरों के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय में काम कर रहा था। पीएमयू परियोजना विशिष्ट सूचना/संबंधित एमआईएस को अद्यतन करने के लिए प्रत्येक परियोजना के नोडल अधिकारी के साथ सीधे अथवा सीडब्ल्यूसी के माध्यम से समन्वय कर रहा था।

अध्याय - 9

रा.ज.वि.अ की वेबसाइट

रा.ज.वि.अ ने प्रारंभ में सितम्बर, 2005 में अपनी वेबसाइट https://www.nwda.gov.in शुरू की थी। बाद में, इसे और अधिक संवादात्मक बनाने और ई-गवर्नेंस को शामिल करने, दिव्यांग अनुकूल मॉड्यूल बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया और अक्टूबर 2017 में पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट लॉन्च की गई। इसे द्विभाषी बनाया गया है और यह रा.ज.वि.अ के कार्यों और गतिविधियों, तकनीकी अध्ययनों और संबंधित मामलों को प्रस्तुत कर रही है जो पणधारियों और आम जनता के लिए उपयोगी है।

एनपीपी के नदी विकास के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पहचान की गई और प्रस्तावित 14 लिंक परियोजनाओं, अंतर्राज्यीय 6 डीपीआर और अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की 4 डीपीआर की व्यवहार्यता रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है। इसके अतिरिक्त, एनपीपी के नदी विकास के हिमालयी घटक के अंतर्गत आने वाली अंतर्राज्यीय लिंक परियोजनाओं और भारत सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों की संक्षिप्त झलक भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। केन-बेतवा लिंक परियोजना का अलग लिंक भी जोड़ा गया है क्योंकि केबी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

रा.ज.वि.अ वेबसाइट का होम पेज

वेबसाइट के अन्य महत्वपूर्ण लिंक हैं: हमारे बारे में, रा.ज.वि.अ कार्यालयों का स्थानवार विवरण, रा.ज.वि.अ के प्रत्येक कार्यालय के कार्यक्रम और कर्मचारियों की संख्या के विवरण पर प्रकाश डालने वाला संगठन चार्ट, रा.ज.वि.अ अध्ययन, सूचना का अधिकार अधिनियम, रिक्तियां, निविदाएं, ई-गवर्नेंस, पीएमकेएसवाई / एआईबीपी, आई.एल.आर. के लिए विशेष समिति, जिसमें इसकी उप-समितियों, समूहों

और टास्क फोर्स आदि पर सब-लिंक, नागरिक चार्टर, आई.एल.आर. से संबंधित मामले, प्रकाशन आदि।होम पेज अपने द्विभाषी पेजों, रा.ज.वि.अ के ट्विटर और फेसबुक अकाउंटों, स्क्रीन रीडर एक्सेसिबिलिटी आदि के लिए लिंकेज भी प्रदान करता है।

रा.ज.वि.अ परिवेश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर सचित्र दृश्य भी बैनर/फोटो गैलरी अनुभागों के अंतर्गत रखे गए हैं। एक समर्पित ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है जिसके माध्यम से रा.ज.वि.अ के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संक्षिप्त प्रोफाइल अपलोड किए गए हैं और उन्हें दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।

अध्याय - 10

रा.ज.वि.अ की अन्य गतिविधियाँ

10.1 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ

रा.ज.वि.अ में प्रशिक्षण और ज्ञान के आदान-प्रदान को विशेष महत्व दिया जाता है। 2023-24 के दौरान, मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में, रा.ज.वि.अ के अधिकारियों को जल संसाधन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर संचालन, लेखांकन, प्रबंधन आदि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।
रा.ज.वि.अ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों /सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि का विवरण **अनुलग्नक-II में दिया गया है।**

10.2 दिव्यांगजनों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन

रा.ज.वि.अ में दिव्यांगजनों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है:

1. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का क्रियान्वयन किया जाता है।
2. ऐसे व्यक्तियों के लिए सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आशुलिपिक ग्रेड -II, प्रारूपकार ग्रेड -III, हिंदी अनुवादक, चालक ग्रेड-III, प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और एमटीएस पदों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ग "ग" के भीतर वर्ग "ग" में एमटीएस से उच्चतर वेतनमानों तक जहां भी लागू हो, पदोन्नति में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

10.3 रा.ज.वि.अ का नागरिक चार्टर

रा.ज.वि.अ के लिए नागरिक चार्टर (सीसी) में रा.ज.वि.अ की प्रस्तावना, व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना, गतिविधियां, शिकायत निवारण तंत्र, हितधारक आदि शामिल हैं। मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को लोक शिकायत अधिकारी और निदेशक (तकनीकी) को नागरिक चार्टर के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। चार्टर का विवरण रा.ज.वि.अ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

10.4 महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए समिति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, रा.ज.वि.अ में कार्यरत

महिलाओं की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति कार्य कर रही है।
समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्रीमती दीप्ति वर्मा , उप निदेशक, मुख्य अभियंता (उ), कार्यालय लखनऊ	पीठासीन अधिकारी
2.	श्रीमती विनीता शर्मा, सहायक निदेशक (एच), नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. आर. मेलिथा , प्रतिनिधि, नारी रक्षा समिति , एनजीओ, 2, राज निवास मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली 110054	सदस्य
4.	श्री एमपी कृष्णामूर्ति, एडी/एईई, नई दिल्ली	सदस्य

समिति ने आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने निष्कर्ष मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ को प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2023-2024 के दौरान, रा.ज.वि.अ की किसी भी महिला कर्मचारी से समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राजविअ की महिला कर्मचारियों ने 08.03.2024 को महानिदेशक, राजविअ की अध्यक्षता में "इन्वेस्ट इन वुमेन: एक्सिलीरेट प्रोग्रैस " विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 मनाया।

10.5 सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और कौमी एकता एकता सप्ताह

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए 19 से 25 नवंबर, 2023 तक कौमी एकता सप्ताह के साथ सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान रा.ज.वि.अ के सभी कर्मचारियों को "राष्ट्रीय एकता शपथ" दिलाई गई। कार्यालय परिसर में द्विभाषी पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

10.6 आंतरिक पत्रिका 'जल विकास' का प्रकाशन

रा.ज.वि.अ, की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने की दृष्टि से अक्तूबर, 1991 से एक त्रैमासिक आंतरिक बुलेटिन 'जल विकास' प्रकाशित कर रहा है। बुलेटिन में प्रासंगिक पहलुओं जैसे मीडिया में जल संसाधन शीर्षक के अंतर्गत जल संसाधन मुद्दों से संबंधित समाचार की क्लिपिंग, संसदीय चर्चाएं, जो ''संसद में आईएलआर'' कवरेज के अंतर्गत देश में आईएलआर के संबंध में संसद

के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) में हो रही हैं, रा.ज.वि.अ की मुख्य पेशेवर गतिविधियों को शामिल करने के लिए ''रा.ज.वि.अ की झलक'', रा.ज.वि.अ में हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में रा.ज.वि.अ अधिकारियों की नियुक्तियों/प्रौन्नति/सेवानिवृत्ति, रा.ज.वि.अ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों/संगोष्ठियों और 'हिंदी के बढ़ते कदम' के बारे में जानकारी आदि विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जल विज्ञान, भूजल, सिंचित कृषि, सतही जल विकास और आयोजना और अन्य संबंधित कार्यक्रमों, जो रा.ज.वि.अ उद्देश्य/कार्यों के दायरे में आ रहे हैं, के विषयों को शामिल करते हुए बहु-विषयक पहलुओं पर तकनीकी लेख भी प्रकाशनों में शामिल हैं।

आंतरिक त्रैमासिक मुद्दों (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर) को विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों और अन्य संबंधित संगठनों के जल संसाधन अभियन्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच प्रकाशित और वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अक्तूबर अंक को विशेष रूप से हिंदी में 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

10.7 स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान एक मिशन है जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य देश की सड़कों, गलियों और बुनियादी ढांचे की सफाई बनाए रखना है। माननीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को राजघाट , नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर इस मिशन की शुरुआत की थी । यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों सहित लगभग 3 मिलियन सरकारी कर्मचारियों ने स्वच्छता गतिविधियों में " स्वच्छता पखवाड़ा " के रूप में विभिन्न मंत्रालयों के नेतृत्व में भाग लिया। मंत्रालय के निर्देशों का पूरे गर्व के साथ अनुपालन करते हुए, स्वच्छता पखवाड़ा 16 मार्च से 31 मार्च 2024 तक रा.ज.वि.अ मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

इसी क्रम में रा.ज.वि.अ में आयोजित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- रा.ज.वि.अ, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा " स्वच्छता जागरूकता" रैलियां आयोजित की गईं।
- दिनांक 27.03.2024 को रा.ज.वि.अ, अन्वेषण प्रभाग ,लखनऊ द्वारा प्राथमिक विद्यालय, गोमती नगर, लखनऊ , उत्तर प्रदेश में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- स्वच्छता पखवाड़ा के एक भाग के रूप में रा.ज.वि.अ, मुख्यालय द्वारा वृक्षारोपण किया गया।
- पखवाड़े के दौरान कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों और पार्कों की सफाई, फर्नीचर, स्क्रैप का निपटान आदि किया गया ।
- स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत रा.ज.वि.अ, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यशालाओं

का आयोजन किया गया।

- अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ चेन्नई और पटना द्वारा 28.03.2024 को “जल बचाओ” पर हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया है।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत गतिविधियों की झलकियां

21.03.2024 **को राजविअ (मुख्यालय) द्वारा वृक्षारोपण।**

आईएसडी, केबीएलपीए, पन्ना द्वारा 22.03.2024 **को स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।**

राजविअ, लखनऊ द्वारा 27.03.2023 **को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।**

28.03.2024 **को राजविअ, चेन्नई द्वारा हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया।**

10.8 रा.ज.वि.अ के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं/कनिष्ठ अभियंताओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

रा.ज.वि.अ के नवनियुक्त सहायक अभियंताओं/कनिष्ठ अभियंताओं के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), पुणे में 17.04.2023 से 28.04.2023 तक एक प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और श्री सुशील कुमार, मुख्य अभियंता, एनडब्ल्यूए ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस अवसर पर शामिल लोगों को संबोधित किया। श्री जी श्रीनिवासुलु , उप निदेशक, एनडब्ल्यूए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक थे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, रा.ज.वि.अ, एनडब्ल्यूए, सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनआईएच और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने पीएफआर/एफआर/डीपीआर की तैयारी और एनपीपी, आईएलआर-क केस स्टडी, जल संसाधन परियोजना का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण की नवीनतम तकनीकों, महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना का सिस्टम अध्ययन - केस स्टडी, और मोडफ्लो, डबल्यूईएपी, एमआईकेई हाइड्रो, जीसीएम जैसे नवीनतम सॉफ्टवेयरों के उपयोग सहित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए। पिरंगुट-लवासा रोड पर टेमघर बांध और लवासा का क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया गया था, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा स्पिलवे, निरीक्षण गैलरी और स्लुइस गेट जैसे बांधों के विभिन्न घटकों के बारे में बताया गया था। योग सत्र भी कार्यक्रम का हिस्सा था। समापन समारोह के दौरान, सभी सहायक अभियंताओं/कनिष्ठ अभियंताओं को प्रमाण पत्र दिए गए।

अध्याय - 11

रा.ज.वि.अ में सतर्कता गतिविधियाँ

11.1 परिचय

रा.ज.वि.अ की सतर्कता शाखा का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, श्री बालेश्वर ठाकुर, रा.ज.वि.अ में अंशकालिक सीवीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। रा.ज.वि.अ में सीवीओ की भूमिका न केवल संगठन में भ्रष्टाचार और अन्य गैरकानूनी कदाचार के मामलों का पता लगाने के लिए है, बल्कि भ्रष्टाचार के बाद के दोषियों की पहचान करने के साथ साथ निवारक उपाय करने के लिए भी है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सीवीओ ने मोटे तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित किया:

1. भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश को समाप्त करने या कम करने के उद्देश्य से संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जांच करना।
2. संगठन में संवेदनशील/भ्रष्टाचार प्रवण स्थानों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्र में तैनात कर्मियों पर नजर रखना।
3. योजना और प्रणाली विफलताओं और भ्रष्टाचार या कदाचार के अस्तित्व का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निरीक्षण को लागू करना।
4. संदिग्ध अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना और
5. आचरण नियमों का शीघ्र पालन सुनिश्चित करना।

11.2 सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले

31.03.2024 तक सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों की स्थिति।

1. दो (02) शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
2. इनके अलावा कुछ और शिकायतें भी प्राप्त हुईं, जो छद्म नाम से थीं।
3. सतर्कता से संबंधित सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न केन्द्रीय सतर्कता आयोग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित प्राधिकारियों को समय-समय पर प्रस्तुत किए गए। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का रा.ज.वि.अ में पालन किया जा रहा है।

11.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

रा.ज.वि.अ में 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस संबंध में 30 अक्टूबर, 2023 को महानिदेशक, रा.ज.वि.अ द्वारा रा.ज.वि.अ (मुख्यालय), नई दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को हाइब्रिड मोड के माध्यम से एक “शपथ” दिलाई गई। सीवीसी के दिनांक 11.09.2023 के परिपत्र संख्या 08/09/2023 ,के निर्देशों के अनुसार मुख्यालय कार्यालय और इस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार की बुराइयों को उजागर करने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। दिनांक 03.11.2023 को श्री बलेश्वर ठाकुर, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) एवं सीवीओ, रा.ज.वि.अ की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से “भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" विषय पर खुली बहस आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सीवीओ, रा.ज.वि.अ ने भी उपर्युक्त विषय पर कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ अपने विचार साझा किए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान गतिविधियों की झलकियां

30.10.2023 को प्रतिज्ञा का आयोजन

दिनांक 03.11.2023 को खुली वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई

अध्याय - 12

राजभाषा (हिन्दी) के प्रयोग को बढ़ावा देना

राजभाषा (हिंदी) के प्रयोग को बढ़ावा देने में रा.ज.वि.अ सक्रिय रूप से शामिल रहा है और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके नियमों के प्रावधानों के वास्तविक कार्यान्वयन की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से मुख्यालय, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की गईं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और विभिन्न अनुभागों के प्रमुखों की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में की गई चर्चा और समीक्षाओं के दौरान, यह परिलक्षित हुआ कि हिंदी में आधिकारिक प्रयोग और पत्राचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन बैठकों में निर्णयों के कार्यान्वयन और पालन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित अनुसार 2023-24 के दौरान सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। पिछले छह महीनों में रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में हिन्दी पत्राचार का समग्र प्रतिशत 95-99% रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा (हिंदी) के उपयोग का आकलन करने के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, मुख्यालय, नई दिल्ली और रा.ज.वि.अ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 14.09.2023 से 29.09.2023 तक "हिंदी पखवाड़ा " का आयोजन किया गया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने पखवाड़े के दौरान हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की अपील जारी की और सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा के प्रयोग की ओर अधिक से अधिक प्रवृत्त हों और हिंदी में अधिक से अधिक काम करें और राजभाषा का प्रयोग केवल पखवाड़े के दौरान ही न किया जाए , बल्कि इसे नियमित अभ्यास के रूप में अपनाया और उपयोग किया जाना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड मोड में रा.ज.वि.अ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने 23.06.2023 और 29.11.2023 को नराकास द्वारा आयोजित " नराकास बैठक " में भाग लिया। समिति के अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ के काम की सराहना की।

संसदीय राजभाषा की दूसरी उप-समिति ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए दिनांक 10.05.2023 को अन्वेषण प्रभाग, पटना का तथा दिनांक 24.05.2023 को रा.ज.वि.अ., मुख्यालय, नई दिल्ली का निरीक्षण किया।

दिनांक **10.05.2023** को संसदीय राजभाषा की दूसरी उप-समिति द्वारा रा.ज.वि.अ.**,** पटना की निरीक्षण बैठक आयोजित की गई।

अध्याय - 13
वित्त एवं लेखा

13.1 राज्यों को केंद्रीय सहायता - पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ)।

2015-16 के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि लाई जा सके।

केन्द्र सरकार ने देश में वृहद/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना था जो पूरी होने के अंतिम चरण में थीं। पीएमकेएसवाई के शुभारंभ के बाद, एआईबीपी पीएमकेएसवाई का हिस्सा बन गया।

भारत सरकार ने रा.ज.वि.अ की पहचान एलटीआईएफ से बाहर से संसाधन उधार लेने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की है, साथ ही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी स्कीम के अंतर्गत पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में निधियां जारी करने के लिए भी की है। इन परियोजनाओं में केंद्रीय हिस्सेदारी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. और नाबार्ड के मध्य 6 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत नाबार्ड को 3768.17 करोड़ रुपये का ब्याज और मूलधन का भुगतान किया गया है।

13.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रा.ज.वि.अ को सहायता अनुदान और वास्तविक व्यय

जल शक्ति मंत्रालय , जल संसाधन ,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रा.ज.वि.अ को 83.29 करोड़ रुपये (रा.ज.वि.अ के लिए 82.65 करोड़ रुपये + जी20 के लिए 0.65 करोड़ रुपये) की अनुदान सहायता राशि जारी की और वास्तविक व्यय 84.27 करोड़ रुपये था । अतिरिक्त राशि रा.ज.वि.अ के आंतरिक संसाधनों से खर्च की गई।

13.3 वित्तीय वर्ष 2023 - 24 के लिए रा.ज.वि.अ का लेखापरीक्षित खाता

महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन) के कार्यालय ने वर्ष 2023-24 के लिए रा.ज.वि.अ के लेखापरीक्षा खातों का संचालन किया है। वर्ष 2023-24 के लिए रा.ज.वि.अ के पैरा-वार उत्तरों के साथ लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और एजेंसी के लेखापरीक्षित विवरण अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।

अध्याय - 14

आभारोक्ति

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, रा.ज.वि.अ सोसाइटी के अध्यक्ष, और श्री प्रहलाद सिंह पटेल, अध्यक्ष, एससीआईएलआर (01.04.2023 से 03.12.2023), श्री राजीव चंद्रशेखर (04.12.2023 से 31.03.2024) और श्री बिश्वेश्वर टुडू ,माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री और रा.ज.वि.अ सोसाइटी के उपाध्यक्ष , श्री पंकज कुमार, (01.04.2023 से 29.09.2023) और सुश्री देबाश्री मुखर्जी, (30.09.2023 से 31.03.2024) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय एवं रा.ज.वि.अ के शासी निकाय के अध्यक्ष के बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रा.ज.वि.अ की विभिन्न गतिविधियों में अच्छी प्रगति हुई है।

हम सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा और रा.ज.वि.अ सोसायटी, जीबी और टीएसी के सभी सदस्यों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम एससीआईएलआर और टीएफआईएलआर की उप-समितियों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

राजविअ माननीय मंत्रियों, नामतः श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री (डब्ल्यूआर) बिहार सरकार , श्री के लक्ष्मी नारायणन, माननीय मंत्री (पीडब्ल्यूडी) पुडुचेरी सरकार, राजविअ सोसाइटी की एजीएम और एससीआईएलआर बैठक में शामिल होने के उत्कृष्ट सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। हम इस अवसर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के सचिवों, प्रमुख अभियंताओं और मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजविअ को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

रा.ज.वि.अ., जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, जीएसआई, सीजीडबल्यूबी, केन्द्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधानशाला, एनआईएच, सीईए, आईएमडी, वाप्कोस और नीति आयोग आदि के विभिन्न अधिकारियों/शाखाओं/अनुभागों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रा.ज.वि.अ., के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे मार्गदर्शन, अभूतपूर्व सहयोग और हमारे साथ सदैव रहने के लिए आभार प्रकट करता है।

अनुलग्नक - I

राज्य सरकारों से प्राप्त अंत:-राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

क्रमांक	अंत:-राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
क.	**महाराष्ट्र**		
1.	वैनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णा तापी)	वैनगंगा और नलगंगा	डीपीआर संशोधनाधीन
2.	वैनगंगा-मांजरा घाटी	वैनगंगा और मांजरा	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
3.	ऊपरी कृष्णा- भीमा (छह लिंकों की प्रणाली)	कृष्णा और भीमा	पीएफआर पूर्ण
4	दमनगंगा (एकदारे)-गोदावरी घाटी	दमनगंगा और गोदावरी	डीपीआर पूर्ण
5.(i)	ऊपरी वैतरणा-गोदावरी घाटी	वैतरणा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण
5.(ii)	दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी (कड़वा देव) घाटी	दमनगंगा , वैतरणा और गोदावरी	अंतिम डीपीआर पूर्ण
6.	उत्तरी कोंकण - गोदावरी घाटी	पातालगंगा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
7.	कोयना - मुंबई शहर	कोयना	पीएफआर पूर्ण
8.	श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी)-पूर्ण-मंजीरा	गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा	पीएफआर पूर्ण
9.	वैनगंगा (गोसीखुर्द)-गोदावरी (एसआरएसपी)	वैनगंगा और गोदावरी	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस लिया गया
10.	मध्य कोंकण-भीमा घाटी	सावित्री , कुण्डलिका , अम्बा और भीमा	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
11।	कोयना-नीरा	कोयना और नीरा	पीएफआर पूर्ण
12.	मुलसी-भीमा	मुलसी और भीमा	पीएफआर पूर्ण
13.	सावित्री-भीमा	सावित्री और भीमा	पीएफआर पूर्ण
14.	कोल्हापुर- सांगली- सांगोला	कृष्णा और भीमा	पीएफआर पूर्ण
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं	तापी	पीएफआर पूर्ण
16.	नार-पार- गिरना घाटी	नार, पार और गिरना	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
17.	नर्मदा- तापी	नर्मदा और तापी	पीएफआर पूर्ण
18.	खारियागुट्टा-नवाथा सतपुड़ा पैदल पहाड़ियां	छोड़ दी गई	भूजल पुनर्भरण योजनाओं का अध्ययन

19.	खारिया घुटी घाट-तापी	छोड़ दी गई	सी.जी.डब्लू.बी. द्वारा किया जाना है। परिणामस्वरूप एन.डब्लू.डी.ए. की टी.ए.सी. द्वारा पी.एफ.आर. अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं किया गया।
20.	जिगांव - तापी -गोदावरी घाटी	तापी और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
ख.	**गुजरात**		
21.	दमनगंगा -साबरमती- चोरवाड	दमनगंगा , साबरमती और चोरवाड	पीएफआर पूर्ण। डीपीआर का प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है
ग.	**ओडिशा**		
22.	महानदी- ब्रह्माणी	महानदी और ब्रह्माणी	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
23.	महानदी- रुशिकुल्या (बरमूल परियोजना)	महानदी और रुशिकुल्या	पीएफआर पूर्ण। (सभी लाभ एमजी लिंक द्वारा लिए गए हैं)
24.	वंशधारा-रुशिकुल्या (नंदिनी नाला परियोजना)	वंशधारा और रुशिकुल्या	पीएफआर पूर्ण
25.	नागवल्ली-रुशिकुलिया-वंशधारा	नागवल्ली, रुशिकुलिया और वंशधारा	पीएफआर पूर्ण
घ.	**झारखंड**		
26.	दक्षिण कोइल-सुवर्णरेखा	दक्षिण कोइल और सुवर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण
27.	शंख - दक्षिण कोइल	शंख और दक्षिण कोइल	पीएफआर पूर्ण
28.	बारकर-दामोदर-सुबर्णरेखा	बराकर , दामोदर और सुबर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण
ड.	**बिहार**		
29.	कोसी-मेची [संपूर्णतः भारत में स्थित]	कोसी और मेची	डीपीआर पूर्ण । पर्यावरण और निवेश मंजूरी प्रदान की गई। मसौदा पीआईबी नोट बिहार सरकार को भेजा गया। कार्यशील डीपीआर

			तैयार करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
30.	बाढ़-नवादा	गंगा और किऊल	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
31.	कोहरा-चन्द्रावत (अब कोहरा-लालबेगी)	कोहरा और चंद्रावत	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
32.	बूढ़ी गंडक-नून-बया-गंगा	बूढ़ी गंडक, नून, बया और गंगा	डीपीआर पूरी हो गई है, सीडब्ल्यूसी ने राय दी है कि इस परियोजना को बाढ़ नियंत्रण परियोजना के रूप में माना जा सकता है। बिहार सरकार को सूचित किया गया
33.	बागमती-बूढ़ी गंडक [बेलवाधर के माध्यम से]	बूढ़ी गंडक और बागमती	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
34.	कोसी -गंगा	कोसी और गंगा	पीएफआर पूर्ण
35.	बागमती सिंचाई और जल निकासी परियोजना का विकास -चरण-II (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के पास बैराज) और कोसी-अधवारा-बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देशीय परियोजना	कोसी , अधवारा और बागमती	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
36.	बक्सर में पंप कैनाल योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार में गंगा के जल का अंतरण	गंगा	प्रारंभ में, रा.ज.वि.अ ने कार्य करने पर सहमति दे दी थी, लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त करने के बाद, यह पाया गया कि ये अंत:-राज्यीय लिंक नहीं हैं, इसलिए अध्ययन कार्य शुरू नहीं किया गया।
37.	बदुआ-चंदन बेसिन का विकास	बदुआ और चंदन	
38.	सोन-फल्गु लिंक	सोने और फल्गु	प्रारंभिक अध्ययन किया गया (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
च.	**राजस्थान**		
39.	माही-लूनी लिंक	माही और लूनी	पीएफआर पूर्ण

			(व्यवहार्य नहीं पाया गया)
40.	वाकल-साबरमती-सेई-पश्चिम बनास-कामेरी लिंक	वाकल, साबरमती, सेई, पश्चिम बनास और कामेरी	पीएफआर पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाया गया)
छ.	**तमिलनाडु**		
41.	पोन्नैयार-पलार लिंक	पोन्नैयार और पलार	पीएफआर और डीपीआर पूरा हो गया
	कर्नाटक		
42.	अलमाटी (बागलकोट) - मालाप्रभा उप-बेसिन	अलमट्टी और मालाप्रभा	प्रथम दृष्टया व्यवहार्य नहीं पाया गया
43.	मालाप्रभा -तुंगभद्रा उप-बेसिन	मालाप्रभा और तुंगभद्रा	प्रथम दृष्टया व्यवहार्य नहीं पाया गया
44.	बेदती -धर्मा- वरदा लिंक	बेदती , धर्मा और वरदा	पीएफआर पूर्ण
45.	भद्रा-वेदवती (वाणी विलासा सागर) लिंक	भद्रा और वेदवती	कर्नाटक सरकार ने एससीआईएलआर की 11वीं बैठक के दौरान दो प्रस्ताव वापस ले लिए
46.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पथांतरण (बारापोल-ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल और ऊपरी कावेरी	
47.	बेदती और अघनाशिनी से वरदा तक पथांतरण	अघनाशिनी और वरदा	पीएफआर पूर्ण
ज.	**छत्तीसगढ**		
48.	पैरी -महानदी लिंक	पैरी और महानदी	पीएफआर पूर्ण
झ.	**उतार प्रदेश**		
49.	शारदा-गोमती लिंक	शारदा और गोमती	पीएफआर पूर्ण

अनुलग्नक - II

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान रा.ज.वि.अ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

क्रमांक	प्रशिक्षण/ सेमिनार/ सम्मेलन/ कार्यशाला	अवधि	स्थान	आयोजनकर्ता	भाग लेने वाले अधिकारी
1.	नवनियुक्त सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता के लिए दो सप्ताह का "प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम"।	17.04.2023 से 28.04.2024 तक	एनडब्ल्यूए, पुणे	एनडब्ल्यूए, पुणे	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव (सहायक अभियंता), श्री विवेक मित्तल (सहायक अभियंता), श्री शिवम मिश्रा (सहायक अभियंता), श्री निमिष उपाध्याय (सहायक अभियंता), श्री आशीष स्वामी (सहायक अभियंता), श्री अंकित कुमार (सहायक अभियंता), श्री अमित तिवारी (कनिष्ठ अभियंता), श्री चंदकेश मीना (कनिष्ठ अभियंता), श्री कुंभा राम जाखड़ (कनिष्ठ अभियंता), श्री गौरव थोरी (कनिष्ठ अभियंता), श्री नरेश कुमार (कनिष्ठ अभियंता) श्री शिवम शर्मा (कनिष्ठ अभियंता), श्री अबीर सरकार (कनिष्ठ अभियंता), श्री अमन (कनिष्ठ अभियंता), श्री संदीप सुमार (कनिष्ठ अभियंता), श्री सुशांत सिंह (जेई), श्री धीर सिंह मीना (जेई),
2.	एसडीजी संकेतकों पर दो दिवसीय कार्यशाला	19.06.2023 से 20.06.2023 तक	भारतीय इस्लामिक संस्कृति केंद्र,	संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन (एफएओ)	श्री बालेश्वर ठाकुर, मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

			नई दिल्ली		
3.	"भारत में सिंचाई" पर वार्षिक सम्मेलन	26.06.2023 से 27.06.2023	ताज महल होटल, लखनऊ	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड	श्री शिव प्रकाश, मुख्य अभियंता (उ) ने रा.ज.वि.अ की ओर से एक वक्ता के रूप में सम्मेलन में भाग लिया
4.	जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए)	07.07.2023	सुपर कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली	एनडब्ल्यूए, सीडब्ल्यूसी, पुणे	श्री बालेश्वर ठाकुर, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने कार्यशाला में भाग लिया
5.	"भारत में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय पहलुओं तथा जल दरों के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति" पर एक दिवसीय कार्यशाला।	24.08.2023	सुपर कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली	जल शक्ति मंत्रालय	**1.** श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ **2.** श्री बालेश्वर ठाकुर, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) **3.** श्री शाहजतन के.एच., अधीक्षण अभियंता **4.** श्री आर.एन. सिंह, उपनिदेशक **5.** श्री एम.पी.कृष्णामूर्ति , सहायक निदेशक
6.	उद्घाटन समारोह और पुरस्कार समारोह (ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन: वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार, 2023)	25.08.2023	भीम ऑडिटोरियम, नई दिल्ली	ऊर्जा एवं पर्यावरण फाउंडेशन, भारत	श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ
7.	बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन**,** 2023 के दौरान आयोजित प्रदर्शनी	14.09.2023 से 15.09.2023 तक	राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आरआईसी), जयपुर	जल शक्ति मंत्रालय	1. श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ 2. श्री बालेश्वर ठाकुर, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) 3. श्री शाहजतन के.एच., अधीक्षण अभियंता 4. श्री आर.एन. सिंह, उपनिदेशक 5. श्री एमपी कृष्णामूर्ति ,
8.	19वीं सीजीपीबी समिति-IX (भूवैज्ञानिक अन्वेषण) बैठक	26.09.2023	जीएसआई, एनआर, लखनऊ	सीजीपीबी	श्री शिव प्रकाश, मुख्य अभियंता (उ)
9.	25 वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और 74 वीं आईईसी	01.11.2023 से 08.11.2023 तक	विशाखापत्तनम , आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, सीडब्ल्यूसी और आईसीआईडी के साथ साझेदारी में आईएनसीआईडी	श्री नागेश महाजन, सलाहकार

10.	"जल क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी" पर सेमिनार	30.11.2023	होटल ली-मेरिडियन, नई दिल्ली	संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास	डॉ दिलीप कुमार, निदेशक (एमडीयू)
11।	"सिस्टम अध्ययन और मॉडलिंग तकनीक" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	04.12.2023 से 08.12.2023	एनआईएच, रुड़की	एनआईएच, रुड़की	श्री एम.पी. कृष्णामूर्ति (सहायक निदेशक), श्री अंकित कुमार (सहायक अभियंता), श्री कृष्णा गुर्जर (कनिष्ठ अभियंता), श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव (सहायक अभियंता), श्री शुभम कुमार (कनिष्ठ अभियंता), श्री काना राम (कनिष्ठ अभियंता), श्री के. केसवन (कनिष्ठ अभियंता), श्री अनंथा कृष्णान एस, (युवा पेशेवर)

महा निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

रिपोर्ट/2-274/डी.जी.ए./सी.ई/ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/SAR/NWDA/2024-25/

दिनांक: .11.2024

सेवा में,

सचिव,भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
रफ़ी मार्ग, संसद मार्ग एरिया,
नई दिल्ली- 110001.

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA), के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय/महोदया,

मैं राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) के वर्ष 2023-24 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रहा हूँ। संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज को दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करे कि 2023-24 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करे ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो"।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरी

ह०/-
(विवेक कुमार भास्कर)
निदेशक (प्रतिवेदन)

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष / Phone : 011-23239419, 23239420 फैक्स / Fax : 91-11-23239416, E-mail : dgaafwr@cag.gov.in

रिपोर्ट/2-274/डी.जी.ए./सी.ई/ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/SAR/NWDA/2024-23/422 । दिनांक :- 14 .11.2024

1. प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सहित महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA), 18-20, सामुदायिक केंद्र साकेत नई दिल्ली-110017 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

   संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

2. प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महानिदेशक (रिपोर्ट स्वायत निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124 को अग्रेषित की जाती है। यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि खाद्य एवं जल संसाधन) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है|

विवेक
14.11.24
निदेशक (प्रतिवेदन)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के समेकित खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली की संलग्न तुलन पत्र, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के तहत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाता लेखा-जोखा का लेखा-जोखा किया है। वित्तीय विवरणों में मुख्यालय इकाई और 5 सर्किलों के खाते शामिल हैं जो 31 मार्च 2024 तक 14 प्रभागों और 3 उप-प्रभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 6 इकाइयों (पटना, भुवनेश्वर, नासिक, ग्वालियर, हैदराबाद और मुख्यालय, दिल्ली) की लेखा परीक्षा की गई थी और टिप्पणियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल की गई थीं। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने आमतौर पर भारत में स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत तथ्यों से मुक्त हैं। एक ऑडिट में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और खुलासे का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच शामिल है। एक ऑडिट में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा ऑडिट हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाते तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाता वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

iii) हमारी राय में, अभिकरण द्वारा उचित खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं, जैसा कि राजविअ के उपनियमों की धारा 19 के तहत आवश्यक है, जहां तक यह एसे खातों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं - रुपये 5534.60 लाख

क.1.1 वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची -7) रुपये 3132.04 लाख रुपये

राजविअ ने नई दिल्ली स्थित सीएसएमआरएस मुख्यालय परिसर की परियोजना प्रबंधन इकाई में कर्मियों की तैनाती के लिए वाप्कोस लिमिटेड के लिए **31.12 लाख रुपये** का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों (अनुसूची 7) और व्यय को 31.12 लाख रुपये कम दर्शाया गया, जिससे पूंजी निधि को भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया।

राजविअ - दिल्ली

क.2 परिसंपत्तियाँ - रुपये 5534.60 लाख

क 2.1 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) - रु. 4930.82 लाख

(क) लेखा के एकसमान प्रारूप के अनुसार उपार्जित ब्याज को वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम शीर्ष शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना अपेक्षित है। राजविअ मुख्यालय ने वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों (अनुसूची 11) के स्थान पर अनुसूचित निवेश अन्य (अनुसूची-10) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति

(एफडीआर) **पर 11.18 लाख रुपए** के निवेश पर उपार्जित ब्याज दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश शीर्ष का अधिक विवरण और उक्त राशि द्वारा वर्तमान परिसंपत्तियों का कम विवरण दिया गया है।

राजविअ-दिल्ली

(ख) उपर्युक्त अनुसूची में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्वेषण प्रभाग, नासिक द्वारा परामर्शी प्रभार के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नागपुर को अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि 8.59 लाख रुपए शामिल है। अभिलेखों की समीक्षा करने पर, यह देखा गया कि जीएसआई नागपुर द्वारा मार्च और मई 2020 में 8.45 लाख रुपये के बिल जमा किए गए थे। अत: जीएसआई को 0.14 लाख रुपए (8.59 लाख रुपए - 8.45 लाख रुपए) की राशि 8.59 लाख रुपए के स्थान पर जीएसआई को अग्रिम के रूप में दर्शाई जानी चाहिए थी।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों (अनुसूची-11) और अन्य प्रशासनिक व्ययों (अनुसूची-21) में से प्रत्येक का अधिक विवरण 8.45 लाख रुपए हो गया है।**ख. आय और व्यय खाता**

ख.1 व्यय

ख.2.1 कार्य (अनुसूची-21) - रुपये 2420.66 लाख

भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) कार्यों से संबंधित **135.72 लाख रुपए** की राशि को मुख्यालय खातों में अनुसूची-21-अन्य प्रशासनिक व्यय में व्यय के रूप में दर्शाया गया था, हालांकि आईडब्ल्यूडब्ल्यू अपने स्वयं के खातों का रखरखाव अलग से कर रहा था। यह व्यय आईडब्ल्यूडब्ल्यू के खातों में दर्ज किया जाना चाहिए था न कि राजविअ मुख्यालय के खातों में। इसके परिणामस्वरूप राजविअ मुख्यालय खाते में उक्त राशि द्वारा व्यय का अधिक विवरण और पूंजीगत निधि का कम विवरण और ऋण और अग्रिमों - आईडब्ल्यूडब्ल्यू का उसी सीमा तक कम विवरण किया गया है। **राजविअ-दिल्ली**

ग. प्राप्तियां और भुगतान

पिछले वर्ष (2022-23) के प्राप्ति और भुगतान खाते में परिलक्षित नकद और बैंक शेष का समापन शेष **821 लाख रुपये था,** जबकि वर्तमान वर्ष के प्राप्ति और भुगतान खाते (2023-24) में उसी का प्रारंभिक शेष **807.04 लाख रुपये** दिखाया गया था।13.96 लाख रुपये का अंतर पारगमन में ड्राफ्ट से संबंधित है। इसका मिलान किया जा सकता है। **राजविअ - दिल्ली**

घ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति/आकस्मिक देयताएं और लेखा आकस्मिक देयताओं और लेखाओं के लिए टिप्पणियां (अनुसूची 25)

अनुसूची 25 का नोट नंबर 2 पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों के अनुमानित मूल्य का विवरण प्रस्तुत करता है और (निवल अग्रिम) प्रदान नहीं किया गया है। राजविअ, ग्वालियर के रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर, यह देखा गया है कि 31.03.2024 तक 364.18 लाख रुपये के अनुबंध मूल्य की चल रही तीन परियोजनाएं थीं। इसमें से 31.03.2024 तक 30.88 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। तथापि, शेष 333.30 लाख रुपए की राशि पूंजीगत वचनबद्धताओं के रूप में प्रकट नहीं की गई थी।

इसके परिणामस्वरूप राजविअ ग्वालियर के लिए 31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र की अनुसूची 25 के नोट नंबर 2 में 333.30 लाख रुपये की पूंजी प्रतिबद्धताओं का कम प्रकटीकरण हुआ है।

ड़. सामान्य

(क) बैंक समाधान विवरण

राजविअ [बैंक खाता संख्या 51026251173 (वेतन खाता एसबीआई); 37718992394 (राजविअ एसबीआई जनरल) और 51026247906 (सीपीएफ एसबीआई खाता)] के बैंक बैंक समाधान विवरण की जांच से पता चलता है कि बैंकों द्वारा प्राप्त 7303.34 लाख रुपये की राशि खातों में ली जानी चाहिए और बैंकों के साथ कार्रवाई करने के बाद कैश बुक में दर्ज की जानी चाहिए। 173.46 लाख रुपये की राशि बैंक खाते में डेबिट की गई थी लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं की गई थी। 7018.51 लाख रुपये की राशि रोकड़ बही में प्रविष्ट की गई थी लेकिन बैंक द्वारा समाशोधन नहीं किया गया था। बैंक सुलह विवरणों में दिखाई देने वाली प्रविष्टियां, जो 3 महीने से अधिक समय से लंबित हैं, की आगे जांच करने और उनका मिलान करने/बट्टे खाते में डालने/बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।

(ख) जल मंथन वित्तीय विवरण के शीर्ष पूंजीगत निधि (अनुसूची-I) में **6.96 लाख रुपए** की राशि का अव्ययित अनुदान शेष शामिल है जिसे बहियों में दायित्व के रूप में नहीं दर्शाया गया था ।इसके परिणामस्वरूप पूंजी निधि का अधिक विवरण और वर्तमान देयताओं और प्रावधानों (अनुसूची 7) का इतनी ही राशि से कम विवरण दिया गया है।

राजविअ दिल्ली

(ग) मैसर्स एक्सेलिनोवा कंसल्टेंसी ने सोन - (एसटीजी) लिंक नहर की दक्षिणी सहायक नदियों के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों के लिए दिसंबर 2023 में 11.90 लाख रुपये और 4.24 लाख रुपये के दो बिल प्रस्तुत किए हैं। बिलों के लिए प्रावधान खातों में नहीं किया गया था क्योंकि अनुबंध पूरा नहीं हुआ था। इसका खुलासा लेखा-टिप्पणियों में किया जाना चाहिए। **राजविअ पटना**

(घ) उपर्युक्त शीर्ष खाते में निम्नलिखित राशियां शामिल हैं जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम है

i. आज की तारीख के अनुसार कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम के लिए 2.97 लाख रुपये की राशि और उसमें से, 2.42 लाख रुपये की राशि 1986 से 2008 की अवधि से संबंधित है। **राजविअ हैदराबाद**

(ii) 1984 से 2009 की अवधि से संबंधित आज की तारीख के अनुसार प्राप्य अवकाश, वेतन दावे और पेंशन अंशदान के लिए 3.80 लाख रुपए की राशि। **राजविअ हैदराबाद**

(iii) 0.07 लाख रुपये की राशि वित्त वर्ष 2019-20 में कार्यपालक अभियंता को अस्थायी अग्रिम के रूप में भुगतान की गई । न तो अन्वेषण प्रभाग, नासिक ने संबंधित कर्मचारी से राशि वसूल की और न ही इसे खर्च के रूप में बुक किया । संबंधित फाइलें/दस्तावेज भी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। **राजविअ- नासिक**

(iv) 1986-87 से 1997-98 के दौरान 11 कर्मचारियों को अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता/टीटीए अग्रिम और त्यौहार अग्रिम के रूप में 0.18 लाख रुपए की राशि दी गई। ये अग्रिम 38 वर्षों से वसूली के लिए लंबित हैं । **राजविअ- ग्वालियर**

(v) अवकाश वेतन की 0.72 लाख रुपए की राशि 1987 से वसूली के लिए लंबित है। यह राशि 37 साल से बकाया है और वसूली की संभावना बहुत कम है। **राजविअ- ग्वालियर**

(vi) 7.18 लाख रुपये की वसूली योग्य अवकाश वेतन की राशि दिखाई गई है। राजविअ को उस राशि को मंजूरी देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि इसे 2020-21 से लगातार दर्शाया गया था। **राजविअ दिल्ली**

(vii) 222.54 लाख रुपये की राशि जो 1991 से बकाया थी। **राजविअ - दिल्ली**

इन अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किए जाने चाहिए थे।

इसी तरह की टिप्पणी 2022-23 के दौरान राजविअ पटना के लिए जारी की गई थी। तथापि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

च. सहायता अनुदान

राजविअ को 2023-24 के दौरान 83.29 करोड़ रुपये (अनुदान के रूप में 82.65 करोड़ रुपये, जी20 के लिए अनुदान के रूप में 0.64 करोड़ रुपये) का कुल अनुदान सहायता प्राप्त हुआ। इसमें अव्ययित अनुदान के रूप में पिछले वर्ष का आरंभिक शेष 8.76 करोड़ रुपए था। राजविअ को अन्य आय 5.03 करोड़ रुपये (प्राप्तियों/वसूलियों के रूप में 0.84 करोड़ रुपये, परामर्श शुल्क से प्राप्तियों के रूप में 3.63 करोड़ रुपये, ब्याज के रूप में 0.56 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ। 97.08 करोड़ रुपए की कुल निधि में से राजविअ ने 88.18 करोड़ रुपए का उपयोग/वापस/व्यपगत अनुदान छोड़ दिया है और 8.90 करोड़ रुपए का अनुदान अप्रयुक्त रह गया है।

छ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफ में हमारे अवलोकनों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियां और भुगतान खाता लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहां तक यह 31 मार्च 2024 तक राजविअ की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है।

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

14/11/2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.11.2024

(संदीप लाल)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा, केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

क. कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है लेकिन करार ज्ञापन (एमओए) के अनुसार, मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में वित्त शाखा द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उप-नियमों के खंड 23 के अनुसार जब कभी शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए तो अभिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा जल संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा भी की जा सकती है। राजविअ के 15 क्षेत्रीय कार्यालयों में से चार क्षेत्रीय कार्यालयों नामक कोलकाता (2022-23 तक आयोजित), भोपाल (2019-20 तक आयोजित), झांसी (2021-22 तक आयोजित) और वडोदरा सर्किल (2022-23 तक आयोजित) में 2023-24 तक आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया है।

राजविअ दिल्ली

ख. राजविअ, पटना और लखनऊ की आंतरिक लेखा परीक्षा राजविअ मुख्यालय द्वारा की जाती है। राजविअ, पटना की आंतरिक लेखा परीक्षा को 2022-23 के दौरान 01.04.2022 से 23.11.2022 की अवधि के लिए और 2023-24 के दौरान 01.04.2023 से 05.03.2024 की अवधि के लिए शामिल किया गया था। इस प्रकार, राजविअ, पटना प्रभाग की आंतरिक लेखा परीक्षा को 2022-23 के दौरान 24.11.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए और फिर 2023-24 के दौरान 06.03.2024 से 31.03.2024 की अवधि के लिए शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर अभी तक राजविअ, पटना द्वारा प्रस्तुत किए जाने थे, हालांकि इसका उत्तर एक महीने के भीतर दिया जाना था। राजविअ, लखनऊ की आंतरिक लेखा परीक्षा 2022-23 के दौरान 01.04.2022 से 27.08.2022 की अवधि के लिए और 2023-24 के दौरान 01.04.2023 से 31.01.2024 की अवधि के लिए शामिल की गई थी। इस प्रकार, राजविअ, लखनऊ प्रभाग का आंतरिक ऑडिट 2022-23 के दौरान 28.08.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए और फिर 2023-24 के दौरान 01.02.2024 से 31.03.2024 की अवधि के लिए शामिल नहीं किया गया था।

(राजविअ पटना)

ग. अन्वेषण प्रभाग कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा अन्वेषण सर्किल कार्यालय द्वारा की गई थी और अन्वेषण सर्किल की आंतरिक लेखा परीक्षा राजविअ मुख्यालय द्वारा की गई थी। राजविअ के भुवनेश्वर प्रभाग और अन्वेषण सर्किल कार्यालय का आंतरिक ऑडिट 2023-24 तक किया गया था। अनुपालन के लिए कोई पैरा लंबित नहीं था। हालांकि, अन्वेषण प्रभाग कोलकाता का आंतरिक 2022-23 तक पूरा हो गया था और अन्वेषण प्रभाग राजमुंदरी को अप्रैल 2024 में उप प्रभाग से प्रभाग में अपग्रेड किया गया था। **राजविअ भुवनेश्वर**

घ. राजविअ अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग नागपुर और अन्वेषण प्रभाग चेन्नई का आंतरिक ऑडिट वर्ष 2023-24 के लिए आयोजित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए अन्वेषण प्रभाग बैंगलोर का आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया था।

राजविअ हैदराबाद

(ङ) राजविअ अन्वेषण प्रभाग नासिक का कोई पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग/शाखा नहीं है। अन्वेषण प्रभाग नासिक का आंतरिक ऑडिट 06.12.2023 तक की अवधि के लिए किया गया है।

राजविअ नासिक

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

(क) लेखापरीक्षा वार्षिक लेखों में यथा परिलक्षित दीर्घावधिक अग्रिमों की राशि की सत्यता का सत्यापन नहीं कर सकी क्योंकि अग्रिम वर्ष 1991 से लंबित हैं।

ख. जीएफआर-22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया ।

ग. 21.05.2021 से अब तक दो अनुशासनात्मक मामले लंबित थे।

घ. मार्च 2022 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। **राजविअ दिल्ली**

ङ. 07.08.2023 को एक कर्मचारी को 1.00 लाख रुपये की अग्रिम हस्तांतरण अनुदान का भुगतान किया गया था जो राजविअ, लखनऊ के खातों में असमायोजित पड़ा था, हालांकि संबंधित कर्मचारी ने 15.02.2024 को बिल जमा कर दिया है। छह महीने से अधिक समय तक असमायोजित हस्तांतरण

अनुदान अग्रिम प्रदर्शित करना जीएफआर नियम के खिलाफ है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में चूक दर्शाता है। **राजविअ पटना**

(च) राजविअ अन्वेषण सर्किल द्वारा संबंधित पार्टियों से देनदारों/ऋण और अग्रिम की पुष्टि नहीं की गई।

राजविअ भुवनेश्वर

(छ) लेखा अनुभाग से संबंधित सभी कार्य अधिशासी अभियंता के मार्गदर्शन में एक प्रवर श्रेणी लिपिक (गैर-वाणिज्य पृष्ठभूमि) और एक संविदा कर्मचारी द्वारा संभाला जा रहा है। **राजविअ नासिक**

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

क. राजविअ (मु), नई दिल्ली के भवन, फर्नीचर और स्थिरता, संयंत्र और मशीनरी, वाहन, और कंप्यूटर और सहायक उपकरण जैसी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2024 तक किया गया था।

राजविअ दिल्ली

ख. वर्ष 2023-24 के लिए राजविअ, अन्वेषण प्रभाग बैंगलोर, अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग नागपुर और अन्वेषण प्रभाग चेन्नई के लिए परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया था। **राजविअ हैदराबाद**

ग. अन्वेषण प्रभाग (पटना और लखनऊ) सहित अन्वेषण सर्किल, पटना की फर्नीचर और फिक्स्चर, उपकरण और संयंत्र, वाहन और कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों जैसी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2024 तक किया गया था।

राजविअ पटना

घ. अचल संपत्तियों और प्रभागों और सर्किल कार्यालय के स्टोर और पुर्जों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किया गया था। प्रत्येक संपत्ति के लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित की जाती है । हालांकि, पीवी रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया था और न ही संपत्ति रजिस्टर में।

राजविअ भुवनेश्वर

4. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

,

स्टेशनरी, पुस्तकों और प्रकाशनों और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 2023-24 तक किया गया है। **राजविअ दिल्ली**

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

(क) किसी भी इकाई में 31.3.2024 तक वैधानिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

राजविअ दिल्ली

(ख) राजविअ, हैदराबाद सांविधिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से करता है।

राजविअ हैदराबाद

ग. 31.03.2024 को वैधानिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक समय तक कोई भुगतान बकाया नहीं था।

राजविअ पटना

घ. भुगतान के लिए कोई वैधानिक बकाया (आयकर और पेशेवर कर) लंबित नहीं था।

राजविअ भुवनेश्वर

प्रबंधन पत्र

1. 2023-24 से संबंधित अन्य प्रशासनिक व्यय जैसे पेट्रोल, सफाई कर्मचारी वेतन, आउटसोर्सिंग व्यक्ति आदि पर व्यय जैसी बकाया देनदारियों का 31 मार्च 2024 तक हिसाब नहीं किया गया है।

राजविअ पटना

2. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - अन्य में एसओआई देहरादून और वाप्कोस, नई दिल्ली को दिए गए अग्रिमों से संबंधित 5,25,507 रुपये की राशि शामिल है, जो क्रमशः 2004-05 और 2013-14 से वसूली/समायोजन के लिए लंबित है। यह राशि तब से बकाया है, जब से पार्टियों से अंतिम बिलों का इंतजार किया जा रहा है। पार्टियों से अंतिम बिल प्राप्त करने और लंबे समय से लंबित अग्रिमों को समायोजित करके व्यय का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजविअ ग्वालियर

3. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची 7) में वर्तमान देयता मदें शामिल हैं "अन्य एलएसपीसी को मुख्यालय से प्राप्त" दिनांक 31 मार्च 2017 को डीएसआईआईडीसी से प्राप्त 60,809 रुपये की राशि छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान (एलएसपीसी) के रूप में मिली। चूंकि यह राशि छह साल से अधिक पुरानी है,इसलिए इसे खातों से हटाया जाना चाहिए।

राजविअ दिल्ली

4. अनुसूची 7 - वर्तमान देनदारियों में 'अधिशासी अभियंता को अग्रिम' के क्रेडिट बैलेंस के रूप में दिखाए गए 6,873 रुपये की राशि शामिल है, जिसके लिए 2019-20 के दौरान अंतिम समायोजन किया गया था। हालांकि, राशि को आय के रूप में लेखांकन के बजाय देनदारियों के तहत गलत तरीके से दिखाया गया है। सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

राजविअ- नासिक

5. वर्ष 2023-24 के दौरान 9,697 रुपये (4,499 + 5,198) हार्ड डिस्क खरीदी गई, जिन्हें अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) में 'लघु कार्य ' शीर्षक के तहत गलत तरीके से शामिल किया गया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। **राजविअ दिल्ली।**

6. अचल संपत्ति (अनुसूची 8) में 0.11 लाख रुपये की राशि शामिल है जो बिजली के पंखों का निवल मूल्य है। हालांकि, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार, विद्युत मशीनरी, बिजली की लाइट / पंखे, स्विच गियर उपकरण, ट्रांसफार्मर और बिजली के तार और फिटिंग जैसे विद्युत प्रतिष्ठानों को एक अलग उप-शीर्षक अर्थात विद्युत स्थापना में दिखाया जाना है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं।

राजविअ हैदराबाद

7. अचल संपत्ति रजिस्टर (अनुसूची -8) और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजविअ अन्वेषण प्रभाग- II, नासिक ने 02/09/2023 को कार्यालय उपयोग के लिए 34,000/- रुपये मूल्य के 2 एलईडी टीवी मॉनिटर 32 इंच खरीदे। तथापि, इन मदों को कार्यालय उपस्कर शीर्ष के बजाय कम्प्यूटर/पेरिफेरल्स शीर्ष के अंतर्गत स्थायी आस्तियों की अनुसूचियों (अनुसूची-8) में बुक किया गया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। **राजविअ नासिक**

8. वाउचरों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजविअ नासिक प्रभाग ने 12.04.2023 (वाउचर संख्या 58) और 06.09.2023 (वाउचर संख्या 54) को अन्वेषण प्रभाग-I और अन्वेषण प्रभाग -II में आधिकारिक उपयोग के लिए क्रमशः 2,39,978 रुपये और 1,11,500 रुपये की राशि के 2 एचपी, मल्टीफ़ंक्शन वाइड फॉर्मेट प्लॉटर प्रिंटर खरीदे। हालांकि, अचल संपत्ति रजिस्टर की जांच करने पर, इन वस्तुओं को "फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग" (अन्वेषण प्रभाग -I) और "प्लांट, मशीनरी और उपकरण" (अन्वेषण प्रभाग -II) के तहत वर्गीकृत किया गया था, जबकि अचल संपत्ति अनुसूची- 8 की जांच करने पर, यह देखा गया है कि इन्हें कंप्यूटर / पेरिफेरल्स के तहत बुक किया गया है। अचल संपत्ति रजिस्टर में विसंगति को उस हद तक सुधारने की जरूरत है।

राजविअ- नासिक

9. वर्ष 2023-24 के लिए राजविअ, अन्वेषण प्रभाग, भोपाल और अन्वेषण सर्किल, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत अनुसूची 8 के खंड ए में सकल ब्लॉक, मूल्यह्रास आदि के पिछले वर्ष के आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए गए थे। समेकित वार्षिक खातों के लिए भी ऐसा नहीं पाया गया। सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

राजविअ ग्वालियर

10. व्यय शीर्ष निर्माण (अनुसूची 21) में एनपीएस के कर्मचारी के हिस्से के लिए 11,976 रुपये का व्यय शामिल है। कर्मचारी योगदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत है और सरकार द्वारा 01.04.2019 से 14 प्रतिशत की दर से योगदान किया जा रहा है। एनपीएस में केवल सरकार के अंशदान को ही स्थापना व्यय के रूप में गिना जाना चाहिए। तथापि, राजविअ, ग्वालियर ने स्थापना व्यय के रूप में कर्मचारियों के 11,976 रुपए के अंशदान का लेखा-जोखा रखा है। कर्मचारी का योगदान कर्मचारी के वेतन और पारिश्रमिक से घटाया जाना है और संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाना है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि एनपीएस में नियोक्ता (सरकार) का हिस्सा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 3508063 रुपए है। तथापि, राजविअ, ग्वालियर ने स्थापना व्यय के अंतर्गत एनपीएस में नियोक्ता (सरकारी) हिस्से के रूप में 35,54,916 रुपए का हिसाब रखा है। इसके परिणामस्वरूप 58,829 रुपये [(रुपये 35,54,916 - रुपये 35,08,063) + रुपये 11,976] द्वारा व्यय की अधिक बुकिंग हुई है। नियोक्ता के शेयर के एनपीएस योगदान में उपरोक्त अंतर को और आय और व्यय खाते में अद्यतन आंकड़ों को सही करने की आवश्यकता है।

राजविअ ग्वालियर

11. लेखा प्रधान कार्यालय व्यय में 3,85,161 रुपए का व्यय शामिल है जो पिछले वर्षों से संबंधित व्यय है। राजविअ ग्वालियर ने वर्ष 2022-23 में उपरोक्त व्यय के लिए देयता प्रदान करने में चूक की और वर्तमान वर्ष के व्यय में राशि दर्ज की। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं।

राजविअ ग्वालियर

12. व्यय शीर्ष कार्य (अनुसूची 21) में घाघरा-यमुना लिंक नहर परियोजना के हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो सैटेलाइट के कार्य के लिए किए गए व्यय के लिए किए गए 12,43,956 रुपये की राशि शामिल नहीं

है, जिसे 11.07.2022 को मेसर्स मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। कार्य का कुल मूल्य 18,07,760 रुपये था और मेसर्स मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 5,63,804 रुपये का बिल दिया गया था। शेष कार्य के लिए 12,43,956 रुपये का चालान मेसर्स मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 31.01.2024 को बनाया गया था। हालाँकि, राजविअ सर्कल कार्यालय ग्वालियर ने उपरोक्त व्यय के लिए देयता नहीं बनाई। भविष्य में ऐसे उदाहरणों से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। **राजविअ ग्वालियर**

13. अनुसूची 20 और 21 ए के अलावा प्राप्ति और भुगतान खाते के संबंध में अनुसूचियों का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए प्राप्ति और भुगतान खातों में आंकड़ों का प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े अनुसूचियों के संदर्भ के बिना दर्शाए गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से भी इस पर टिप्पणी की गई थी। प्रबंधन द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

राजविअ ग्वालियर

14. केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के समान प्रारूप के अनुसार, खातों को उचित रूप से अनुक्रमित किया जाना चाहिए। राजविअ, आईसी, ग्वालियर के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करते समय वार्षिक लेखा को समुचित रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इस मुद्दे को वर्ष 2021-22 के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से भी उजागर किया गया था। प्रबंधन द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

राजविअ ग्वालियर

15. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप (2001-02 से प्रभावी) जारी किया। इस प्रारूप के अनुसार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. तुलन पत्र 2. आय और व्यय खाते 3. उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां 4. प्राप्तियां और भुगतान खाते, 5. निर्देश और लेखा नीति, 6. अनुसूचियों के लिए नोट्स और निर्देश। वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्वेषण प्रभाग, नासिक ने खातों के समान प्रारूप की अनुसूची 24 और अनुसूची 25 के अनुसार खातों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, आकस्मिक देनदारियां और नोट तैयार/प्रस्तुत नहीं किए। सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

16. (क) राजविअ अन्वेषण प्रभाग (आईडी), नासिक द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप की तुलना में अपनाए गए प्रारूप में निम्नलिखित विचलन देखे गए:

क. तुलन पत्र में, अन्य प्रभाग (सर्किल से बाहर) से आस्तियों की शीर्ष रसीद को अलग मद के रूप में दिखाया गया है, हालांकि इसे तुलन पत्र में स्थायी परिसंपत्ति शीर्ष में समायोजित किया जा सकता है। इसे तुलन पत्र पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्तुति वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है।

(ख) लेखा के एकसमान प्रारूप में यथा निर्धारित निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार नहीं की गई हैं: अनुसूची 7 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान), अनुसूची-11 और अनुसूची 13 - अनुदान और सब्सिडी (अप्राप्य अनुदान और प्राप्त सब्सिडी), अनुसूची 17 (अर्जित ब्याज), अनुसूची 18 (अन्य आय), अनुसूची 21 (अन्य प्रशासनिक व्यय आदि) राजविअ आईडी नासिक के खातों की अनुसूचियां वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में तैयार की जानी चाहिए ताकि इसके खातों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

17. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा की एकरूपता (अनुसूची-11) के अनुसार, बैंकों के शेष निम्नानुसार दर्शाए गए हैं:

बैंक बैलेंस

अनुसूचित बैंक के साथ

वर्तमान खातों पर

जमा खातों पर

बचत खातों पर

गैर-अनुसूचित बैंक के साथ

वर्तमान खातों पर

जमा खातों पर

बचत खातों पर

तथापि, खातों (अनुसूची-11) की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि राजविअ आईडी नासिक बैंक शेष निम्नानुसार दर्शाता है:

एसबीआई नासिक के साथ बैंक बैलेंस

-वेतन

-सामान्य

उपर्युक्त के अनुसार, राजविअ नासिक ने अनुसूची-11 के अंतर्गत एकसमान प्रारूप के अनुसार बैंक शेष को दिखाया/तैयार नहीं किया है।

राजविअ नासिक

18. कैश बुक की जांच के दौरान यह देखा गया कि कई कटिंग और ओवरराइटिंग थीं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अनुपालन को अगले ऑडिट में दिखाया जाना चाहिए।

राजविअ दिल्ली

19. लघु कार्य व्यय 37.41 लाख रुपये अनुसूची 21 (अन्य प्रशासनिक व्यय) में दिखाए गए थे और उसमें से 1.40 लाख रुपये वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण पर और 1.90 लाख रुपये हिंदी पखवाड़ा से संबंधित थे, हालांकि यह व्यय प्रशासनिक व्यय में जाता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है।

राजविअ दिल्ली

20. अचल सम्पत्ति रजिस्टर में रु. 1.96 लाख की राशि के विद्युत अधिष्ठापन शामिल नहीं हैं, क्योंकि इस भौतिक सत्यापन की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती है।

राजविअ दिल्ली

21. राजविअ मुख्यालय ने डीजीए (ए, एफ एंड डब्ल्यूआर), नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी प्रबंधन पत्र के जवाब में निर्दिष्ट किया है कि विद्युत प्रतिष्ठानों का @ 15 प्रतिशत मूल्यह्रास किया जाता है और इसका उल्लेख महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में किया जाएगा। तथापि, राजविअ, हैदराबाद की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (अनुसूची 24) में विद्युत संस्थापनाओं के लिए मूल्यास दर अर्थात् 15 प्रतिशत का

उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार, **प्रबंधन पत्र के उत्तर** में दिए गए आश्वासन का राजविअ, हैदराबाद के खातों में अनुपालन नहीं किया गया था।

राजविअ, हैदराबाद

22. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार, सरकार, सरकारी उपक्रम और अन्य अधिसूचित संस्थाएँ अनुबंध के तहत भुगतान करने के लिए कुल भुगतान का 2% काट लेंगी, जहाँ अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक है और इसे उचित जीएसटी खाते में जमा कर दें। मेसर्स हंसराज ट्रेडर्स को किए गए भुगतान के संबंध में इसका अनुपालन अपर्याप्त है।

राजविअ पटना

23. वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अन्वेषण प्रभाग, नासिक के तुलन-पत्र, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय एवं व्यय खाते की समीक्षा करने पर यह देखा जाता है कि अनुमोदित लेखे दिनांकित नहीं थे।यह अंतिम खातों के प्रमाणीकरण की अनुपस्थिति को इंगित करता है।

राजविअ नासिक

24. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) शीर्ष में 54680 रुपये की राशि का बैंक बैलेंस शामिल है, जो एक वर्ष से अधिक समय से ट्रांजिट में है। एक वर्ष के लिए ट्रांजिट में नकदी के रूप में राशि का चित्रण आंतरिक नियंत्रण चूक को दर्शाता है क्योंकि नकदी एक वर्ष से अधिक समय से प्राप्तकर्ता कार्यालय में नहीं पहुंची है। मामले की रिपोर्ट उचित निवेश प्राधिकरण को देने के साथ-साथ उचित जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

राजविअ पटना

25. राजविअ भुवनेश्वर ने 06.08.2016 से 05.08.2021 तक की अवधि के लिए 27,466/- रुपये प्रति माह की दर से जगह किराए पर ली। कार्यालय भवन के लिए किराया समझौता 06.08.2021 को समाप्त हो गया और अभी तक इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। जनवरी 2023 में सीपीडबल्यूडी द्वारा

किए गए कार्यालय किराए के पुनर्मूल्यांकन से पता चला कि अगस्त 2021 से उचित किराया 41,000/- रुपये प्रति माह होना चाहिए। हालाँकि, राजविअ ने लेखा खातों में अंतर किराए के लिए देयता का प्रावधान नहीं किया है। कार्यालय भवन किराए की अंतर राशि का प्रावधान न किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

राजविअ भुवनेश्वर

निदेशक (रिपोर्ट)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के समेकित खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

लेखापरीक्षा अवलोकन	**राजविअ के उत्तर**
क. तुलन पत्र **क.1 देयताएं - रुपये 5534.60 लाख** **क.1.1 वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची -7) रुपये 3132.04 लाख रुपये** राजविअ ने नई दिल्ली स्थित सीएसएमआरएस मुख्यालय परिसर की परियोजना प्रबंधन इकाई में कर्मियों की तैनाती के लिए वाप्कोस लिमिटेड के लिए **31.12 लाख रुपये** का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों (अनुसूची 7) और व्यय को 31.12 लाख रुपये कम दर्शाया गया, जिससे पूंजी निधि को भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया।	राजविअ ने उनके खातों को अंतिम रूप दिया है और 19.05.2024 को सीएजी को प्रस्तुत किया है। वाप्कोस को भुगतान 16.05.2024 को किया गया था। तथापि, लेखा-परीक्षा की टिप्पणी को भावी अनुपालन के लिए नोट कर लिया जाता है। अतः, कृपया पैरा को हटा दिया जाए।

राजविअ - दिल्ली	
क.2 परिसंपत्तियाँ - रुपये 5534.60 लाख **क 2.1 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) - रु. 4930.82 लाख** **(क)** लेखा के एकसमान प्रारूप के अनुसार उपार्जित ब्याज को वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना अपेक्षित है। राजविअ मुख्यालय ने वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों (अनुसूची 11) के स्थान पर अनुसूचित निवेश अन्य (अनुसूची-10) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति (एफडीआर) **पर 11.18 लाख रुपए** के निवेश पर उपार्जित ब्याज दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश शीर्ष का अधिक विवरण और उक्त राशि द्वारा वर्तमान परिसंपत्तियों का कम विवरण दिया गया है। **राजविअ-दिल्ली** (ख) उपर्युक्त अनुसूची में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्वेषण प्रभाग, नासिक द्वारा	(क) लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है तथा भविष्य में इस पर कार्यवाही की जाएगी। (ख) इस राशि को पूरी तरह से मिलाया जाएगा और वर्तमान वर्ष के दौरान

परामर्शी प्रभार के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नागपुर को अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि 8.59 लाख रुपए शामिल है। अभिलेखों की समीक्षा करने पर, यह देखा गया कि जीएसआई नागपुर द्वारा मार्च और मई 2020 में 8.45 लाख रुपये के बिल जमा किए गए थे। अत: जीएसआई को 0.14 लाख रुपए (8.59 लाख रुपए - 8.45 लाख रुपए) की राशि 8.59 लाख रुपए के स्थान पर जीएसआई को अग्रिम के रूप में दर्शाई जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों (अनुसूची-11) और अन्य प्रशासनिक व्ययों (अनुसूची-21) में से प्रत्येक का अधिक विवरण 8.45 लाख रुपए हो गया है।	समायोजित किया जाएगा। अनुपालन अगले ऑडिट में दिखाया जाएगा।

ख. आय और व्यय खाता **ख.1 व्यय** **ख.2.1 कार्य (अनुसूची-21) - रुपये 2420.66 लाख** भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) कार्यों से संबंधित **135.72 लाख रुपए** की राशि को मुख्यालय खातों में अनुसूची-21-अन्य प्रशासनिक व्यय में व्यय के रूप में दर्शाया गया था, हालांकि आईडब्ल्यूडब्ल्यू अपने स्वयं के खातों का रखरखाव अलग से कर रहा था। यह व्यय आईडब्ल्यूडब्ल्यू के खातों में दर्ज किया जाना चाहिए था न कि राजविअ मुख्यालय के खातों में। इसके परिणामस्वरूप राजविअ मुख्यालय खाते में उक्त राशि द्वारा व्यय का अधिक विवरण और पूंजीगत निधि का कम विवरण और ऋण और अग्रिमों - आईडब्ल्यूडब्ल्यू का उसी सीमा तक कम विवरण किया गया है। **राजविअ-दिल्ली**	आईडब्ल्यूडब्ल्यू कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है और 2012 से राजविअ द्वारा आयोजित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार राजविअ द्वारा जीआईए सामान्य अनुदान (सीएनए) के माध्यम से 1.36 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। पीएफएमएस (सीएनए) को आईडब्ल्यूडब्ल्यू खाते जैसे किसी वाणिज्यिक बैंक को अनुदान हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होने के कारण राजविअ अनुदान से सीधे 1.36 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। तदनुसार, राजविअ जीआईए जनरल के तहत दर्ज किया गया व्यय आईडब्ल्यूडब्ल्यू खाते में नहीं है। अत, कृपया पैरा को हटा दिया जाए।

ग. प्राप्तियां और भुगतान पिछले वर्ष (2022-23) के प्राप्ति और भुगतान खाते में परिलक्षित नकद और बैंक शेष का समापन शेष **821 लाख रुपये था,** जबकि वर्तमान वर्ष के प्राप्ति और भुगतान खाते (2023-24) में उसी का प्रारंभिक शेष **807.04 लाख रुपये** दिखाया गया था।13.96 लाख रुपये का अंतर पारगमन में ड्राफ्ट से संबंधित है। इसका मिलान किया जा सकता है। **राजविअ - दिल्ली**	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के अनुसार, आर्थिक मामलों के विभाग के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वे आरबीआई खाते में जीआईए वेतन और जीआईए जनरल में अप्रयुक्त शेष राशि को राजविअ, मुख्यालय के संबंधित वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित करें, ताकि अप्रैल 2021 के पहले 15 दिनों के वेतन सहित व्यय को 31.03.2021 के ईमेल के माध्यम से किया जा सके। अप्रयुक्त शेष को मुख्यालय में अंतरित कर दिया गया। अन्वेषण प्रभाग, राजविअ झांसी ने दिनांक 31.03.2021 को मुख्यालय में 13,93,526/- रुपये (0.14 रुपये) हस्तांतरित करने का प्रयास करते हुए राशि न तो मुख्यालय खाते में जमा की गई और न ही राजविअ, झांसी को वापस कर दी गई। तदनुसार, राजविअ इस धारणा के तहत था कि, यह वित्त वर्ष 2020-21 का अंतिम दिन था, इसलिए राशि 31.03.2021 की मध्यरात्रि के बाद समाप्त हो सकती थी, तदनुसार दिनांक 07.04.2021 को राजविअ ने जल शक्ति मंत्रालय को सूचित किया कि फंड पीएओ को वापस कर दिया गया था क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या के कारण, लेनदेन पूरा नहीं हुआ था। इस तथ्य को

	आगे मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.04.2021 के पत्र द्वारा मंत्रालय द्वारा पीएओ, जल शक्ति मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था, जिसमें अप्रैल, 2021 के पहले पखवाड़े के लिए व्यय को चुकाने के लिए राजविअ के टीएसए जनरल अकाउंट में राशि को वापस करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, इस संबंध में मंत्रालय से आगे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, राजविअ के वार्षिक खाते में 13,93,526/- रुपए (0.14 करोड़ रुपए कहें) की यह राशि मार्गस्थ/मार्गस्थ ड्राफ्ट में नकदी के रूप में दर्शाई जा रही है। इसके बाद राजविअ के वार्षिक खाते 2021-22 के कैग ऑडिट के दौरान, ऑडिट पार्टी ने पाया कि "चूंकि तकनीकी कारणों से लौटाए गए अनुदान की भरपाई नहीं की जा सकी, इसलिए इसे ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि राजविअ के दिनांक 07.04.2021 के पत्र के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रालय को गलत जानकारी दी है। यह समझा जाता है कि टीएसए खाते में पड़ी निधि प्रत्येक 31 मार्च की मध्यरात्रि के बाद स्वत व्यपगत हो जाती है/सरकारी कोषागार में वापस आ जाती है। राजविअ ने अपने पत्र संख्या राजविअ/50(7)/एबी/2023/5506 दिनांक

	06.07.2023 के माध्यम से मंत्रालय से पीएओ, जल शक्ति मंत्रालय से पुष्टि करने का अनुरोध किया कि क्या 31.03.2021 की मध्यरात्रि के बाद ₹13,93,526/- व्यपगत/स्वचालित रूप से पीएओ/सीएफआई को वापस कर दिए गए। तदनुसार, वर्ष 2023-24 में एक रिवर्स एंट्री पारित की गई थी और कैश इन ट्रांजिट/ड्राफ्ट इन ट्रांजिट, राजविअ के अंतिम खाते में अब दिखाई नहीं देता है। अत पैरा को हटा दिया जाए।

घ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति/आकस्मिक देयताएं और लेखा आकस्मिक देयताओं और लेखाओं के लिए टिप्पणियां (अनुसूची 25) अनुसूची 25 का नोट नंबर 2 पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों के अनुमानित मूल्य का विवरण प्रस्तुत करता है और (निवल अग्रिम) प्रदान नहीं किया गया है। राजविअ, ग्वालियर के रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर, यह देखा गया है कि 31.03.2024 तक 364.18 लाख रुपये के अनुबंध मूल्य की चल रही तीन परियोजनाएं थीं। इसमें से 31.03.2024 तक 30.88 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। तथापि, शेष 333.30 लाख रुपए की राशि पूंजीगत वचनबद्धताओं के रूप में प्रकट नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप राजविअ ग्वालियर के लिए 31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र की अनुसूची 25 के नोट नंबर 2 में 333.30 लाख रुपये की पूंजी प्रतिबद्धताओं का कम प्रकटीकरण हुआ है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है और इसे भविष्य में किया जाएगा।

ड़. सामान्य **(क) बैंक समाधान विवरण** राजविअ [बैंक खाता संख्या 51026251173 (वेतन खाता एसबीआई); 37718992394 (राजविअ एसबीआई जनरल) और 51026247906 (सीपीएफ एसबीआई खाता)] के बैंक बैंक समाधान विवरण की जांच से पता चलता है कि बैंकों द्वारा प्राप्त 7303.34 लाख रुपये की राशि खातों में ली जानी चाहिए और बैंकों के साथ कार्रवाई करने के बाद कैश बुक में दर्ज की जानी चाहिए। 173.46 लाख रुपये की राशि बैंक खाते में डेबिट की गई थी लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं की गई थी। 7018.51 लाख रुपये की राशि रोकड़ बही में प्रविष्ट की गई थी लेकिन बैंक द्वारा समाशोधन नहीं किया गया था। बैंक सुलह विवरणों में दिखाई देने वाली प्रविष्टियां, जो 3 महीने से अधिक समय से लंबित हैं, की आगे जांच करने और उनका मिलान करने/बट्टे खाते में डालने/बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।	क) इन राशियों का वर्तमान वर्ष के दौरान पूर्ण मिलान किया जाएगा तथा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा।
(ख) जल मंथन वित्तीय विवरण के शीर्ष पूंजीगत निधि (अनुसूची-I) में **696 लाख रुपए** की राशि का अव्ययित अनुदान शेष शामिल है जिसे बहियों में दायित्व के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजी	(ख) राजविअ ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया है, इस राशि को पूंजीगत और राजस्व के दो-भागों में बांटा गया है। राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान के हिस्से को आय और व्यय

निधि का अधिक विवरण और वर्तमान देयताओं और प्रावधानों (अनुसूची 7) का इतनी ही राशि से कम विवरण दिया गया है। **राजविअ दिल्ली**	खाते में जमा किया जाता है और पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किए गए हिस्से को पूंजी निधि के रूप में दर्शाया जाता है। इस मामले में, राजविअ द्वारा इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया था। तुलन-पत्र में 6,95,888/- रुपए की राशि को देयताओं के पक्ष में पूंजी निधि के रूप में दर्शाया गया है और आस्ति पक्ष को अनुसूची 11 में वर्तमान आस्ति के रूप में दर्शाया गया है। संपत्ति पक्ष का विवरण नीचे दिया गया है: i) बैंक शेष - रुपए 6,19,937.00 ii) ऋण और अग्रिम - रुपया 14,101.00 (iii) प्रतिभूति जमा - रुपए 61,850.00 कुल - रुपए 695888.00 इसके अलावा, राजविअ में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के संबंध में, राजविअ द्वारा एमओजेएस को रिफंड प्रक्रिया के लिए दिनांक 13.09.2024 को एक पत्र जारी किया गया है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आलोक में पैरा को हटा दिया जाए।
(ग) मैसर्स एक्सेलिनोवा कंसल्टेंसी ने सोन - (एसटीजी) लिंक नहर की दक्षिणी सहायक नदियों के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों के लिए दिसंबर 2023 में 11.90 लाख रुपये और 4.24 लाख रुपये के दो बिल प्रस्तुत किए हैं। बिलों के लिए प्रावधान खातों में नहीं	(ग) मैसर्स एक्सेलिनोवा कंसल्टेंसी द्वारा सोन बांध-गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों (एसटीजी) लिंक नहर के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों के लिए प्रस्तुत

किया गया था क्योंकि अनुबंध पूरा नहीं हुआ था। इसका खुलासा लेखा-टिप्पणियों में किया जाना चाहिए। **राजविअ पटना**	किए गए 16.14 लाख रुपए के दो बिल प्राप्त हुए थे लेकिन यह संविदा के अनुसार पूर्ण नहीं था और इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31/03/2024 तक सत्यापित और पारित नहीं किया जा सका। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आईडी, राजविअ पटना की लेखा खातों में बिल नहीं लिए गए हैं और इसलिए इसे बैलेंस शीट में देनदारियों के रूप में भी नहीं लिया गया था। 05.10.2024 को किए गए 11.90 लाख रुपये और 4.24 लाख रुपये का भुगतान अभी भी लंबित है।
(घ) उपर्युक्त शीर्ष खाते में निम्नलिखित राशियां शामिल हैं जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम है आज की तारीख के अनुसार कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम के लिए 2.97 लाख रुपये की राशि और उसमें से, 2.42 लाख रुपये की राशि 1986 से 2008 की अवधि से संबंधित है। **राजविअ हैदराबाद**	((घ) (i) प्रतिनियुक्ति पर रखे गए व्यक्तियों की शीघ्र बरामदगी के लिए उनके मूल विभाग को डी.ओ. पत्र लिखकर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया जा रहा है।
(ii) 1984 से 2009 की अवधि से संबंधित आज की तारीख के अनुसार प्राप्य अवकाश, वेतन दावे और पेंशन अंशदान के लिए 3.80 लाख रुपए की राशि। **राजविअ हैदराबाद**	(घ) (ii) प्रतिनियुक्ति पर रखे गए व्यक्तियों की शीघ्र बरामदगी के लिए उनके मूल विभाग को डी.ओ. पत्र लिखकर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया जा रहा है।
(iii) 0.07 लाख रुपये की राशि वित्त वर्ष 2019-20 में कार्यपालक अभियंता को अस्थायी	

अग्रिम के रूप में भुगतान की गई । न तो अन्वेषण प्रभाग, नासिक ने संबंधित कर्मचारी से राशि वसूल की और न ही इसे खर्च के रूप में बुक किया । संबंधित फाइलें/दस्तावेज भी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए । **राजविअ- नासिक**	(iii) इस राशि का पूरी तरह से मिलान किया जाएगा और वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा। अनुपालन अगले ऑडिट में दिखाया जाएगा।
(iv) 1986-87 से 1997-98 के दौरान 11 कर्मचारियों को अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता/टीटीए अग्रिम और त्यौहार अग्रिम के रूप में 0.18 लाख रुपए की राशि दी गई। ये अग्रिम 38 वर्षों से वसूली के लिए लंबित हैं । **राजविअ- ग्वालियर** (v) अवकाश वेतन की 0.72 लाख रुपए की राशि 1987 से वसूली के लिए लंबित है। यह राशि 37 साल से बकाया है और वसूली की संभावना बहुत कम है। **राजविअ- ग्वालियर**	(iv) और (v) ग्वालियर सर्किल के खातों में लंबे समय से लंबित अवकाश वेतन है। सर्किल ने प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के मूल विभागों से राशि की वसूली के लिए कई अवसरों पर विशेष अभियान चलाया है। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, राशि अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि इसके निपटारे के प्रयास जारी हैं। अब अधिकारियों के संबंधित मूल विभाग को डीओ पत्र लिखकर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।
(vi) 7.18 लाख रुपये की वसूली योग्य अवकाश वेतन की राशि दिखाई गई है। राजविअ को उस राशि को मंजूरी देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि इसे 2020-21 से लगातार दर्शाया गया था। **राजविअ दिल्ली** (vii) 222.54 लाख रुपये की राशि जो 1991 से बकाया थी। **राजविअ - दिल्ली**	(vi) प्रतिनियुक्ति पर रखे गए व्यक्तियों की शीघ्र बरामदगी के लिए उनके मूल विभाग को डी.ओ. पत्र लिखकर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया जा रहा है।

इन अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किए जाने चाहिए थे। **इसी तरह की टिप्पणी 2022-23 के दौरान राजविअ पटना के लिए जारी की गई थी। तथापि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।**	(vii) विभिन्न पक्षों से उपर्युक्त अग्रिमों की वसूली/समायोजन के लिए आवश्यक प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। अनुपालन अगले ऑडिट में दिखाया जाएगा।
च. सहायता अनुदान राजविअ को 2023-24 के दौरान 83.29 करोड़ रुपये (अनुदान के रूप में 82.65 करोड़ रुपये, जी20 के लिए अनुदान के रूप में 0.64 करोड़ रुपये) का कुल अनुदान सहायता प्राप्त हुआ। इसमें अव्ययित अनुदान के रूप में पिछले वर्ष का आरंभिक शेष 8.76 करोड़ रुपए था। राजविअ को अन्य आय 5.03 करोड़ रुपये (प्राप्तियों/वसूलियों के रूप में 0.84 करोड़ रुपये, परामर्श शुल्क से प्राप्तियों के रूप में 3.63 करोड़ रुपये, ब्याज के रूप में 0.56 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ। 97.08 करोड़ रुपए की कुल निधि में से राजविअ ने 88.18 करोड़ रुपए का उपयोग/वापस/व्यपगत अनुदान छोड़ दिया है और 8.90 करोड़ रुपए का अनुदान अप्रयुक्त रह गया है।	यह तथ्य का कथन है।

प्रबंधन पत्र के अनुलग्नक का उत्तर	
1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है लेकिन करार ज्ञापन (एमओए) के अनुसार, मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में वित्त शाखा द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उप-नियमों के खंड 23 के अनुसार जब कभी शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए तो अभिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा जल संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा भी की जा सकती है। राजविअ के 15 क्षेत्रीय कार्यालयों में से चार क्षेत्रीय कार्यालयों नामक कोलकाता (2022-23 तक आयोजित), भोपाल (2019-20 तक आयोजित), झांसी (2021-22 तक आयोजित) और वडोदरा सर्किल (2022-23 तक आयोजित) में 2023-24 तक आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया है। **राजविअ दिल्ली**	(क) राजविअ का कोई पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा राजविअ मुख्यालय के निदेशक (वित्त) और लेखाओं के पर्यवेक्षण में वित्त शाखा के मौजूदा कर्मचारियों द्वारा की जाती है जिसकी लेखा परीक्षा जल संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा भी की जाती है।
ख. राजविअ, पटना और लखनऊ की आंतरिक लेखा परीक्षा राजविअ मुख्यालय द्वारा की जाती है। राजविअ, पटना की आंतरिक लेखा परीक्षा को 2022-23 के दौरान 01.04.2022 से 23.11.2022 की अवधि के लिए और 2023-24 के दौरान 01.04.2023 से 05.03.2024 की अवधि के लिए शामिल किया गया था। इस प्रकार, राजविअ, पटना प्रभाग की आंतरिक लेखा परीक्षा को 2022-23 के दौरान 24.11.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए और फिर 2023-24 के दौरान 06.03.2024 से 31.03.2024 की अवधि के लिए शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर अभी तक राजविअ, पटना द्वारा प्रस्तुत किए	(ख) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार प्रत्येक कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा की गई थी। हालांकि, ऑडिट के अवलोकन को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।

जाने थे, हालांकि इसका उत्तर एक महीने के भीतर दिया जाना था। राजविअ, लखनऊ की आंतरिक लेखा परीक्षा 2022-23 के दौरान 01.04.2022 से 27.08.2022 की अवधि के लिए और 2023-24 के दौरान 01.04.2023 से 31.01.2024 की अवधि के लिए शामिल की गई थी। इस प्रकार, राजविअ, लखनऊ प्रभाग का आंतरिक ऑडिट 2022-23 के दौरान 28.08.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए और फिर 2023-24 के दौरान 01.02.2024 से 31.03.2024 की अवधि के लिए शामिल नहीं किया गया था।	
(राजविअ पटना)	
(ग) अन्वेषण प्रभाग कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा अन्वेषण सर्किल कार्यालय द्वारा की गई थी और अन्वेषण सर्किल की आंतरिक लेखा परीक्षा राजविअ मुख्यालय द्वारा की गई थी। राजविअ के भुवनेश्वर प्रभाग और अन्वेषण सर्किल कार्यालय का आंतरिक ऑडिट 2023-24 तक किया गया था। अनुपालन के लिए कोई पैरा लंबित नहीं था। हालांकि, अन्वेषण प्रभाग कोलकाता का आंतरिक 2022-23 तक पूरा हो गया था और अन्वेषण प्रभाग राजमुंदरी को अप्रैल 2024 में उप प्रभाग से प्रभाग में अपग्रेड किया गया था।	(ग) यह तथ्य का कथन है।
(राजविअ भुवनेश्वर)	
घ. राजविअ अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग नागपुर और अन्वेषण प्रभाग चेन्नई का आंतरिक ऑडिट वर्ष 2023-24 के लिए आयोजित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए अन्वेषण प्रभाग बैंगलोर का आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया था।	घ) यह तथ्य का कथन है।
राजविअ हैदराबाद	
	(ङ) यह तथ्य का कथन है।

(ङ) राजविअ अन्वेषण प्रभाग नासिक का कोई पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग/शाखा नहीं है। अन्वेषण प्रभाग नासिक का आंतरिक ऑडिट 06.12.2023 तक की अवधि के लिए किया गया है। **राजविअ नासिक**	
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: (क) लेखापरीक्षा वार्षिक लेखों में यथा परिलक्षित दीर्घावधिक अग्रिमों की राशि की सत्यता का सत्यापन नहीं कर सकी क्योंकि अग्रिम वर्ष 1991 से लंबित हैं। ख. जीएफआर-22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया। ग. 21.05.2021 से अब तक दो अनुशासनात्मक मामले लंबित थे। घ. मार्च 2022 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। **राजविअ** दिल्ली ड़.) 07.08.2023 को एक कर्मचारी को 1.00 लाख रुपये की अग्रिम हस्तांतरण अनुदान का भुगतान किया गया था जो राजविअ, लखनऊ के खातों में असमायोजित पड़ा था, हालांकि संबंधित कर्मचारी ने 15.02.2024 को बिल जमा कर दिया है। छह महीने से अधिक समय तक असमायोजित हस्तांतरण अनुदान अग्रिम प्रदर्शित करना जीएफआर नियम के खिलाफ है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में चूक दर्शाता है। **(राजविअ पटना)**	(क) एनडब्ल्यूडीए मुख्यालय लंबे समय से लंबित अग्रिमों के समायोजन की प्रक्रिया में है और इसे अगले ऑडिट में दिखाया जाएगा। (ख) परिसम्पत्ति रजिस्टर जीएफआर-22 के अनुसार रखा जाएगा और अगली लेखा परीक्षा को दिखाया जाएगा। (ग) दिनांक 21/05/2021 से केवल एक अनुशासनिक मामला लंबित है। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और इसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार करने और रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है। (घ) वित्त वर्ष 2022 तक की गई आंतरिक लेखा परीक्षा की गई ।

(च) राजविअ अन्वेषण सर्किल द्वारा संबंधित पार्टियों से देनदारों/ऋण और अग्रिम की पुष्टि नहीं की गई। **(राजविअ भुवनेश्वर)** (छ) लेखा अनुभाग से संबंधित सभी कार्य अधिशासी अभियंता के मार्गदर्शन में एक प्रवर श्रेणी लिपिक (गैर-वाणिज्य पृष्ठभूमि) और एक संविदा कर्मचारी द्वारा संभाला जा रहा है। **राजविअ नासिक**	(ङ) अधिकारी द्वारा बिल प्रस्तुत न करने के कारण दंडात्मक ब्याज सहित अग्रिम राशि 12.08.2024 को वसूल कर ली गई है। उपर्युक्त को देखते हुए पैरा को हटा दिया जाए। (च) सर्किल में ऐसा कोई मामला नहीं है। (छ) यह तथ्य का कथन है।
3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: क. राजविअ (मु), नई दिल्ली के भवन, फर्नीचर और स्थिरता, संयंत्र और मशीनरी, वाहन, और कंप्यूटर और सहायक उपकरण जैसी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2024 तक किया गया था। **राजविअ दिल्ली** ख) वर्ष 2023-24 के लिए राजविअ, अन्वेषण प्रभाग बैंगलोर, अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग नागपुर और अन्वेषण प्रभाग चेन्नई के लिए परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया था। **राजविअ हैदराबाद** ग. अन्वेषण प्रभाग (पटना और लखनऊ) सहित अन्वेषण सर्किल, पटना की फर्नीचर और फिक्स्चर, उपकरण और संयंत्र, वाहन और कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों जैसी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2024 तक किया गया था। **(राजविअ पटना)** घ. अचल संपत्तियों और प्रभागों और सर्किल कार्यालय के स्टोर और पुर्जों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किया गया था। प्रत्येक संपत्ति के लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित की जाती है । हालांकि,	(क) यह तथ्य का कथन है। (ख) यह तथ्य का कथन है । कोई टिप्पणी नहीं (ग) यह तथ्य का कथन है

पीवी रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया था और न ही संपत्ति रजिस्टर में। **(राजविअ भुवनेश्वर)**	(घ) यह नोट किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है।
4. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली स्टेशनरी, पुस्तकों और प्रकाशनों और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 2023-24 तक किया गया है। **राजविअ दिल्ली**	यह तथ्य का कथन है
5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता क. किसी भी इकाई में 31.3.2024 तक वैधानिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था। **राजविअ दिल्ली** (ख) राजविअ, हैदराबाद सांविधिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से करता है। **राजविअ हैदराबाद** ग. 31.03.2024 को वैधानिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक समय तक कोई भुगतान बकाया नहीं था। **राजविअ पटना** घ. भुगतान के लिए कोई वैधानिक बकाया (आयकर और पेशेवर कर) लंबित नहीं था। **राजविअ भुवनेश्वर** ***	(क) यह तथ्य का कथन है कोई टिप्पणी नहीं (ख) यह तथ्य का कथन है कोई टिप्पणी नहीं (ग) यह तथ्य का कथन है कोई टिप्पणी नहीं (घ) यह तथ्य का कथन है

प्रबंधन पत्र	
1. 2023-24 से संबंधित अन्य प्रशासनिक व्यय जैसे पेट्रोल, सफाई कर्मचारी वेतन, आउटसोर्सिंग व्यक्ति आदि पर व्यय जैसी बकाया देनदारियों का 31 मार्च 2024 तक हिसाब नहीं किया गया है।**राजविअ पटना**	1. भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
2.. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ - अन्य में एसओआई देहरादून और वाप्कोस, नई दिल्ली को दिए गए अग्रिमों से संबंधित 5,25,507 रुपये की राशि शामिल है, जो क्रमशः 2004-05 और 2013-14 से वसूली/समायोजन के लिए लंबित है। यह राशि तब से बकाया है, जब से पार्टियों से अंतिम बिलों का इंतजार किया जा रहा है। पार्टियों से अंतिम बिल प्राप्त करने और लंबे समय से लंबित अग्रिमों को समायोजित करके व्यय का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। **राजविअ ग्वालियर**	2. एसओआई और डब्ल्यूएपीसीओएस से अंतिम बिलों के अभाव में अग्रिमों का निपटान नहीं किया गया है। अब, सभी प्रभागों को अंतिम निपटान के लिए संबंधित संगठनों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है और इसे अगले ऑडिट में दिखाया जाएगा।
3. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची 7) में वर्तमान देयता मदें शामिल हैं "अन्य एलएसपीसी को मुख्यालय से प्राप्त" दिनांक 31 मार्च 2017 को डीएसआईआईडीसी से प्राप्त 60,809 रुपये की राशि अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान (एलएसपीसी) के रूप में मिली। चूंकि यह राशि छह साल से अधिक	3.लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई है कि इसे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सेवानिवृत्ति लाभों में समायोजित किया जाएगा और अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा।

पुरानी है,इसलिए इसे खातों से हटाया जाना चाहिए। **राजविअ दिल्ली**	
4.अनुसूची 7 - वर्तमान देनदारियों में 'अधिशासी अभियंता को अग्रिम' के क्रेडिट बैलेंस के रूप में दिखाए गए 6,873 रुपये की राशि शामिल है, जिसके लिए 2019-20 के दौरान अंतिम समायोजन किया गया था। हालांकि, राशि को आय के रूप में लेखांकन के बजाय देनदारियों के तहत गलत तरीके से दिखाया गया है। सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। **राजविअ- नासिक**	4.इस राशि का पूर्ण मिलान किया जाएगा तथा वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, अतः कृपया इसे हटा दिया जाए।
5. वर्ष 2023-24 के दौरान 9,697 रुपये (4,499 + 5,198) हार्ड डिस्क खरीदी गई, जिन्हें अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) में 'लघु कार्य ' शीर्षक के तहत गलत तरीके से शामिल किया गया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते है। **राजविअ - दिल्ली**	5.लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है। भविष्य में उक्त मदों को परिसंपत्ति शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इसलिए, कृपया पैरा को हटा दिया जाए।
6. अचल संपत्ति (अनुसूची 8) में 0.11 लाख रुपये की राशि शामिल है जो बिजली के पंखों का निवल मूल्य है। हालांकि, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार, विद्युत मशीनरी, बिजली की लाइट / पंखे, स्विच गियर उपकरण, ट्रांसफार्मर और बिजली के तार और फिटिंग जैसे विद्युत प्रतिष्ठानों को एक अलग उप-शीर्षक	6.आगामी वर्षों में खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए निर्देश/टिप्पणियाँ नोट कर ली गई हैं। अतः कृपया इस पैरा को हटा दिया जाए।

अर्थात विद्युत स्थापना में दिखाया जाना है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। **राजविअ हैदराबाद**	
7.अचल संपत्ति रजिस्टर (अनुसूची -8) और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजविअ अन्वेषण प्रभाग- II, नासिक ने 02/09/2023 को कार्यालय उपयोग के लिए 34,000/- रुपये मूल्य के 2 एलईडी टीवी मॉनिटर 32 इंच खरीदे। तथापि, इन मदों को कार्यालय उपस्कर शीर्ष के बजाय कम्प्यूटर/पेरिफेरल्स शीर्ष के अंतर्गत स्थायी आस्तियों की अनुसूचियों (अनुसूची-8) में बुक किया गया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। **राजविअ नासिक**	7.लेखा शीर्ष को सही किया जाएगा और वर्तमान वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा मार्गदर्शन के अनुसार मूल्यह्रास की पुनः गणना की जाएगी और अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा। इसलिए कृपया लेखापरीक्षा पैरा को हटा दिया जाए।
8.वाउचरों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजविअ नासिक प्रभाग ने 12.04.2023 (वाउचर संख्या 58) और 06.09.2023 (वाउचर संख्या 54) को अन्वेषण प्रभाग-I और अन्वेषण प्रभाग -II में आधिकारिक उपयोग के लिए क्रमशः 2,39,978 रुपये और 1,11,500 रुपये की राशि के 2 एचपी, मल्टीफ़ंक्शन वाइड फॉर्मेट प्लॉटर प्रिंटर खरीदे। हालांकि, अचल संपत्ति रजिस्टर की जांच करने पर, इन वस्तुओं को "फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग" (अन्वेषण प्रभाग -I) और "प्लांट, मशीनरी और	8.लेखापरीक्षा के अनुपालन के रूप में अचल संपत्ति रजिस्टर प्रविष्टियों को सही कर दिया गया है। इसलिए, कृपया पैरा को हटा दिया जाए।

उपकरण" (अन्वेषण प्रभाग -II) के तहत वर्गीकृत किया गया था, जबकि अचल संपत्ति अनुसूची- 8 की जांच करने पर, यह देखा गया है कि इन्हें कंप्यूटर / पेरिफेरल्स के तहत बुक किया गया है। अचल संपत्ति रजिस्टर में विसंगति को उस हद तक सुधारने की जरूरत है। **राजविअ- नासिक**	
9. वर्ष 24-2023के लिए राजविअ, अन्वेषण प्रभाग, भोपाल और अन्वेषण सर्किल, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत अनुसूची 8के खंड ए में सकल ब्लॉक, मूल्यह्रास आदि के पिछले वर्ष के आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए गए थे। समेकित वार्षिक खातों के लिए भी ऐसा नहीं पाया गया। सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। **राजविअ ग्वालियर**	9.जैसा कि पहले बताया गया है, राजविअ के वार्षिक खाते अभिकरण से संबंधित प्रासंगिक अनुसूचियों के साथ तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार अनुसूची 8 का भाग ख जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीति और प्रगति में पूंजीगत कार्य शामिल है, प्रदर्शित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन के अनुसार, शून्य अनुसूची तैयार की जाएगी और अगले लेखापरीक्षा को दिखाई जाएगी। उपरोक्त के मद्देनजर, कृपया पैरा को हटा दिया जाए।
10. व्यय शीर्ष निर्माण (अनुसूची 21) में एनपीएस के कर्मचारी के हिस्से के लिए 11,976 रुपये का व्यय शामिल है। कर्मचारी योगदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत है और सरकार द्वारा 01.04.2019 से 14 प्रतिशत की दर से योगदान किया जा रहा है। एनपीएस में केवल सरकार के अंशदान को ही स्थापना व्यय के रूप में गिना जाना चाहिए। तथापि, राजविअ, ग्वालियर ने स्थापना व्यय के रूप में कर्मचारियों के	10.इस राशि का पूर्णतः मिलान किया जाएगा तथा वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा (यदि कोई हो) तथा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा।

11,976 रुपए के अंशदान का लेखा-जोखा रखा है। कर्मचारी का योगदान कर्मचारी के वेतन और पारिश्रमिक से घटाया जाना है और संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाना है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि एनपीएस में नियोक्ता (सरकार) का हिस्सा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 3508063 रुपए है। तथापि, राजविअ, ग्वालियर ने स्थापना व्यय के अंतर्गत एनपीएस में नियोक्ता (सरकारी) हिस्से के रूप में 35,54,916 रुपए का हिसाब रखा है। इसके परिणामस्वरूप 58,829 रुपये [(रुपये 35,54,916 - रुपये 35,08,063) + रुपये 11,976] द्वारा व्यय की अधिक बुकिंग हुई है। नियोक्ता के शेयर के एनपीएस योगदान में उपरोक्त अंतर को और आय और व्यय खाते में अद्यतन आंकड़ों को सही करने की आवश्यकता है। **राजविअ ग्वालियर**	
11. लेखा प्रधान कार्यालय व्यय में 3,85,161 रुपए का व्यय शामिल है जो पिछले वर्षों से संबंधित व्यय है। राजविअ ग्वालियर ने वर्ष 2022-23 में उपरोक्त व्यय के लिए देयता प्रदान करने में चूक की और वर्तमान वर्ष के व्यय में राशि दर्ज की। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। **राजविअ ग्वालियर**	11.लेखापरीक्षा की टिप्पणी भविष्य के लिए नोट कर ली गई है।

12. व्यय शीर्ष कार्य (अनुसूची 21) में घाघरा-यमुना लिंक नहर परियोजना के हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो सैटेलाइट के कार्य के लिए किए गए व्यय के लिए किए गए 12,43,956 रुपये की राशि शामिल नहीं है, जिसे 11.07.2022 को मेसर्स मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। कार्य का कुल मूल्य 18,07,760 रुपये था और मेसर्स मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 5,63,804 रुपये का बिल दिया गया था। शेष कार्य के लिए 12,43,956 रुपये का चालान मेसर्स मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 31.01.2024 को बनाया गया था। हालाँकि, राजविअ सर्कल कार्यालय ग्वालियर ने उपरोक्त व्यय के लिए देयता नहीं बनाई। भविष्य में ऐसे उदाहरणों से बचने के प्रयास किए जा सकते हैं। **राजविअ ग्वालियर**	12.लेखापरीक्षा की टिप्पणी भविष्य के लिए नोट कर ली गई है।
13. अनुसूची 20 और 21 ए के अलावा प्राप्ति और भुगतान खाते के संबंध में अनुसूचियों का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए प्राप्ति और भुगतान खातों में आंकड़ों का प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े अनुसूचियों के संदर्भ के बिना दर्शाए गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से भी इस पर टिप्पणी की गई थी। प्रबंधन	13. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा अनुसूची 20 ए और 21 क के साथ विधिवत समर्थित है। उपर्युक्त के मद्देनजर, कृपया पैरा को हटा दिया जाए।

द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। **राजविअ ग्वालियर**	
14. केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के समान प्रारूप के अनुसार, खातों को उचित रूप से अनुक्रमित किया जाना चाहिए। राजविअ, आईसी, ग्वालियर के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करते समय वार्षिक लेखा को समुचित रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इस मुद्दे को वर्ष 2021-22 के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से भी उजागर किया गया था। प्रबंधन द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया था। **राजविअ ग्वालियर**	14.लेखापरीक्षा की टिप्पणी भविष्य के लिए नोट कर ली गई है।
15. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप (2001-02 से प्रभावी) जारी किया। इस प्रारूप के अनुसार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. तुलन पत्र 2. आय और व्यय खाते 3. उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां 4. प्राप्तियां और भुगतान खाते, 5. निर्देश और लेखा नीति, 6. अनुसूचियों के लिए नोट्स और निर्देश। वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्वेषण प्रभाग, नासिक ने खातों के समान प्रारूप की अनुसूची 24 और अनुसूची 25 के अनुसार खातों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां,	15. अनुसूची 24 एवं 25 से संबंधित लेखापरीक्षा की टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं तथा भविष्य में उन पर विचार किया जाएगा।

आकस्मिक देनदारियां और नोट तैयार/प्रस्तुत नहीं किए। सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। **राजविअ नासिक** 16. राजविअ अन्वेषण प्रभाग (आईडी), नासिक द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप की तुलना में अपनाए गए प्रारूप में निम्नलिखित विचलन देखे गए: क. तुलन पत्र में, अन्य प्रभाग (सर्किल से बाहर) से आस्तियों की शीर्ष रसीद को अलग मद के रूप में दिखाया गया है, हालांकि इसे तुलन पत्र में स्थायी परिसंपत्ति शीर्ष में समायोजित किया जा सकता है। इसे तुलन पत्र पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्तुति वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है। (ख) लेखा के एकसमान प्रारूप में यथा निर्धारित निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार नहीं की गई हैं: अनुसूची 7 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान), अनुसूची-11 और अनुसूची 13 - अनुदान और सब्सिडी (अप्राप्य अनुदान और प्राप्त सब्सिडी), अनुसूची 17 (अर्जित ब्याज), अनुसूची 18 (अन्य आय), अनुसूची 21 (अन्य प्रशासनिक व्यय आदि) राजविअ आईडी नासिक के खातों की अनुसूचियां वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में तैयार की जानी चाहिए ताकि इसके खातों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।	16.लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है तथा भविष्य में इस पर कार्यवाही की जाएगी।

17. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा की एकरूपता (अनुसूची-11) के अनुसार, बैंकों के शेष निम्नानुसार दर्शाए गए हैं: बैंक बैलेंस अनुसूचित बैंक के साथ वर्तमान खातों पर जमा खातों पर बचत खातों पर गैर-अनुसूचित बैंक के साथ वर्तमान खातों पर जमा खातों पर बचत खातों पर तथापि, खातों (अनुसूची-11) की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि राजविअ आईडी नासिक बैंक शेष निम्नानुसार दर्शाता है: एसबीआई नासिक के साथ बैंक बैलेंस -वेतन -सामान्य उपर्युक्त के अनुसार, राजविअ नासिक ने अनुसूची-11 के अंतर्गत एकसमान प्रारूप के अनुसार बैंक शेष को दिखाया/तैयार नहीं किया है। **राजविअ नासिक**	17. लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है तथा भविष्य में इस पर कार्यवाही की जाएगी।

.18कैश बुक की जांच के दौरान यह देखा गया कि कई कटिंग और ओवरराइटिंग थीं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अनुपालन को अगले ऑडिट में दिखाया जाना चाहिए। **राजविअ दिल्ली**	18.लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है और प्रविष्टियां प्रमाणित कर दी गई हैं। अतः कृपया पैरा हटा दिया जाए।
19. लघु कार्य व्यय 37.41 लाख रुपये अनुसूची 21 (अन्य प्रशासनिक व्यय) में दिखाए गए थे और उसमें से 1.40 लाख रुपये वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण पर और 1.90 लाख रुपये हिंदी पखवाड़ा से संबंधित थे, हालांकि यह व्यय प्रशासनिक व्यय में जाता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। **राजविअ दिल्ली**	19.लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। अतः कृपया पैरा को हटा दिया जाए।
.20अचल सम्पत्ति रजिस्टर में रु. 1.96 लाख की राशि के विद्युत अधिष्ठापन शामिल नहीं हैं, क्योंकि इस भौतिक सत्यापन की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती है। **राजविअ दिल्ली**	20. विद्युत स्थापना को पहले ही अचल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जा चुका है। इसे अगले ऑडिट में दिखाया जाएगा। इसलिए कृपया पैरा को हटा दिया जाए।
21. राजविअ मुख्यालय ने डीजीए (ए, एफ एंड डब्ल्यूआर), नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी प्रबंधन पत्र के जवाब में निर्दिष्ट किया है कि विद्युत प्रतिष्ठानों का @ 15 प्रतिशत मूल्यह्रास किया जाता है और इसका उल्लेख महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में किया	21. आगामी वर्षों में खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए निर्देशों/टिप्पणियों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसलिए कृपया पैरा को हटा दिया जाए।

किया जाएगा। तथापि, राजविअ, हैदराबाद की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (अनुसूची 24) में विद्युत संस्थापनाओं के लिए मूल्यास दर अर्थात् 15 प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रबंधन पत्र के उत्तर में दिए गए आश्वासन का राजविअ, हैदराबाद के खातों में अनुपालन नहीं किया गया था। **राजविअ, हैदराबाद**	
22. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार, सरकार, सरकारी उपक्रम और अन्य अधिसूचित संस्थाएँ अनुबंध के तहत भुगतान करने के लिए कुल भुगतान का 2% काट लेंगी, जहाँ अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक है और इसे उचित जीएसटी खाते में जमा कर दें। मेसर्स हंसराज ट्रेडर्स को किए गए भुगतान के संबंध में इसका अनुपालन अपर्याप्त है। **राजविअ पटना**	22. लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। अतः कृपया पैरा को हटा दिया जाए।
23. वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अन्वेषण प्रभाग, नासिक के तुलन-पत्र, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय एवं व्यय खाते की समीक्षा करने पर यह देखा जाता है कि अनुमोदित लेखे दिनांकित नहीं थे।यह अंतिम खातों के प्रमाणीकरण की अनुपस्थिति को इंगित करता है। **राजविअ नासिक**	23. अनुपालन हेतु नोट किया गया

24. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) शीर्ष में 54680 रुपये की राशि का बैंक बैलेंस शामिल है, जो एक वर्ष से अधिक समय से ट्रांजिट में है। एक वर्ष के लिए ट्रांजिट में नकदी के रूप में राशि का चित्रण आंतरिक नियंत्रण चूक को दर्शाता है क्योंकि नकदी एक वर्ष से अधिक समय से प्राप्तकर्ता कार्यालय में नहीं पहुंची है। मामले की रिपोर्ट उचित निवेश प्राधिकरण को देने के साथ-साथ उचित जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। **राजविअ - पटना**	24.अनुपालन के लिए नोट किया गया
25. राजविअ भुवनेश्वर ने 06.08.2016 से 05.08.2021 तक की अवधि के लिए 27,466/- रुपये प्रति माह की दर से जगह किराए पर ली। कार्यालय भवन के लिए किराया समझौता 06.08.2021 को समाप्त हो गया और अभी तक इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। जनवरी 2023 में सीपीडबल्यूडी द्वारा किए गए कार्यालय किराए के पुनर्मूल्यांकन से पता चला कि अगस्त 2021 से उचित किराया 41,000/- रुपये प्रति माह होना चाहिए। हालाँकि, राजविअ ने	.25यह कहा गया है कि पिछले समझौते के मकान किराए की दर @ 24,466/- प्रति माह के अनुसार प्रावधान रखा गया है क्योंकि मकान मालिक ने कई अनुस्मारक के बाद भी आज तक किराए के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं

लेखा खातों में अंतर किराए के लिए देयता का प्रावधान नहीं किया है। कार्यालय भवन किराए की अंतर राशि का प्रावधान न किए जाने पर विचार किया जा सकता है। **राजविअ भुवनेश्वर**	किए हैं। हालाँकि, भविष्य के मार्गदर्शन के लिए अवलोकन को नोट कर लिया गया है और प्रयास किए जाएंगे।

(विनोद कुमार)
निदेशक (वित्त)
राजविअ

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
भारत सरकार)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित समेकित वार्षिक लेखा विवरण

साकेत

नई दिल्ली

संशोधित राजविअ समेकित लेखा विवरण (मुख्यालय और प्रभाग)		
विषय सूची		
क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
1.	समेकित तुलन पत्र	1
2.	समेकित आय एवं व्यय लेखा	2
3.	सर्किलवार तुलन पत्र	3
4.	सर्किलवार आय एवं व्यय खाता (आय)	4
5.	सर्किलवार आय एवं व्यय लेखा (व्यय)	5
6.	अनुसूची-1- कॉर्पस/पूंजीगत निधि	6
7.	अनुसूची 2 भंडार और अधिशेष	7
8.	अनुसूची-3- उद्दिष्ट / विन्यास (सेनानिवृत एवं ग्रेच्युटी निधि)	8
9.	अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण और उधार	9
10.	अनुसूची 5: असुरक्षित ऋण और उधार	10
11.	अनुसूची 6 स्थगित क्रेडिट देनदारियां	11
12.	अनुसूची -7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान	12
13.	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण	14
14.	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-2-लागत/मूल्यांकन)	15
15.	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-3-वर्ष के दौरान जमा)	16
16.	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -4वर्ष के दौरान -कटौती)	17
17.	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-5 वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन)	18
18.	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -6 वर्ष की शुरुआत में)	19
19.	अनुसूची-8- नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तम्भ-7-वर्ष के दौरान जमा पर)	20

20.	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -8-वर्ष के दौरान कटौती)	21
21.	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-9-वर्ष में)	22
22.	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-10 चालू वर्ष के अंत में)	23
23.	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -11-पिछले वर्ष के अंत में)	24
24.	अनुसूची-9- उद्दिष्ट / विन्यास (सेनानिवृत एवं ग्रेच्युटी निधि) से निवेश	25
25.	अनुसूची 10 निवेश और अन्य	26
26.	अनुसूची -11- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	27
27.	अनुसूची-12- बिक्री/सेवाओं से आय	28
28.	अनुसूची-13-अनुदान/सब्सिडी (गैर वसूली योग्य अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)	29
29.	अनुसूची 14 शुल्क /सदस्यता	30
30.	अनुसूची 15 निवेश से आय	31
31.	अनुसूची 16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	32
32.	अनुसूची -17- अर्जित ब्याज	33
33.	अनुसूची-18- अन्य आय	34
34.	अनुसूची 19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी), 7 कार्य प्रगति पर	35
35.	अनुसूची 20 - स्थापना व्यय	36
36.	अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय	37
37.	अनुसूची 22 अनुदान, सब्सिडी पर व्यय	39
38.	अनुसूची 23 ऋण	40
39.	अनुसूची 24 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (उदाहरण)	41
40.	अनुसूची 25 आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणी (उदाहरण)	44
41.	समेकित प्राप्तियां और भुगतान खाता	45
42.	सर्किलवार प्राप्तियां और भुगतान खाता (प्राप्तियां)	47

43.	सर्किलवार प्राप्तियां और भुगतान खाता (भुगतान)	49
44.	अनुसूची 20 क- स्थापना व्यय	51
45.	अनुसूची 21क - अन्य प्रशासनिक व्यय	52
46.	31 मार्च, 2024 तक अंशदायी भविष्य निधि तुलन पत्र	54
47.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंशदायी भविष्य निधि आय और व्यय खाता	56
48.	अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएँ	57
49.	अनुसूची 7: वर्तमान देयताएं और प्रावधान	58
50.	अनुसूची 10 - निवेश अन्य	59
51.	अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	60
52.	अनुसूची 15 - निवेश से आय	61
53.	अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	62
54.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंशदायी भविष्य निधि प्राप्तियां और भुगतान	63
55.	सीपीएफ अभिदान का माहवार विवरण दर्शाने वाला विवरण	64
56.	सीपीएफ अंतिम भुगतान का विवरण	65
57.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वचन पत्र/सरकारी प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणिका	68
58.	आईडब्ल्यूडब्ल्यू 2023-2024 तुलन पत्र 31 मार्च, 2023 तक	70
59.	भारत जल सप्ताह 2023-2024 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा	71
60.	अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि	72
61.	अनुसूची 7: वर्तमान देयताएं और प्रावधान	73
62.	अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	74
63.	अनुसूची 13 - अनुदान / सहायिकी (अप्राप्य अनुदान और सब्सिडी प्राप्त)	75
64.	अनुसूची 14- शुल्क /सदस्यता	76
65.	अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	77
66.	अनुसूची 18 - अन्य आय	78
67.	अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय	79

68.	आईडब्ल्यूडब्ल्यू प्राप्तियां और भुगतान 2023-24	81
69.	अनुसूची 21ए - अन्य प्रशासनिक व्यय	83
70.	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक राजविअ आईडब्ल्यूडब्ल्यू ट्रायल बैलेंस	85
71.	1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024 अनुबंध 1-राजविअ आईडब्ल्यूडब्ल्यू ऋण और अग्रिम	88
72.	31 मार्च 2024 तक जल मंथन शेष	89
73.	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार जल मंथन आय एवं व्यय लेखा	90
74.	अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि	91
75.	अनुसूची 7: वर्तमान देयताएं और प्रावधान	92
76.	अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	93
77.	अनुसूची 13 - अनुदान / सहायिका (अप्राप्य अनुदान और प्राप्त सहायिका)	94
78.	अनुसूची 14 - शुल्क / सब्स्क्रिप्शन	95
79.	अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	96
80.	अनुसूची 18 - अन्य आय	97
81.	अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय	98
82.	31.03.2024 तक जल मंथन रसीदें और भुगतान खाता	99
83.	अनुसूची 21क - अन्य प्रशासनिक व्यय	101
84.	अन्य के लिए अग्रिम	102
85.	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 20234 तक राजविअ जल मंथन ट्रायल बैलेंस	103
86.	पीएमकेएसवाई योजना के तहत एलटीआईएफ - वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता	104
87.	केबीएलपीए - वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता	106

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च, 2024 को समेकित तुलन पत्र

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र/पूंजीगत निधि	1	240256526	241688989
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0	0
विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	0	0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0	0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देयताएं	6	0	0
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	313203501	423130049
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियां प्राप्त करना	7	0	0
कुल		**553460027**	**664819038**
परिसंपत्तियां			
निर्धारित /अक्षय निधि	3	0	0
नियत परिसंपत्तियां	8	44258924	44241153
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों	9	0	0
निवेश–अन्य	10	16118738	60092612
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	493082365	560456512
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का स्थानांतरण		0	28761
कुल		**553460027**	**664819038**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां			
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां			

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 तक के लिए समेकित आय तथा व्यय लेखा

			राशि रूपये में
आय	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	9807402	13433792
अनुदान/सहायिकी	13	802256337	775554649
प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान व सहायिकी शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14		
निवेश से आय (उद्दिष्ट/विन्यास में निवेश से आय, निधि में अंतरित निधि)	15		
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	2369527	8877278
उद्भूत ब्याज	17	9452779	6555994
अन्य आय	18		
तैयार माल, प्रगति पर कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/कमी	19		
कुल (क)	20	**823886045**	**804421713**
व्यय	20	511101032	553246616
स्थापना व्यय	21	1401179	1434969
पूर्व अवधि व्यय (स्थापना व्यय)	21	70045941	84873795
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	445013	3100412
पूर्व अवधि व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय)	21	242065864	181075077
निर्माण कार्य	22	0	0
पूर्व अवधि व्यय (निर्माण कार्य)	23	0	0
मूल्यह्रास	8	9646611	9345784
कुल (ख)		**835414773**	**833076653**

व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख)	-11528728	-28654939
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण		
अधिशेष जमा को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया	**-11528728**	-**28654939**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां		

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलनपत्र

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1	187599991	-1644395	44487143	3621524	1427197	4765066	240256526	241688989
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0	0	0	0	0	0	0	0
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	0	0	0	0	0	0	0	0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0	0	0	0	0	0	0	0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0	0	0	0	0	0	0	0
आस्थगित ऋण देयताएं	6	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	259361890	12768028	9358273	5819819	14738254	11157237	313203501	423130049
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति	7	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**446961881**	**11123633**	**53845416**	**9441343**	**16165451**	**15922303**	**553460027**	**664819038**
परिसंपत्तियां									
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	0	0	0	0	0	0	0	0
नियत परिसंपत्तियां	8	21208257	3284381	3910973	4598935	5460280	5796098	44258924	44241153
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9	0	0	0	0	0	0	0	0
निवेश–अन्य	10	16118738	0	0	0	0	0	16118738	60092612
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	409634886	7839252	49934443	4842408	10705171	10126205	493082365	560456512
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का अंतरण	11	0	0	0	0	0	0	0	28761
कुल		**446961881**	**11123633**	**53845416**	**9441343**	**16165451**	**15922303**	**553460027**	**664819038**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24								
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणी	25								

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023–24 के लिए सर्किलवार आय और व्यय खाता (आय)

									राशि रूपये में
विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
विक्रय / सेवा से आय	12	9807402		0	0	0	0	9807402	13433792
अनुदान / सहायिकी	13	245951578	90189016	7979717 0	126156151	173667431	86494991	802256337	775554649
शुल्क / सब्सक्रिप्शन	14	0	0	0	0	0	0	0	0
निवेश से आय (उद्दिष्ट / अक्षय निधियों	15	0	0	0	0	0	0	0	0
में निवेश से आय जो निधियों में अंतरित की		0	0	0	0	0	0	0	0
गई हो)		0	0	0	0	0	0	0	0
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0	0	0	0	0	0	0	0
अर्जित ब्याज	17	2369507	20	0	0	0	0	2369527	8877278
अन्य आय	18	9125201	91720	1340	3265	169463	61790	9452779	6555994
तैयार माल के स्टॉक तथा निर्माणाधीन	19	0	0	0	0	0	0	0	0
माल और कार्यों में वृद्धि (कमी)									
कुल (क)		**267253688**	**90280756**	**79798510**	**126159416**	**173836894**	**86556781**	**823886045**	**804421713**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023–24 के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा (व्यय)

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय	20	148788589	69772678	62487340	49490818	129007913	51553694	511101032	553246616
पूर्व अवधि व्यय (स्थापन व्ययं)	20	13500	0	0	0	1266179	0	1401179	1434969
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2261063	361475	5304629	57118	25419824	738423	70045941	84873795
पूर्व अवधि व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय)	21	41389	0	320	0	1481	1598	445013	3100412
निर्माण कार्य	21	10316202	1813052	10174751	687772	14687602	2713366	242065864	181075077
पूर्व अवधि व्यय (निर्माण कार्य)	21	0	0	0	0	48268	22645	709134	0
अनुदान,सहायिकी आदि पर व्यय	22	0	0	0	0	0	0	0	0
ब्याज	23	0	0	0	0	0	0	0	0
मूल्यह्रास	8	445597	58301	823588	13337	1202125	124818	9646611	9345784
कुल (ख)		**27956612**	**9210096**	**78790628**	**1253137**	**172081136**	**8756221**	**835414773**	**833076653**
व्यय पर आय की अधिकता									
व्यय (क–ख)		-	-	**1007882**	**8457**	**1755758**	-	**-11528728**	**-28654939**
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का विवरण दें)									0.00
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिकता के कारण शेष (कमी)									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि को ले जाया गया		-12312433	-1820207	1007882	845707	1755758	-1005435	-11528728	-28654939
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां									
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणी									

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये मे

अनुसूची–1–कॉर्पस / पूंजीगत निधि		मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
वर्ष के शुरू में शेष		195182771	-49123	4216686	169797	-1403895	409439	241688989	212542776
जोड़ना	वर्ष के दौरान कय की गई परिसंपत्ति	4729653	224935	131239	107784	1075334	1676105	10096265	9398283
जोड़ना	अन्य प्रभाग से संपत्ति की प्राप्ति	0	0	48743	3262	0	0	520063	0
जोड़ना	देयता सेनानिवृत्ति लाभ समायोजित	0	0	0	0	0		0	48434247
घटाना	अन्य प्रभाग से संपत्ति का हस्तातंरण	0	0	48743	3262	0	0	520063	-31378
घटाना	सीपीएफ अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप कुल (क)	**199912424**	**17581**	**4347926**	**277581**	**-328561**	**577050**	**251785254**	**270343928**
	जल संसाधन मंत्रालय को अंतरित परिसंपत्ति	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़ना / घटाना	शुद्ध आय का कटौती शेष (व्यय) आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	-12312433	-1820207	100788 2	84570 7	1755758	-1005435	-11528728	-28654939
	आय और व्यय खाते से अंतरित	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप–कुल (ख)	**-12312433**	**-1820207**	**1007882**	**845707**	**1755758**	**-1005435**	**-11528728**	**-28654939**
वर्ष के अंत में शेष		**187599991**	**-1644395**	**44487143**	**3621524**	**1427197**	**4765066**	**240256526**	**241688989**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये मे

अनुसूची 2 - भंडार और अधिशेष:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. पूंजी भंडार:	_	_	_	_					
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. पुनर्मूल्यांकन भंडार:									
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. विशेष भंडार:									
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. सामान्य भंडार:									
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची–3 : उद्दिष्ट/ विन्यास निधियां (सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि)	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.निधियों का रोकड़ शेष	0	0	0	0	0	0	0	440733240
(सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि)								
बैंक बचत खाते	0	0	0	0	0	0	0	0
नियत जमाएं (एफ.डी.आर.)	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (क)	0	0	0	0	0	0	0	440733240
ख.निधियों में जमा	0	0	0	0	0	0	0	0
बैंक ब्याज : प्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (ख)	0	0	0	0	0	0	0	0
ग.घटा उपयोग/व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0
घ.वर्ष के दौरान किए गए कम भुगतान	0	0	0	0	0	0	0	0
च.प्राप्य अनुदान को अन्य चालू परिसंपत्तियों में स्थानांतरण को कम करना	0	0	0	0	0	0	0	440733240
घटा बैंक अधिभार	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (ग)	0	0	0	0	0	0	0	440733240
कुल (क+ख –ग)	0	0	0	0	0	0	0	0

*भारत सरकार से प्राप्त

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान									
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अर्जित ऋण और देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक:									
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- अर्जित ऋण और देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- अर्जित ऋण और देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. डिबेंचर और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि									

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधार:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वितीय संस्थान								0.00	0.00
4. बैंक:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)								0.00	0.00
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. डिबेंचर और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि									

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

राशि रूपये में

अनुसूची 6 - स्थगित ऋण देनदारियां:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों के संरक्षण द्वारा प्राप्त स्वीकृति;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि									

(दीपक वर्मा) **(सुब्रत हलदर)** **(भोपाल सिंह)**

लेखा अधिकारी, **निदेशक (वित्त),** **महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान
राशि रूपये मे

तजतजविवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.वर्तमान देयताएं								
अन्य. वर्तमान देयताएं								
बकाया व्यय :								
वेतन तथा भत्ते	10315448	5167104	3793124	2045205	5791831	3987302	31100014	33164158
किराया, दर तथा कर	0	110549	687527	158302	464090	272551	1693019	1800127
प्रेषणा	308215	20780	12167	0	0	0	341162	120481
एन.पी.एस. नियोक्ता अंशदान खाता	331894	0	0	0	0	0	331894	22805
जी.एस.एल.आई.एस.	89143	0	0	0	0	0	89143	81943
एन.पी.एस.	0	0	0	0	0	0	0	318798
अन्य (एल.एस.पी.सी. प्राप्त)	60809	0	0	0	0	0	60809	60809
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	0	206304	144952	568388	0	564271	1483915	4261218
बकाया लेखापरीक्षा शुल्क	30250	0	0	0	0	0	30250	0
निष्पादन गारंटी	0	0	0	0	0	0	0	0
ई.ई. का अग्रिम	29398	163343	0	0	9895	0	202636	171862
टीटीए अग्रिम वापसी योग्य	0	0	0	6873	0	0	6873	6873
टी.डी.एस.	0	0	0	0	0	0	0	40581
भारत की संचित निधि का खाता	30000	0	0	0	0	0	30000	0
देय व्यय के लिए अनंतिम	14579	0	0	0	0	0	14579	14579
अन्य बकाया खर्च	1655146	0	0	0	0	0	1655146	3455690
अव्ययित/अप्रत्युक्त सहायता अनुदान	141305	0	0	0	0	0	141305	135110
सीएफआई को देय ब्याज	3953129	347069	778729	637447	1209139	344123	7269636	16817506

वृत्ति कर	0	0	0	0	0	0	0	0
परागमन नकद देयता	0	0	0	0	0	0	0	1393526
उप कुल (क)	**33572119**	**12768028**	**9358273**	**5819819**	**14738254**	**11157237**	**87413730**	**101607767**
ख प्रावधान								
एसजीएसटी	21297	0	0	0	0	0	21297	21297
सीजीएसटी	21297	0	0	0	0	0	21297	21297
देय लेखापरीक्षा शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0
उपदान एवं अवकाश नकदीकरण देय	225747177	0	0	0	0	0	225747177	321479688
जीएसटी देय	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल (ख)	**225789771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225789771**	**321522282**
कुल (क+ख)	**259361890**	**12768028**	**9358273**	**5819819**	**14738254**	**11157237**	**313203501**	**423130049**
अन्य सर्किलों से प्राप्त परिसंपत्तियां	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये मे

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण

	सकल ब्लॉक	मूल्यहास						निवल ब्लाक		
विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	चालू वर्ष तक	चालू वर्ष के अंत तक	पूर्व वर्ष के अंत तक
	2	3	4	5(2+3-4)	6	7	8	9(6+7-8)	10(5-9)	11(2-6)
क. नियत परिसंपत्तियां										
भवन	5825436	0	0	5825436	572375	10168	0	5733920	91516	101684
औजार एवं संयंत्र	18466081	205173	279429	18391825	1765337	250664	224479	17679557	712268	812709
वाहन	21999250	1190126	2225873	20963503	1580679	1236188	1150325	15892655	5070848	6192458
फर्नीचर तथा जुड़नार	37509148	1775209	503788	38780569	1736000	2226963	348998	19237971	19542598	20149142
कार्यालय उपस्कर	17299005	1794728	412931	18680802	1091277	1105191	237346	11780621	6900181	6389315
कम्प्यूटर/अनुषंगी	42793513	5910353	968436	47735430	3512387	4553633	869922	38807583	8927847	7669641
तकनीकी पुस्तकें	356518	19404	0	375922	3561	4027	0	360180	15743	365
कैम्प उपस्कर	13242	0	0	1324	101	465	0	10610	2632	11
विद्युत स्थापना	1039973	195703	0	1235676	1933	104232	0	297590	938086	846615
सोफ्टवेयर	2499157	827505	7450	3319212	4199	849513	7450	1262007	2057205	2079213
उप –कुल	**147801323**	**11918201**	**4397907**	**155321617**	**10356017**	**10341044**	**2838520**	**111062694**	**44258924**	**44241153**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0	0		0	0	0	0	0	0
उप कुल	0	0	0		0	0	0	0	0	0
कुल	**147801323**	**11918201**	**4397907**	**155321617**	**10356017**	**10341044**	**2838520**	**111062694**	**44258924**	**44241153**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ : 2 वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन) राशि रूपये मे

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436	0	0	0	0	0	5825436
औजार एवं संयंत्र	4708778	6178044	844821	4059491	1625942	1049005	18466081
वाहन	4719079	4031711	2471165	1832700	5784102	3160493	21999250
फर्नीचर, जोड़नार	17562801	3688319	2999080	3457689	4581192	5220067	37509148
कार्यालय उपस्कर		2823151	745321	3274570	3130256	2049321	17299005
कम्प्यूटर/उपकरण		3720910	2429207	6981549	7403991	4113075	42793513
तकनीकी पुस्तकें	305650	14923	13724	3619	6371	12231	35651
कैम्प उपस्कर	0	4392	0	0	0	8850	1324
विद्युत स्थापना	1039973	0	0	0	0	0	1039973
सोफ्टवेयर		0	0	0	31950	0	2499157
उप –कुल	**60050091**	**20461450**	**9503318**	**19609618**	**22563804**	**15613042**	**147801323**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**60050091**	**20461450**	**9503318**	**19609618**	**22563804**	**15613042**	**147801323**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपति विवरण (स्तंभ : 3 वर्ष के दौरान जमा)							राशि रूपये मे
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	ह़ैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0	0	0	0	0	0	0
औजार तथा संयंत्र	23768	0	127348	54057	0	0	205173
मोटर वाहन	0	0	714091	476035	0	0	1190126
फर्नीचर तथा जुड़नार	556022	11999	655921	30511	77276	443480	1775209
कार्यालय उपस्कर	932514	0	50590	141561	448475	221588	1794728
कम्प्यूटर / अनुषंगी	2128312	212936	946315	1064600	547153	1011037	5910353
तकनीकी पुस्तकें	19404	0	0	0	0	0	19404
कैंप उपस्कर	0	0	0	0	0	0	0
विद्युत स्थापना	195703	0	0	0	0	0	195703
सोफ्टवेयर	825075	0	0	0	2430	0	827505
उप कुल	**4680798**	**224935**	**2494265**	**1766764**	**1075334**	**1676105**	**11918201**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**4680798**	**224935**	**2494265**	**1766764**	**1075334**	**1676105**	**11918201**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 4 : वर्ष के दौरान कटौती) राशि रूपये मे

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0	0	0	0	0	0	0
औजार तथा संयंत्र	0	0	127348	112731	0	39350	279429
मोटर वाहन	619454	380906	714091	476035	35387	0	2225873
फर्नीचर तथा जुड़नार	124730	0	233828	61022	40036	44172	503788
कार्यालय उपस्कर	30938	27793	8990	270620	8400	66190	412931
कम्प्यूटर/अनुषंगी	179780	0	138892	151368	388011	110385	968436
तकनीकी पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0
कैंप उपस्कर	0	0	0	0	0	0	0
विद्युत स्थापना	0	0	0	0	0	0	0
सोफ्टवेयर	0	0	0	0	7450	0	7450
कुल	**954902**	**408699**	**1223149**	**1071776**	**479284**	**260097**	**4397907**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर							
उप –कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**954902**	**408699**	**1223149**	**1071776**	**479284**	**260097**	**4397907**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ – 5 – वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन)

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436	0	0	0	0	0	5825436
औजार तथा संयंत्र	4732546	6178044	844821	4000817	1625942	1009655	18391825
मोटर वाहन	4099625	3650805	2471165	1832700	5748715	3160493	20963503
फर्नीचर तथा जुड़नार	17994093						
कार्यालय उपस्कर	6177962	3700318	3421173	3427178	4618432	5619375	38780569
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण		2795358	786921	3145511	3570331	2204719	18680802
तकनीकी पुस्तकें	20093313	3933846	3236630	7894781	7563133	5013727	47735430
कैंप उपस्कर	325054	14923	13724	3619	6371	12231	375922
विद्युत स्थापना	0	4392	0	0	0	8850	13242
सोफ्टवेयर	1235676	0	0	0	0	0	1235676
उप कुल	3292282	0	0	0	26930	0	3319212
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63775987	**20277686**	**10774434**	**20304606**	**23159854**	**17029050**	**155321617**
उप –कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**63775987**	**20277686**	**10774434**	**20304606**	**23159854**	**17029050**	**155321617**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 6 : वर्ष के आरंभ में) — राशि रूपये मे

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5723752	0	0	0	0	0	5723752
औजार तथा संयंत्र	4647839	6000993	732896	3788532	1503224	979	17653372
मोटर वाहन	3337367	2982355	1642432	1107649	4491374	22456	15806792
फर्नीचर तथा जुड़नार	5996324	2226024	1618881	1915184	2643356	29602	17360006
कार्यालय उपस्कर		2122902	283412	1974361	1906424	11452	10912776
कम्प्यूटर/अनुषंगी		3454642	1781189	5962929	6413547	28841	35123872
तकनीकी पुस्तकें	305319	14918	13717	3617	6368	1	35615
कैंप उपस्कर	0	4381	0	0	0	5764	1014
विद्युत स्थापना	193358	0	0	0	0	0	19335
सोफ्टवेयर	414100	0	0	0	5844	0	41994
उप कुल	**38725857**	**16806215**	**6072527**	**14752272**	**16970137**	**102331**	**103560170**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**38725857**	**16806215**	**6072527**	**14752272**	**16970137**	**10233**	**103560170**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 7 वर्ष के दौरान जमा पर) राशि रूपये मे

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	10168	0	0	0	0	0	10168
औजार तथा संयंत्र	10924	26558	143854	40580	18408	10340	250664
मोटर वाहन	174841	155845	465642	108758	193870	137232	1236188
फर्नीचर तथा जुड़नार	1181725	146830	299526	154161	197235	247486	2226963
कार्यालय उपस्कर	337989	104679	77745	196858	236411	151509	1105191
कम्प्यूटर/अनुषंगी	1798838	149094	531253	833373	539929	701146	4553633
तकनीकी पुस्तकें	4013	3	2	1	1	7	4027
कैंप उपस्कर	0	2	0	0	0	463	465
विद्युत स्थापना	104232	0	0	0	0	0	104232
सोफ्टवेयर	833242	0	0	0	16271	0	849513
उप कुल	**4455972**	**583011**	**1518022**	**1333731**	**1202125**	**1248183**	**10341044**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**4455972**	**583011**	**1518022**	**1333731**	**1202125**	**1248183**	**10341044**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 8 : वर्ष में कटौती) राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0	0	0	0	0	0	0
औजार तथा संयंत्र	0	0	127066	58248	0	39165	224479
मोटर वाहन	40334	370519	341332	0	35125	0	1150325
फर्नीचर तथा जुड़नार	9749	0	148512	29618	35910	37461	348998
कार्यालय उपस्कर	2195	0	5854	141234	6898	61403	237346
कम्प्यूटर/अनुषंगी	9129	25401	104324	151232	387305	110364	869922
तकनीकी पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0
कैंप उपस्कर	0	0	0	0	0	0	0
विद्युत स्थापना	0	0	0	0	0	0	0
सोफ्टवेयर	0	0	0	0	7450	0	7450
उप कुल	**61409**	**395920**	**727088**	**380332**	**472688**	**248393**	**2838520**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**61409**	**395920**	**727088**	**380332**	**472688**	**248393**	**2838520**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ 9 : वर्ष में)							राशि रूपये में
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5733920	0	0	0	0	0	5733920
औजार तथा संयंत्र	4658763	6027551	749684	3770864	1521632	95106	17679557
मोटर वाहन	3108859	2767681	1766742	1216407	4650119	2382847	15892655
फर्नीचर तथा जुड़नार	7080552	2372854	1769895	2039727	2804681	3170262	19237971
कार्यालय उपस्कर	3796439	2227581	355303	2029985	2135937	1235376	11780621
कम्प्यूटर/अनुषंगी	16334933	3578335	2208118	6645070	6566171	3474956	38807583
तकनीकी पुस्तकें	309332	14921	13719	3618	636	1222	360180
कैंप उपस्कर	0	438	0	0	0	622	10610
विद्युत स्थापना	297590	0	0	0	0	0	297590
सोफ्टवेयर	1247342	0	0	0	1466	0	1262007
उप कुल	**42567730**	**16993306**	**6863461**	**15705671**	**17699574**	**11232952**	**111062694**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**42567730**	**16993306**	**6863461**	**15705671**	**17699574**	**11232952**	**111062694**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 10 : चालू वर्ष की समाप्ति पर) राशि रूपये मे

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	ळैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	91516	0	0	0	0	0	91516
औजार तथा संयंत्र	73783	150493	95137	229953	104310	5859	712268
मोटर वाहन	990766	883124	704423	616293	1098596	77764	5070848
फर्नीचर तथा जुड़नार	10913541	1327464	1651278	1387451	1813751	2449113	19542598
कार्यालय उपस्कर	2381523	567777	431618	1115526	1434394	96934	6900181
कम्प्यूटर/अनुषंगी	3758380	355511	1028512	1249711	996962	1538771	8927847
तकनीकी पुस्तकें	15722	3	5	1	2	10	15743
कैंप उपस्कर	0	9	0	0	0	262	2632
विद्युत स्थापना	938086	0	0	0	0	0	938086
सोफ्टवेयर	2044940	0	0	0	1226	0	2057205
उप कुल	**21208257**	**3284381**	**3910973**	**4598935**	**5460280**	**5796098**	**44258924**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर							
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0
	21208257	**328438**	**3910973**	**4598935**	**5460280**	**5796098**	**44258924**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 11 : पिछले वर्ष के अंत में) राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	101684	0	0	0	0	0	112982
औजार तथा संयंत्र	60939	177051	111925	270959	122718	69117	929128
मोटर वाहन	1381712	1049356	828733	725051	1292728	914878	7298153
फर्नीचर तथा जुड़नार	11566477	1462295	1380199	1542505	1937836	2259830	20142580
कार्यालय उपस्कर	1795979	700249	461909	1300209	1223832	904051	6394101
कम्प्यूटर/अनुषंगी	3517390	266268	648018	1018620	990444	1228901	8800420
तकनीकी पुस्तकें	331	5	7	2	3	17	611
कैंप उपस्कर	0	11	0	0	0	3086	13
विद्युत स्थापना	846615	0	0	0	0	0	542109
सोफ्टवेयर	2053107	0	0	0	26106	0	84979
उप कुल	**21324234**	**3655235**	**3430791**	**4857346**	**5593667**	**5379880**	**44305076**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	101684	0	0	0	0	0	112982
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**21324234**	**3655235**	**3430791**	**4857346**	**5593667**	**5379880**	**44305076**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–9 : उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से निवेश (सेवानिवृत्ति तथा ग्रैच्युटी निधि)								**राशि रूपये मे**
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
उद्दिष्ट निधि से निवेश								
सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय बैंकों में बचत खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
नियत जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
सेवा निवृत्ति (एफडीआर) निवेषों पर उद्भूत ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

राशि रूपये मे

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0	0	0	0	0	0	0	0
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0	0	0	0	0	0	0
3. शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0
4. डिबेंचर और बॉन्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	0	0	0	0	0	0	0	0
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	0	0	0	0	0	0	0	0
(i) सावधि जमा	15000000	0	0	0	0	0	15000000	60000000
सेनानिवृति निवेश पर अर्जित ब्याज	1118738	0	0	0	0	0	1118738	92612
कुल	**16118738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16118738**	**60092612**

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपतियां, ऋण, अग्रिम आदि								राशि रूपये मे
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वर्तमान परिसंपत्तियां								
रोकड़ शेष	1	0	1881	0	0	0	1882	1
बचत बैंक खाते में शेष (वेतन खाते)	12504000	6697932	3635344	240360	551152	442419	3517659	3619704
बचत बैंक खाते में शेष (सामान्य खाते)	4214066	23382	306430	0	175177	156479	786044	425510
एसबीआई परामर्श पर नकद खाते	50541789	0	0	0	0	0	5054178	3745816
एक्सस सीएनए सामान्य	1549883	0	0	0	0	0	154988	272425
नकद बैंक बैलेंस शेष	0	0	0	0	0	54680	5468	54680
डाक टिकट शेष	1269	2572	0	324	7036	1870	1599	17303
मार्गस्थ ड्राफ्ट	0	0	0	0	1	0	1	139352
उप –कुल **(क)**	**68811008**	**6723886**	**3943655**	**240684**	**727033**	**604554**	**9520127**	**8210008**
ख ऋण, अग्रिम तथा अन्य– परिसंपत्तियां								
ऋण तथा अग्रिमः								
कर्मचारियो को	1648195	139629	203370	16050	29665	50192	295027	109105
अन्य को	22254370	807572	45506000	155933	270194	284953	7567875	7936067
परामर्शी सेवाओं को	20363425	0	0	0	0	0	2036342	482680
उप –कुल **(ख)**	**44265990**	**947201**	**45709370**	**171983**	**299859**	**335146**	**9899245**	**8093440**
ग वसूली योग्य दावे								
पूर्वदत्त व्यय	24229	10447	13862	389	50097	7665	11019	144677
वसूली योग्य अवकाश वेतन	717880	89218	267556	71182	0	72153	250800	215123
प्रतिभूति जमा		28500	0	0	6110	0	3461	1051651
राजविअ सीपीएफ में परामर्श निधि का स्थनांतरण	40000000	0	0	0	0	0	4000000	3500000
वेतन अवकाश एवं पेंशन योगदान		0	0	0	37958	0	37958	100512
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		0	0	0	450	0	450	0
सी.पी.एफ.	19259968	0	0	0	0	0	1925996	2364192
एनपीएस	11702	0	0	0	0	0	1170	0
केबीएलपीए बैंक खाता		40000	0	0	0	0	4000	0
जिएसटी टीडीएस	114880	0	0	0	0	0	11488	114880
निविष्ट जमा कर (जीएसटी)	7859057	0	0	0	0	0	785905	557973
बालेश्वर ठाकुर के सीए बकाया	12986	0	0	0	0	0	1298	0
राजविअ, भारत जल सप्ताह का जीएसटी	2810009	0	0	0	0	0	281000	281000
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (सेना निवृत्त लाभ)	22574717	0	0	0	0	0	22574717	32147968
उप –कुल **(ख)**	**29655788**	**168165**	**281418**	**71572**	**43624**	**72919**	**29888863**	**39742202**
कुल **(क +ख+ग)**	**40963488**	**7839252**	**49934443**	**484240**	**1070517**	**1012620**	**49308236**	**56045651**
अन्य सर्किल में परिसंपत्ति का हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	28761

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को अवधि/वर्ष के अंत में सर्किलवार आय और व्यय को दर्शाने वाली अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची 12– बिक्री/सेवाओं से आय								राशि रूपये मे
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1– बिक्री से आय								
क) तैयार माल की बिक्री	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) कच्चे माल की बिक्री	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) कबाड़ की बिक्री	0	0	0	0	0	0	0	0
2– सेवाओं से आय	0	0	0	0	0	0	0	0
क) श्रम और प्रकिया शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	9807402	0	0	0	0	0	9807402	13433792
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण /संपत्ति)	0	0	0	0	0	0	0	0
ड.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**9807402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9807402**	**13433792**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : अनुदान/सब्सिडी (गैर वसूली योग्य अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी) राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1 सहायता अनुदान (केन्द्रं	0	90189016	81109567	127233992	174742765	88171096	561446436	609073178
सहायता अनुदान (सामान्य) सीएनए एक्सेस	299123525	0	0	0	0	0	299123525	185367672
सहायता अनुदान (आरबीआई) वेतन	510349996	0	0	0	0	0	510349996	531438768
पीएओ ज.श.	6403655	0	0	0	0	0	6403655	5000000
घटाः वर्ष के दौरान कय की गई परिसंपत्तियां	-4729653	0	-1312397	-1077841	-1075334	-1676105	-9871330	-9398283
नकद का स्थानांतरण	-565195945	0	0	0	0	0	-565195945	-545926686
कुल	**245951578**	**90189016**	**79797170**	**126156151**	**173667431**	**86494991**	**802256337**	**775554649**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग , भारत सरकार)

2023-24 को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली सर्कलवार अनुसूचियां

राशि रूपये में

अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछला वर्ष**
1. प्रवेश शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. परामर्श शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट - प्रत्येक मद के प्रति लेखांकन नीतियों को प्रकट किया जाना है								

(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2023-24 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

राशि रूपये में

अनुसूची 15 - निवेश से आय	**निर्धारित निधि से निवेश**							**निवेश - अन्य**	
(निधियों में उद्‌दिष्ट /विन्यास निधियों से निवेश पर आय)	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. ऋण									
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. लाभांश:									
क) शेयरों पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. किराए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उद्‌दिष्ट /विन्यास निधियों में अंतरित									

(दीपक वर्मा) **लेखा अधिकारी,**

(सुब्रत हलदर) **निदेशक (वित्त),**

(भोपाल सिंह) **महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2023-24 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

राशि रूपये में

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
1. रॉयल्टी से आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. प्रकाशनों से आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
(क) बचत खाता पर	1232423	0	0	0	0	0	1232423	424044
(ख). ऋण और अग्रिम	0	20	0	0	0	0	20	141
(ग) अन्य	1137084	0	0	0	0	0	1137084	11189
(घ) सीपीएफ (सरकार) योगदान, सरकारी अंशदान पर ब्याज	0	0	0	0	0	0	0	4523530
कुल	**2369507**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2369527**	**8877278**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची-18- अन्य आय | राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
परिसंपत्तियों का निपटान								
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	0	30021	0	2154	10064	2976	4	14394
विविध आय	388	0	0	0	0	1835	5720	4405
हिन्दी संसदीय समिति के व्यय की वापिसी	0	0	0	0	0	0	0	0
नोटिस अवधि वेतन	0	61699	0	0	348	56979	1	1395
निविदा फार्म आदि की ब्रिकी	300	0	0	0	0	0	300	0
विविध आय + पैनल ब्याज	0	0	1340	1111	157016	0	1	40
पुराने समाचार पत्र की बिक्री	4627	0	0	0	2035	0	4	8088
अन्य प्राप्तियां (जी.एस.टी.)	9074745	0	0	0	0	0	9074745	6345909
कुल	**9125201**	**91720**	**1340**	**3265**	**169463**	**61790**	**9452779**	**6555994**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2023-24 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

राशि रूपये में

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी), 7 कार्य प्रगति पर	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
क) अंतिम स्टॉक								
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- प्रगति पर कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी) घटाना: शुरुआती स्टॉक								
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- प्रगति पर कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची

अनुसूची–20 स्थापना व्यय								राशि रूपये में
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वेतन तथा पगार (वेतन)	56512316	30278093	22718318	17302637	37527679	23568476	187907519	216018499
ख भत्ते तथा बोनस	52823082	24465592	20830471	13343220	35837447	20528684	167828496	230413513
ग भविष्य निधि में सरकारी अंशदान (सी.पी.एफ.) और	4381953	0	0	0	0	0	4381953	0
सी.पी.एफ. पर ब्याज							0.00	
घ जी.एस.एल.आई.एस. को भुगतान							0.00	0.00
सी.पी.एफ. जी.एस.एल.आई.एस								
ङ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय	28791834	11474077	18938551	18844961	54963318	3711810	136724551	98457464
(सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)	60299786.00	15714709.00		29230.00	22413739.00		98457464.00	0.00
च नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान	1975042	0	0	0	0	971255	2946297	2504539
छ अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	4304362	3554916	0	0	0	2773469	10632747	3817761
ज नई पेंशन योजना	0	0	0	0	679469	0	679469	2034840
झ अन्य (स्पष्ट करें) एल एस व पी सी चार्ज					713481.00	1321359.00	2034840.00	2555268.00
कुल	**148923589**	**69772678**	**62487340**	**49490818**	**130274092**	**51553694**	**512502211**	**554681585**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 अन्य प्रशासनिक व्यय — राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क यात्रा व्यय	**2569501**	**1155350**	**2335094**	**1259382**	**3288353**	**2102242**	**12709922**	**17302846**
ख कार्यालय व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0
विज्ञापन	102476	0	0	6709	0	0	109185	147621
लेखा परीक्षा शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	316120
बैंक प्रभार	-5	465	1542	353	283	1566	4204	6661
स्थिर निधि	0	19342	0	0	0	0	19342	34850
आकस्मिक गैर आवर्ती	38063	0	0	0	0	0	38063	79335
वाहन	0	0	300	6900	4702	3070	14972	23761
विद्युत प्रभार	1780723	308584	275107	247145	1068261	567998	4247818	4822118
जी.–20 व्यय	0	0	0	0	0	0	0	3903655
आतिथ्य	640579	81518	133432	115203	232018	142662	1345412	1338178
वकील का शुल्क/विधि प्रभार	0	0	0	0	18915	0	18915	90180
वर्दी	0	0	0	0	0	0	0	5000
विविध व्यय	0	37750	125460	224112	319043	85103	791468	672617
अन्य प्रशासनिक व्यय	0	0	0	0	0	0	0	198497
अन्य शुल्क	22470	0	0	0	0	0	22470	176966
डाक टिकट	71576	21364	36541	30328	70044	38687	268540	339486
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	187507	71141	84733	71283	195081	89340	699085	824568
रबड़ स्टैंप	4550	0	4245	410	6370	450	16025	14656
स्टेशनरी तथा मुद्रण	9750	2594	67805	40402	27740	47610	195901	245330
दूरभाष व्यय	1321523	79498	115845	39122	73927	141297	1771212	1923876
जल प्रभार	76053	28923	65602	31000	97062	72329	370969	393106
कल्याणकारी व्यय (सेनानिवृत्ति)	0	0	0	0	0	0	0	0
ग किराया, दर व कर	13591990	1322901	957704	2959620	18948960	2566747	40347922	43339861

घ मरम्मत तथा रखरखाव	2172311	485322	1093794	679893	1068515	1525135	7024970	8600387
परिसम्मपतियों के निपटान पर नुकसान	21571	0	7425	0	550	0	29546	74120
उप कुल	**22610638**	**3614752**	**5304629**	**5711862**	**25419824**	**7384236**	**70045941**	**84873795**
(ड)(1) पूर्व अवधि कार्यालय व्यय	17705	0	0		12177	0	29882	2862536
(2) पूर्व अवधि यातायात व्यय	200839	0	0	0	0	15983	216822	14753
(3) पूर्व किराया दरें एवं कर खर्च	0	0	0	0	2636	0	2636	0
(4) पूर्व अवधि मरमम्त एवं रख रखाव पर व्यय	0	0	320	0	0	0	320	223123
(5) पूर्व अवधि निर्माण कार्य	195353	0	0	0	0	0	195353	0
उप योग	**413897**	**0**	**320**	**0**	**14813**	**15983**	**445013**	**3100412**
(च) निर्माण कार्य	50290973	18130522	10174751	68777298	14687602	**27133666**	189194812	137399007
उप योग	**50290973**	**18130522**	**10174751**	**68777298**	**14687602**	**27133666**	**189194812**	**137399007**
(छ) पूर्व अवधि निर्माण कार्य पर व्यय	0	0	0	0	482680	226454	709134	0
उप योग	0	**0**	**0**	**0**	**482680**	**226454**	709134	**0**
(झ) पीएमकेएसवाई	21405041	0	0	0	0	0	21405041	32677875
(ण) विशेष समिति/प्रकोष्ठ–आईएलआर	31466011	0	0	0	0	0	31466011	10998195
उप कुल	**52871052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52871052**	**43676070**
कुल	**126186560**	**21745274**	**15479700**	**74489160**	**40604919**	**34760339**	**313265952**	**269049284**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2023-24 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

राशि रूपये में

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट - संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ-साथ अनुदान / सब्सिडी की राशि को प्रकट किया जाना है -								

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2023-24 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

राशि रूपये में

अनुसूची 23 - ऋण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
क) स्थायी ऋण पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(दीपक वर्मा) **(सुब्रत हलदर)** **(भोपाल सिंह)**

लेखा अधिकारी, **निदेशक (वित्त),** **महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(अनुसूची क्रमांक 24)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण योजना व्यय के अंतर्गत आती है।

2. अर्धवार्षिक आधार पर वर्ष के दौरान खरीदी गई/जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। (30 सितंबर, 2023 तक अर्जित परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण वर्ष का मूल्यह्रास और 30 सितंबर, 2024 के बाद अधिग्रहित परिसंपत्तियों के लिए छमाही मूल्यह्रास)।

3. परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित मूल्य विधि के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है।

क) भवन	10%
ख) फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग	10%
ग) कार्यालय उपकरण	15%
घ) उपकरण और संयंत्र	15%
ड) वाहन	15%
च) तकनीकी पुस्तकें	15%
छ) कंप्यूटर/बाहय उपकरण	40%
ज) सॉफ्टवेयर आनुपातिक जीवन आधार ---	
क) विद्युत स्थापना	10%

4. मार्च 2023 से संबंधित वेतन और किराया और अन्य खर्चे खातों में प्रदान किए गए हैं और वर्तमान देयताएं (अनुसूची -7) के अंतर्गत बकाया व्यय के रूप में दिखाए गए हैं।

5. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के संबंध में जीएफआर 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

6. राजविअ पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है।

7. एमएसीपी योजना को अपनाने पर वित्तीय निहितार्थ राजविअ के मौजूदा बजट के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. आईडब्ल्यूडब्ल्यू के अलग खातों को तैयार किया गया है और राजविअ खातों के साथ संलग्न किया गया है।

9. राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

10. वार्षिक लेखा सीजीए द्वारा प्रदान किए गए प्रोफार्मा की मूल बातों पर तैयार किए जाते हैं।

11. इन्वेंट्री मूल्यांकन - लागू नहीं।

12. विदेशी मुद्रा लेनदेन - सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन उस तिथि पर उपलब्ध विनिमय दर पर अनुसूचित बैंक के माध्यम से किए जाते हैं।

13. जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान निधि में योगदान रोक दिया गया है और वास्तविकता के आधार पर प्रदान किए गए वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक मूल्यांकन 22,57,47,177 रुपये है।

14.122694 रु की बिना दावे की सदस्यता राशि सीपीएफ़ खाते के अनुसूची 7 में दर्शाई गई है।

15. पूर्व अवधि के व्यय अनुसूची-20 एवं अनुसूची 21 के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

16. अप्रैल 2024 के पहले सात दिनों के व्यय को पूरा करने के लिए मंत्रालय की मंजूरी से वाणिज्यिक बैंक खाते में ₹ 3.40 करोड़ का जीआईए वेतन स्थानांतरित किया गया।

17. विभिन्न मदों के लेखांकन का आधार नीचे दिया गया है-

(1) **लेखांकन परिपाटी**- वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर और लेखांकन की उपार्जन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं।

(2) **निवेश**- निवेश "दीर्घकालिक निवेश" होते हैं, जिन्हें लागत पर किया जाता है।

(3) **जीएसटी**- जीएसटी समय पर भारत सरकार के पास जमा किया जाता है।

(4) **अचल संपत्ति**- अचल संपत्ति को करों सहित अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है।

(5) **<u>विविध व्यय</u>**- विविध व्यय में वह व्यय शामिल होता है, जिसके लिए कोई विशिष्ट लेखांकन शीर्ष उपलब्ध नहीं होता है।

(6) **<u>सरकारी अनुदान और सब्सिडी</u>**- सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। यह आवर्ती प्रकृति का होता है। पूंजीगत संपत्तियां सामान्य सहायता अनुदान से प्राप्त की जाती हैं।

(7) **<u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>**- सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान वेतन में अनुदान के तहत बजट आवंटन से किया जाता है।

(8) **<u>पिछले वर्ष के आंकड़े</u>**- पिछले वर्ष के आंकड़ों को पिछले आंकड़ों से मिलान करने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें फिर से समूहीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(दीपक वर्मा)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखा अधिकारी	निदेशक वित्त	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

खातों पर आकस्मिक देनदारियां और नोट्स
(अनुसूची क्रमांक 25)

2023-24

1. आकस्मिक देयता	ऐसी कोई देयता नहीं
2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं
3. पट्टा दायित्व	शून्य
4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम	अनुसूची -11
5. आय कर -अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान	लागू नहीं है

6. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) के समेकित वार्षिक खाते में राजविअ मुख्यालय और राजविअ के पांच सर्कल कार्यालयों, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, भारत जल सप्ताह, जल मंथन का वार्षिक खाता, पीएमकेएसवाई के प्राप्तियां और भुगतान खाते और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के प्राप्तियां और भुगतान खाते शामिल हैं।

(दीपक वर्मा)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखा अधिकारी	निदेशक वित्त	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023–24 के लिए समेकित प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

					(राशि रूपये में)
प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. **आदि शेष**			क. स्थापना व्यय		
क. रोकड़ शेष	1.00	1.00	(अनुसूची 20क के तद्नुरूप)	510771298	553675983
ख. बैंक शेष			ख. प्रशासनिक व्यय		
1 चालू खातो में	1281437	205051	(अनुसूची 21क के तद्नुरूप)	69773860	80387067
2 बचत खातो में	14262956	5052275			
i. राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी	4191816	31740063	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान**		
ii. राजविअ मुख्य खाता एस बी आई	20715942	19055191	लिंक नहर परियोजना	242756845	176002778
iii. राजविअ परामर्श शुल्क एस बी आई	37458167	180420229			
ग. डाक टिकट शेष	1281437	205051			
घ. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	15181	14478	**III. जमा तथा निवेश**		
ड. पारगमन में नकदी	0	39868787	क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	0.00	0.00
2. प्राप्त अनुदान			ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	10096265	9398282
क. भारत सरकार से	833789339	785792733	सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.		
ख. राज्य सरकार से	0.00	0.00	**IV. नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**		
			क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	9447137.00	10309947.00
3. निवेश पर आय	0.00	0.00	ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	0.00	0.00
क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि	0.00	0.00		0.00	
ख. अपनी निधि (निवेश पर)	0.00	0.00	**V. ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**		
ग. एफडीआर परिपक्वता	0	0		0.00	
4. प्राप्त ब्याज			**VI. वित्तीय अधिभार (ब्याज)**	0.00	
क. बैंक जमाओं पर	16866	143657			
ख. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	0	393592	**VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)**		
ग. ऋण तथा अग्रिम आदि	1619	27349	सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	13824166	70527795
घ. अग्रिम पर ब्याज	0	0	सुरक्षा जमा/ई.एम.डी.	3913231	4596257
ड. मार्गस्थ सीपीएफ प्रतिपूर्ति	0	0	कर्मचारियों को अग्रिम	7317143	1019825
च. एफडीआर पर ब्याज	110958	0	परामर्श निधि को राजविअ सीपीएफ में स्थानांतरण	5000000	35000000
छ. परामर्श पर ब्याज	1232423	3816686	पुराने चेक	0	7499274
ज. स्वीप खाते पर ब्याज	0	0	अन्य को अग्रिम/अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी	194	0
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			परामर्शी सेवाओं के लिए अग्रिम		3267129
			प्रेषणा/धरोहर जमा	3258331	7147350
			टी डी एस	0	1539027

परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	325109	196096	सी.पी.एफ.	12986	8289210
विविध प्राप्तियां	69827	24804	जी एस एल आई एस	0	114880
नोटिस अवधि की राशि की वसूली	168151	0	एनपीएस	21411	264951
अनुपयोगी संपत्तियों की बिक्री	2800	0	निष्पादन गारंटी	0 13988	0 0
शुल्क/सदस्यता	300	25000			
रसीद	1765332	2387108	एस.बी. खाते से सी.एफ.आई. में ब्याज स्थानांतरण	303565 54680 21411	264951
परामर्श आय जीएसटी	13433791.87	99990602.00			
परामर्श आय	196096.00	141199.00			
6. उधार ली गई राशि			ग्रांट रिर्टन लैप्स (वेतन खाता)	0	0
7. कोई अन्य पावती (विवरण दें)			ग्रांट रिर्टन लैप्स (सामान्य खाता)	4596257.00	997034.00
			वाहन स्थांतरण की बिक्री आगे बढ़ी	1019825.00	0.00
वसूली योग्य दावे	255972	29407	**VIII. अंतिम शेष**		
कर्मचारियों से	1996923	5716419	सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0	0
अन्यों से	57173	0	एफडीआर	0	0
प्रेषणा	200001 0 7200	87785 0 0	क. रोकड़ शेष	1	1
			ख. बैंक शेष		
			i. बचत खाते/चालू खाते (वेतन खाता)	35176599	36228896
एन पी एस	12791 279444	303565 3809556	ii. बचत खाते/चालू खाते (सामान्य खाता)	7860448	4223256
			ii) मार्गस्थ नकद	0	54680
प्राप्त छुट्टी वेतन	0 45000000	173843 8567409	(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	50541789	37458167
			एक्सस सीएनए (सामान्य)	1549883	2724257
अग्रिम राशि जमा	1340 8929	3535 36949	ग. डाक शेष	17872	17303
			घ. मार्गस्थ ड्राफ्ट	0	1393526
निष्पादन गारंटी जमा की धरोहर राशि	16110	7130			
एफडीआर परिपक्वता	20780	0			
कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री	255972	29407			
नोटिस अवधि वेतन	1996923	5716419			
अनुपयोगी टी एण्ड पी प्राप्त	57173	0			
भारत की संचित निधि	200001	87785			
त्यौहार अग्रिम	0.00	143000.00			
कुल	**981429948**	**1106236387**	कुल	**981429948**	**1106236387**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023–24 के लिए समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (प्राप्ति)

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1 आदि शेष								
क. रोकड़ शेष	1	0	0	0	0	0	1	1
ख. बैंक शेष								
i. चालू खातों में	0	1281437	0	0	0	0	128143	20505
ii. बचत खातों में	0	3854307	0	30009	74076	0	1426295	505227
(i) राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी	371373	23382	10026	0	0	35443	419181	3174006
(ii) राजविअ मुख्य खाता एसबीआई (वेतन)	1182475	0	380144	0	0	508973	2071594	1905519
(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	3745816	0	0	0	0	0	3745816	18042022
सीएनए (सामान्य)एक्सिस बैंक	272425	0	0	0	0	0	272425	0
3 जमा खाते में	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. डाक टिकट शेष	1534	2572	2848	2817	3965	1445	1518	1447
घ. सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0	0	0	0	0	0	0	3986878
च. मार्गस्थ नकदी	0	0	0	0	1	5468	5468	144820
2 प्राप्त अनुदान								
क. भारत सरकार से	26770771	92621940	8133678	126994	1746581	9047000	83378933	78579273
ख. राज्य सरकार से	0	0	0	0	0	0	0	0
3 निवेश से आय								
क. उद्दिष्ट/विन्यास निधि	0	0	0	0	0	0	0	0
ख. निजी निधि (अन्य निवेश)	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. एफडीआर परिपक्वता	0	0	0	0	0	0	0	0
4 प्राप्त ब्याज								
क. बैंक जमाओं पर	0	-11312	8358	0	885	1893	1686	14365
ख. सेवा निवृत्ति तथा अनुदान निधि	0	0	0	0	0	0	0	39359
ग. ऋण तथा अग्रिमों आदि	0	20	1599	0	0	0	1619	2734
घ. अग्रिमों पर ब्याज	0	0	0	0	0	0	0	0
च.सीपीएफ प्रतिपूर्ति मार्गस्थ	0	0	0	0	0	0	0	0
छ.एफडीआर पर ब्याज	11095	0	0	0	0	0	11095	0
ज.परामर्श पर ब्याज	123242	0	0	0	0	0	123242	381668
झ. स्वीप खाते पर ब्याज	0	0	0	0	0	0	0	0
भारत की संचित निधि	551659	0	0	0	0	0	551659	345569
5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)								
परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्ति	31923	0	1202	4675	0	0	32510	19609
विविध प्राप्तियां	5015	0	0	1111	2045	1651	6982	2480

नोटिस अवधि के वेतन की वसूली	0	61699	0	0	1064	0	16815	0
अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की बिक्री	0	2800	0	0	0	0	2800	0
शुल्क / सदस्यता	300	0	0	0	0	0	300	25000
एफसीआई	0	0	0	537	0	0	53792	0
स्क्रैप पर जीएसटी	8329	0	0	0	0	0	8329	0
परामर्श वेतन पर जीएसटी	1765332	0	0	0	0	0	1765332	2387108
परामर्श पर आय	9807402	0	0	0	0	0	9807402	13433792
6 उधार लिया गया धन								
कोई अन्य पावती (विवरण दें)	0	0	0	0	0	0	0	0
प्राप्य दावे	0	0	0	0	25597	0	255972	29407
कर्ज तथा अग्रिमों की / वसूली								
कर्मचारियों से	1509492	64181	199600	2236	0	0	1996923	5716419
अन्य से	0	0	194	0	0	56979	57173	0
प्रेषणा	200001	0	0	0	0	0	200001	87785
एन.पी.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0
जीएसएलआईएस	7200	0	0	0	0	0	7200	0
छुट्टी वेतन की प्राप्ति	0	0	12791	0	0	0	12791	303565
धरोहर राशि / सुरक्षित जमा	3250	0	19650	0	1376	255168	279444	3809556
निष्पादन गारंटी जमा	0	0	0	0	0	0	0	173843
एफडीआर परिपक्वता	45000000	0	0	0	0	0	45000000	8567409
स्क्रैप / निविदा पेपर की बिक्री	0	0	1340	0	0	0	1340	3535
नोटिस अवधि वेतन	0	0	0	0	8929	0	8929	36949
अनुपयोगी टी.एन.पी.(प्राप्त)	0	0	0	0	1611	0	16110	7130
बकाया धन प्रेक्षण	0	20780	0	0	0	0	20780	0
टी.डी.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0
त्योहार अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**388960837**	**97921806**	**85486077**	**130281783**	**182461551**	**96317894**	**981429948**	**1106236387**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्राल जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

वर्ष **2023–24** में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (भुगतान)

राशि रूपये में

विवरण	मख्यालय	ग्वालियर	भवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कल	पिछला वर्ष
I व्यय								
क. स्थापना व्यय	145948215	68597998	62512533	50194376	131891180	51626996	510771298	553675983
(अनुसूची 20ए के तदनूरुप)								
ख. प्रशासनिक व्यय	22378248	3611539	482049	6037381	25453858	747234	6977386	8038706
(अनुसूची 21ए के तदनूरुप)								
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किया गया भगतान								
लिंक नहर परियोजना (परामर्श)	102738518	18032177	1003708	69898445	14712735	2733788	24275684	17600277
III. किए गए जमा तथा निवेश								
क. उददिष्ट/अक्षय निधि से	0	0	0	0	0	0	0	0
ख. निजी निधि से (निवेश–अन्य)	0	0	0	0	0	0	0	6000000
सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. पूंजीगत कार्यों की प्रगति तथा नियत + क 43								
क. नियत परिसंपत्तियों की खरीद	4729653	224935	131239	1077841	1075334	167610	1009626	939828
ख. बड़े कार्यों की प्रगति पर व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0
V. दीर्घावधि अग्रिम तथा ब्याज की वापसी	0	25578	0	0	0	0	2557	0
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. अन्य भगतान (स्पष्ट करें)								
अन्य अग्रिम	9796550	0	237416	0	1653456	0	1382416	7052779
कर्मचारियों को अग्रिम	3053474	75800	4920	308750	40000	38600	391323	459625
भारत की संचित निधि खाता	7317143	0	0	0	0	0	731714	101982
परामर्श निधि का राजविअ सीपीएफ में स्थनांतरण	5000000	0	0	0	0	0	500000	3500000
सी.पी.एफ.	0	0	0	13538	450	0	1398	0
रोका गया नकदीकरण	0	0	0	0	0	0	0	749927
मार्गस्थ नगदी	0	0	0	0	303565	0	30356	0
ग्रांट रिर्टन लेप्स(वेतन खाता)	0	0	0	0	0	5468	5468	0
ग्रांट रिर्टन लेप्स (सामान्य खाता)	12393294	0	7342	344604	1	143666	1424799	326712
जी.एस.एल.आई.एस	2827443	0	9452	0	55777	28058	325833	714735
बालेश्वर ठाकुर के संबंध में बकाया डीए	0	0	0	0	0	0	0	153902
जीएसटी टी.डी.एस	12986	0	0	0	0	0	1298	828921
सी.एफ.आई को एस.बी.खाते के हस्तातंरण पर	0	0	0	0	0	0	0	11488
एनपीएस	0	4625	2915	0	4860	5577	9441	22797
निष्पादन गारंटी	21411	0	0	0	0	0	2141	26495
धरोहर जमा/ई एम डी	0	0	0	0	0	0	0	0
सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	2569469	0	23924	0	0	0	280871	91559

टी.डी.एस.	0	0	194	0	0	0	194	0
आईडबल्यूडबल्यू (परामर्शी कार्य)	1363425	0	0	0	0	0	136342	0
बिक्री से प्राप्त एम्बेस्डर कार का हस्तातंरण	0	0	0	0	0	0	0	0
रोकी गई / व्यपगत राशि	0	624675	0	0	0	0	62467	261056
मुख्यालय द्वारा काटी गई राशि	0	593	0	0	0	0	593	165235
VIII. इति शेष								
सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि –बचत खाता	0	0	0	0	0	0	0	0
एफ.डी.आर.	0	0	0	0	0	0	0	0
क. रोकड शेष	1	0	0	0	0	0	1	1
ख. बैंक शेष								
i. बचत खाते / चाल खाते में (वेतन खाता)	12504000	6697932	363534	2403604	5511525	442419	3517659	36228896
i. बचत खाते / चाल खाते में (सामान्य खाता)	4214066	23382	30643	0	1751774	156479	786044	4223256
ii) नकद / मार्गस्थ	0	0	0	0	0	0	0	54680
(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	50541789	0	0	0	0	0	5054178	37458167
एक्सस सीएनए (सामान्य)	1549883	0	0	0	0	0	154988	2724257
ग) डाक शेष	1269	2572	1881	3244	7036	1870	17872	17303
घ) मसौदा शेष	0	0	0	0	0	0	0	1393526
कुल	**388960837**	**97921806**	**85486077**	**130281783**	**182461551**	**96317894**	**981429948**	**1106236387**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–20 क : प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वेतन तथा भत्ते (व्यय.)	57161737	29769737	22882647	17855537	38677571	24028706	190375935	217053386
ख भत्ते व बोनस	53564270	22668595	39629886	28301857	37729496	19916716	201810820	232702856
ग. भविष्य निधि में अंशदान (सी.पी.एफ.) तथा						0.00	0.00	0.00
ख. सी.पी.एफ. पर ब्याज							0.00	
घ . जीएसएलआईएस के लिए भुगतान						0.00	0.00	0.00
च.कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय	28888809	12651603	0	0	54804644	3846303	100191359	74722566
लाभ (सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)							0.00	
छ. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	4223357	3508063	0	0	0	2732792	10464212	4702730
ज. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	1975042	0	0	0	0	1102479	3077521	23780964
झ. नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान						0.00	0.00	0.00
ड. अन्य (स्पष्ट करें) एल एस एवं पी सी अधिभार					713481.00	0.00	713481.00	2555268.00
कुल	**145948215**	**68597998**	**62512533**	**50194376**	**131891180**	**51626996**	**510771298**	**553675983**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 : क अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क यात्रा व्यय	**2649284.00**	**1155350.00**	**2159711.00**	**1258822.00**	**3192997.00**	**2059067.00**	**12475231.00**	**17269828.00**
ख कार्यालय व्यय								
विज्ञापन	118536	0	0	6709	0	0	125245	162858
लेखा परीक्षा शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	316120
बैंक प्रभार	-5	465	1896	353	283	1566	4558	6307
स्थिर निधि	39363	19342	0	0	0	0	58705	66760
आकस्मिक गैर आवर्ती	0	0	300	6900	4702	3070	14972	23761
वाहन	1781546	319985	266320	237445	1239900	583421	4428617	5005456
विद्युत प्रभार	0	0	0	0	0	0	0	0
जी.–20 व्यय	653712	81518	131881	115203	230698	142662	1355674	1345743
आतिथ्य	0	0	0	0	18915	0	18915	137605
वकील का शुल्क/विधि प्रभार	0	0	0	0	0	0	0	5000
वर्दी	0	37750	125636	224112	317037	85103	789638	662307
विविध व्यय	0	0	0	0	0	0	0	195320
अन्य प्रशासनिक व्यय	22470	0	0	0	0	0	22470	176966
अन्य शुल्क	73558	22171	36541	30328	70044	38687	271329	343156
डाक टिकट	204576	71141	80946	71283	194258	89340	711544	852899
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	4550	0	4245	410	6370	450	16025	14656
रबड़ स्टैंप	9750	2594	68525	40402	27740	47610	196621	245940
स्टेशनरी तथा मुद्रण	388036	80109	117591	39122	80869	146152	851879	1918143

दूरभाष व्यय	80095	28923	66163	30850	100727	72329	379087	392239
जल प्रभार	0	0	0	0	0	0	0	0
कल्याणकारी व्यय (सेनानिवृत्ति)	13591990	1321672	652112	3285508	18942585	2614129	**40407996**	**42700194**
विज्ञापन							0.00	44500.00
लेखा परीक्षा शुल्क	**17436816.00**	**1416202.00**	**682806.00**	**2821106.00**	**17689611.00**	**2653653.00**	**42700194.00**	**38410883.00**
ग किराया, दर व कर	13591990	1321672	652112	3285508	18942585	2614129	**40407996**	**42700194**
घ मरम्मत और रखरखाव	2346890	470519	1108625	689934	1026733	1588756	**7231457**	**8545808**
पूर्व अवधि व्यय	413897	0	0	0	0	0	413897	**0**
उप कुल	**22378248**	**3611539**	**4820492**	**6037381**	**25453858**	**7472342**	**69773860**	**80387066**
नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति/प्रकोष्ठ	31475326	0	0	0	0	0	31475326	0
निमार्ण कार्य	49823851	18032177	10037087	69898445	14712735	27337883	189842178	120626020
पी.एम.के.एस.वाई	21439341	0	0	0	0	0	21439341	10988880
निमार्ण कार्य (भा.ज.स–2021)	0	0	0	0	0	0	0	44387878
उप कुल								
	102738518	**18032177**	**10037087**	**69898445**	**14712735**	**27337883**	**242756845**	**176002778**
कुल	**125116766**	**21643716**	**14857579**	**75935826**	**40166593**	**34810225**	**312530705**	**256389843**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राजविअ सीपीएफ ट्रस्ट

साकेत, नई दिल्ली

तलपट		
1-अप्रैल-23 से 31-मार्च-24		
	राजविअ सीपीएफ ट्रस्ट	
विवरण	1-अप्रैल-23 से 31-मार्च-24	
	अंतिम शेष	
	नामे	जमा
केंद्र सरकार प्रतिभूति खाता	338187960.00	0
परामर्श खाता	0	40000000.00
सीपीएफ अग्रिम	991500.00	0
सीपीएफ़ कर्मचारी योगदान	0	374926223.00
सीपीएफ अंतिम भुगतान	223241156.00	0
सीपीएफ एसबीआई खाता 51026247906	4082714.00	0
सीपीएफ ट्रस्ट पीएनबी खाता 0153000109900271	92431169.00	0
सीपीएफ निकासी	25854700.00	0
कर्मचारियों की दावा रहित अंशदान	0	122694.00
नियोक्ता का योगदान	0	259015852.00
कर्मचारी के योगदान पर ब्याज	0	19081604.00
नियोक्ताओं पर ब्याज	0	13409998.00
राजविअ खाता	0	19259968.00
विशेष जमा योजना खाता	41027140.00	0
कुल योग	**725816339.00**	**725816339.00**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2024 को तुलनपत्र

राशि रूपये में

विवरण	सूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
कॉपर्स/ पूंजीगत निधि	**1**	0	0
अधिशेष पर रिजर्व	**2**	0	0
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	**3**	0	0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**	0	0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**	0	0
आस्थगित जमा देयताएं	**6**	0	0
चालू देयताएं तथा प्रावधान	**7**	475728983	639453819
कुल		**475728983**	**639453819**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	**8**	0	0
निवेश–उद्दिष्ट–विन्यामय निधियों से	**9**	0	0
निवेश–अन्य	**10**	379215100	616910232
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**11**	96513883	22543587
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नही करने की सीमा तक)			
कुल		**475728983**	**639453819**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सरकारी अंशदान	10,115,336	14,309,881	एफडी पर ब्याज	-	1,544,772
सरकारी अंशदान पर ब्याज	13,409,998	16,091,236	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	35,719,217	51,214,364
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	19,081,604	22,967,299	एसबी खाते पर ब्याज	1,211,462	1,569,356
बैंक प्रभार	4,421	4,400	एसडीएस खाते पर ब्याज	2,871,926	3,567,853
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर अधिक राशि का भुगतान	1,573,200			4,381,954	
अधिशेष	-	4,523,529			
कुल	**44,184,559**	**57,896,345**	कुल	**44,184,559**	**57,896,345**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2024)

			राशि रूपये में
अनुसूची'–6 आस्थगित ऋण देयताएं			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर उद्भूत ब्याज		-	-
कुल		-	-

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2024)

अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान				(राशि रूपये में)
विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष
कर्मचारियों का अंशदान		331788688		423838917
आदि शेष				
वर्ष के दौरान जमा				
कर्मचारियों का अंशदान	40302585		55757238	
अग्रिमों की वापसी	2834950		4253200	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	19081604	62219139	22967299	82977737
		394007827		**506816654**
वर्ष के दौरान घटाएं				
अंतिम भुगतान	123,380,368		153,054,466	
अंतिम आहरण	25854700		20291000	
सदस्यों को ऋण/अग्रिम	991500		1682500	
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित	0		0	
कर्मचारी द्वारा दावा न की गई अंशदान	0	**150226568**	0	**175027966**
		243781259		**331788688**
बिना दावे वाले अंशदान का अंतरण		122694		122694
उपकुल		**243903953**		**331911382**
नियोक्ता का अंशदान				
आदि शेष		248900516		323311889
वर्ष के दौरान जमा				
नियोक्ता का अंशदान	10115336		14309881	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	13409998	23525334	16091236	30401117
		272425850		**353713006**
वर्ष के दौरान घटाएं				
अंतिम भुगतान		99860788		104812490
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित		0		0
कुल		**172565062**		**248900516**
रा.ज.वि.अ. परामशी खाता		**40000000**		**35000000**
रा.ज.वि.अ. खाता		**19259968**		**23641921**
कुल		**475728983**		**639453819**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2024)

अनुसूची–10 : निवेश –अन्य

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष
नियत जमा	0		-	
जमा–प्रोद्‌दभूत ब्याज	0	**0**	-	**-**
प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां)	333950000		567550000	
जमा–प्रोद्‌दभूत ब्याज	4237960	**338187960**	8342894	**575892894**
विशेष जमा योजना	40311609		40311609	
जमा–प्रोद्‌दभूत ब्याज	**715531**	**41027140**	**705729**	**41017338**
कुल	**379215100**	**379215100**	**616910232**	**616910232**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2024)

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि			**राशि रुपये में**	
विवरण	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
राजकोष से प्राप्य	0		0	
राजकोष				
बैंक शेष				
भारतीय स्टेट बैंक	4082714		13702274	
पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली	92431169		8841313	
कुल	96513883		22543587	

ह/–
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/–
([illegible])
निदेशक (वित्त)

ह/–
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची 15- निवेश से आय

1	ऋण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	35719217	51214364
	(ख) अन्य बांड/डिबेंचर	0	0
2	लाभांश	0	0
3	किराया	0	0
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0

(दीपक वर्मा)	**(सुब्रत हलदर)**	**(भोपाल सिंह)**
लेखाधिकारी	**निदेशक (वित्त)**	**महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची 17- अर्जित ब्याज

1	सावधि जमा एसडीएस खाते पर	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	(a) अनुसूचित बैंक के साथ	2871926	5112625
	(ब) गैर अनुसूचित बैंक के साथ		
	(c) संस्थानों के साथ		
	(घ) अन्य		
2	बचत खाता		
	(a) अनुसूचित बैंक के साथ	1211462	1569356
	(ब) गैर अनुसूचित बैंक के साथ		
	© डाकघर बचत खाता		
	(घ) अन्य		
	कुल	4083388	6681981

(दीपक वर्मा) **(सुब्रत हलदर)** **(भोपाल सिंह)**

लेखाधिकारी **निदेशक (वित्त)** **महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रूपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आदि शेष			अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	991500	1682500
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	13702274	51558064	पूरा एवं अंतिम भुगतान	223241156	257866956
पंजाब नेशनल बैंक	8841313	63972944	अंतिम आहरण	25854700	20291000
राजविअ	43137535	67509712			
सरकारी प्रतिभूतियां की परिपक्वता	232026800	5500000	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश		0
एफ डी आर की परिपक्वता	-	30000000	एफ.डी.आर. में निवेश		0
एस.डी.खाते पर ब्याज	1211462	1569356	बैंक प्रभार	4420	4400
एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	2862124	2862124	नई पेंशन योजना कर्मचारी अंशदान		0
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	39824151	42871470	रा.ज.वि.अ. के पूर्ण वर्ष की राशि खाते पर बैंक जमा		0
नियत जमाओं पर ब्याज	-	1544772	पंजाब नेशनल बैंक	4082714	13702274
कर्मचारी का अशंदान, कर्मचारी तथा नियोक्ता तथा सरकारी अशंदान	-	0	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	92431169	8841312
राजविअ परामर्शी खाता	5000000	35000000			
कुल	346605659	302388442	**कुल**	346605659	302388442

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2023–24 के लिए सीपीएफ अंशदान, कर्मचारी अंशदान और अग्रिम राशि की वापसी का माहवार विवरण दर्शाने वाला विवरण

राशि रूपये में

माह	अंशदान (कर्मचारी अंशदान)	अग्रिमों की वापसी	कुल
अप्रैल, 2023	4046061	269600	4315661
मई, 2023	3793671	282400	4076071
जून, 2023	3951671	250500	4202171
जुलाई, 2023	3595471	258850	3854321
अगस्त, 2023	3411206	268850	3680056
सितम्बर, 2023	3212647	248850	3461497
अक्टूबर, 2023	3194761	220650	3415411
नवम्बर, 2023	3128442	220650	3349092
दिसम्बर, 2023	3068350	220650	3289000
जनवरी, 2024	3028350	204650	3233000
फरवरी, 2024	3039465	204650	3244115
मार्च, 2024	2832490	184650	3017140
कुल	**40302585**	**2834950**	**43137535**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

सी.पी.एफ. अंतिम भुगतान का विवरण

नाम	कर्मचारी योगदान	नियोक्ता का योगदान	अंतिम भुगतान
एसके तैलंग	0	624661	624661
एससी अवस्थी	295499	3713225	4008724
एएच चौधरी	1859931	1074763	2934694
डीके शर्मा	8115936	3791718	11907654
के. शेखर नाइक	694180	1180516	1874696
वाई लक्ष्मण राव	0	455914	455914
जोगेंद्र महालिक	5451644	1761629	7213273
राधु चरण बेहुरा	1817102	1056247	2873349
आरएन पांडा	2544332	1430821	3975153
वी जोशुवा	1771028	2247115	4018143
सी महेंद्र राज	4181237	1732021	5913258
जी वीरजानंद	2722659	1773145	4495804
महेश चंदर गुप्ता	2023222	1407072	3430294
सुखसे राम	699816	988646	1688462
बीएस उचरिया	4693079	2925238	7618317
भोपाल सिंह	854586	1174688	2029274
हकीकत राय	402175	938506	1340681
एसआर महोर	1818445	3163732	4982177

एके पाढ़ी	594790	1390367	1985157
पी चन्नैया	2291094	2439783	4730877
एसएस कलादगी	5998814	1869661	7868475
गीता एस.के.	7321677	1599449	8921126
राम किशन तोमर	1984872	1055613	3040485
केके राव	232749	2476542	2709291
एम.एन. राव	3675278	2830619	6505897
एनजी राव	2421827	3483194	5905021
आर चनरासेकरन	545579	2762444	3308023
बीएन बेहरा	584414	949245	1533659
के सत्यनारायण	551436	1145455	1696891
एसए गंगाधर	4902809	1787859	6690668
डी सुधाकर	220899	1865279	2086178

पी पद्‌मजा	3266755	1649267	4916022
केए नायडू	1656076	2860508	4516584
शिमांतिका मोहंती	7999451	1818154	9817605
सीएच विजया लक्ष्मी	4546309	1878249	6424558
राकेश कुमार गुप्ता	1010881	3359077	4369958
एसके श्रीवास्तव	1676222	2211054	3887276

ई. केमपन्ना	1780936	1871039	3651975
उदय कुमार रथ	168435	1539438	1707873
सीएच लिंगैश	885167	2306936	3192103
आरसी बेहुरा	0	4530	4530
दीपक नफाडे	2439833	1947365	4387198
ए बालकृष्णन	4977704	1269374	6247078
परमानंद सोनी	4463285	2446576	6909861
आर बालाकृष्णन	2006410	2883905	4890315
आर प्रकाश बाबू	291736	1459221	1750957
जी नरसिम्हा राव	2240567	1673299	3913866
ए राजेश्वर राव	1343705	2722211	4065916
चौधरी वाई सुब्रह्मण्यम	4530723	3259197	7789920
एनसी अशरा	323536	1726696	2050232
एस जेम्स	3541245	2724871	6266116
एसके चंपाटी	2960283	1154654	4114937
कुल	**123380368**	**99860788**	**223241156**

सरकारी प्रतिभूतियों की सूची

क्र.सं.	प्रतिभूतियों की संख्या	खरीद की तारीख	अंकित मूल्य	समाप्ती की तारीख	अर्ध वार्षिक ब्याज	ब्याज डीटी
1	6.64%जीओआई2035	02.07.2021	20000000.00	16.06.2035	664000.00	16. जून
				16.06.2035	664000.00	16.दिसम्बर
2	7.73% जीओआई2034	24.03.2017	9000000.00	19.12.2034	347850.00	19.जून
				19.12.2034	347850.00	19. दिसम्बर
3	8.32%जीओआई2032	24.03.2017	7500000.00	02.08.2032	312000.00	02.अगस्त
				02.08.2032	312000.00	02.फरवरी
4	8.28% जीएस2027	07.02.2012	14800000.00	21.09.2027	612720.00	21.मार्च
				21.09.2027	612720.00	21.सितंबर
5	8.28% जीएस2027	19.06.2012	15800000.00	21.09.2027	654120.00	21. मार्च
				21.09.2027	654120.00	21.सितंबर
6	8.28%जीओआई2027	13.02.2014	12300000.00	21.09.2027	509220.00	21.सितंबर
				21.09.2027	509220.00	21. मार्च
7	8.26%जीओआई2027	30.07.2020	7200000.00	02.08.2027	297360.00	02.अगस्त
				02.08.2027	297360.00	02.फरवरी
8	6.79% जीओआई 2027	07.03.2018	58000000.00	15.05.2027	1969100.00	15.माई
				15.05.2027	1969100.00	15.नवंबर
9	6.97%जीओआई2026	30.07.2020	50000000.00	06.09.2026	1742500.00	06.सितंबर
				06.09.2026	1742500.00	06. मार्च
10	8.33% जीएस2026	31.10.2012	15200000.00	09.07.2026	633080.00	09.जनवरी
				09.07.2026	633080.00	09.जुलाई
11	7.95% जीओआई	03.08.2016	14800000.00	18.02.2026	588300.00	18.अगस्त
				18.02.2026	588300.00	18.फरवरी
12	6.90% जीओआई2026	17.07.2014	11000000.00	04.02.2026	379500.00	04.फरवरी
				04.02.2026	379500.00	04.अगस्त
13	7.59% जीओआई 2026	29.06.2018	51400000.00	11.01.2026	1950630.00	11. जुलाई
				11.01.2026	1950630.00	11.जनवरी
14	8.20%जीओआई2025	25.11.2013	9100000.00	24.09.2025	373100.00	24.मार्च
				24.09.2025	373100.00	24-सितंबर
15	8.20%जीओआई2025	15.09.2014	6700000.00	24.09.2025	274700.00	24.सितंबर

				24.09.2025	274700.00	24. मार्च
16	8.20% जीएस2024	12.08.2010	6200000.00	15.09.2024	254200.00	15. सितंबर
				15.09.2024	254200.00	15. मार्च
17	8.20% जीएस2024	23.12.2010	13950000.00	15.09.2024	571950.00	15. सितंबर
				15.09.2024	571950.00	15. मार्च
18	8.40%जीओआई2024	26.04.2016	11000000.00	28.07.2024	462000.00	28. जुलाई
				28.07.2024	462000.00	28. जनवरी
	कुल		**333950000.00**			

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र

			राशि रूपये में
विवरण	**अनुसूची**		**पिछला वर्ष**
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	**1**	-19375670	-25012593
सुरक्षित पर अधिशेष	**2**		0
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	**3**		0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**		0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**		0
आस्थगित जमा देयताएं	**6**		0
चालू देयताएं तथा प्रावधान	**7**	24036141	66668601
कुल		**4660471**	**41656008**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	**8**		0
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	**9**		0
निवेश–अन्य	**10**		0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**11**	4660471	41656008
विविध व्यय बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक			
कुल		**4660471**	**41656008**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 तक के लिए समेकित आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

आय	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	13	13571524	4000000
अनुदान/सहायिकी			
प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान व सहायिकी शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14	460389	21093522
निवेश से आय (उद्दिष्ट/विन्यास में निवेश से आय, निधि में अंतरित निधि)			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	17	38431	112897
उद्भूत ब्याज	18	1041393	39031
अन्य आय			
तैयार माल, प्रगति पर कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/कमी			
कुल (क)		**15111737**	**25245450**
व्यय			
स्थापना व्यय			
पूर्व अवधि व्यय (स्थापना व्यय)			
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	9474814	58512880
पूर्व अवधि व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय)			
निर्माण कार्य			
पूर्व अवधि व्यय (निर्माण कार्य)			
मूल्यह्रास			
कुल (ख)		**9474814**	**58512880**

व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख)	5636923	-33267430
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण		
अधिशेष जमा को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां		

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि		राशि रूपये में
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ के दौरान में शेष	-25012593	8254837.00
उप कुल **(क)**	**-25012593**	**8254837.00**
बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश		
निवला आय का जोड़/घटा	5636923	-33267430.00
आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय		
उप कुल **(ख)**	**5636923**	-33267430.00
वर्ष के अन्त में शेष	**-19375670**	**-25012593.00**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

		राशि रूपये में
अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
विवरण	भारत जल सप्ताह 2022–23	
क वर्तमान देयताएं		
अन्य. वर्तमान देयताएं		
बकाया व्यय	0	43678680
वेतन तथा भत्ते	0	0
किराया, दर तथा कर	0	0
प्रेषणा	0	0
पुराने चैक	0	0
अंशदायी भविष्य निधि	0	0
भारत जल सप्ताह 2016 खाता	860207	860207
धरोहर राशि/ सुरक्षित जमा	2500	2500
निष्पादन गारंटी जमा	0	317205
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि		
टी.डी.एस.	0	0
राजविअ परामर्शी खाता	20363425	19000000
राजविअ मुख्यालय को देय जीएसटी स्थानांतरित	2810009	2810009
उप कुल (क)	**24036141**	**66668601**
	0	0
लेखापरीक्षा शुल्क	0	0
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि		
	0	0
उपकुल (ख):		
कुल	**24036141**	**66668601**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार) भारत जल सप्ताह
31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि		राशि रूपये में
विवरण		राशि
क वर्तमान परिसंपत्तियां		
आदि शेष		0
बचत बैंक खाता एस.बी.बी.जे	483778	6316626
एक्सस बैंक	4	69776
डाक टिकट शेष		0
मार्गस्थ ड्राफ्ट		0
उप कुल (क)	**483782**	**6386402**
ख ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां		
ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को		
अन्य को	3776321	34869238
टीडीएस प्राप्य	386873	386873
उप कुल (ख)	**4163194**	**35256111**
ग प्राप्य दावे		0
सुरक्षा जमा खाते	13495	13495
उप कुल (ग)	**13495**	13495
विविध देनदार		
प्रदर्शनी/भागीदारी व अन्य शुल्को के लिए पक्षकारों से प्राप्य	**0**	
कुल	**4660471**	**41656008**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सहायिकी)		राशि रूपये में
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		0
सहायता अनुदान	0	4000000
कंसल्टेंसी से आईडबल्यूडबल्यू मे राशि स्थानांतरण	13571524	
कुल	**13571524**	**4000000**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार) भारत जल सप्ताह
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–14 : शुल्क / सब्सक्रिप्शन		राशि रूपये में
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
भारत जल सप्ताह		
1 पंजीकरण / प्रतिनिधि शुल्क	0	978,741
2 वार्षिक शुल्क / सब्सक्रिप्शन	-	-
3 सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4 प्रायोजक शुल्क	460389	7,656,315
5 प्रदर्शनी शुल्क		12,458,466
6 सहयोगी देश भारतीय यूरोपीय संघ		
7 निविदा शुल्क	-	-
8 लोगो शुल्क	-	-
कुल	460389	**21,093,522**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार) भारत जल सप्ताह
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज		राशि रूपये में
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क बचत बैंक खातों पर	38431	112897
ख ऋण एवं अग्रिमों पर	0	0
ग अन्य	0	0
कुल	**38431**	**112897**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली (जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार) भारत जल सप्ताह
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची 18– अन्य आय		राशि रूपये में
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अध्ययन भ्रमण लेखा	215393	31
बकाया व्यय वापिस लेना	826000	39000
कुल	**1041393**	**39031**

(जल संसाधन मंत्रालय,भारत सरकार)

भारत जल सप्ताह - 2023- 2024

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
जारी विविध व्यय	0	5725
रचनात्मक सामग्री	59000	5627902
सांस्कृतिक कार्यक्रम	0	569940
होटल में आवास	0	2183661
बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला का खर्च	0	10813746
स्मृति चिन्ह खर्च	0	1244193
मुद्रण और लेखन सामग्री	66428	1498820
पंजीकरण सामग्री खर्च	0	596695
सहायक स्टाफ व्यय	0	10000
विज्ञापन और प्रचार व्यय	0	4114873
बैंक शुल्क	0	4267
मामूली कार्य	83288	17763
मामूली आईटी कार्य खर्च	0	64273
आर एंड एम कंप्यूटर खर्च	0	0
आर एंड एम फर्नीचर और फिटिंग खर्च	0	5725
वाहन डीएल-3सीसीसी-6708 खाते का आर एंड एम	0	920
टीए खर्च	0	1000

टेलीफोन खर्च	3764	256558
परिवहन व्यय लेखा	0	707
आईटी काम के खर्च	26895	33013
कार्यक्रम प्रमोशन खर्च	83288	17763
आतिथ्य व्यय	965862	396480
वेबसाइट का खर्च	26895	33013
स्थल बुकिंग और सुविधाओं का उपयोग	8269577	29996936
कुल	9474814	58512880

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 202 4 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये में

प्राप्ति	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आदि शेष			**1. खर्च**		
क) रोकड़ शेष	**0**		a) स्थापना व्यय		
b) बैंक शेष:			(अनुसूची 20 के अनुरूप)	0	0
बचत खातों में :			b) प्रशासनिक व्यय		
1. एसबीआई	**6316626**	2836146	(अनुसूची 21A के अनुरूप)	21234577	14834200
2. एक्सिस बैंक	**69776**	1492295	छोटे काम	0	0
			शुल्क/ सदस्यता	0	0
2. प्राप्त अनुदान			**2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए** किए गए निवेश का **भुगतान** ।		
a) भारत सरकार से	**0**	4000000	लिंक नहर परियोजना	0	0
बी) राजविअ सीएनए खाते से राशि हस्तांतरण	**13571524**	0	**3. किए** गया **निवेश और** जमा	0	
ग) परामर्शी खाते से		0	क) नियत संपत्ति का क्रय	0	0
3. निवेश पर आय			ख) स्वयं की निधियों में से (निवेश-अन्य)	0	0
क) निर्दिष्ट/विन्यास निधि	**0**	0	**4. अचल संपत्ति और पूंजी पर व्यय कार्य-प्रगति**		
ख) अपनी निधि(निवेश पर)	**0**	0	अग्रिम (स्टाफ)	0	0
			(अन्य) अग्रिम	0	29983640
4. प्राप्त ब्याज			**5. ब्याज और लंबी अवधि** के **अग्रिम वापसी**		
a) बैंक जमा पर	**38431**	112897	ख) पूंजीगत कार्य पर व्यय जारी	0	0
ख) ऋण, अग्रिम आदि।	**0**	0	**6. वित्त प्रभार (ब्याज)**	0	0

			7. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)	0	0
5. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			**राजविअ**		
प्रतिनिधि शुल्क	**0**	970266	ईएमडी/निष्पादन गारंटी	263215	0
प्रदर्शनी शुल्क/ स्थान की बुकिंग	**460389**	13996792	अग्रिम आईसीआईडी		
विविध प्राप्तियां	**105403**	31	सुरक्षा जमा राशि	0	0
प्रायोजन शुल्क	**0**	8549600	कर्मचारियों को अग्रिम	0	0
अध्ययन यात्रा शुल्क	**0**	39000	विविध लेनदार	0	0
			शुल्क और कर	0	0
6. उधार ली गई राशि-राजविअ	**1363425**	19000000	**अंतिम शेष**		
7. कोई अन्य रसीदें (दी गईं) विवरण)			क)। रोकड़ शेष	0	0
अग्रिम (स्टाफ)	**0**	0	ख) बैंक शेष:		
अग्रिम (अन्य)	**0**	0	बचत खातों में :		
ईएमडी /प्रदर्शन गारंटी	**56000**	207215	1. एसबीआई	483778	6316626
			2. एक्सिस बैंक	4	69776
कुल	**21981574**	**51204242**	**कुल**	21981574	**51204242**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार)
भारत जल सप्ताह - 2023- 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 21क - अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
जारी विविध व्यय	0	5725
रचनात्मक सामग्री	2898786	2788116
सांस्कृतिक कार्यक्रम	0	569940
होटल में आवास	0	2183661
बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला का खर्च	3689178	26068
स्मृति चिन्ह खर्च	0	1244193
मुद्रण और लेखन सामग्री	66428	1498820
पंजीकरण सामग्री खर्च	0	596695
सहायक स्टाफ व्यय	0	10000
विज्ञापन और प्रचार व्यय	0	4114873
बैंक शुल्क	0	4267
मामूली कार्य	83288	17763
मामूली आईटी कार्य खर्च	0	64273
आर एंड एम कंप्यूटर खर्च	13446096	0
आर एंड एम फर्नीचर और फिटिंग खर्च	0	920

वाहन डीएल-3सीसीसी-6708 खाते का आर एंड एम	0	1000
टीए खर्च	3764	256558
टेलीफोन खर्च	0	707
परिवहन व्यय लेखा	0	956955
आईटी काम के खर्च	0	118453
कार्यक्रम प्रमोशन खर्च	0	0
आतिथ्य व्यय	26895	33013
वेबसाइट का खर्च	1020142	342200
कुल	**21234577**	**14834200**

आईडब्ल्यूडब्ल्यू, राजविअ

तलपट 1/4/2023 -31/3/2024		
विवरण		राशि रूपये में
	अंतिम शेष	
	माने	जमा
ए.डी. एस्टेट विज्ञान भवन को अग्रिम	**1663993.00**	
डीएआईसी खाते को अग्रिम	195880	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र को अग्रिम	705640	38431
		2500
यूपीएसटी डीसी लिमिटेड को अग्रिम	1210808	
एक्सिस बैंक आईडब्ल्यूडब्ल्यू खाता 922020050560915	3.62	13571524
बैंक ब्याज	25012593	20363425
पूंजी निधि	**4660471**	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	4163194	
	3776321	

प्रदर्शनी शुल्क/स्थान की बुकिंग	*1663993*	
अनुदान सहायता खाता	*195880*	
	705640	
आतिथ्य व्यय	*1210808*	
आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2016 खाता	483782	
मामूली कार्य खाता	59000	
विविध रसीद खाता	13495	
बकाया व्यय लिखित रूप में	13495	
मुद्रण और स्टेशनरी		13571524
एसबीआई बैंक आईडब्ल्यूडब्ल्यू खाता 61146288894		860207
सुरक्षा जमा खाता		215393
टीए व्यय		20363425
टीडीएस प्राप्य		2810009
स्थल बुकिंग और सुविधाओं का उपयोग व्यय		826000

वेबसाइट व्यय	66428	
स्थान बुकिंग और सुविधाओं का उपयोग खर्च	483778	
वेबसाइट खर्च	13495	
टीडीएस प्राप्य	3764	
स्थल बुकिंग और सुविधाओं का उपयोग व्यय	8269577	
वेबसाइट खर्च	965862	
कुल योग	391478748.30	39147848.30

		अनुलग्नक –।
		राशि रूपये में
रा.ज.वि.अ. आईडब्ल्यूडब्ल्यू		
ऋण और अग्रिम		
विवरण		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विज्ञापन ई एस्टेट विज्ञान भवन के लिए अग्रिम	1,663,993.00	1663993.00
आईजीएनसीए के लिए अग्रिम	705,640.00	705640.00
मैसर्स इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड को अग्रिम	-	31092917.00
डीएआईसी को अग्रिम	195,880.00	195880.00
यूपीएसटी डीसी लि. को अग्रिम	1,210,808.00	1210808.00
कुल	3776321.00	34869238.00

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
जल मंथन – 31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र

			राशि रूपये में
विवरण	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	**1**	695888	679393
सुरक्षित पर अधिशेष	**2**	**0**	0
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	**3**	**0**	0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**	**0**	0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**	**0**	0
आस्थगित जमा देयताएं	**6**	**0**	0
चालू देयताएं तथा प्रावधान	**7**	**0**	0
कुल		**695888**	**679393**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	**8**	0	0
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	**9**	0	0
निवेश–अन्य	**10**	0	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**11**	695888	679393
विविध व्यय बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक			
कुल		695888	679393

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

31.03.2024 को जल मंथन का आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

व्यय	अनुसूची	2022–23	आय	अनुसूची	2022–23	2021–22
स्थापना व्यय			विक्रय/सेवा से आय		0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	0	अनुदान/सहायिकी	13	0	0
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय			(प्राप्त अप्रत्याादेय अनुदान एवं सहायिकी)			
ब्याज			शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14	0	0
रा.ज.वि.अ. को भुगतान	16495	16022	निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों		0	0
			में निवेश से आय/निधियों से निधियों में			
			किया गया अंतरण)		0	0
			रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	17	16495	16022
			अर्जित ब्याज			0
			अन्य आय			0
कुल (क)	**16495**	**16022**	**कुल (क)**		**16495**	**16022**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2024 को जल मंथन के तुलन पत्र की अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि		राशि रूपये में
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
वर्ष के प्रारंभ के दौरान में शेष	**679393**	**663371**
उप कुल **(क)**	**679393**	**663371**
बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश	0	**0**
निवला आय का जोड़/घटा	16495	16022
आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय		
उप कुल **(ख)**		
वर्ष के अन्त में शेष	**695888**	**679393**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2024 को जल मंथन के तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

		राशि रूपये में
अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
विवरण	2023-24	2022-23
क वर्तमान देयताएं		
अन्य. वर्तमान देयताएं		
बकाया व्यय	0	0
वेतन तथा भत्ते	0	0
किराया, दर तथा कर	0	0
प्रेषणा	0	0
पुराने चैक	0	0
रा.ज.वि.अ.	0	0
अंशदायी भविष्य निधि	0	0
भारत जल सप्ताह 2016 खाता	0	0
धरोहर राशि/ सुरक्षित जमा	0	0
निष्पादन गारंटी जमा	0	0
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि		
टी.डी.एस.	0	0
उप कुल (क)	**0**	**0**
प्रावधान	0	0
लेखापरीक्षा शुल्क	0	0
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0	0
उपकुल (ख):	0	0
कुल	**0**	**0**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2024 को जल मंथन के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि		राशि रूपये में
विवरण	2023-24	2022-23
क वर्तमान परिसंपत्तियां		
आदि शेष	0	0
बचत बैंक खाता	619937	603442
डाक टिकट शेष	0	0
मार्गस्थ ड्राफ्ट	0	0
उप कुल (क)	**619937**	**603442**
ख ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां		
ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को		
अन्य को	14101	14101
रा.ज.वि.अ.	0	0
उप कुल (ख)	**14101**	**14101**
ग प्राप्य दावे		
सुरक्षा जमा खाते	61850	61850
उप कुल ग.	61850	61850
कुल	**695888**	**679393**

ह/-	ह/-	ह/-
(दीपक वर्मा)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

वर्ष 2023 –24 के लिए जल मंथन के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सहायिकी)		राशि रूपये में
विवरण	2023-24	2022-23
जल मंथन 2022 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि	0	0
कुल	**0**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023 –24 को जल मंथन के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–14 : शुल्क / सब्सक्रिप्शन		राशि रूपये में
विवरण	2023-24	2022-23
जल मंथन		
1 पंजीकरण / प्रतिनिधि शुल्क	0	0
2 वार्षिक शुल्क / सब्सक्रिप्शन	0	0
3 सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	0	0
4 प्रायोजक शुल्क	0	0
5 प्रदर्शनी शुल्क		
6 सहयोगी देश भारतीय यूरोपीय संघ	0	0
7 निविदा शुल्क	0	0
कुल	**0**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023 –24 के लिए जल मंथन – आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज		राशि रूपये में
विवरण	2023-24	2022-23
क बचत बैंक खातों पर	16495	16022
ख ऋण एवं अग्रिमों पर	0	0
ग अन्य	0	0
कुल	**16495**	**16022**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023 –24 के लिये जल मंथन के आय एवं व्यय की अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची 18– अन्य आय		राशि रूपये में
विवरण	2023-24	2022-23
	0	0
	0	0
कुल	**0**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार)
जल मंथन अनुसूची वर्ष 2023 –24 के लिए आय और व्यय का हिस्सा

अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	2023-24	2022-23
यातायात व्यय	0	0
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	0	0
अन्य कार्य	0	0
आतिथ्य व्यय	0	0
डाक व्यय	0	0
बैंक शुल्क	0	0
पुष्प सजावट	0	0
किराया	0	0
पंजीकरण सामग्री व्यय	0	0
किताबें और फेरिकल्स	0	0
दूरभाष	0	0
विज्ञापन	0	0
टीए/डीए यय	0	0
टीए व्यय	0	0
स्मृति चिह्न व्यय	0	0
प्रतिनिधि किट व्यय	0	0
लॉजिस्टिक समझौता	0	0
विविध व्यय	0	0
कुल	**0**	**0**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2024 को जल मंथन का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

			(राशि रूपये में)	
प्राप्ति	2023.24	भुगतान	2023.24	2022.23
आदि शेष प्राप्तियां		1. व्यय		
1 क. रोकड़ शेष	0	क. स्थापना व्यय		
ख. बैंक शेष		(अनुसूची 20 के तद्नुरूप)		0
बचत खातों में		ख. प्रशासनिक व्यय		
i. एस.बी.आई.	603442	(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)		0
		2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान		
2 प्राप्त अनुदान		लिंक नहर परियोजना		0
क. भारत सरकार से	0	3 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय		
ख. राज्य सरकार से	0	क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय		0
		ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय		0
3 निवेश पर आय				
क उद्दिष्ट/विन्यास निधि	0	4 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय		
ख अपनी निधि (निवेश पर)	0	अग्रिम (स्टाफ)		0
		अग्रिम (अन्य)		0
4 प्राप्त ब्याज				
क. बैंक जमाओं पर	16495	5 ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी		
ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	0	ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		

5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		6 वित्त प्रभार (ब्याज)		
		7 अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
6 उधार ली गई राशि–राजवअि	0	रा.ज.वि.अ.		0
7 कोई अन्य रसीदें (दिए गए विवरण)		अंतिम शेष		
		क. रोकड़ शेष		0
		ख. बैंक शेष		
		बचत खाते		
		1 एस. बी. आई.	619937	603442
कुल	619937	कुल	619937	603442

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार)
जल मंथन अनुसूची वर्ष 2023 –24 के लिए आय और व्यय का हिस्सा

अनुसूची 21 क– अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	2023-24	2022-23
यातायात व्यय	0	0
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	0	0
अन्य कार्य	0	0
आतिथ्य व्यय	0	0
डाक व्यय	0	0
बैंक शुल्क	0	0
पुष्प सजावट	0	0
किराया	0	0
पंजीकरण सामग्री व्यय	0	0
किताबें और फेरिकल्स	0	0
दूरभाष	0	0
विज्ञापन	0	0
टीए/डीए यय	0	0
टीए व्यय	0	0
स्मृति चिह्न व्यय	0	0
प्रतिनिधि किट व्यय	0	0
लॉजिस्टिक समझौता	0	0
विविध व्यय	0	0
कुल	**0**	**0**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली

(का जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार)

जल मंथन अनुसूची 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा है

अनुलग्नक अन्य को अग्रिम (राशि रूपये में)

विवरण	2023-24	2022-23
अनुलग्नक अन्य को अग्रिम		
आईटीडीसी को अग्रिम	14101	0
सुरक्षा जमा राशि	61850	603442
उप कुल	75951	603442.32

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राजविअ जल मंथन				
तलपट				
				(राशि रूपये में**)**
	राजविअ जल मंथन			
विवरण				
		अंतिम शेष		
		नामे	जमा	
आईटीडीसी के लिए अग्रिम		14101.00		
बैंक ऋण			*16495.00*	
समग्र निधि खाता			**679393.32**	
एसबीआई 61245985802		619937.32		
सुरक्षा जमा		61850.00		
कुल योग		**695888.32**	**695888.32**	

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2023–24 के लिए पीएमकेएसवाई योजना के अधीन दीर्घावधि सिंचाई कोष–प्राप्तियां और भुगतान खाता

							राशि रूपये में
	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.	प्रारंभिक शेष			**I**	खर्च		
	क.) आदिशेष	0	0		क.) स्थापना व्यय (अनुसूची 20ए के अनुरूप)	0	0
	ख.) बैंक शेष						
	i चालू खातों में	0	0		ख.) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21क के अनुरूप)	0	0
	ii मार्गस्थ चेक / ड्राफ्ट	0	0				
II.	**प्राप्त अनुदान**	-	-	**II**	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान।		
	क.) भारत सरकार से	**37681647414**	**37578462273**		पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत राज्य को जारी केंद्रीय सहायता (सीए):		
	ख.) राज्य सरकार से	0	0				
III.	निवेश पर आय				आंध्र प्रदेश	0	0
	क.) उद्दिष्ट / विन्यास निधि	0	0		बिहार	0	0
	ख.) स्वयं का कोष (निवेश पर)	0	0		छत्तीसगढ	0	0
					गुजरात	0	0
IV.	प्राप्त ब्याज				झारखंड	0	0
	क.) बैंक जमा पर	0	0		कर्नाटक	0	0
					मध्य प्रदेश	0	0
V.	अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	0	0		मणिपुर	0	0
					महाराष्ट्र	0	0
VI.	**उधार ली गई राशि**				ओडिशा	0	0
	पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से ऋण	**0**	**0**		पंजाब	0	0

					गोआ	0	0
VII.	कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)				राजस्थान	0	0
					तेलंगाना	0	0
					केरल	0	0
					उत्तर प्रदेश	0	0
					पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	0	0
					असम	0	0
					जम्मू और कश्मीर	0	0
					केंद्र शासित प्रदेश– लद्दाख	0	0
					उत्तर कोइल जलाशय	0	0
				III.	**निवेश और जमा**	0	0
				IV.	**अचल और पूंजी पर व्यय**	0	0
					कार्य प्रगति पर है	0	0
				V.	**ब्याज और दीर्घकालिक अग्रिम की वापसी**	0	0
				VI.	वित्त प्रभार (ब्याज)	0	
					राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण पर दिया गया ब्याज	**7002426522**	**7700905199**
					ईबीआर . पर	**14716933632**	**14710314300**
					ब्याज सबवेंशन +	**5724100000**	**4929055514**
				VII.	मूलधन चुकौती	**10238187260**	**10238187260**
				VIII.	**अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
				IX.	अंतिम शेष		
					क.) नकद शेष		
					ख.) बैंक शेष		
					i.) चालू खातों में		
	कुल	**37681647414**	**37578462273**			**37681647414**	**37578462273**

\+ इसमें 20,00,70,333.00 रुपये शामिल हैं जो 2023–24 के बजट से भुगतान किए गए थे

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण							
(जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)							
वर्ष 2023-24 के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण प्राप्तियां और भुगतान खाता							
							(राशि रूपये में)
	रसीद	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I	प्रारंभिक शेष			I	खर्चे		
	क.) आदि शेष	0	0		क) स्थापना व्यय (अनुसूची के अनुरूप) 20क)	18,302,014	0
	ख.) बैंक शेष						
	i. चालू खातों में		0		ख) प्रशासनिक व्यय	8,146,929	2559770
	ii) बचत खातों में	19143182			(अनुसूची 21 ए के अनुरूप)		
	ii। मार्गस्थ चेक/ड्राफ्ट	0	0	II	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान।		
	iii) डाक	2929			ढांधन बांध परियोजना के लिए कैम्पा फंड मध्य प्रदेश	805,600,000	3,947,700,000.00
II	प्राप्त अनुदान				केबीएलपी - पीएच-1 धौधन बांध		
	क.) भारत सरकार की ओर से	14,599,700,000.00	6,243,446,772.00		केबीएलपी - पीएच -2 मध्य प्रदेश		
	पीएओ, एमओजेएस टीएसए के माध्यम से				केबीएलपी - एमपीटीएफ़एस(मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी)		2217328000
	ख.) राज्य सरकार से	0	0	III	केबीएलपी-अप्र, भोपाल	-	0
				IV	केबीएलपी- अप्र, झांसी	-	0
III.	निवेश पर आय				विजय भवन एडी, एस्टेट		40590
	क.) निर्धारित/एंडो फंड	0	0	V	के-बी लिंक की डीपीआर और अन्य लिंक परियोजनाओं के एस एंड आई कार्य)	33,275,850	56010495

	ख.) स्वयं की निधि (निवेश पर)	0	0	**VI**	डब्ल्यूआरडी- मध्य प्रदेश	13,051,600,000	
					निवेश और जमा		0
IV	**प्राप्त ब्याज**				स्थायी एवं पूंजीगत व्यय		0
	क.) बैंक जमा पर	199926	89926		क) अचल संपत्तियों की खरीद	1,612,509	971536
					(ख) पूंजीगत कार्य की प्रगति पर व्यय		
V	**अन्य आय** **(निर्दिष्ट)**	0	0				
	विविध प्राप्तियां	30	681	VII	ब्याज और दीर्घकालिक अग्रिम की वापसी		0
VI	**उधार ली गई राशि**			VIII	वित्त प्रभार (ब्याज))		
	एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से ऋण पीएमकेएसवाई योजना	0	0	IX	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण पर ब्याज का भुगतान		**0**
VII	**कोई अन्य रसीद (विवरण दें)**						
	कंप्यूटर बाह्य उपकरणों				ग्रांट रिटर्न लैप्स	42,667,909	-
	फर्नीचर और फिक्स्चर				अनुदान वापसी	649,711,431	
	बयाना धन जमा	240000	10000		अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
	कर्मचारियों से वसूली	1076	50000		कर्मचारियों को अग्रिम		41700
	सुरक्षा जमा राशि		358359		सुरक्षा जमा की वापसी		65011
	अग्रिम की वसूली	10000			बयाना धन की वापसी		94000
	संपत्तियों की बिक्री	40000			भारत की संचित निधि	242,222	
					अन्य को अग्रिम (वाप्कोस)	5,183,430	
					अंतिम शेष		
					क.) नकदी शेष		

					ख.) बैंक शेष		
					i) केबीएलपीए – टीएसए		6734050
					बचत खाते में :		
					ii) एसबीआई वाणिज्य खाता	2,992,100	12409 132
					iii) डाक	2,749	1454
	कुल	14619337143	6243955738.00		कुल	14,619,337,143	6243955738.00

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी

(सुबरता हलदर)
निदेशक (वित्त)

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास एवं
गंगा संरक्षण विभाग)
भारत सरकार